एकादश माला खंड 10, अंक 11

गुरुवार, 6 मार्च 1997

15 फाल्गुन, 1918 (शक)

F.C

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग - एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 6 मार्च, 1997/15 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
88	नीचे से 10	श्री के॰सी॰लोड्यूया	श्री के॰सी॰ कोंड्यूया
92	नीचे से 4	(घ)	(च)
117	नीचे से 9	नगर विमानन·····	नागर विमानन·······
138,164	5 और नीचे से 13	श्री तारीक अनवर	श्री तारिक अनवर
149	ऊपर से 2	श्री तरित चरण तोपदार	श्री तरित वरण तोपदार
193	10	श्री नंद कुमार साथ	श्री नंद कुमार साय
251, 286	नीचे से 16, नीचे से 1	पुन्नानी	पोन्नानी

विषय	कालम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-*पुर:स्थापित*	249—254
(एक) महिला तथा लड़की सम्पत्ति अधिकार संरक्षण विधेयक	
कुमारी उमा भारती	249
(दो) महर्षि बाल्मीकि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक	
श्री मंगल राम प्रेमी	249
(तीन) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा 1 में संशोधन, आदि)	
श्री मंगल राम प्रेमी	250
(चार) सफाई कर्मचारी लघु उद्योग विकास निगम विधेयक	
श्री मंगल राम प्रेमी	250
(पांच) सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक	
श्री मंगल राम प्रेमी	251
(छः) आरक्षण (सेवाएं और उच्च शिक्षा) विधेयक	
श्री जी॰ एम॰ बनातवाला	251
(सात) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)	
श्री महावीर लाल विश्वकर्मा	252
(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन)	
श्री सत्य पाल जैन	252
(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 220 में संशोधन)	
श्री सत्य पाल जैन	252—253
(दस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 101 में संशोधन)	
श्री सत्य पाल जैन	253
(ग्यारह) सिविल कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक	
श्रीमती मीरा कुमार	253
(बारह) बालक श्रम (उत्सादन) विधेयक	
श्री चित्त बसु	253—254
(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 73 में संशोधन)	
श्री चित्त बसु	254
(चौदह) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक (नयी धारा 3 क का अंत: स्थापन)	
श्री चित्त बसु	254

विषय	कालम
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक—*वापस लिया गया*	
विचार करने का प्रस्ताव	254—275
श्री संतोष मोहन देव	254—258
श्री के॰ परसुरामन	258—260
श्री वी॰ धनन्जय कुमार	260—261
प्रो॰ रासा सिंह रावत	261—262
श्री मोहम्मद मकबूल डार	262—267
श्री बसुदेव आचार्य	267—269
श्री श्रीकांत जेना	269—274
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)	
विचार करने का प्रस्ताव	275—290
श्री भगवान शंकर रावत	275—285
श्री चमन लाल गुप्त	285—286
श्री जी॰ एम॰ बनातवाला	286—290

लोक सभा

गुरुवार, 6 मार्च, 1997/15 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल

***181. श्री दत्ता मेघे :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ पर्यटन स्थलों का स्तर बढ़ाकर तथा वहां सुविधाएं जुटाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में परिवर्तित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) यद्यपि देश में बड़ी संख्या में पर्यटन स्थल हैं जहां विदेशी पर्यटक जाते हैं, फिर भी उनमें से किसी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। सरकार के पास किसी स्थल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने की भी कोई पद्धति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया है उससे मुझे लगता है कि उनके मंत्रालय को मेरा प्रश्न ही समझ में नहीं आया है क्योंकि बहुत टैक्नीकल सा जवाब उन्होंने दिया है।

मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट पूछा है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों का संघवार/राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और क्या कुछ पर्यटन स्थलों का स्तर बढ़ाकर तथा वहां सुविधाएं जुटाकर अंतर्राष्ट्रीय स्थल में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है और क्या उनको आप पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इनका बहुत संक्षिप्त और तकनीकी उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े पर्यटक स्थल हैं जहां बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी आते हैं, लेकिन मेरे प्रश्न का बराबर जवाब नहीं दिया गया है। मैंने यह भी पूछा था कि विदेशी पर्यटक आते हैं तो कहां-कहां आते हैं और कौन-कौन से ऐसे शहर हैं, लेकिन इसका भी उत्तर नहीं दिया गया है। केवल यह बताया गया है कि पर्यटक आते हैं। जब देश में पर्यटक आते हैं, तो वे किस-किस स्थान पर आते हैं और जहां पर वे आते हैं वहां पर क्या हम उनको पूरी सुविधाएं दे रहे हैं या नहीं, इसको स्पष्ट नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनसे हमारे देश को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा मिलती है और काफी लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जहां विदेशी पर्यटक आते हैं वे कौन-कौन से स्थल हैं और, और क्या हम विदेशी पर्यटकों को पूरी सुविधाएं दे रहे हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक लगभग भारत के प्रत्येक हिस्से का भ्रमण करते हैं। विशेष रूप से प्रतिशत में कहें तो कुल विदेशी पर्यटकों में 63.82 प्रतिशत विदेशी पर्यटक मुम्बई में, दिल्ली में 55.78 प्रतिशत और चेन्नई में 25.11 प्रतिशत सर्वप्रथम आते हैं। हमने 38 स्थानों को विनिर्दिष्ट किया है जहां विदेशी पर्यटक भ्रमण हेतु जाते हैं। मुम्बई सबसे बड़ा है क्योंकि मुम्बई में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वहीं से पर्यटक गोवा और अन्य क्षेत्रों को जाते हैं।

जहां तक 1996 में आए विदेशी पर्यटकों का सम्बन्ध है, 2.2 मिलियन पर्यटक आए और इस वर्ष विदेशी पर्यटकों की संख्या में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विदेशी पर्यटकों को जहां पर वे जाने की इच्छा रखते हैं वहां पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का जहां तक सम्बन्ध है, वस्तुतः मैं मानता हूं कि उस प्रकार का बुनियादी ढांचा, जो कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित होता है, देश में वास्तव में अपर्याप्त है। इसके लिए न केवल भारत सरकार के प्रयास की ही आवश्यकता है अपितु राज्य सरकारों को भी उन स्थानों, जहां पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, के प्रति विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आगे आना चाहिए। हम राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। मैंने राज्य सरकारों को मास्टर प्लान तैयार करने और उन्हें उस पर कार्य करने के लिए कहा है। भारत सरकार जो कुछ भी थोड़ी बहुत सहायता दे सकती है उसे प्रदान कर उनकी सहायता कर रही है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि मुम्बई में टूरिस्ट बहुत आते हैं। मुम्बई तो सेंटर में है लेकिन हमारे महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा है, ताजमहल है, इन सब स्थलों पर टूरिस्ट बड़े पैमाने पर जाते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दो साल में हमारे

देश को कितनी विदेशी मुद्रा मिली है ? एक टूरिस्ट के मार्फत जितनी विदेशी मुद्रा मिलती है अगर वहां उतना भी खर्चा किया जाए तो आप बड़े अच्छे पर्यटन स्थल बना सकते हैं। विदेशों से ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर जो भी टूरिस्ट हैं, वे सब मुम्बई तो आते हैं इसके साथ-साथ वे अजंता एवं एलोरा भी जाते हैं। इसी तरह हमारे विदर्भ में भी बहुत अच्छे-अच्छे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें आप डेवलप कर सकते हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्यटन मंत्रालय के पास उन स्थानों को डेवलप करने के लिए कोई योजना है ? पहले कश्मीर में बहुत लोग जाते थे। अभी कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार आ गई है। अगर वहां शांति स्थापित हो गई तो वहां भी बड़े पैमाने पर देश-विदेश के टूरिस्ट जाने लगेंगे। क्या पर्यटन मंत्रालय उस दृष्टि से कोई योजना बना रहा है ?

इसी तरह हमारे विदर्भ में भी बहुत अच्छे पर्यटक स्थल हैं। वहां बहुत अच्छे जंगल हैं। ताडूवा जंगल है, नागसारी जंगल है। इन सब जंगलों में भी टूरिस्ट जा सकते हैं। आपको कम से कम एक का तो आश्वासन दीजिए। पर्यटन मंत्रालय ने विदर्भ और महाराष्ट्र की दृष्टि से अजंता एवं एलोरा में काफी खर्चा किया है लेकिन वहां फिर भी व्यवस्था बराबर नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ऐसे जो स्थल हैं, क्या उसके लिए पर्यटन मंत्रालय जल्दी कोई योजना बना रहा है ? वहां ज्यादा से ज्यादा राशि देकर पर्यटन स्थलों को आकर्षित करें। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि वहां लोगों को जो रोजगार मिलता है, उसको बढ़ाने की दृष्टि से आप क्या कर रहे हैं ?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, तीन पहलू हैं। एक है कुल विदेशी मुद्रा जो कि स्वयं पर्यटन क्षेत्र द्वारा अर्जित की जा रही है। जहां तक देश के पर्यटन क्षेत्र द्वारा अर्जित की जा रही विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, हम आज दूसरे स्थान पर हैं। और लक्ष्य के अनुसार इस शताब्दी के अन्त तक हम देश के पर्यटन क्षेत्र से विदेशी मुद्रा के अर्जन में प्रथम स्थान पर होंगे। 1996 में देश के पर्यटन क्षेत्र से 10,061 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया था। पिछले वर्ष 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हम अगले दो वर्षों में, जहां तक विदेशी मुद्रा के अर्जन का सम्बन्ध है, प्रथम स्थान पर रहेंगे।

कतिपय समस्याएं हैं जो हमारे मार्ग में आ रही हैं। मैं हमारे देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या, जो कि मुश्किल से 2.2 मिलियन है, से संतुष्ट नहीं हूं जबकि बढ़ोतरी कुछ ज्यादा हो सकती थी। जहां तक चीन का सम्बन्ध है 83 मिलियन पर्यटक चीन जाते हैं, पांच मिलियन पर्यटक सिंगापुर जाते हैं और पांच मिलियन पर्यटक अन्य देशों जैसे मलेशिया जाते हैं। हमारे जितने बड़े देश के लिए आंकड़ा इससे काफी ज्यादा होना चाहिए था। परंतु समस्याएं हैं जैसे अप्रवास समस्या, वीसा की समस्या, परिवहन साधनों की समस्या और देश के विभिन्न इलाकों, जहां पर लोग जाना चाहते हैं, में हवाई अड्डों की सुविधाएं। इसी कारण, हमें कतिपय सुविधाएं प्रदान करनी होंगी जिससे कि विदेशी पर्यटक यहां पर बड़ी संख्या में आ सकें। अभी हाल ही में इंडोनेशिया के पर्यटन मंत्री मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने 46 देशों को मुक्त वीजा की अनुमति दी है और वे बिना किसी रुकावट के आ सकते हैं और हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर ही वीजा प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु हमारे देश में, अप्रवासी भारतीयों को भी हमारे देश आने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए, मैं इस विषय पर विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से चर्चा कर रहा हूं जिससे वीजा की समस्या को निपटाया जा सके और अधिक संख्या में पर्यटक आ सकें और यहां अपना धन खर्च कर सकें।

अजंता-एलोरा गुफाओं के लिए, ओ. ई. सी. एफ. से 83.11 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और धन को खर्च किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है, 1997-98 तक पूरी परियोजना, जिसकी अवधारणा की गई थी, को पूरा किया जाए। जो भी सुविधाएं अपेक्षित होंगी, वह उस समय तक उपलब्ध हो जाएंगी।

जहां तक विशेष पर्यटन क्षेत्र का सम्बन्ध है, इस परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया गया था जब सिंधिया महोदय पर्यटन के प्रभारी मंत्री थे। उस समय यह अन्तिम रूप से तय किया गया था कि महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों में से एक है। राज्य सरकार इसके लिए एक मास्टर प्लान बना रही है। जैसे ही मास्टर प्लान तैयार हो जाता है या ब्यौरे तैयार हो जाते हैं, सरकार इस विशेष परियोजना को सहायता प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैंने विदर्भ के बारे में भी पूछा था।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : भारत सरकार निश्चित रूप से ऐसे और क्षेत्रों को सम्मिलित करेगी परन्तु तब जब राज्य सरकार सम्भाव्यता रिपोर्ट दे।

[हिन्दी]

श्रीमती रजनी पाटिल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, महाराष्ट्र में जो अजन्ता-ऐलोरा है, वह हमारे इलाके मराठवाड़ा में आता है। वहां ज्यादातर इंटरनेशनल टूरिस्ट्स आते हैं लेकिन एयरपोर्ट से अजन्ता-ऐलोरा तक कोई भी अच्छी सुविधा नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आपने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

जब बहुत बारिश होती है तो टूरिज्म में स्लैक सीज़न होता है। सऊदी अरब में बारिश देखने को नहीं मिलती। जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा, विदर्भ में ताड़ुवा का जंगल है। सऊदी अरब से जो लोग खास तौर से मुम्बई में बारिश देखने के लिए आते हैं, क्या सरकार के पास ऐसा कोई पैकेज है जिससे वे वहां आ सकें ? इससे आप बहुत सारी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है ?

[अनुवाद]

श्री ए॰ सी॰ जोस : अधिक लोगों को मेघालय जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मेघालय जाना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : अजन्ता-एलोरा अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों में से एक है और इस पर भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओ॰ ई॰ सी॰ एफ परियोजना के पूरी हो जाने के पश्चात् वहां अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी और अधिक संख्या में पर्यटक वहां जाएंगे। मुझे आशा है कि 1997-98 वित्त वर्ष की समाप्ति तक ओ॰ ई॰ सी॰ एफ परियोजना का पहला और दूसरा चरण पूरा हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप वहां जो सुविधाएं नहीं हैं वे उपलब्ध करा दी जाएंगी।

[हिन्दी]

यदि लोग बारिश देखने के लिए आएंगे तो हम उन्हें जरूर आमंत्रण देंगे।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : पर्यटन एक अनन्त सम्भावनाओं वाला क्षेत्र है जिसकी राष्ट्रीय एजेण्डा में सबसे ज्यादा उपेक्षा की गई है। माननीय मंत्री ने कहा है कि यह शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह पहले स्थान पर हुआ करता था। इसमें थोड़ा-सा अन्तर हो गया होगा। परन्तु इसमें अत्यधिक सम्भावनाएं हैं जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकारा है। वास्तविक समस्या यह है, केन्द्रीय सरकार जो कुछ भी करना चाहती है, राज्य सरकार असामंजस्यपूर्ण ढंग से व्यवहार करती है। आप किसी एक विशेष क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, अचानक बिक्री कर लगा दिया जाता है या अचानक होटल कर लगा दिया जाता है। इस क्षेत्र में अधिक समन्वयन होना चाहिए। मेरा परामर्श है कि क्या सरकार का इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् में उठाने का विचार है ? राज्य के मंत्रियों को यह कह दिया जाना चाहिए कि केन्द्र विशेष पर्यटन क्षेत्र का विकास करने के लिए तैयार है परन्तु इन विशेष क्षेत्रों में पूरे राज्य में नहीं—कम से कम निर्धारित क्षेत्रों में—केन्द्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किए बिना कोई भी कर लगाया नहीं जाएगा और कम से कम निर्धारित क्षेत्रों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। क्या आप इस मुद्दे को उठाने का विचार रखते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। अगले महीने ही मैं पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने जा रहा हूं। हम अगले पांच वर्षों के लिए पर्यटन पर एक नीति पत्र तैयार कर रहे हैं। हम पहले इस मुद्दे पर पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा करेंगे। मैं निश्चित रूप से इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिवहन में उठाऊंगा।

ऐसे पांच विशेष पर्यटन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा दमन और दीव प्रत्येक में एक-एक ...*(व्यवधान)* यह प्रस्ताव राज्य सरकारों से आए हैं। राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर, इन पांच स्थानों को विनिर्दिष्ट किया गया है। हम और ऐसे स्थानों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। परन्तु बात यह है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हम स्थानों को विनिर्दिष्ट करते हैं परन्तु बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए बैकल परियोजना के लिए, हमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 130 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। भारत सरकार से राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपयों की मांग की है। अपेक्षित धन राशि बहुत ज्यादा है और अधिक धन योजना आयोग से उपलब्ध नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वहां भी नहीं करते। यह बात है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : पर्यटन को राज्य सरकारों और योजना आयोग द्वारा अपेक्षित महत्व दिया जाना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे को योजना आयोग के स्तर पर, राष्ट्रीय विकास परिषद् के स्तर पर और साथ ही राज्य मंत्रियों के सम्मेलन स्तर पर भी उठाऊंगा। पर्यटन अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा को दुगुना कर सकते हैं। यदि पर्यटन उद्योग में दुगुनी बढ़ोतरी होती है तो हम हमारे तेल पूल की कमी को दूर कर सकते हैं वो भी बिना किसी अधिक निवेश से हम अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। मूल रूप से पर्यटन राज्य का विषय है। राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए और अपने बजट में पर्यटन विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

कल्पना कीजिए, पर्यटन मंत्रालय का कुल बजट 90 करोड़ रुपए था और विदेशी मुद्रा का अर्जन 10,000 करोड़ रुपए था। यदि आप राज्य और केन्द्र स्तर पर पर्यटन मंत्रालयों के बजट को थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं तो स्वतः इसका प्रभाव पड़ेगा और ज्यादा बुनियादी ढांचा निर्मित किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, महोदय, विदेशी पर्यटकों के अप्रवास में और हवाई अड्डे पर कई अड़चनें आती हैं विदेशी पर्यटकों के समक्ष ऐसी समस्याएं नहीं आनी चाहिए। वे भारत में भी उसी प्रकार आ सकें जिस प्रकार से वे अन्य देशों में जाते हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे देशों में पर्यटकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हमें भी पर्यटकों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है और वे हमारे समुद्रतटों और पर्यटन स्थलों पर आकर पैसा खर्च करना चाहते हैं। हमें उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। भारत सरकार निश्चित रूप से देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं जुटाने की दिशा में उत्प्रेरक का कार्य करेगी जिससे कि हम और अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकें।

श्री माधव राव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मेरी राय है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों को यह कहना चाहिए "जब तक आपसे हमें एक बचन नहीं मिल जाता तब तक हम विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित नहीं करेंगे।" उन्हें राज्य सरकारों से कहना चाहिए "हम विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने के लिए तैयार हैं परन्तु तब जब आप हमें एक वचन

दें कि आप प्रोत्साहन या गैर प्रोत्साहन व्यवस्था में हमसे परामर्श किए बिना रद्दोबदल नहीं करेंगे। तभी हम एक विशेष पर्यटन क्षेत्र की स्थापना करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सईद ! हमें लक्षद्वीप के बारे में भी सुनने दीजिए।

श्री पी॰ एम॰ सईद : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के हीरक द्वीपों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्ग हैं। मैं इस मंत्रालय से स्थायी समिति के सदस्य के रूप में सम्बद्ध हूं। हम कह रहे हैं कि बुनियादी ढांचे के उपलब्ध होने के बावजूद समन्वयन की भारी कमी है। उदाहरण के तौर पर लक्षद्वीप में हमने तीन द्वीपों को विनिर्दिष्ट किया है। इनमें से एक द्वीप दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर पहले ही आ चुका है और दो अन्य द्वीप पर्यटन की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। पर्यटन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह वहां पर उपलब्ध है। ग्यारह महीनों के रेकार्ड समय में हमने एक एयर स्ट्रिप का निर्माण कर दिया। परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया। सबसे बड़ी बाधा पर्यावरण मंत्रालय से आ रही है। वे अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों जगहों के लिए स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय में एक समन्त्रयन कक्ष होना चाहिए जिससे कि इनकी स्वीकृति मिल सके। अब सरकार नौ महीने पुरानी हो गई है परन्तु ऐसा कोई प्रयास मंत्रालय द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। मैं मंत्री से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वे ऐसे एक समन्वयन कक्ष स्थापित करने जा रहे हैं या नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना : जैसा कि आप जानते हैं महोदय लक्षद्वीप महत्वपूर्ण स्थल है और मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। इण्डोनेशिया के बाकी के समान हम भी लक्षद्वीप का विकास कर सकते हैं। परंतु मुख्य बात सी॰ आर॰ जैड॰ है। पर्यावरणीय समस्या भारत सरकार के हाथों में नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय में चली गई है और उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सी॰ आर॰ जैड॰ प्रतिबन्धों को रखा जाना चाहिए।

इसलिए लक्षद्वीप या अण्डमान और निकोबार में किसी भी प्रकार का विकास ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ एम॰ सईद : मुझे खेद है ये गुमराह कर रहे हैं। यह लक्षद्वीप पर लागू नहीं होती है। मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं। इसके बावजूद पर्यावरण मंत्रालय बीच में आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है। क्या आप समन्वयन कक्ष स्थापित करेंगे ?

श्री श्रीकान्त जेना : यदि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कोई अड़चन है तो मैं निश्चित रूप से उनसे इसके बारे में चर्चा करूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मैं कुछ और अधिक समय की अनुमति दूंगा क्योंकि श्री जेना को उत्तर देने का कभी-कभार ही अवसर मिलता है।

श्री बी॰ धनंजय कुमार : प्रश्न का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय महत्व वाले पर्यटन स्थलों से है। मेरा प्रश्न बहुत छोटा है।

हमारे देश में दो स्थान हैं—एक आगरा जहां ताजमहल स्थित है, और दूसरा श्रावण बेलागोला जहां गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। ये दोनों दुनिया के आश्चर्य माने जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इन स्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा जिससे कि विदेशी पर्यटक इन स्थानों का भ्रमण कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सोचता कि कोई बात ...

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, आगरा हमारे अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से है और यह विश्व सभ्यता का केन्द्र है। देश के अन्य पर्यटक स्थलों की तुलना में आगरा जाने वाले पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक है।

जहां तक श्रावण बेलागोला का सम्बन्ध है, कर्नाटक सरकार ने एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राज्य सरकार से प्रस्ताव मिलने के पश्चात् हम निश्चित रूप से देखेंगे कि इस परियोजना के विषय में ईष्टतम क्या किया जा सकता है, हम उसे अवश्य करेंगे।

आगरा ताजमहल परियोजना के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आगरा क्षेत्रीय विकास के साथ सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार कुछ कार्य कर रहे हैं परन्तु वह कार्य हमारी संतुष्टि के अनुरूप नहीं है। हम कई चीज़ें कर सकते हैं। मैं फिर से यह देखने के लिए कि हम आगरा सभ्यता केन्द्र के सम्बन्ध में कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं शीघ्र ही एक बैठक आयोजित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जी॰ जी॰ स्वैल

हमें कुछ अन्य गंतव्य स्थानों पर भी जाना चाहिए न कि हमेशा आगरा ही।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं इस प्रश्न में सभी रुचि रखते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं हर कोई प्रश्न पूछना चाहता है। मैं क्या कर सकता हूं। हमें उत्तर-पूर्व की ओर चलना चाहिए।

श्री जी॰ जी॰ स्वैल : महोदय मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मंत्री इस बात से अवगत हैं कि विश्व के अधिकाधिक पर्यटक परिस्थितिकी पर्यटन में रुचि रखते हैं। उस संदर्भ में मेरा राज्य और अध्यक्ष महोदय का राज्य दोनों ही आदर्श स्थल है। वहां की रमणीय जलवायु है; वहां एक राष्ट्रीय उद्यान है; वहां लुप्तप्राय जानवर हैं; लुप्त प्राय पौधे हैं तथा विश्व की सबसे लम्बी कुछ गुफाएं हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनमें से एक पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लम्बी और सबसे बड़ी है। हम उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। आप विदेशी मुद्रा के अर्जन के अतिरिक्त स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है।

श्री जी॰ जी॰ स्वैल : आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केरल का उल्लेख हो चुका। केरल के बारे में सब जानते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : उत्तर पूर्वी राज्यों में हमने पर्यटन के विकास के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष कार्य दल का गठन किया है।

हमें दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार, सभी मंत्रालयों के कुल बजट आबंटन का दस प्रतिशत भाग उत्तर पूर्वी राज्यों पर खर्च किया जाएगा। इस वर्ष 1997-98 के लिए 11 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। पहली बार पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में पर्यटन विकास के लिए इतनी धन राशि उपलब्ध है। ऐसा करते समय मैं मेघालय का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय आप मेघालय से हैं। मैं निश्चित रूप से इस पर ध्यान दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मुझे आश्वासन मिल चुका है अब मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा। क्षमा करें अभी नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, इस पर आधे घंटे की चर्चा करा लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय को देखना होगा। मेरे विचार से मंत्री को कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री ने आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमति जताई है। अब अगला प्रश्न।

[हिन्दी]

घरेलू बाल श्रमिक

+

***182. श्री काशी राम राणा :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 वर्ष से कम तथा इससे अधिक आयु के घरेलू बाल श्रमिकों की संख्या और इनकी कार्य स्थिति के बारे में मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में अलग-अलग कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के महानगरों में घरेलू बाल श्रमिक प्रथा का उन्मूलन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस निमित्त क्या कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 घरेलू नौकरों के रूप में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध नहीं करता है। अतः सरकार द्वारा ऐसे बालकों का सर्वेक्षण करवाए जाने अथवा ऐसे बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कार्रवाई किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सरकार सभी प्रकार के बालश्रम के उन्मूलन के लक्ष्य हेतु कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, देश में बाल श्रम को एबॉलिश करने के लिए हमने चाइल्ड लेबर रिजोल्यूशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986 बनाया है। लेकिन देश में गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है कि गरीब मां-बाप के बच्चे कहीं न कहीं घरेलू नौकर या घरेलू बाल श्रमिक बनकर अपनी जिन्दगी गुजारते हैं। इतना ही नहीं इस देश में इतनी गरीबी है कि मां-बाप को अपनी जीविका के लिए अपने बच्चे बेचने पड़े। आजादी के पचास साल के बाद भी इस देश में ऐसी स्थिति है। हमने बाल श्रम को दूर करने के लिए तो कानून बनाया है लेकिन जैसा कि मुझे जवाब दिया गया है कि इसमें घरेलू बाल श्रमिक को रोकने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

अध्यक्ष जी, जो अभी एक नेशनल सर्वे हुआ है, उसमें बताया गया है कि इस देश में खासकर बड़े-बड़े शहरों में घरेलू बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है।

[अनुवाद]

परन्तु अगला निष्कर्ष तो और ज्यादा भयप्रद है। अगर नौवे दशक में यह आंकड़े हैं तो यह 1981 की जनगणना आंकड़ों से 20 गुणा ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइए।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पर ही आ रहा हूं। उसमें बताया गया है और दिल्ली के सर्वे का एक उदाहरण दिया गया है।

[अनुवाद]

इस सर्वेक्षण में 697 घरेलू नौकरों को शामिल किया गया था जिनका साक्षात्कार देश के 8 राज्यों के 12 जिलों और 12 नगरों/शहरों में लिया गया था। परिणाम दशति हैं की इस असंगठित क्षेत्र का महत्वपूर्ण पहलू बाल श्रमिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई प्रश्न पूछना है ? हमें यह लेखा-जोखा नहीं चाहिए। सब कोई इसे जानते हैं।

श्री काशीराम राणा : यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है आप ये सब आंकड़े नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : घरेलू बाल श्रमिकों के बारे में जो नेशनल सर्वे हुआ है, उसमें बताया गया है;

[अनुवाद]

महोदय, घरेलू कार्यों में संलग्न बाल श्रमिकों का सबसे ज्यादा प्रतिशत कर्नाटक में है (30.40 प्रतिशत)।

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने बताया कि यह जो हमारा चाइल्ड लेबर रिजोल्यूशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट है, वह अभी तक घरेलू बाल श्रमिकों के ऊपर नहीं लगता। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार जो इस बारे में सर्वे करने जा रही है, वह सर्वे कब तक पूरा होगा और सर्वे को बेस बनाकर सरकार घरेलू बाल श्रमिकों को रोकने के लिए कब तक कार्रवाई करेगी।

[अनुवाद]

श्री एम॰ अरूणाचलम : महोदय, जैसाकि आप जानते हैं जहां तक घरेलू बाल श्रमिकों का सम्बन्ध है इस अधिनियम में इसके बारे में कुछ भी उल्लिखित नहीं किया गया है।

महोदय, हमने राज्य सरकारों से बाल श्रमिक विनियमन अधिनियम में संशोधन हेतु अपनी राय भेजने के लिए कहा है।

जहां तक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है। हमने राज्य श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। हमने राज्य सरकारों को, प्रथम चरण में, उद्योगों में ऐसे बालकों पर जो कि जोखिम भरे उद्योगों में कार्य कर रहे रहे हैं, सर्वेक्षण कराने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। दूसरे चरण में हम इस बारे में पूर्व सर्वेक्षण कराएंगे।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, घरेलू बाल श्रमिक का विषय बहुत ही डैलीकेट है। ये बच्चे पेरेंट्स की मजबूरी की वजह से घरेलू काम करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि बच्चे इल्लीट्रेट हैं और इनमें अवेयरनैस नहीं है। इन घरेलू बाल श्रमिक का शोषण हो रहा है। इस एक्सप्लायटेशन को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार सर्वे की कार्रवाई करने से पहले क्या राज्य सरकारों से बातचीत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहती है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री एम॰ अरूणाचलम : महोदय, यह एक अच्छा सुझाव है। मैं इस मामले पर राज्य सरकारों से चर्चा करूंगा।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, निःसंदेह हमारे बालक राष्ट्र रूपी फुलवाड़ी के सुन्दरतम फूलों के रूप में शोभायमान रहें। परन्तु ऐसा कई मामलों में नहीं हो रहा है। बाल श्रम का एक चरणबद्ध रूप से उन्मूलन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कई सामाजिक आर्थिक पहलू भी जुड़े हैं। परन्तु लक्ष्य इस समस्या का समूल उन्मूलन होना चाहिए।

1994 के अन्त में या 1995 की शुरूआत में इसमें त्रुटि हो सकती है—में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। मेरे विचार से यह गुट निरपेक्ष देशों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता एक अत्यधिक कर्मठ श्रम मंत्री श्री पी॰ ए॰ संगमा द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में हमने अपने समक्ष एक उद्देश्य रखा कि भारत सरकार पहले चरण में जोखिम-युक्त कार्यों में लगे बच्चों को इन कार्यों से पूर्णतया हटा लेने का काम करेगी। अनुमानतः 20 लाख बच्चे ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं। यही वह उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए आपकी अध्यक्षता में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संकल्प किया है।

मुझे इसकी पूरी जानकारी है क्योंकि बाद में बेइजिंग में मैंने इसके बारे में बताया था। मुझसे इस संबंध में अनेक प्रश्न पूछे गए थे।

इस संकल्प को किए हुए तीन वर्ष बीत चुके हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पहले चरण में जो उद्देश्य रखा गया था कि जोखिम युक्त कार्यों में लगे बाल श्रमिकों को उनसे हटा लिया जाएगा उस संबंध में क्या प्रगति हुई है।

श्री एम॰ अरूणाचलम : महोदय जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में यह घोषणा की थी कि जोखिमयुक्त कार्यों में लगे बाल श्रमिकों को वहां से हटाने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। इसके बाद इस संबंध में अनेक घटनाएं हो चुकी हैं।

इस संबंध में राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हो चुका है, क्षेत्रीय सम्मेलन हो चुके हैं तथा हमने राज्यों में भी इस कार्यक्रम को शुरू कराया है। हमने देश में जोखिम युक्त उद्योगों में लगे 20 लाख बच्चों की पहचान की है।

महोदय जैसा कि आप जानते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन के इस कार्यक्रम के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय श्रम परियोजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत हम बच्चों को जोखिमयुक्त कार्यों से निकाल कर उन्हें विशेष स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। हम उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। संतुलित एवं पोषक भोजन दे रहे हैं तथा ऐसे बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

हाल ही में पिछले सप्ताह, नीदरलैंड में मैंने एक सम्मेलन में भाग लिया था। वहां भी अत्यन्त असहनीय परिस्थितियों में काम कर रहे बाल श्रमिकों के विषय पर विशेष ध्यान दिया गया था।

इस प्रकार महोदय, हमारी सरकार भी जोखिम युक्त उद्योगों में लगे बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सभी कदम उठा रही है। लगभग वर्ष 2002 तक हम इसका उन्मूलन कर पाएंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : इसका कितना प्रभाव पड़ा क्या आप यह बता सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि कितने विशेष स्कूल खोले गए हैं तथा बचाए गए कितने बच्चे इन स्कूलों में भर्ती किए गए हैं ? यदि आपके पास इससे संबंधित

आंकड़े हैं तो आप बताइए। मुझे याद है आपके पास कुछ आंकड़े हैं।

श्री एम॰ अरूणाचलम : जी हां, मेरे पास आंकड़े हैं। अभी तक हमने देश में 1,800 विशेष स्कूल स्थापित किए हैं। हमने इन स्कूलों में लगभग 1.05 लाख बच्चे भर्ती किए हैं।

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : यह तो बहुत कम है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार की यह समस्या है और इस समस्या के बारे में जिस तरह से हम चिन्ता करते हैं उस प्रकार के प्रभावी उपाय नहीं हुए हैं, जिस प्रकार से अभी मंत्री जी ने बताया है। अभी जो विधि-विधान, कानून और नियम बनाए गए हैं उन प्रावधानों के माध्यम से भी इससे अभी तक हमें कोई राहत नहीं मिल पाई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से होने वाली है जिससे कि ऐसे जो बाल श्रमिक हैं उनकी संख्या को संतुलित करने का उपाय किया जाए और आने वाले वर्षों में उसमें निरंतर कमी हो, इस प्रकार के प्रभावी उपाय करने के लिए नियम, कानून-व्यवस्था के नए प्रावधान क्या बनाए जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री एम॰ अरूणाचलम : जहां तक बाल श्रम का संबंध है यदि हम आंकड़े देखें तो ये काफी कम हो गए हैं। जनगणना के अनुसार 1981 में यह संख्या 13.6 मिलियन थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिकार्ड के अनुसार यह 1987-88 में 17.02 मिलियन थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यह संख्या कम होकर 11.28 मिलियन बच्चे ही रह गई है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी मां-बाप मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में अपने बच्चों से श्रम करवाते हैं। जब तक ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण मजबूरी में मां-बाप को श्रम करवाना पड़ता है, जब तक ऐसी परिस्थितियां दूर नहीं की जातीं तब तक बाल श्रमिकों की प्रथा जारी रहेगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्लेट, पैंसिल बनाने के काम में कई बाल श्रमिक लगे हुए हैं और यह काम इतना खतरनाक है कि कई बच्चे गंभीर बीमारी के शिकार होकर समय से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं। इसलिए स्लेट, पैंसिल के खतरनाक काम से बाल श्रमिकों को निकालने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है या करेगी ?

[अनुवाद]

श्री एम॰ अरूणाचलम : महोदय, मैंने स्पष्टतः यह कहा है कि बच्चों को एक निर्धारित समय सीमा में काम करना चाहिए। मेरे विचार से राज्य सरकारें ही इसे क्रियान्वित करती हैं। यदि राज्य सरकारें इसमें कहीं चूक करती हैं और यदि आप उसे मेरे ध्यान में लाते हैं, तो मैं यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है जिसको आपने भी और मैंने भी डील किया है। लेबर मंत्री के आने के बाद कितना बजट उन लोगों को पिछले साल दिया है और कितना इम्पलीमेंट हुआ। हमें पूरे आंकड़े चाहिए कि कितना इम्पलीमेंट हुआ और कितना नहीं हुआ ? अगर हुआ है तो उसका फीगर क्या है ? बजट में जो रखा गया है, अध्यक्ष जी, आपके जाने के बाद और मेरे जाने के बाद वह जीरो हो गया है। आपने जो इम्पलीमेंट किया है, जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसके लिए कितना बजट दिया है उसके फीगर दें। स्टेट गवर्नमेंट ने कितना इम्पलीमेंट किया है उसके भी फीगर दें। यह इंटरस्ट खत्म हो गया है, ये ऐसे ही कहते हैं कि चाइल्ड लेबर एबोलिशन का जो स्लोगन है उसको हम लागू कर रहे हैं। उसको इम्पलीमेंट नहीं कर रहे हैं, उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें इसके फीगर चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एम॰ अरूणाचलम : महोदय, वर्ष 1995-96 के बजट में 34.40 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। हमने लगभग सारी राशि व्यय कर दी है। वर्ष 1996-97 के बजट में 56 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अभी तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है इसके लिए मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : यह बात तो आवश्यक है। कितना व्यय हुआ है ? आप कृपया हमें बताएं।

श्री एम॰ अरूणाचलम : मैं आंकड़े एकत्र करके आपको बता दूंगा।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : आपको प्रश्न का सही उत्तर देना चाहिए।

श्री एम॰ अरूणाचलम : ठीक है। परन्तु यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय सही कह रहे हैं यह प्रश्न घरेलू कार्यों में कार्यरत बाल श्रमिकों से संबंधित है। मंत्री महोदय के पास सम्पूर्ण बाल श्रमिकों की समस्याओं के आंकड़े कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। यह प्रश्न केवल घरेलू नौकरों से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : क्या हमको इस विषय पर बात करने का हक नहीं है। हमने जो सवाल किया है उसका तो जवाब दें कि कितना बजट इन्होंने खर्च किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास आंकड़े हैं।

श्री एम॰ अरूणाचलम : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु मैं उन्हें आंकड़े दे दूंगा।

टेलीविजन नेटवर्क में विदेशी निवेश

\+

***183. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन** :

श्री नारायण अठावले :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के किसी चैनल का निजीकरण/वाणिज्यीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई आचार संहिता तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशी फर्मों को दूरदर्शन चैनल-3 खरीदने की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) दूरदर्शन के अन्य चैनलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार दूरदर्शन के डीडी-3 चैनल के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक भारतीय दर्शकों तक पहुंचाने हेतु इसके स्थलीय नेटवर्क के परिकल्पित विस्तार की लागत को पूरा करने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगा रही है। इस संबंध में विशिष्ट रूपात्मकताओं के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के उत्तर में दिया गया है।

(छ) डीडी-3 से चूंकि दर्शकों के वर्ग विशेष की मांग पूरी होने की संभावना है इसलिए अन्य चैनलों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : मैंने मंत्री महोदय से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार का विचार दूरदर्शन चैनल-3 का निजीकरण करने का है। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि सरकार बाहरी सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगा रही है। परन्तु कहीं और संभवत: उन्होंने यह कहा है कि सरकार दूरदर्शन चैनल-3 का निजीकरण करना चाहती है। ऐसी सूचना प्रैस में आई है। बाहरी सहायता का अर्थ निजीकरण नहीं है। अतएव मैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं तथा मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार दूरदर्शन चैनल-3 का निजीकरण करने का है। यदि इसका उत्तर हां है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ध्यान में रखते हुए कि एक व्यापक प्रसारण विधेयक लम्बित है, जिसे प्रस्तुत करने का सरकार बार-बार वायदा कर रही है, इसका निजीकरण करने का क्या औचित्य है ? क्या इसका यह तात्पर्य है कि सरकार प्रसारण विधेयक लाना नहीं चाहती। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि निजीकरण हो जाने पर सरकार कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर कैसे नियंत्रण रखेगी ?

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : मेरे विचार से संभवत: आपको इस प्रश्न के उत्तर से भ्रम हो रहा है कि यह सहायता है या भागीदारी है अथवा निजीकरण है। आज की बैठक में भी मुझे ऐसा ही लगा। संसद के बाहर प्रैस को दिए वक्तव्य में भी मैंने यही कहा था कि दूरदर्शन चैनल-एक और दूरदर्शन चैनल-दो सरकारी चैनल हैं। यदि हमें दूरदर्शन चैनल-3 का विस्तार करना पड़ा तो इसके लिए कम से कम 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

दूसरे हमें दूरदर्शन चैनल-3 से एक पैसा भी राजस्व नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि दूरदर्शन के चैनल-एक और दो सूचना एवं शिक्षा तथा कुछ हद तक मनोरंजन के लिए हों तथा दूरदर्शन के चैनल-3 और 4 दूरदर्शन के नियंत्रण में पूर्णतया मनोरंजन तथा भारतीय संस्कृति का प्रसार करने के लिए हों। मैं नहीं चाहता कि उनका शत-प्रतिशत निजीकरण कर दिया जाए। परंतु जहां तक वित्तीय प्रावधान का संबंध है, इसकी व्यवस्था किए जाने संबंधी सुझाव देने के लिए दूरदर्शन में एक समिति का गठन किया गया है।

जहां तक प्रसार भारती विधेयक का संबंध है, हम इसके लिए कृत संकल्प हैं। हम चाहते हैं कि विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाए इस पर दो बार चर्चा हो चुकी है तथा इसका प्रारूप संसद के समक्ष है। एक बार इसके पारित होने के बाद मैं सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा करूंगा। इसके अलावा, मैं आरंभ से ही कह रहा हूं कि इसे बहुमत या अल्पमत के आधार पर नहीं वरन् सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। इसमें आप सभी के मत शामिल किए जाएंगे।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें कि क्या सरकार दूरदर्शन चैनल-3 का निजीकरण करना चाहती है अथवा नहीं। उन्होंने सहायता प्राप्त करने की बात कही है। मैं यह समझता हूं तथा इसकी सराहना भी करता हूं। परन्तु क्या वह दूरदर्शन चैनल-3 का निजीकरण करना चाहते हैं, यह मूल नीति सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : महोदय, दो किस्म का निजीकरण होता है—एक पूर्ण रूप से बेच देना तथा दूसरा जब आवश्यकता हो तब भागीदार बनाना। जब समय पूरा हो जाए तब इसे छोड़ दिया जाता है। यह एक प्रकार से संयुक्त उद्यम जैसा है।

[हिन्दी]

जब चाहे बुला लें, नहीं तो छोड़ दें।

[अनुवाद]

स्थाई रूप से यह किसी को नहीं दिया जाएगा।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या आपने इसे संयुक्त उद्यम बनाने का निर्णय लिया है अथवा नहीं। कृपया हमें यह बताएं।

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : हां, इस संबंध में कार्यवाही चल रही है। अभी यह विचाराधीन है कि क्या इसे संयुक्त उद्यम जैसा बनाया जाए अथवा क्या हम ऋण लेने की प्रतीक्षा करें अथवा उनके लिए कोई समय-सीमा, जैसे दस, बारह या चौदह घंटे की समय सीमा निर्धारित कर दी जाए। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद मैं फिर इसे संसद के समक्ष रखूंगा। अतएव इस संबंध में निर्णय लेने के बाद मैं इस संबंध में सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : सभी ने यह स्वीकार किया है कि निजी टी॰ वी॰ चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम तथा दूरदर्शन के भी कुछ कार्यक्रम पाश्चात्य सभ्यता से अधिक प्रभावित हैं तथा हमारी संस्कृति से परे हैं जोकि हमारे युवावर्ग को गुमराह कर सकते हैं। आपके समक्ष यह बात पहले भी रखी जा चुकी है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस संबंध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

दूसरे दूरदर्शन चैनल-3 का प्रसारण कुछ विशेष शहरों तक ही समिति है। आप इसे केवल कुछ शहरों तक ही सीमित क्यों रख रहे हैं। आप इसका प्रसारण क्षेत्र बढ़ा क्यों नहीं देते ताकि यह ग्रामीण क्षेत्रों तथा अन्य शहरों में भी पहुंच सके।

तीसरे......

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ नहीं। मैंने एक अतिरिक्त प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक भूतपूर्व मंत्री होने के नाते आपको नियमों का ज्ञान होना चाहिए।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यह दूरदर्शन चैनल-तीन के बारे में है। तीसरा प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, काफी दिनों से दूरदर्शन के कार्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषा का अंश कम करने की प्रवृत्ति पनप रही है। क्या ऐसा है ? क्या आप सभा को यह आश्वासन देंगे कि कार्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं का अंश कम नहीं किया जाएगा ? तथा यदि संभव हो तो इसे बढ़ाया जाएगा। यही तो एक प्रश्न है।

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके पहले प्रश्न में निहित है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है 'हां'। मैंने निश्चय कर लिया है। कुछेक कार्यक्रम न केवल पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं वरन् वे हमारी संस्कृति भी नष्ट कर रहे हैं। अभी तक मेरे पास इन पर नियंत्रण रखने की शक्ति नहीं थी। इसलिए प्रसार भारती विधेयक के अंतर्गत इन्हें लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। एक बार यह लाइसेंस लेने के अधिकार क्षेत्र में आ जाएं तो हम यह सभी शर्तें पूरी कर सकते हैं।

दूसरे, आप चाहते हैं कि दूरदर्शन चैनल-तीन का प्रसारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो। ट्रांसपोंडर के लिए ट्रांसमीटर भी आवश्यक होगा। एक किलोवाट क्षमता के ट्रांसमीटर के लिए मुझे एक करोड़ रुपया चाहिए। यदि मैं दस किलोवाट क्षमता का ट्रांसमीटर लगाऊं तो मुझे 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसलिए देश की आधी आबादी तक प्रसारण पहुंचाने के लिए मुझे 300 से 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अभी दूरदर्शन चैनल एक और दो की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दूरदर्शन चैनल तीन और चार में सुधार करने तथा अधिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने की दिशा में दूरदर्शन कदम उठा रहा है। एक बार दूरदर्शन चैनल तीन और चार चालू हो जाने के बाद मुझे राजस्व मिल जाएगा और फिर मैं दूरदर्शन चैनल एक और दो का क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए प्रयोग कर सकता हूं। फिलहाल सायं 4.30 बजे से 8.30 बजे तक यह चैनल क्षेत्रीय केन्द्रों के अंतर्गत आते हैं। यदि मेरे पास अधिक चैनल और अधिक दर्शक हों तो थोड़ा समय और बढ़ाया जा सकता है। अतएव इसे ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे सहयोगी अथवा ऐसे व्यक्ति चाहिए जो दूरदर्शन चैनल 3 और 4 में निवेश कर सकें। इस उद्देश्य से हमने ऐसा किया है।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्षेत्रीय भाषा के बारे में बताएं ?

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : मैंने उसके बारे में भी बताया है।

[हिन्दी]

श्री नारायण अठावले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी प्रादेशिक भाषा के बारे में जो कुछ आश्वासन दिया है, उससे मैं प्रसन्न हूं। एक तरफ दूरदर्शन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और दूसरी तरफ प्रादेशिक भाषा का गला दबाया जा रहा है। मुम्बई दूरदर्शन केन्द्र में दूसरे चैनल पर मराठी के प्रायोजित कार्यक्रम के लिए दस से साढ़े दस का समय था लेकिन उसे बदल कर शनिवार और रविवार को एक से दो बजे का समय कर दिया है। इससे सभी मराठी निर्माता मर गए।

कम से कम 2,000 लोगों ने 1,000 रुपया देकर दूरदर्शन में एप्लीकेशन्स दी हैं जिसमें से केवल 100 लोगों को मालिक (सीरियल) बनने का मौका मिला है। इनमें 7-8 ने अपना काम बंद कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपका तीसरा चैनल बन रहा है, क्या उसमें प्रादेशिक भाषाओं को मदद मिल सकेगी या वे मर जाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : एक बार चैनलों की संख्या बढ़ने पर नीति निर्धारण के समय इस पर विचार किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए। केवल एक या दो भाषाओं में समाचार या शिक्षा से संबंधित प्रसारण करके मैं पूरे देश में संदेश कैसे पहुंचा सकता हूं। जहां भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं हमें उन्हें अधिक लोकप्रिय बनाना है। इस प्रकार हम जो कहना चाहते हैं वह प्रभावी रूप से कह सकते हैं। इसलिए एक बार चैनल 3 और 4 का प्रसारण शुरू हो जाने के पश्चात् हम क्षेत्रीय केन्द्रों तथा चैनल 1, 2, 3 और 4 इत्यादि पर समय बढ़ाने संबंधी विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्राइम टाइम प्रादेशिक भाषाओं को देना चाहिए। प्राइम टाइम तो वह कार्मशियल दिखाने वाला मांगता है।

[अनुवाद]

बहुत लोग ऐसे हैं जो कार्यक्रम तैयार करना चाहते हैं। ऐसे सैकड़ों, हजारों प्रोडयूसर हैं।

[हिन्दी]

प्राइम टाइम तो थोड़ा है, मांग ज्यादा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चैनल न आएं। मैं मानता हूं कि डी॰ डी॰-3 और डी॰ डी॰-4 आने के बाद थोड़ा बहुत प्रैशर कम होगा।

[अनुवाद]

श्री सी॰ नरसिम्हन : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से कुछ पूछना चाहता हूं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु में चैनल-5 चालू किए जाने का आश्वासन दिया था। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह मात्र एक सुझाव है। माननीय मंत्री क्या आप इसे कार्यान्वित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि चैनल-3 किसी विशेष वर्ग के लिए प्रारम्भ किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन से विशेष वर्ग के लिए आप यह चैनल प्रारम्भ करने जा रहे हैं और यदि अन्य विशेष वर्गों की तरफ से मांग होगी तो क्या आप और चैनल खोलेंगे तथा इस चैनल में विस्तार से कितना प्रतिशत बाहरी निवेश किया जाएगा ?

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : अध्यक्ष जी, विशेष वर्ग से मेरा मतलब चार महानगरों कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई तथा दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से है। इस आधार पर कहा गया है कि यदि इन इलाकों में बसने वाले लोगों को ट्रांसमीटर लगता है या आगे लगता जाएगा, वैसे-वैसे वहां पर देखने की सहूलियतें बढ़ती जाएंगी। दूसरा, जहां तक पूंजी की बात है, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसमें काफी सोच-विचार हो रहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी पिछले प्रश्न का पूरक प्रश्न पूछते हुए श्री जी॰ वेंकट स्वामी ने आरोप लगाया कि लेबर मिनिस्ट्री से उनके और आपके जाने के बाद बाल मजदूरी अभियान ढीला पड़ गया। मैं उनके सुर में सुर मिलाते हुए आरोप लगाना चाहूंगी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आपके और मेरे जाने के बाद डी॰डी॰-3 की कल्पना धूल में मिल गई। आपने डी॰डी॰-3 शुरू किया था और एक विशेष भूमिका निभाने के लिए कि यह एक सांस्कृतिक चैनल होगा और भारत के खिलाफ जो प्रॉपिगेंडा होता है, उसका जवाब देने वाला होगा। आज ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वास्तव में इन्होंने इसका निजीकरण करने का मन बना लिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि डी॰डी॰-3 को जो रोल निभाने के लिए दिया गया था क्या उसको बहाल करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : उसके लिए इंटरनेशनल चैनल भी है। कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली जैसे चार महानगरों से किस तरह से हम अपनी बात विदेश तक पहुंचा सकते हैं। मैं केवल एक चैनल का कांसैप्ट नहीं देख रहा हूं।

मैं देख रहा हूं कि डीडी-1, डीडी-2, डीडी-3, डीडी-4 और डीडी-5 में किस तरह से हम टाइम सलॉट बांट सकते हैं। इंटरनेशनल चैनल हमने लगा दिया लेकिन बाहर कोई देख नहीं रहा है। इस पर सालाना कई करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। इस पर भी डिपार्टमेंट द्वारा जांच की जाएगी कि किस उद्देश्य से इस चैनल को खोला था और क्या वह उद्देश्य सफल हुआ है। सालाना करोड़ों रुपए किराया हम दे रहे हैं। इसका कुछ नहीं हुआ। अगर हमें लेना है तो जिस एशिया पैसेफिक में स्टार टीवी आ रहा है, जी टीवी आ रहा है, उस ट्रांसपॉण्डर पर अगर हमें जगह मिल गई तो जी टीवी खोलेंगे और उसी पर हमारा चैनल भी आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर फॉरन इनवैस्टमेंट भी आ जाए तो डीडी-3 और डीडी-4 के लिए एशिया पैसेफिक में जहां पर भी इनसैट में ट्रांसपॉण्डर्स हैं, वहां पर हम कोशिश करेंगे कि डीडी-इंटरनेशनल उसी के माध्यम से दिखाएं।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र में हानि

***184. प्रो॰ रीता वर्मा :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बोकारो इस्पात संयंत्र के विभिन्न उत्पादों की चोरी के कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र को कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन-किन लोगों के विरुद्ध सी॰ बी॰ आई॰ जांच की गई; और

(च) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (च) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) *पिछले तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के विभिन्न उत्पादों की चोरी के पकड़े गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—*

वर्ष		मामलों की संख्या
1994	—	08
1995	—	14
1996	—	04

चूंकि चुराया गया पूरा माल बरामद हो गया था अतः इन चोरियों के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र की कोई हानि नहीं हुई।

(ग) और (घ) पकड़े गए सभी मामलों की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की गई थी और उन्हें सुनवाई हेतु अदालत में भेज दिया गया था। एक कर्मचारी, जिस पर चोरी के मामले में शामिल होने का आरोप था, के खिलाफ विभागीय जांच की गई।

(ङ) इन चोरियों के लिए सीबीआई द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी।

(च) उपरोक्त (ङ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, समय अधिक नहीं है इसलिए मैं पॉइंटेड प्रश्न पूछना चाहती हूं। मंत्री महोदय का जो जवाब आया है, जिसके बारे में कहते हैं कि छुपाया ज्यादा, बताया कम। मैं पूछना चाहती हूं कि बोकारो में जो चोरियां हो रही हैं और जो मशहूर केसेज़ हुए हैं, उनमें पिछले ढाई साल से एक सीबीआई इनक्वायरी चल रही है। सीबीआई इनक्वायरी में गवाहों ने बड़े सनसनीखेज बयान दिए थे और बड़े-बड़े अधिकारियों और नेताओं के नाम लिए थे कि उनके संरक्षण में चोरियां की जाती थीं और ट्रक के ट्रक माल टपाए जाते थे। पता नहीं किस दबाव में सीबीआई की इनक्वायरी धीमी पड़ गई है। इसमें 'सेल' के पिछले चेयरमैन पर भी आरोप लगाया गया था और उससे भी ऊपर बात जाती थी। क्या मंत्री जी 'सेल' को निर्देश देंगे कि वह सीबीआई इनक्वायरी में कोआपरेट करें ताकि इनक्वायरी जल्दी अपने मुकाम तक पहुंचे और जो दोषी हैं—चाहे राजनेता हों चाहे अफसर हों वह दण्डित हों और जो चोरियां और घाटा बोकारो स्टील प्लाण्ट में हो रहा है उस पर रोक लगे और लोगों को डर हो कि ऐसा कुछ करने पर उनको दंड भी मिल सकता है ?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, 1993 में गांव वालों की मदद से व्यवस्थापकों ने बोकारो इस्पात संयंत्र में चोरी का एक मामला पकड़ा था। व्यवस्थापकों ने स्थानीय पुलिस के पास एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। तत्पश्चात बिहार सरकार ने 'सीबीआई' को जांच करने के आदेश दिए। 'सीबीआई' ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा मामला धनवाद न्यायालय में चल रहा है। 'सीबीआई' पर कोई दबाव नहीं डाला गया है तथा 'सेल' 'सीबीआई' के साथ सहयोग नहीं कर रहा यह प्रश्न ही नहीं उठता। 'सेल' 'सीबीआई' के साथ पूरा सहयोग कर रहा है।

दूसरे माननीय सदस्य ने चोरी की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। तथा यह बताया है कि चोरी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र में भारी नुकसान हुआ है। मैं पिछले पांच वर्षों के आंकड़े इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। वर्ष 1992 में चोरी के 29 मामलों की सूचना दी गई और 2,55,080 रुपए मूल्य का माल चोरी हुआ। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हुई है कि शत-प्रतिशत माल बरामद हो गया। वर्ष 1993 में चोरी के 45 मामले थे तथा कुल 6,03,476 रू॰ का माल चोरी हुआ जिसे बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा शत-प्रतिशत बरामद किया गया। वर्ष 1994 में 36 मामले हुए तथा 4,06,896 रुपए का माल चोरी हुआ जिसमें से 1,71,896 रुपए मूल्य का माल बरामद किया जा चुका है।

मध्याह्न 12.00

वर्ष 1995 में 49 मामले हुए तथा कुल 3,44,364 रू॰ का माल चोरी हुआ जिसमें से 2,41,448 रू॰ मूल्य का माल बरामद किया जा चुका है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, अभी एक मिनट का समय बाकी है, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि माडर्नाइजेशन के नाम पर बोकारो का बजट बढ़ाया गया था जोकि 1,100 करोड़ होना चाहिए था लेकिन उसके स्थान पर इसे बढ़ाकर 1,625 करोड़ रू॰ कर दिया गया और इसमें भी भयंकर चोरी, भ्रष्टाचार और घपला है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या माडर्नाइजेशन के सारे कांट्रैक्ट्स की फिर से जांच कराई जाएगी। यदि हां तो यह जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि लोगों का जो चोरी, घपले और भ्रष्टाचार का शक है उसका समाधान हो सके।

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, भ्रष्टाचार को छुपाया नहीं जाएगा तथा माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है तथा इसके जुलाई, 1997 में पूरा हो जाने की संभावना है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष आरोप लगाना चाहते हैं तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं तदनुरूप कार्यवाही करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

***185. श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्थन :** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान "सेल" एककों ने देश में कुल कितना कारोबार किया;

(ख) क्या कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) "सेल" एककों में हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या "सेल" कोयले की खपत के लिए "रक्षित कोयला खानें" स्थापित करने का विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) वित्तीय वर्ष 1996-97 में "सेल" इकाइयों द्वारा किया गया कुल कारोबार वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

(ख) और (ग) जी, हां। कोयले के मूल्य में वृद्धि होने के कारण विक्रेय इस्पात की उत्पादन लागत बढ़ रही है। कोककर कोयले के मूल्यों में दिनांक 1.4.1996 और 2.10.1996 से क्रमशः 15% और 12% की वृद्धि होने से 410 करोड़ रुपए वार्षिक का प्रभाव पड़ने का अनुमान है।

(घ) "सेल" ने अपनी लाभप्रदता में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं जिनमें, अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन,

बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद मिश्र और बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद, प्रौद्योगिक आर्थिक घटकों जैसे—कोक दर में कमी, ऊर्जा संरक्षण, धात्विक आदान, उत्पादन में सुधार, प्रभावी रख-रखाव के जरिए उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करना, कड़ा नियंत्रण और उत्पादन लागत में कमी करना इत्यादि, शामिल हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। स्वदेशी कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए "सेल" ने कोयले का निजी रूप से खनन करने का निश्चय किया है। निजी खनन हेतु इसे झरिया कोयला क्षेत्र में तसरा खंड आबंटित किया गया है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए "सेल" द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

निजी क्षेत्र द्वारा रेडियो/दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

***186. श्री के॰ परसुरामन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को देश में रेडियो तथा दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) निजी क्षेत्र को रेडियो और टी॰वी॰ केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुमति देने के विषय का संबंध देश के भीतर से निजी प्रसारण को अनुमति देने के प्रश्न से है। इस विषय को प्रस्तावित प्रसारण विधेयक में शामिल किया जाएगा जिसे संसद के चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

लंबित परियोजनाएं

***187. श्री तरित बरण तोपदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के अंतर्गत लंबित नई रेल लाइनों संबंधी परियोजनाओं तथा अन्य कार्यों का ब्यौरा क्या है और उनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ख) उन परियोजनाओं को पूरा करने की मूल तिथियां क्या थीं और प्रत्येक परियोजना पर लागत तथा समय कितना अधिक लगा है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)

विवरण

(क) से (ग)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	कि॰मी॰	लंबित होने के कारण	पूरा करने की मूल तिथि	मौजूदा अधिक लागत	मौजूदा लक्ष्य के अनुसार लगा अधिक समय	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए किए जा रहे उपाय
1	2	3	4	5	6	7	8
नई लाइनें							
1.	लक्ष्मीकांतपुर नामखाना	47	भूमि अधिग्रहण में बिलंब।	लक्ष्मीकांतपुर से काशीनगर (चरण-1) तक के लिए 31.03.95-काशीनगर से आगे दूसरे चरण के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।	31 करोड़ रुपए।	2 वर्ष 9 महीने	लक्ष्मीकांतपुर और निश्चिंतपुर (23 कि॰मी॰) के बीच लाइन पूरी हो गई है। निश्चिंतपुर से काशीनगर तक 8 कि॰मी॰ दिसंबर 97 तक खोल दिया जाएगा। राज्य सरकार से शेष भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कहा जा रहा है। पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
2.	मंदारहिल से रामपुर हाट बरास्ता दुमका	130	अंतिम स्थान निर्धारण	अभी निर्धारित नहीं की गई है।	कोई नहीं।	कोई नहीं।	रेलवे को अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा करने के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर भूमि अधिग्रहण नक्शे और दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
शहरीकरण							
3.	साहिबगंज लिंक केबिन-न्यू फरक्का मालदा टाउन	49.57	सर्वेक्षण चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने में विलंब और 1995 में बाढ़ के कारण नए तटबंध को क्षति।	31.12.93	24 करोड़ रू०	5 वर्ष	28.61 कि०मी० पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार ने चरणों में अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है और कार्य शुरू कर दिया है। पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई गई है। कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि अब दिसंबर 98 है।
4.	खाना-सैंथिया चरण-I (खाना-झापटेरढाल) फ्लाईओवर सहित।	5.63	ठेकेदार द्वारा मुकदमा दायर करना	30.06.95	कोई नहीं	2 वर्ष 6 माह	मुकदमे के निर्णय के पश्चात् ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है। विफल ठेकेदार की जोखिम और लागत पर अब नई एजेंसी तैनात की गई है। इन दो ब्लॉकों पर कार्य प्रगति पर है और अब दिसंबर 97 में इसे पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	झापटेरढाल-गुसकरा चरण-II	15.21	अनुवर्ती ठेकेदारों की विफलता।	31.03.96	कोई नहीं	एक वर्ष, 9 माह	
6.	गुसकरा-बोलपुर चरण-III (95-96)	18.8	शिरोपरि लाइनों की शिफ्टिंग	30.06.98	कोई नहीं	6 माह	विशेष सीमित निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। कार्य को अब दिसंबर 98 में पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	दत्तापुकुर-हाबरा	11.02	हाबरा यार्ड को छोड़कर, जहां अतिक्रमण न हटाए जाने के कारण कार्य रुका हुआ है, कार्य पूरा हो गया है।	31.12.92	4 करोड़ रू०	5 वर्ष	दोहरी लाइन कार्य कर रही है। राज्य सरकार से हाबरा यार्ड में अतिक्रमण हटाने के लिए आग्रह किया गया है। यदि ऐसा हो जाता है तो हमें शेष कार्य दिसंबर 97 में पूरा करना होगा।
8.	देहरी-ऑन-सोन-मुगल-सराय के बीच तीसरी लाइन और सोननगर में फ्लाईओवर	110.35	चरण-I, 7 ब्लाक खंड, चरण-II, 6 ब्लाक खंड	31.12.95 31.12.98	65 करोड़ रू०	2 वर्ष	कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।
9.	चंदनपुर-गुरुप के बीच तीसरी लाइन	17.24	योजना बनाने में अधिक समय लगा।	31.12.96	कोई नहीं	2 वर्ष	कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।
10.	बजबज-अकरा	6.09	कोई विलंब नहीं	30.06.98	कोई नहीं	कोई नहीं	कार्य हाल ही में शुरू किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पटना-गया चरण-I	7.24	कोई विलंब नहीं	31.12.99	कोई नहीं	कोई नहीं	कार्य हाल ही में शुरू किया गया है।
12.	गुरुप-शक्तिगढ़ के बीच तीसरी लाइन	25.42	कोई विलंब नहीं	31.12.99	कोई नहीं	कोई नहीं	कार्य हाल ही में शुरू किया गया है।
13.	न्यू अलीपुर-अकरा चरण-I	9.76	कोई विलंब नहीं	31.12.99	कोई नहीं	कोई नहीं	कार्य हाल ही में शुरू किया गया है।
	यातयात सुविधाएं						
14.	बर्धमान ढांचे में परिवर्तन चरण-I स्तर-1		ठेकेदार द्वारा मुकदमा दायर करना	31.03.92	10 करोड़ रु०	6 वर्ष	जोखिम और लागत के आधार पर निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान दूरदर्शन/रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रचार

***188. श्री पंकज चौधरी :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे के संबंध में दूरदर्शन और रेडियो पर भारत विरोधी प्रचार पुनः आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) और (ख) पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर अपने इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर भारत विरोधी दुष्प्रचार करता रहा है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें किसी भी स्तर पर कमी नहीं आई है। पाकिस्तान के इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा मिथ्या अथवा पूर्णतया निराधार खबरों के प्रसारण और भारत तथा इसके सुरक्षा बलों पर निराधार आरोप लगाकर कश्मीरी मुसलमानों में भारत के प्रति नफरत पैदा की जा रही है।

(ग) और (घ) नए केन्द्रों को चालू करके, कुछ मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाकर तथा समाचार बुलेटिनों सहित ऐसे कार्यक्रमों जो तथ्यों को उपयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं, को प्रसारित करके सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की कवरेज में सुधार करने के माध्यम से इनके स्थलीय नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा, दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं जिनमें कश्मीर की सही स्थिति प्रस्तुत की जाती है।

[अनुवाद]

प्रसारण संबंधी विधान

***189. श्री उत्तम सिंह पवार :**

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने प्रस्तावि प्रारूप प्रसारण विधेयक में 49% इक्विटी का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इससे पहले विदेशी इक्विटी की सीमा 25% थी;

(ग) यदि हां, तो इक्विटी को 25% से 49% किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त प्रसारण विधेयक के बारे में विधान को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके कब तक प्रभावी होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) से (छ) प्रसारण कम्पनियों में विदेशी इक्विटी को अनुमति देने का विषय, देश के भीतर से निजी प्रसारण को अनुमति देने के प्रश्न के सामने गौण है। प्रस्तावित प्रसारण विधेयक से इसका तथा अन्य संबंधित विषयों का ध्यान रखा जाएगा। जिसे संसद के चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

कालीकट विमानपत्तन पर विमान उतरना

***190. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानसून के दौरान कालीकट विमानपत्तन पर विमानों के सुरक्षित उतरने को सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कालीकट विमानपत्तन पर इन्स्ट्रमेंटल लैंडिंग सिस्टम/नाइट लैंडिंग सिस्टम संबंधी कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) कालीकट हवाई अड्डे पर उपस्कर अवतरण प्रणाली जून, 1996 से ही प्रचालन में है, जिसके कारण धुंध/वर्षा के दौरान विमानों के सुरक्षित अवतरण में सुविधा रहती है। धावनपथ की लम्बाई को भी मौजूदा 6,000 फुट से बढ़ाकर 9,000 फुट करके उसके विस्तार का काम भी शुरू किया गया है ताकि एयरबस 300 किस्म के बड़े विमान सुरक्षित अवतरण कर सकें। इस कार्य के जनवरी, 2,000 तक पूरा हो जाने की संभावना है और तब तक रात्रि अवतरण सुविधा भी प्रचालनात्मक बन जाएगी।

"सेल" में मितव्ययिता अभियान

***191. श्री नवल किशोर राय :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1997 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "सेल चीफ हिंट्स एट आस्टैरिटी ड्राईव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में फिजूलखर्ची को रोकने और मितव्ययिता से काम लेने के लिए अभियान. चलाने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त योजना के लागू होने के परिणामस्वरूप किस सीमा तक वित्तीय घाटे को रोके जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लेने से पूर्व कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) मितव्ययता और उत्पादन लागत में कमी करने के लिए "सेल" निरन्तर उपाय कर रहा है जिनमें इसके अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद मिश्र और बाज़ार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन, प्रौद्योगिक आर्थिक घटकों, जैसे—कोक दर में कमी, ऊर्जा संरक्षण, धात्विक आदान, उत्पादन में सुधार, प्रभावी रख-रखाव के जरिए उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करना, प्रशासनिक खर्चों पर कड़ा नियंत्रण इत्यादि शामिल हैं।

इन उपायों से 1996-97 के दौरान पर्याप्त बचत होने की आशा है। मितव्ययता संबंधी उपाय और उत्पादन लागत में कमी करने हेतु उपाय सतत प्रयासों के रूप में हैं। अतः इनके लिए पृथक सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं है। खर्चों को नियंत्रित करने के लिए और अधिक क्षेत्र अभिज्ञात करने हेतु मितव्ययता के उपायों पर पुनः ज़ोर दिया गया है।

आमान परिवर्तन संबंधी अनुबंध देने में बरती गई अनियमितताएं

***192. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में आमान परिवर्तन संबंधी अनुबंध देने में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामलों की छान-बीन का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो को छान-बीन हेतु अब तक कुल कितने मामले सौंपे गए हैं और इन मामलों की छान-बीन का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने हेतु आवश्यक अनुमति मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) भिन्न-भिन्न रेलों पर आमान परिवर्तन संबंधी कार्यों के लिए विभिन्न ठेके देने में अनियमितताओं के कुछ मामले नोटिस में आए हैं जिनकी जांच रेल सतर्कता और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है/की गई है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच के लिए छः मामले पकड़े हैं जिनमें पहली नजर में ही ठेके देने में अनियमितताएं पकड़ी गई हैं। जांच को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ मामले पर पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा ऋण लेना

***193. श्री आई॰ डी॰ स्वामी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे वित्त निगम के माध्यम से जनता से करोड़ों रुपए का ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का ऋण प्राप्त किया गया, किस वर्ष लिया गया, ब्याज सहित इन ऋणों की परिपक्वता अवधि की तिथि क्या है तथा यह ऋण किस प्रयोजन हेतु लिया गया था; और

(ग) रेलवे द्वारा इस भारी धनराशि का किस प्रकार वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) वांछित सूचना निम्नानुसार है :—

उधार ली गई राशि (करोड़ रुपयों में)	उधार लेने का वर्ष	परिपक्वता की तारीख	प्रयोजन
959.40	1987-88	अप्रैल, 97 और फरवरी, 98	इन निधियों का उपयोग
600.00	1988-89	फरवरी-मार्च, 1999	रेल चल स्टाक
1000.00	1989-90	दिसंबर, 1999 और जनवरी, 2000	परिसंपत्तियों की खरीद के लिए किया जाता है।
1,170.00	1990-91	अगस्त, 2000 और मार्च, 2001	
1,500.00	1991-92	जुलाई और नवंबर, 2001	
कुछ नहीं	1992-93	—	
740.71	1993-94	मार्च, 1999 और मार्च, 2001	
206.50	1994-95	अक्तूबर, 2001 और जनवरी, 2002	
259.32	1995-96	सितंबर, 2002 से मार्च, 2003	
6,435.93			

नोट :—

(1) उपरोक्त के अलावा, भारतीय रेल वित्त निगम के भारतीय रेलों द्वारा पूंजीगत सामान के आयात के लिए 1995-96 और 1996-97 के दौरान विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के जरिए 70 मिलियन अमरीकी डालर जुटाए थे। इनकी अदायगी मार्च, 2003 में देय होगी।

(2) गैर-संचयी बांड रखने वाले बांड धारकों के लिए देय ब्याज का भुगतान छमाही रूप से किया जाता है। संचयी बांड धारकों को ब्याज का भुगतान, योजना के अनुसार उनके बांडों के परिपक्व होने पर उनके मूल्य के साथ किया जाएगा।

(ग) धन का चल स्टॉक में निवेश किया जाता है जो रेलों को पट्टे पर दिया जाता है। रेलों द्वारा भारतीय रेल वित्त निगम को भुगतान किए जाने वाले पट्टा प्रभारों में ब्याज और मूल धन की वसूली शामिल होती है ताकि निगम उधार देने वालों को सेवा प्रदान कर सके और परिपक्व बांडों का पैसा लौटा सके।

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के किराए में वृद्धि

***194. डा॰ रमेश चन्द तोमर** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के किरायों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बढ़े हुए किरायों को कब से लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स और निजी एयरलाइन्स के किराए में कितना अन्तर है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है, फिलहाल अंतर्देशीय सेवाओं के किरायों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल ही में, आयटा की सिफारिशों पर भारत से ब्रिटेन/यूरोप के किरायों में 5% की वृद्धि करने की इजाजत दी गई थी। इसके अलावा, ईंधन के मूल्य में वृद्धि होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर किरायों में भी 5% की वृद्धि की अनुमति दी गई थी। एयर इंडिया द्वारा ये वृद्धियां 1-3-1997 से आगे की गई थीं।

(ग) गैर-सरकारी एयरलाइनें बाजार शक्तियों पर निर्भर करते हुए किराए वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि गैर-सरकारी एयरलाइनों द्वारा प्रभारित किराया या तो इंडियन एयरलाइन्स के किराए के समतुल्य या कुछ ज्यादा होता है।

[अनुवाद]

जुहू विमानपत्तन पर भूमि को पट्टे पर देना

***195. श्री अनंत गुढे :**

श्री मोहन रावले :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एयरपोर्ट आफिसर्स फ्लेड फार चीप लीज़" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जुहू विमानपत्तन पर भूमि को अत्यधिक सस्ती दर पर पट्टे पर दिए जाने के मामले में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी तक किसी भी पार्टी को भूमि पट्टे पर नहीं दी गई है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अत: प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। तथापि, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा इस सौदे की जांच की गई है और रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

***196. श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जनवरी, 1997 को थिरूवनन्थपुरम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित फिल्में नीरस और उबाऊ थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या फिल्मों के स्तर के बारे में भारी असंतोष था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चयनित फिल्मों का ब्यौरा क्या है और इनके चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ङ) उन भारतीय फिल्मों का ब्यौरा क्या है जिनकी प्रशंसा की गई तथा मैरिट पुरस्कार के संदर्भ में उनके क्या परिणाम रहे तथा इसके परिणामस्वरूप भारतीय फिल्मों को कितने आर्डर प्राप्त हुए;

(च) क्या फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का बहिष्कार किया था;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) यह सुनिश्चित करने हेतु कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य और आकर्षण समाप्त न होने पाए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तव में यह समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था और इसमें विश्व सिनेमा में उपलब्ध कुछ उत्कृष्ट फिल्में प्रदर्शित की गई थीं। इसमें भारत सहित एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की फिल्में शामिल थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) (i) विदेशी फिल्में

1. **भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हेतु विदेशी फिल्मों का चयन काफी पहले से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है जिनमें से अधिकांश विश्व के फिल्म समारोहों के लिए समान हैं।** प्रत्येक वर्ष फिल्मों का चयन समारोह विनियमों में उल्लिखित समारोह के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जोकि नीचे उद्धृत किया गया है :—

> "समारोह का उद्देश्य विश्व की फिल्म कला की उत्कृष्टता प्रस्तुत करने हेतु संसार की चलचित्रिकी के लिए एक मंच प्रदान करना; विभिन्न देशों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोकाचार के संदर्भ में उनकी फिल्म संस्कृतियों को समझने एवं उनका मूल्यांकन करने में योगदान करना और विश्व के विभिन्न व्यक्तियों के बीच मित्रता एवं सहयोग को बढ़ावा देना है।"

2. "विश्व सिनेमा" खण्ड के लिए प्रदर्शन हेतु ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली फीचर फिल्मों को स्वीकार किया गया था जिन्हें या तो अन्य फिल्म समारोहों में शामिल किया गया था अथवा अन्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कृत किया गया था या जो उच्च कोटि की थीं।

3. इसके अलावा, आयोजन समिति के सुझावों यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए फोकस, सिंहावलोकन, श्रद्धांजलि आदि के लिए फिल्मों के विशेष पैकेज चुने गए थे। तीसरी दुनियां के देशों के सिनेमा को अधिक महत्व देने संबंधी प्रक्रिया को बनाए रखते हुए समारोह के फोकस खण्ड में एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमरीका के देशों में सिनेमा पर अधिक ध्यान दिया गया। विभिन्न देशों से विश्व के प्रमुख फिल्म निर्माताओं पर सिंहावलोकनों तथा श्रद्धांजलियों संबंधी फिल्मों को भी प्रदर्शित किया गया था।

(ii) भारतीय फिल्में

भारतीय पेनोरमा फिल्मों का चयन

भारतीय पेनोरमा फिल्मों का चयन, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चयन पैनलों द्वारा किया गया था। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 1 सितम्बर, 1995 से 31 अगस्त, 1996 के बीच प्रमाणित और पैनलों द्वारा चुनी गई फिल्मों को भारतीय पैनोरमा में शामिल किया गया था। भारतीय पेनोरमा का उद्देश्य, फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से फिल्म कला को प्रोत्साहित करने के लिए सिनेमा-कला, विषय-वस्तु एवं सौन्दर्यबोध की दृष्टि से

उत्कृष्ट फीचर एवं गैर-फीचर फिल्मों का चयन करना है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 1997 के लिए चुनी गई फिल्मों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह समारोह गैर-प्रतिस्पर्धात्मक था।

(च) और (छ) उद्घाटन समारोह के लिए मुख्य अतिथि के चयन के मामले में सर्वसम्मति न होने के कारण फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अधिकारिक रूप से इस समारोह में भाग नहीं लिया।

(ज) यह समारोह कई वर्षों से समूचे विश्व से उत्कृष्ट फिल्मों को आकर्षित करता रहा है और यह अब अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति कलैण्डर का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। सरकार का सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि इस समारोह से देश के फिल्म निर्माताओं, तकनीशियनों, कलाकारों, समीक्षकों, सिनेमा छात्रों तथा फिल्म प्रेमियों को विश्व तथा भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट कृतियां उपलब्ध कराई जाएं।

विवरण

विश्व खण्ड के सिनेमा के अंतर्गत दिखाई गई फिल्में

क्रम सं.	शीर्षक	देश
1	2	3
1.	दि प्रामिस	बेल्जियम
2.	स्नो स्टार्मी स्टेशन	किर्गिस्तान/रूस
3.	डेथ एट दि डोरस्टेप	
4.	मुल्टीप्लसिटी!	संयुक्त राज्य अमेरिका
5.	प्रोवाकेटोर	पोलैण्ड
6.	दि बॉयज क्लब	कनाडा
7.	रेड चेरी	चीन
8.	प्रीमेडिटेटेड मर्डर	यूगोस्लाविया/हंगरी
9.	दि जगुआर	फ्रांस
10.	एडम एंड ईव	पुर्तगाल
11.	दि ड्रेस	नीदरलैण्ड
12.	वेकेंट पजेसन	आस्ट्रेलिया
13.	मैन, वूमैन, यूजर्स मैनुअल	फ्रांस
14.	नोट्स फ्रॉम अण्डरग्राउण्ड	संयुक्त राज्य अमेरिका
15.	टू लेट	रोमानिया/फ्रांस
16.	प्रिजनर ऑफ दि माउटेंस	कजाकिस्तान/रूस
17.	लस्ट एंड रिवेंज	आस्ट्रेलिया
18.	क्राइम टाइम्स	नीदरलैंड
19.	चार्म्स इंसिडेंट्स	आस्ट्रिया
20.	इर्मा वेप	फ्रांस
21.	लुलु	कनाडा
22.	ब्रेकिंग दि वेव्स	डेनमार्क/ब्रिटेन/नार्वे/ स्वीडन/फ्रांस
23.	एनीमल लव	आस्ट्रिया
24.	क्रिस्टिन लवरन्सडेटियर	नार्वे
25.	टैक्सी	स्पेन
26.	प्रेटी विलेज प्रेटी फ्लेम	यूगोस्लाविया
27.	डाइंग टू गो होम	नीदरलैंड/पुर्तगाल
28.	घोस्ट्स इन ट्रांजिट	फ्रांस
29.	गोन विथ हार्सेस	रूस
30.	फायर	कनाडा/भारत
31.	ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स	फिनलैंड
32.	दि एट टॉम्ब विलेज	जापान
33.	माइकल कार्लिस	संयुक्त राज्य अमेरिका
34.	ब्रोकन साइलेंस	स्विटजरलैंड
35.	दि होली वीक	पोलैंड
36.	गब्बेह	ईरान
37.	क्राई आफ दि सिल्क	फ्रांस
38.	फ्लाई अवे होम	संयुक्त राज्य अमेरिका
39.	नाइट आफ डेस्टिनी	श्रीलंका
40.	व्हाट ए वंडरफुल गेम	रूस
41.	दि प्यूपिल	फ्रांस
42.	गेट गेट परागेट	वियतनाम/स्विटजरलैंड
43.	कोरिस्को एंड डाडा	ब्राजील
44.	कानसास सिटी	संयुक्य राज्य अमेरिका
45.	नसीर-56	मिस्र
46.	थ्री लाइव्ज एंड ओनली वन डेथ	इटली
47.	हार्ड कोर लोगो	कनाडा
48.	सिटिजन रथ	संयुक्त राज्य अमेरिका
49.	मिडाक एले	मैक्सिको
50.	लिलीज	कनाडा
51.	बासक्वेट	संयुक्त राज्य अमेरिका
52.	विलेज आफ ड्रीम्स	जापान
53.	इन फुल गेलोप्स	पोलैंड
54.	डेड मैन वाकिंग	संयुक्त राज्य अमेरिका
55.	इरोटिक टेल्स-II	ब्राजील/फिनलैण्ड/जर्मनी/ नीदरलैंड
56.	लुकिंग फार रिचर्ड	संयुक्त राज्य अमेरिका
57.	अंडर ग्राउंड	फ्रांस/जर्मनी/हंगरी

1	2	3
58.	डीप क्रिमसन	मैक्सिको/फ्रांस/स्पेन
59.	दि पालबियरर	संयुक्त राज्य अमेरिका
60.	दि लेडी इज बैक	अर्जेण्टाइना
61.	दि लिटिल सिस्टर	नीदरलैंड
62.	फ्लर्टिंग विथ डिजास्टर	संयुक्त राज्य अमेरिका
63.	मार्क्स	जापान
64.	सीक्रेट्स एंड लाइज	ब्रिटेन
65.	ब्रदर्स इन ट्रबल	ब्रिटेन
66.	दि स्लीपिंग मैन	जापान
67.	हैवी	संयुक्त राज्य अमेरिका
68.	दि स्कूल आफ दि सैंसेज	हंगरी
69.	गमेरा दि गार्डियन आफ दि यूनिवर्स	जापान
70.	दि ब्लडी चाइल्ड	संयुक्त राज्य अमेरिका
71.	फेयरवेल माई डार्लिंग	दक्षिण कोरिया
72.	शी इज दि वन	संयुक्त राज्य अमेरिका
73.	दि गाड्स कामेडी	पुर्तगाल
74.	करेज अंडर फायप	संयुक्त राज्य अमेरिका
75.	कावेफी	ग्रीस
76.	कुरा	जापान
77.	वूमैन	इसरायल
78.	माई मदर्स करेज	जर्मनी
79.	दि स्पाउस	ईरान

कैजिस्टोफ कैस्लास्की का सिंहावलोकन (पोलैण्ड)

1. डेकालाग्यू 1
2. डेकालाग्यू 2
3. डेकालाग्यू 3
4. डेकालाग्यू 4
5. डेकालाग्यू 5
6. डेकालाग्यू 6
7. डेकालाग्यू 7
8. डेकालाग्यू 8
9. डेकालाग्यू 9
10. डेकालाग्यू 10
11. फ्राम दि सिटी आफ लाइज
12. आई वाज ए सोल्जर
13. फैक्ट्री
14. बिफोर दि रैली
15. रिफ्रेन
16. ब्रिकलेयर
17. एक्स-रे
18. करीकलम विटे
19. हॉस्पिटल
20. स्लेट
21. दि स्कार
22. फॉम ए नाइट पोर्टर्स प्वाइन्ट ऑफ व्यू
23. आई डोन्ट नो
24. सेवन वूमेन ऑफ डिफ्रेन्ट एजेज
25. कैमरा बफ
26. स्टेशन
27. टॉकिंग हयड्स
28. बलाइन्ड चान्स
29. नो इन्ड
30. क्रिजिस्तोफ किस्लोस्की-आई एम सो सो

मोहसिन मखमलबफ का सिंहावलोकन (ईरान)

1. दि पेडलर
2. दि साइक्लिस्ट
3. ए सलैक्सन आफ इमेजेज इस घजार डायनेस्टी
4. टाइम ऑफ लव
5. सलाम सिनेमा
6. गब्बेह
7. ए मूमेन्ट ऑफ इन्नूसेन्स

एशियाई परिदृश्य खण्ड में फिल्में

1	2	3
1.	एण्ड दि मून डान्सेज	(इन्डोनेशिया)
2.	दि अर्सोनिस्ट	(मलेशिया)
3.	थ्री फ्रेन्ड्स	(दक्षिण कोरिया)
4.	डार्क नाइट ऑफ दि साडल	(श्रीलंका)
5.	गुड बाइ साउथ गुड बाय	(ताइवान)
6.	कोक्रोच	(तुर्की)
7.	दि हाउस आफ दि पीकॉक	(थाइलैण्ड)
8.	नास्टेल्पिया फॉर दि कन्ट्री	(वियतनाम)
9.	फॉरेन मून	(चन चीन)
10.	पीच बलासम	(चीन)
11.	फ्लोर कन्टेम्प्लेसियन स्टोरी	(फिलीपीन्स)
12.	मी पोक मैन	(सिंगापुर)
13.	फेस्टीवल	(दक्षिण कोरिया)
14.	एन चुंग	(ताइवान)

1	2	3

दक्षिण अफ्रीका पर फोकस

1. जेमिया एण्ड जॉनी
2. डिंगका
3. बोइसमैन एन लिना
4. फ्लीयाज चाइल्ड
5. मेकिंग आफ दि महात्मा
6. सराफिना
7. कट्रीना
8. दि फोर्थ रियाक
9. अफ्रीकन ड्रीम
10. व्हील्स एण्ड डील्स

लैटिन अमेरिका परिदृश्य

1. ला नावे डि लास स्यूएनोज (कोलम्बिया)
   (दि शिप आफ दि ड्रीम्स)
2. डेस्नूर्डो कॉन नारन्जाज (बेजेजुएला)
   (नैक्ड विथ औग्रैञ्जेस)
3. ओ क्वाट्रिल्हो (ब्राजील)
   (दि फोरसम)
4. फोटोज डेल एल्मा (अर्जेंटीना)
   (पिक्चर्स ऑफ दि साउल)

मिगुएल लिट्टिन को श्रद्धांजलि

1. एल चाचल दे नहुएलटोरी
   (द जैकेल ऑफ नहुएलटोरो)
2. ला तिएरा प्रोमेतिदा
   (द प्रोमिस्ड लैन्ड)
3. लास नाऊफ्रागोस
   (शिप रैकेड)

मारकेलो मास्ट्रीयोनी को श्रद्धांजलि

1. थ्री लाइव्स एण्ड ओनली वन डैथ

भारतीय पेनोरमा खण्ड में फीचर फिल्मों की सूची

1. आदजया—असमिया
2. राग विराग—असमिया
3. कहिनी—बंगला
4. लाल दर्जा—बंगला
5. नयनतारा—बंगला
6. द मैकिंग आफ द महात्मा—अंग्रेजी
7. हैल्लो—हिन्दी
8. करोरया—कन्नड़
9. नईरसया—कन्नड़
10. दिसादनम—मलयालम
11. कनकिनावू—मलयालम
12. कथा डान गणपत्राओंची—मराठी
13. सरदारी बेगम—उर्दू
14. कथापुरुषन—मलयालम

भारतीय पेनोरमा में गैर-फीचर फिल्में

1. थ्रू ए लैन्स स्ट्राकली—अंग्रेजी
2. करमवीर गौरीशंकर—अंग्रेजी
3. हस्तीर कन्या—असमिया
4. धतूधर—बंगला
5. शामस वीजन—अंग्रेजी
6. पोटरेट आफ ए फिल्म डायरेक्टर—अंग्रेजी
7. द रिबेल—हिन्दी
8. द ट्रेजैडी—संगीत
9. द ब्लिडिंग इन द सन—अंग्रेजी
10. मामुली राम द लिटिल बिग—हिन्दी
11. अजित—हिन्दी
12. फ्लैश बैक—अंग्रेजी
13. रबिया चलिक्कुन्नु—मलयालम
14. इथिहसथिले कसक—अंग्रेजी/मलयालम
15. ड्रीप एण्ड स्प्रीन्कलर—अंग्रेजी/हिन्दी
16. द ब्रीफ जरनी—हिदी/अंग्रेजी

स्मिता पाटिल को श्रद्धांजलि

1. भूमिका
2. चिदम्बरम

पी. ए. बैकर को श्रद्धांजलि

1. चप्पा
2. प्रेमा लेखनम
3. मनिमुजहक्कम

तपनसिन्हा को श्रद्धांजलि

1. हार्टस आफ द सैन्चुरी

मलयालम सिंहावलोकन में फिल्में

1. भरथन्डा वर्मा
2. चीमीन
3. इरूतिन्ते अतमावु
4. ओलावुम थीरावुम
5. निरमलयम

1	2	3
6.	इलिपथयम	
7.	रूगमिनी	
8.	अनुभवंगल पालोचकल	
9.	1921	
10.	चिंकालजच्चा नल्ला दिवसम	
11.	मनिचित्रा थाजु	
12.	पिरावी	
13.	उरमाकल उन्दयीरिकलम	
14.	अम्मा अरियन	
15.	ओरू बदक्कन वीगाण	
16.	मगरिव	
17.	इर्दवाथिन्ते विकृतिकाल	
18.	उप्पू	
19.	आवयामावु	
20.	इस्थापन	
21.	न्यूस पेपर बॉय	
22.	नीला क्कबूविल	
23.	आदमीन्ते वरिवैल्लू	
24.	ओरे थोवूल पक्षीकाल	
25.	कझकम	
26.	उन्नीकुत्तानू जोली किट्टी	
27.	कुमार सम्भवम्	
28.	किल्लूक्क्म	
29.	अमरम	
30.	भारगवी निलयम	
31.	सकरूथम	
32.	सम्मोहनम	

[हिन्दी]

भारतीय वायु सेवाएं

***197. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप नहीं है;

(ख) क्या इन सेवाओं के पास बहुत अच्छे स्तर के विमान नहीं हैं और विमान सेवाओं की निगरानी हेतु यांत्रिक सुविधाओं का अभाव है;

(ग) क्या हवाई जहाजों के रख-रखाव का स्तर भी बहुत घटिया है; और

(घ) यदि हां, तो अपनी विमान सेवा को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के समकक्ष लाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए/बनाए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तुलनीय हैं।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स दोनों के पास अपनी-अपनी उड़ान समयावलि की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में विमान उपलब्ध हैं। तथापि, दोनों ही विमान कम्पनियों की नौवीं योजनावधि के दौरान अपने-अपने विमान बेड़े के नवीकरण तथा बढ़ोत्तरी को जारी रखने की योजनाएं हैं। उनके बेड़े में सभी विमान नागर विमानन महानिदेशक द्वारा विहित उड़नयोग्यता अपेक्षा की पूर्ति करते हैं।

दोनों ही विमान कम्पनियां विनिर्माताओं द्वारा यथा निर्धारित तथा नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित विमानों के अनुरक्षण संबंधी पद्धतियां तथा कार्यक्रम का अनुसरण कर रही हैं।

एसटीडी/पीसीओ की स्थापना

***198. श्री के॰ डी॰ सुल्तानपुरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने एसटीडी/पीसीओ स्थापित किए गए; और

(ख) उनको स्वीकृति देते समय किन मानदण्डों को अपनाया जाता है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए गठित पी॰सी॰ओ॰ आबंटन समिति एस॰टी॰डी॰ पी॰सी॰ओ॰ आबंटित करती है। इस समिति में 2 सरकारी सदस्य और गैर-सरकारी सदस्य होते हैं, जिन्हें गौण स्विचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान संसद-सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सदस्यों की शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा पास और शहरी क्षेत्रों के लिए मैट्रिक/हाईस्कूल पास है। निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है :—

1. नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्ति।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक।
3. भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं।
4. दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा उनके आश्रित।
5. स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित।
6. खैराती संस्थान/अस्पताल।

विवरण

क्रम सं॰	सर्किल का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रदान किए गए एस टी डी/पी सी ओ 1993-94	1994-95	1995-96
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	6
2.	आंध्र प्रदेश	780	1,550	1,976
3.	असम	300	480	333
4.	बिहार	940	272	380
5.	गुजरात	1,289	2,744	1,908
6.	हरियाणा	301	891	686
7.	हिमाचल प्रदेश	66	111	144
8.	जम्मू और कश्मीर	26	75	108
9.	कर्नाटक	1,079	2,154	1,323
10.	केरल	928	1,600	2,078
11.	मध्य प्रदेश	1,536	2,438	2,105
12.	महाराष्ट्र	2,190	2,028	4,323
13.	उत्तर पूर्व	64	125	153
14.	उड़ीसा	213	457	717
15.	पंजाब	702	1,471	3,232
16.	राजस्थान	982	2,165	1,236
17.	तमिलनाडु	416	1,125	1,750
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)			
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	827	2,926	3,356
20.	पश्चिम बंगाल	0	204	608
21.	मुम्बई	796	1,492	1,412
22.	कलकत्ता	596	1,313	1,717
23.	दिल्ली	345	511	2,134
24.	चेन्नई	229	310	798

खनन क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां

***199. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री शिवराज सिंह :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन क्षेत्र में निवेश के लिए इच्छुक विदेशी कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ॰आई॰पी॰बी॰) ने इस संबंध में कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके लिए खनिज-वार और धातु-वार चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों के अंतर्गत कितनी राशि का निवेश किया जाएगा; और

(ङ) दिसंबर, 1996 तक राज्य-वार कितनी विदेशी कंपनियों ने खनन कार्य आरंभ कर दिया था ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रस्ताव एफ॰आई॰पी॰बी॰ द्वारा विचार हेतु औद्योगिक मंजूरी सचिवालय, औद्योगिक नीति तथा उन्नयन विभाग, उद्योग मंत्रालय द्वारा, प्राप्त किए जाते हैं। खान मंत्रालय की सिफारिश पर एफ॰आई॰पी॰बी॰ ने खनन/धातुकर्म क्षेत्र में निवेश पद्धति के 33 प्रस्ताव मंजूर किए हैं जिनमें कुल 2,312.31 करोड़ रु॰ का निवेश निहित है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 (एम॰एस॰आर॰डी॰ एक्ट 1957) के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दिए जाते हैं। केवल खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों के बारे में ही केन्द्र सरकार का पूर्वअनुमोदन आवश्यक है। खनिज रियायतें देने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन दिए जाते हैं तथा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा देने और आवेदनों की प्राप्ति की देख-रेख नहीं करती।

विवरण

खनिज क्षेत्र में मंजूर विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं की सूची

(नवम्बर, 95 से फरवरी 97)

क्रम सं०	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी कंपनी का नाम	विदेशी इक्विटी का प्रतिशत	परियोजना की लागत/ विदेशी निवेश	परियोजना का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	फिनोलैक्स केबल्स लि० पुणे	इसेक्स ग्रुप इकाई यू.ए.ए.	50%	13.59 करोड़ रु./ 6.00 करोड़ रु.	कंटीन्यूअस कापर रॉड का निर्माण
2.	जियोटैक प्रा० लि०	डा० मार्शल सिल्वर	30%	एन.ए./3.30 लाख रु.	भू-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परामर्शी सेवा
3.	एल्मेटल रिसाइकर्ल्स लि० (100% ईओयू)	1. मि० चिन जू हई, सिंगापुर	45%	55 लाख रु./68 लाख रु.	तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि जैसी अलौह धातुओं के रिसाइकर्ल्स
		2. एन आर आई	45%	—	—
4.	हिंदुस्तान जिंक लि०	बी एच पी मिनरल्स, आस्ट्रेलिया	60%	—	सीसा, जस्ता, तांबा, सोना तथा इनसे जुड़े खनिजों का पूर्वेक्षण
5.	सीआरए एक्सप्लोरेशन (आई) प्रा० लि०	सीआरए आस्ट्रेलिया	100%	1.50 लाख डालर (54 लाख रु.)	तकनीकी परामर्श
6.	नारमेदी एंग्लो एशियन इंडियन प्रा० लि०	नारमेदी एंग्लो एशियन प्रा० लि० मलेशिया	एक लाख अमेरिकी डालर	एन.ए./एक लाख अमरीकी डालर (36 लाख रु.)	खनन गतिविधियां
7.	इंडियन बैराइटस एंड केमिकल्स लि० चेन्नई (100% ईओयू) आनन्दराजापेट कुडडापाह (आंध्र प्रदेश में स्थित)	सीएआरपीसीओ, अमरीका	12%	13.50 करोड़ रु. 0.72 करोड़ रु.	निम्न ग्रेड बैराइट अयस्क का सज्जीकरण
8.	एनआईएल	स्ट्रेट रिसोर्सिज लि०, आस्ट्रेलिया	100%	40 मि० अमरीकी डालर (144 करोड़ रु.)	खनिजों का गवेषण, संसाधन तथा विदोहन
9.	एश्टोन माइनिंग इंडिया प्रा० लि०, नई दिल्ली	एश्टोन माइनिंग, आस्ट्रेलिया	50%	एन. ए./50 करोड़ रु.	हीरों का गवेषण, खनन विकास तथा खनन प्रचालन
10.	उड़ीसा खनन निगम	आरटीजैड लि०, यू.के.	51% आरटीजैड	80 करोड़ रु./11 मि० अमरीकी डालर (39.60 करोड़ डालर)	सभी खनिजों का पूर्वेक्षण खनन
11.	इसरिम स्टोंस इंडिया लि०	रैनीटैक कार्पोरेशन यू.एस.ए.	100% विदेशी 30% एनआरआई	एन ए/8 करोड़ रु.	कम्पोजिट पत्थरों तथा वेनीर पैनलों का निर्माण
12.	डालफिन आफशोर लि० बम्बई	टैटको इन्वेस्टमेंट आफ बी.सी., नीदरलैंडस	75%	5 लाख रु. 3.75 लाख रु.	सर्वेक्षण, अनुसंधान, विश्लेषण, आकलन इत्यादि करना
13.	गुजरात एल्कालिज एंड केमिकल्स लि० बड़ौदा, गुजरात	रैथियन इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन्स इकाई यूएसए	17%	1,200 करोड़ रु. 66 करोड़ रु.	एल्युमिना कैल्साइड एल्युमिना, फ्यूज्ड एल्यूमिना, एल्युमिनियम हाइड्रोआक्साइड और 70 मेगावाट की इंटीग्रेटिड पावर यूनिट निर्माता
14.	लारसन एंड टुब्रो लि० बंबई	पहचान की जानी है	25%	1,993 करोड़ रु./ 164 करोड़ रु.	एल्यूमिना
15.	कान्डूला एल्यूमिनियम कंपनी लि०, हैदराबाद	1. आस्ट्रेलियन कैपिटल एंड टैक्नोलोजीज प्रा० लि० आस्ट्रेलिया	53.43% 6.86%	311.52 करोड़ रु. 40 करोड़ रु.	कैल्साइड एल्युमिना
16.	श्री आर० के० बागरी एनआरआई प्रोमोटर	2. एनआरआई मैटडिस, यू.के.	60%	1,200 करोड़ रु./ 400 करोड़ रु.	गुजरात में ताम्र प्रगालक और शोधनशाला परियोजना
17.	आक्साइड इंडिया प्रा० लि०	वीएएम, यूके	एनआरआई 13.81%	92,600.00 रु.	उच्च और निम्न एल्यू० शुद्धता स्पेर्ट, एक्टिवेटिड एल्यूमिना केटलिस्ट कैरियर का निर्माण
18.	बिहार स्पोंग अयस्क	नर्थ लि०, आस्ट्रेलिया	50%	50 लाख रु.	पूर्वेक्षण खान विकास और लौह अयस्क खनन के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना
19.	दी बीयर्स इंडिया पूर्वेक्षण प्रा० लि०	द बीयर्स कन्सोलीडेटेड माइंस लि०	100%	एन ए	तकनीकी परामर्शी सेवाएं
20.	एसीसी-सीआरए लि०	सीआरए लि०, आस्ट्रेलिया	50%	10 करोड़ रु.	खनिजों का गवेषण
21.	यू.पी. हयवर्थ प्रा० लि०	पवर्थ खनिज एवं केमिकल्स लि०, यू. के.	51%	5.87 करोड़ रु.	सिलिका बालू का सज्जीकरण

1	2	3	4	5	6
22.	बीएचपी मिनरल्स इंडिया प्रा. लि.	बीएचपी मिनरल्स होलीडिंग लि., आस्ट्रेलिया	100%	5 लाख रु. यूएसडालर (90 करोड़ रु.)	गवेषण और खनन संयुक्त उद्यम
23.	डाइमंड प्रोस्पेक्टिंग प्रा. लि.	दी बीयरस कन्सलेडटीड माइंस लि.	—	25 मि. यूएस डालर (90 करोड़ रु.)	हीरो का पूर्वेक्षण और खनन
24.	आस्ट्रेलिया इंडिया संग्रथन एन. एल. आस्ट्रेलियन	—	100%	200 मि. यूएस डालर 720 करोड़. रु. (5 वर्ष के दौरान)	स्वर्ण का गवेषण/विदोहन (एफ 4/34/96–आईसी 2.11.96)
25.	आर.सी.सी.लि. आस्ट्रेलियन	—	100%	8 मि. यूएसडी/ 28.8 करोड़ रु.	खनिज रेत के लिए गवेषण (एफ 4/37/96 आईसी 2.11.96)
26.	लम मावशम मिनरल्स प्रा. लि. कलकत्ता	केस्टेन फाइनेंसियल कार्पोरेशन, स्वीटजरलैंड	50%	250 लाख रु.	खनन और चूना पत्थर का निर्यात (फ.4/16/96–आईसी 31.8.96)
27.	रिलायंस इंस्ट्रीज लि.	डी.बी. कनसोल्डिडेटिड माइंस लि. दक्षिण अफ्रीका	50%	15 मि. यूएस डालर (52.50 करोड़ रु.)	पूर्वेक्षण और खनन हीरे (प. 4/13/96–आईसी 18.10.96)
28.	ट्रासवर्ल्ड गारनेट कं.	ट्रांसवर्ल्ड गारनेट कं. कनाडा	100%		खनिज रेत का प्रसंस्करण
29.	मेरिडन पीक रिसोर्स कार्पोरेशन	मेरिडियन पींक रिसोर्सज कार. कनाडा	100%		खनन क्षेत्र में गवेषण
30.	गुजरात एल्यूमिनियम एंड बाक्साइड लि.	खनन इंजिनियर्स एंड कनस्ट्रक्शन इन्स यूएसए	22%	162.80 करोड़ रु.	एल्यूमिना, एल्यूमिनियम कम्पाउंड मेट कोक, पावर आदि का निर्माण
31.	प्रो. एम. एक्सप्लोरेशन (आई) प्रा. लि. चैवई चैन्नई	प्राम एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन, कनाडा	100%	5 लाख रु.	प्राकृतिक खनिज संसाधन और तेल
32.	आशापुर मनीकैम लि. मुंबई	वालक्ले इंटरनेशनल यू.एस.ए.	50%	5 करोड़ रु.	मूल्य वृद्धित वेन्टोनाइट उत्पादों का निर्माण और विपणन
33.	जेजेय ग्रेनाइट प्रोडेक्ट लि. मद्रास (स्थान क्षेत्र, अप्पलपुर, करीमनगर जि. आ. प्र.)	सनमाइन मारबल कं. लि. ताइवान	41.66%	1 करोड़ रु.	आयामी ब्लाकों का खनन, ग्रेनाइट और संगमरमर ब्लाकों का व्यापार और उपरोक्त का अर्द्ध-निर्मित और निर्मित मदों का निर्यात।
			कुल	2312.31 करोड़ रु.	

[अनुवाद]

स्थानीय बेतार लूप प्रणाली

***200. श्री अन्ना साहिब एम. के. पाटिल :**

श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय बेतार लूप प्रणाली संबंधी क्षेत्र परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां इसे आरंभ किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। सी डी एम ए तथा सीटी-2 वायरलैस स्थानीय लूप प्रणाली का क्षेत्रीय परीक्षण (फील्ड ट्रायल) अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

(ग) लगभग छः महीने।

(घ) स्थानीय लूप के अंतर्गत वायरलैस प्रदान करने के प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन में खाली पद

1980. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन के "प्रोग्राम" संवर्ग में 730 पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ये पद कब से खाली पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त अधिकारी उपलब्ध न होने, भर्ती एजेंसियों द्वारा लिए गए समय के कारण तथा कई बार पदोन्नति संबंधी मुकदमेबाजी आदि के कारण पद रिक्त पड़े हैं।

(ग) समय-समय पर रिक्तियां होती रहती हैं तथा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, प्रतिनियुक्ति आदि के कारण यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) इस बारे में उठाए गए कदमों में पात्रता मानदण्डों में छूट देना, शीघ्र सिफारिश करने हेतु भर्ती एजेंसियों पर जोर देना, आदि शामिल है।

आमान परिवर्तन

1981. श्री टी. गोविन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल्लम-शेंकोटा लाइन का आमान परिवर्तन करने के कार्य को पूरा करने हेतु केरल सरकार के अनुरोध पर तत्काल उपाय करने के बारे में विचार कर रही है क्योंकि इसके कार्य की प्रगति बहुत धीमी है जबकि इस कार्य को काफी पहले ही शुरू किया जा चुका था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त कार्य पर अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) कार्य को 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

स्पीड पोस्ट सुविधाएं

1982. श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन नगरों/शहरों के लिए वर्तमान समय में स्पीड पोस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) स्पीड पोस्ट वस्तुओं की डिलीवरी की क्या समयावधि है;

(ग) देश में स्पीड पोस्ट सेवा में सुधार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अगले कुछ वर्षों में और ज्यादा शहरों/नगरों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश के उन शहरों और कस्बों के नाम जिनके लिए राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) स्पीड पोस्ट वस्तुओं की वितरण की अधिकतम समय सीमा 2 दिन है, इसमें बुकिंग का दिन शामिल नहीं है।

(ग) स्पीड पोस्ट सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) स्पीड पोस्ट वस्तुओं की पिक-अप और वितरण के मामले में ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति बेहतर अनुक्रियाशीलता है।

(2) स्पीड वस्तु केन्द्रों में प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना ताकि उन्हें अधिक ग्राहकोन्मुखी बनाया जा सके और स्पीड पोस्ट वस्तुओं की शीघ्र हैंडलिंग सुनिश्चित की जा सके।

(3) कम्प्यूटरीकृत ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली की 8 महानगरों में शुरुआत।

(4) स्पीड पोस्ट केन्द्रों में तैनात स्टाफ का प्रशिक्षण और उसकी दक्षता का उन्नयन।

(5) बेहतर विपणन तथा ग्राहक सम्मेलनों के आयोजन और सकेंद्रित प्रचार के माध्यम से प्रयोक्ताओं के विचारों का साझीदार होना।

(घ) और (ङ) और अधिक कस्बों और शहरों में स्पीड पोस्ट सुविधा का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है और यह ट्रेफिक की संभाव्य क्षमता तथा प्रचालनात्मक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। इस समय इस सेवा के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

स्पीड पोस्ट केन्द्र

01. अगरतला
02. आगरा
03. अहमदाबाद
04. इलाहाबाद
05. अलुवा (अलवे)
06. बेंगलूर
07. भोपाल
08. भुवनेश्वर
09. कलकत्ता
10. कालीकट (काजीकोडे)
11. चंडीगढ़
12. कोयम्बतूर
13. कटक
14. देहरादून 1.6.1995 से
15. दिल्ली
16. धनबाद
17. फरीदाबाद
18. गांधीनगर 1.8.1996 से
19. गंगटोक 30.6.1995 से
20. गोरखपुर
21. गुड़गांव 1.6.1995 से
22. गुवाहाटी
23. ग्वालियर
24. हैदराबाद
25. हावड़ा
26. इम्फाल
27. इंदौर
28. जयपुर
29. जालंधर
30. जम्मू
31. जमशेदपुर
32. जोधपुर
33. कांचीपुरम
34. कानपुर
35. कोच्ची
36. कोल्लम
37. कोट्टायाम 1.6.1995 से
38. लखनऊ
39. लुधियाना
40. मद्रास
41. मदुरै
42. मंगलौर
43. मेरठ
44. मुरादाबाद
45. मुंबई
46. मैसूर
47. नागपुर
48. नासिक 1.6.1995 से
49. पटना
50. पणजी

51. पांडिचेरी
52. पुणे
53. रायपुर
54. रांची
55. सलेम
56. शिलांग
57. शिमला
58. सिल्चर
59. सिलीगुड़ी 30.6.1995 से
60. श्रीनगर
61. सूरत
62. तिरूपति
63. तिरूपुर
64. तिरूवनंतपुरम
65. त्रिची
66. त्रिसूर (त्रिचूर)
67. उदयपुर 1.12.1995 से
68. उडीपी 1.9.1996 से
69. वडोदरा
70. वाराणसी
71. विजयवाड़ा
72. विशाखापत्तनम
73. 56 एपीओ 15.11.1994 से
74. 99 एपीओ 15.11.1994 से
75. अमृतसर 1.1.1997 से

1994-95 = 63 + 2

1995-96 = 70 + 2

1996-97 = 72 + 2

कोचीन विमानपत्तन पर यात्री सुविधाएं

1983. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन विमानपत्तन पर यात्रियों के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोचीन विमानपत्तन का विकास करने के लिए तत्काल कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) कोचीन स्थित विद्यमान हवाई अड्डा भारतीय नौ-सेना का है। तकनीकी दृष्टि से विद्यमान टर्मिनल भवन में आशोधन करना और उसका विस्तार करना संभव नहीं है। वर्तमान हवाई अड्डे से 24 कि.मी. की दूरी पर नेदुमबसेरी स्थित एक नए हवाई अड्डे का निर्माण कोचीन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि. द्वारा किया जा रहा है और जिसके एक वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है।

बाजार प्लाजा की स्थापना से यात्रियों को कठिनाइयां

1984. डा. असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास कैब रोड पर बाजार प्लाजा की स्थापना से यात्रियों को कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बाजार के कारण यात्रियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है और भीड़भाड़ के समय लोगों को बाधा पहुंच रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या वेंडरों और हावड़ा नार्थ विंग वेंडिंग स्टाल के केटरिंग कर्मचारियों के साथ परामर्श करके इस बाजार प्लाजा को स्थानान्तरित किए जाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) हावड़ा स्टेशन के अन्दर कोई बाजार प्लाजा नहीं है, बहरहाल, यात्रियों की आसानी से निकासी के लिए कुछ स्टालों को दक्षिण कनकोर्स से उत्तरी कनकोर्स, जो कि लोहे की ग्रिल द्वारा घिरा है, क्षेत्र में शिफ्ट किया गया है, इससे भी अधिक दक्षिण कनकोर्स से स्टालों का शिफ्ट करना प्रस्तावित दोहरी निकासी की सुविधाओं के पुनर्निर्माण के कारण भी आवश्यक हो गया है।

विमान किराए में वृद्धि

1985. श्री बादल चौधरी : क्या नागर **विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1995 से वायु भाड़े में बार-बार वृद्धि कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1995 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को कितनी मात्रा में राजसहायता दी गई है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने अंतर्देशीय सैक्टरों पर अपने किराए में 1 अक्तूबर, 1995 तथा 22 सितम्बर, 1996 से क्रमश: औसतन 20% तथा 16.3% की वृद्धि की है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सेवा प्रचालन हेतु 1995 से कोई राजसहायता नहीं दी गई है।

भाड़े में वृद्धि

1986. श्री रूप चंद मुर्मू : क्या रेल मंत्री भाड़े में वृद्धि करने के बारे में 19 दिसंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 4136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कई यात्री इस सुविधा का लाभ उठाना नहीं चाहेंगे और सभी यात्रियों को बिस्तरबंद उपलब्ध कराने से भाड़े में वृद्धि करनी आवश्यक होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या बिस्तरबंद उपलब्ध कराना यात्रियों के लिए सुविधाओं के अंतर्गत नहीं आता है;

(ग) क्या यात्रियों की राय जानने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बों में यात्रा कर रहे यात्री बिस्तर की मांग कर सकते हैं। राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बों में यात्रा कर रहे सभी

यात्रियों को किराए में ही बिस्तर में प्रभार शामिल करके बिस्तर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों के मामले में क्षेत्रीय रेलों से कहा गया है कि वे वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बों में यात्रा कर रहे यात्रियों द्वारा बिस्तर मांगे जाने पर उनसे निर्धारित प्रभार वसूल करके उन्हें बिस्तर उपलब्ध कराएं।

(ग) बिस्तरों की आपूर्ति सहित यात्री सुख-सुविधाओं की मदों पर यात्रियों से समय-समय पर राय ली जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एरनाकुलम जिला के मुवाटुपुजा में आधुनिक एक्सचेंज शुरू करना

1987. श्री पी. जी. थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एरनाकुलम जिला के मुवाटुपुजा में आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस एक्सचेंज को कब तक शुरू करने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) मुवाटुपुजा में एक 5,000 लाइनों वाले आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज की योजना बनाई गई है।

(ग) यह संभावना है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह एक्सचेंज काम करना शुरू कर देगा।

फ्लाई ओवर का निर्माण

1988. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लिलुआ, मोरीग्राम और रिसड़ा पर उपरि पुलों के निर्माण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। केवल लिलुआ मोरीग्राम के लिए।

(ख) और (ग) 1988-89 में लिलुआ में उपरि सड़क पुल अनुमोदित किया गया था और मोरीग्राम में उपरी सड़क पुल को 97-98 की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है, राज्य सरकार ने न तो अपने हिस्से के कार्य का ठेका दिया है और न ही लिलुआ में उपरी सड़क पुल हेतु कोई कार्य आरम्भ किया है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से के कार्य आरम्भ कर दिए जाने पर रेलवे कार्य को हाथ में ले लेगी।

रिसरा में उपरि सड़क पुल के लिए राज्य सरकार ने अभी तक प्रस्ताव को प्रायोजित नहीं किया है।

टेलीफोन बिल की बकाया राशि

1989. श्री के. पी. सिंह देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की तिथि के अनुसार संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों पर टेलीफोन बिल की बकाया के तौर पर सदस्य-वार बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या संसद सदस्यों की अधिक राशि के बिलों संबंधी सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) संबंधित सांसदों/पूर्व सांसदों के साथ बकाया संदेय राशियों की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त होने पर, संबंधित यूनिटों से विस्तृत जानकारी मांगी जाती है। इन रिपोर्टों के आधार पर मामलों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद निर्णय लिया जाता है। तत्पश्चात् संसद-सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दे दिया जाता है।

वित्तीय सहायता

1990. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेल की दूरसंचार प्रणालियों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए जर्मनी से आसान शर्तों पर ऋणों तथा अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) क्या जर्मनी ने मल्टीमॉडल परिवहन प्रणालियां विकसित करने में अपनी ओर से सहायता की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो जर्मनी द्वारा प्रस्तावित सहायता तथा पारस्परिक सहयोग जैसे उपस्कर प्रणाली की स्थापना तथा कमिशनिंग और भारतीय रेल में दूरसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा अंततः स्वदेशी विनिर्माण का स्वरूप क्या है; और

(घ) इसमें क्या तकनीकी तथा वित्तीय अड़चनें हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रेल ने गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिगनल प्रणाली में सुधार करने के लिए ऋण के रूप में जर्मनी से सहायता मांगी है। इस पैकेज में गाड़ी रेडियो संचार शामिल हैं। इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के जरिए के एफ डब्ल्यू/जर्मनी को भेजा गया था जिन्होंने व्यवहार्यता अध्ययन किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह ऋण के रूप में वित्तीय सहायता होगी।

(घ) अध्ययन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसका पता लग सकेगा।

मुम्बई में नए टेलीफोन एक्सचेंज

1991. श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई शहर में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची में रखे गए सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिलने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) फरवरी 1997 तक स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों तथा वर्ष 1996-97 के दौरान मार्च, 1997 में चालू किए जाने वाले संभावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नई तकनीकवाली अव्यवहार्य पाकेटों को छोड़कर अब तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को जून 1997 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के दौरान फरवरी, 1997 तक मुंबई में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे :

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता लाइनों में
1	2	3
1.	मानखुर्द आर एस यू	7,000
2.	वाइकुल्ला-I	5,000
3.	साकीनाका आरएलयू	2,000
4.	जीधाम आर एस यू	2,750
5.	मोडवी-II	11,500
6.	गामदेवी-III	1,000
7.	फाउन्टेन आरएसयू	5,750
8.	गोरेगांव	1,250
9.	वाडला-III	7,000
10.	बांद्रा	1,250

विवरण-II

मार्च, 1997 के दौरान मुंबई में स्थापित किए जाने वाले संभावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता लाइनों में
1	2	3
1.	गामदेवी-II	7,000
2.	बांद्रा-III	5,000
3.	खर आरएसयू	2,000
4.	गोरेगांव-II	8,000
5.	मलाड़-II	11,750
6.	बोरीवली आरएसयू	4,250
7.	भयंदर (ई) आरएसयू	5,500
	भयंदर एन डब्ल्यू आर एस यू	
8.	समतानगर आर एस यू	3,000
9.	मीरा रोड आर एस यू	3,000
10.	चरकोप	10,000
11.	गोदरेज आर एस यू	1,000
12.	चेम्बूर आर एस यू	13,000
13.	नित्यानंदनगर आरएसयू	3,000
14.	मानखुर्द-III	2,000
15.	राबेले आर एस यू	1,000
16.	शेवा आरएसयू	3,000
17.	मुंम्बरा आर एस यू	3,000
18.	बाघले एस्टेट आर एसयू	4,000
19.	पंचपखाडी आरएसयू	6,000
20.	वशी सेक्टर-7 आरएसयू	3,000
21.	नेरुल आर एस यू	4,000

न्यूजलपाईगुड़ी से हावड़ा के बीच शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ी चलाना

1992. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यूजलपाईगुड़ी से हावड़ा और वापसी के लिए शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चलाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) और (घ) हावड़ा तथा न्यूजलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी जैसी रेलगाड़ी चलाने की व्यवहार्यता की जांच की गई है परन्तु इस खण्ड पर लाइन क्षमता की तंगी तथा हावड़ा में अनुरक्षण सुविधा की कमी सहित संसाधनों की तंगी और परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

हावड़ा रेलवे स्टेशन पर निजी स्टालों का आबंटन

1993. श्री उद्धव बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आबंटित किए निजी स्टालों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उन स्टालों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें अलग-अलग कितना स्थान प्रदान किया गया;

(ग) इन स्टालों से रेलवे को वर्षवार कितनी आय प्राप्त हुई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान निजी स्टालों की तुलना में वेंडिंग स्टालों से कितनी आय प्राप्त हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) हावड़ा रेलवे स्टेशन पर कोई स्टाल आबंटित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) हावड़ा स्टेशन पर विभागीय इकाइयों के बिक्री टर्न ओवर तथा निजी लाइसेंसधारियों से वसूल किया गया लाइसेंस शुल्क निम्नलिखित है :—

वर्ष	लाइसेंस शुल्क (हजार में)	बिक्री टर्न ओवर (करोड़ में)
1993-94	42.6	1.59
1994-95	42.6	1.73
1995-96	42.6	3.62

वापसी यात्रा आरक्षण सुविधा

1994. श्री बाजू बन रियान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगरतला को दिल्ली, मुम्बई, मद्रास और सिकन्दराबाद से जोड़ने पर विचार कर रही है ताकि वहां पर वापसी यात्रा आरक्षण सुविधा उपलब्ध हो सके;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) कलकत्ता में आरक्षण प्रणाली के जुड़े स्टेशनों से आरंभ होने वाली सभी गाड़ियों के लिए अगरतला से आगे की तथा वापसी यात्रा के आरक्षण के लिए बुकिंग की जा सकती है।

अन्य चार आरक्षण प्रणालियों से जुड़े स्टेशनों से आगे की तथा वापसी यात्रा के आरक्षण की सुविधाएं अगरतला सहित सभी आरक्षण कार्यालयों से तभी आरंभ हो सकेंगी जब पांच आरक्षण प्रणालियों को नेटवर्क द्वारा जोड़ दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए नेटवर्क सॉफ्टवेयर का विकास तथा परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि

1995. श्री महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्री रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रामपुरीहाट, बारहारवा, दानापुर और सालार जाने वाली रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) यातायात, रेल इंजनों की कर्षण क्षमता, सवारी डिब्बों की उपलब्धता तथा अन्य सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए यात्री गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों के अभाव के कारण इन खंडों पर कुछ यात्री गाड़ियां अवभार में चल रही हैं।

(ङ) दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों की उपलब्धता में सुधार करके इन गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

होटल जनपथ और होटल सम्राट के अधीन कार्यरत रेस्तरां

1996. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल जनपथ और होटल सम्राट, नई दिल्ली, के अधीन इस समय कार्यरत रेस्तराओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रबंधक वर्ग महंगे ग्लासों से बनी वस्तुओं और फर्नीचरों को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है ताकि निजी ठेकेदार अपना व्यवसाय कर सकें;

(ग) क्या इस प्रयास से आई टी डी सी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच रही है;

(घ) क्या केवल खामियों के कारण रेस्तरां को चलाने में असफल रहने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) जनपथ तथा सम्राट होटलों में चलाए जा रहे रेस्तराओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

होटल जनपथ

(1) गुलनार—भारतीय भोजन

(2) औरबिट—भारतीय, पाश्चात्य तथा चाइनीज भोजन सर्व करने वाले बुफ।

(3) मैंडेरिन रूम—चाइनीज

(4) दि काफी शॉप

(5) फूड प्लाजा*—फास्ट फूड विविध भोजन रेस्तरां

*निजी पार्टी द्वारा पट्टे के आधार पर चलाया जा रहा है।

होटल सम्राट

(1) गार्डेनिया—24 घंटे खुली रहने वाली कॉफी शॉप।

(2) बारादरी—भारतीय भोजन

(ख) और (ग) जी, नहीं। भोजन में परिवर्तन, इंटीरियर्स तथा निजी पार्टी को लीज पर रेस्तरां दिया जाना, मांग तथा निगम के व्यापारिक हितों पर आधारित है। विशिष्टता प्राप्त रेस्तराओं को उत्कृष्टता आधार पर लीज पर दिए जाने से सुनिश्चित आय होती है तथा ऐसे अतिथि भी आकर्षित होते हैं जो विशिष्ट भोजन को प्राथमिकता देते हैं।

(घ) और (ङ) जनपथ होटल के "मेण्डेरिन रूम" का चाइनीज भोजन के रेस्तरां से दक्षिण भारतीय भोजन के रेस्तरां में रूपान्तर करने से संबंधित मामले की जांच की जा रही है।

खुर्दा-पुरी रेल लाइन

1997. श्री भक्त चरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने खुर्दा और पुरी के बीच रेल लाइन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने दक्षिण-पूर्व रेल के खुर्दा रोड-पुरी खण्ड के दोहरीकरण का अनुरोध किया है। बहरहाल, इकहरी लाइन का दोहरीकरण सामान्यतया तभी किया जाता है जबकि उनकी वहन करने की क्षमता संतृप्त हो जाती है और अधिक माल यातायात वाले खण्डों को प्राथमिकता दी जाती है। खुर्दा रोड-पुरीखंड अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि उसका दोहरीकरण किया जा सके। जैसे ही यातायात के कारण दोहरीकरण की आवश्यकता होगी उस पर विचार किया जाएगा।

अलीपुरद्वार-दीमापुर लाइन पर रेल दुर्घटनाएं

1998. डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा :

डा॰ अरूण कुमार शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की अलीपुरद्वार-दीमापुर लाइन पर कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) क्या अलीपुरद्वार-दीमापुर लाइन रेल दुर्घटना प्रवण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण रेलवे को कितना नुकसान हुआ;

(ङ) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितनी जन हानि हुई;

(च) क्या हताहतों के निकटतम सम्बन्धियों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुरद्वार-दीमापुर खंड पर 1993-94 से हुई परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1993-94	22
1994-95	26
1995-96	09
1996-97 (जनवरी 1997 तक)	05

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपरोक्त वर्षों के दौरान रेल संपत्ति को हुई क्षति की लागत क्रमशः 8.17 लाख रु॰ 71.71 लाख रु॰ 3.54 लाख रु॰ और 7.15 लाख रुपए है।

(ङ) 1994-95 के दौरान हुई दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति मारा गया। इसके अलावा, 25.2.95 और 30.12.96 को हुई बम विस्फोट की दो घटनाओं में 59 लोग हताहत हुए।

(च) जी हां।

(छ) दुर्घटनाओं के तत्काल बाद मृतकों और घायल यात्रियों के

आश्रितों को उनकी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5,88,250/- रु० की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था। रेल दावा अधिकरण के निर्णय के आधार पर उन्हें 1993-94 से 1996-97 (जनवरी 1997 तक) के दौरान 57,76,000/- रु० की क्षतिपूर्ति राशि का भी भुगतान किया गया था।

रेलपथों का नवीकरण

1999. श्री बलाई चन्द्र राय :

श्री अनिल बसु :

श्री हाराधन राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल पटरियों को बदलने संबंधी बकाया काम को निपटाने के लिए पूर्वी, दक्षिण पूर्व, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे से पर्याप्त धनराशि प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जोनवार रेल पटरी बदलने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त जोनों में बकाया कार्य को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जोनवार रेलपथ नवीकरण की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:—

रेल	लक्ष्य 1996-97 कि०मी० (सी० टी० आर० यूनिटें)
पूर्व	320
पूर्वोत्तर सीमा	80
दक्षिण-पूर्व	560

(घ) गाड़ी चालन को प्रभावित किए बगैर कार्य के निष्पादन हेतु रेलों की क्षमता तथा निधि की उपलब्धता और मार्ग के महत्त्व के आधार पर रेलपथ नवीकरण स्वीकृत किया जा रहा है। तदनुसार कार्य को निष्पादित किया जा रहा है।

मीडिया नीति

2000. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 12 सितम्बर, 1996 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कोई नई मीडिया नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उपसमिति ने परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्री को उपसमिति के क्रियाकलाप की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार "राष्ट्रीय मीडिया नीति पर एक कार्य दस्तावेज" दिनांक 29.3.96 को विचारार्थ प्रस्तुत किया था। कार्य दस्तावेज पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नवगठित परामर्शदात्री समिति फिलहाल विचार कर रही है।

बंडेल में रामपुरहाट एक्सप्रेस का स्टाप

2001. श्री अनिल बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हुगली और 24 परगना के लोग 3017/3018 रामपुरहाट एक्सप्रेस को बंडेल पर रोकने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र के लोग बोलपुर, तारापीठ तथा रामपुरहाट जाने हेतु सीधी रेल सेवा मिलने से लाभान्वित होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) जी हां। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 3017/3018 हवड़ा-रामपुरहाट एक्सप्रेस का बंडेल में ठहराव मुहैया कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रबंधन विधेयक 1990 में कामगारों की भागीदारी

2002. श्री छीतुभाई गामीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आने के कारण प्रबंधन बिल 1990 में कर्मचारियों की भागीदारी संबंधी विधेयक की पुनरीक्षा करने और उसमें आवश्यक संसोधनों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) प्रबंधन में कर्मकार सहभागिता विधेयक, 1990 को जांच किए जाने और रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु विभाग से संबंधित श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थाई समिति के पास भेजा गया था। प्रारम्भिक सुनवाई के पश्चात् संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि देश के बदल रहे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में आवश्यक संशोधनों को शामिल किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार विधेयक की पुनरीक्षा कर सकती है। 24 और 25 अक्तूबर, 1996 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा इस विषय पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया

गया है कि सभी संबंधितों से प्राप्त सुझावों तथा नोटिसों के आधार पर सरकार समुचित कार्रवाई कर सकती है।

कर्मचारियों की सहभागिता संबंधी त्रिपक्षीय समिति के विचार-विमर्शों; जिनके शीघ्र ही आयोजित किए जाने की संभावना है, को ध्यान में रखते हुए प्रबंध में कर्मकार सहभागिता विधेयक, 1990 में संशोधन संबंधी मुद्दे की समीक्षा की जाएगी।

होटलों और रेस्टोरेंटों के प्रबंधन में बुनियादी सुधार

2003. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय आईटीडीसी कामगार परिसंघ से एक व्यापक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उसने आईटीडीसी के अंतर्गत आने वाले होटलों और रेस्टोरेंटों के प्रबंधन में कुछ बुनियादी सुधार लाने के लिए सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आईटीडीसी प्रबंधन चालू रेस्टोरेंटों को नियमित रूप से बंद कर रहा है ताकि प्राइवेट ठेकेदार बिना किसी के आईटीडीसी के कारोबार में शामिल हो सकें;

(घ) यदि हां, तो आईटीडीसी का प्रबंधतंत्र खाद्य पदार्थों और मादक पेय पदार्थों को मुहैया कराने के लिए अपने ग्राहकों और अतिथियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम सिद्ध हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल प्रभाग में ऐसा कोई व्यापक अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। यह सच नहीं है कि भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन, विभागीय रूप से चलाए जा रहे रेस्तराओं को, निजी पार्टियों को लीज पर देने के लिए बंद कर रहा है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम, विशेष भोजन के कुछ रेस्तराओं/रेस्तराओं के लिए जगह को, अपनी अक्षमता/असफलता के कारण नहीं, बल्कि मात्र व्यावसायिक हित के आधार पर निजी पार्टियों को लीज पर देता है।

अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफार्म का निर्माण

2004. श्री हाराधन राय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यात्रियों को प्लेट फार्मों की कम ऊंचाई होने के कारण बरका और काना के बीच विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कठिनाई होती है;

(ख) क्या सरकार उन स्टेशनों पर अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक किया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) यात्री यातायात की मात्रा पर आधारित मानदण्ड के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की व्यवस्था की जाती है। बारकर-खाना खंड पर खाना, राजबंध, बाराचक, पराज और गलसी में रेल सतह के प्लेटफार्म और अंडाल में निचली सतह का प्लेटफार्म मुहैया कराया गया है। गलसी में ऊंची सतह के प्लेटफार्म की व्यवस्था करने के कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। यात्री यातायात की वृद्धि से आवश्यक होने पर अन्य स्टेशनों पर भी प्लेटफार्मों को ऊंचा करने पर विचार किया जाएगा।

मुम्बई उपनगरीय रेल के विस्तार को स्वीकृति

2005. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई उपनगरीय रेल को दहानू रोड स्टेशन तक बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुम्बई उपनगरीय गाड़ियां दहानू रोड स्टेशन तक कब से चलाई जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) उपनगरीय प्रणाली के अंतर्गत दहानू रोड तक का खंड पहले से ही अधिसूचित है। मुंबई उपनगरीय गाड़ियों, जो 1,500 वोल्ट डीसी प्रणाली से चलती हैं, को तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि दोहरे वोल्टेज वाले रेक उपलब्ध नहीं हो जाते तथा अन्य प्रणाली सुधार जैसे स्वचल ब्लाक सिगनलिंग, ऊंची सतह वाले प्लेटफार्म आदि की व्यवस्था नहीं कर दी जाती। ये काम निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

लंबित दावे

2006. श्री संदीपान थोरात : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई जैसे बड़े शहरों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में गैर सरकारी पार्टियों द्वारा माल की आपूर्ति और किए गए कार्यों से संबंधित कई दावे निपटान हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष से कितने दावे निपटाने के लिए लम्बित हैं;

(ग) कितने मामले, विशेषकर मुम्बई में विवाचन के लिए भेजे गए हैं और उनमें अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार लम्बित मामलों के निर्धारित समयसीमा में निपटाने के लिए नए उपाय शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और इनकी जांच के संबंध में क्या प्रगति की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जे.ना) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में निजी पार्टियों के संबंध में लम्बित दावों का कोई मामला फिलहाल प्रकाश में नहीं आया है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई से विवाचन हेतु कोई मामला नहीं भेजा गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आमान परिवर्तन

2007. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्लम-शेनकोट्टा की वर्तमान छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिए कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्य को कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) कार्य को 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही शुरू किया जाएगा।

भारतीय तेल निगम के श्रमिकों हेतु पेंशन योजना

2008. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों द्वारा पेंशन योजना के पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों द्वारा पेंशन योजना 1995 को तुरंत क्रियान्वित किए जाने तथा पेंशन के भुगतान की मांग के संबंध में कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ग) पूर्वी क्षेत्र में मै॰ इंडियन आयल कार्पोरेशन के अनेक कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के क्रियान्वयन और अपने प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत छूट आवेदन पत्र को नामंजूर करने के लिए भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। कर्मचारियों के अभ्यावेदन के बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

मराठी कार्यक्रम

2009. श्री राम नाईक : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठी टेलीविजन कार्यक्रम के निर्माताओं, निर्देशकों तथा कलाकारों के एक दल ने यह मांग की है कि मराठी भाषा के टेलीविजन कार्यक्रमों को दूरदर्शन-1 चैनल पर टेलीविजन में सायं 7.30 बजे से 11 बजे तक दिखाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) क्या दूरदर्शन-10 मराठी भाषा का चैनल है किंतु इसका प्रसारण समय उपयुक्त नहीं है तथा यह केवल केबल द्वारा उपलब्ध है तथा इसका प्रसारण क्षेत्र महाराष्ट्र के सुदूर क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है कि डी॰डी॰ 10 चैनल के कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में बगैर केबल के उपलब्ध हों ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) डी॰डी॰ 10 (मराठी चैनल) एक उपग्रह चैनल है जिसे केबल अथवा डिश एन्टिना की सहायता से न केवल महाराष्ट्र राज्य में बल्कि सम्पूर्ण देश में देखा जा सकता है। मराठी कार्यक्रम सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में सायं 4.30 बजे से 8.30 बजे के बीच क्षेत्रीय नेटवर्क पर स्थलीय रूप से भी उपलब्ध हैं।

समाचार-पत्र

2010. श्री अमर राय प्रधान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार देश में प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक और समाचार-पत्रों/जर्नलों/पत्रिकाओं की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) अखबारी कागज पर 10% सीमा शुल्क लगने के फलस्वरूप उनकी लागत में वृद्धि के कारण उनमें से कितनों के बंद होने का खतरा हो गया है;

(ग) क्या सरकार को आई॰एन॰एस॰ तथा अन्य संगठनों से विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार, सूचना निम्नानुसार है :—

दैनिक समाचार-पत्रों की संख्या	= 4,453
साप्ताहिकों की संख्या	= 13617
अन्य प्रकाशनों की संख्या	= 24319

(ख) जहां तक अखबारी कागज पर 10% सीमा-शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण समाचारपत्रों के बंद होने का संबंध है, इस प्रकार की सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें 10% सीमा-शुल्क को समाप्त करने, अखबारी कागज के आयात पर परिमाणात्मक एवं अन्य प्रतिबंध समाप्त करने, अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 खत्म करने, अखबारी कागज उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनरी, उपभोज्य सामग्री, फुटकर पुर्जों आदि पर आयात शुल्कों में कमी करने और अखबारी कागज के आयात हेतु वास्तविक उपभोक्ता शर्त लगाए जाने की अवस्था में वास्तविक उपभोक्ता संबंधी मांग पंजीकरण प्रमाणपत्र पर ही आधारित करने की मांग की है। सरकार अपनी नीतियां तैयार करते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखती है और विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच संतुलन रखने का प्रयास करती है।

[हिन्दी]

देवास हरदा रेल लाइन

2011. श्री सुशील चन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में देवास (पश्चिमी रेलवे) और हरदा (मध्य रेलवे) को जोड़ने हेतु पूर्व में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देवास और हरदा के बीच रेल लाइन कब कब तक बिछा दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उर्दू कार्यक्रम

2012. श्री मुखतार अनीस : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 96 के अनुसार, दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय की स्वीकृत सूची पर उर्दू समाचार पत्रों का ब्यौरा क्या है और उनका राज्यवार परिचालन क्या है;

(ख) दिसम्बर, 1996 तक इस सूची में राज्य-वार और कितने पत्र शामिल किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान अभी तक इनमें से प्रत्येक समाचार पत्र को जारी किए गए विज्ञापनों की दर क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रत्येक समाचारपत्र की दर उसके प्रसार आंकड़ों पर निर्भर करती है। इसे दर ढांचा समिति द्वारा प्रकल्पित दर ढांचे के अनुसार तैयार किया जाता है और यह प्रसार आंकड़ों से संबद्ध है। वर्ष 1995-96 के दौरान, उर्दू समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की विज्ञापन दरें 8.00 रुपए प्रति एकल कॉलम सेंटीमीटर से 46.40 रुपए प्रति एकल कॉलम सेंटीमीटर के बीच रहीं। 1996-97 के दौरान ये दरें 8.00 रुपए प्रति एकल कॉलम सेंटीमीटर से 47.10 रुपए प्रति एकल कॉलम सेंटीमीटर के बीच हैं।

विवरण

(क) अप्रैल, 1996 को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की अनुमोदित सूची में शामिल उर्दू समाचारपत्रों का ब्यौरा नीचे दिया है :

राज्य	प्रकाशनों की संख्या					प्रसार क्षेत्र (प्रतियां)
	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	अन्य	
आंध्र प्रदेश	40	16	8	1	0	2,655-43,294
बिहार	26	18	1	1	0	9,000-55,300
हरियाणा	0	0	0	1	0	2,125
जम्मू और कश्मीर	20	11	1	0	3	787-49,700
कर्नाटक	5	3	0	0	0	5,194-52,864
मध्य प्रदेश	3	2	0	0	0	6,050-27,355
महाराष्ट्र	11	7	0	1	0	1,835-35,800
पंजाब	5	2	0	0	0	2,960-49,019
राजस्थान	2	2	0	0	0	5,300-30,500
तमिलनाडु	1	0	0	0	1	17,009-18,307
उत्तर प्रदेश	47	143	35	6	2	2,014-56,300
पश्चिम बंगाल	7	1	2	1	0	2,550-40,802
दिल्ली	17	11	7	15	1	2031-73000

(ख) दिसम्बर 1996 तक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में परिवर्धन का ब्यौरा

राज्य	प्रकाशनों की संख्या					प्रसार क्षेत्र (प्रतियां)
	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	अन्य	
आंध्र प्रदेश	2	3	0	0	0	4,400-15,200
बिहार	3	0	0	0	0	13,850-31,675
जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	1,766
कर्नाटक	1	0	0	0	0	10,000
महाराष्ट्र	1	1	0	0	0	8,416-10,200
उत्तर प्रदेश	4	11	2	0	0	2,149-30,650
दिल्ली	2	0	2	0	0	4,800-32,729

गुजरात में बेरोजगारी

2013. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न भाग में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार अखिल भारत साथ ही गुजरात राज्य में 1987-88 से 1993-94 की अवधि के दौरान बेरोजगारी की स्थिति में गिरावट परिलक्षित होती है। समग्र देश में बेरोजगारी की दर जो कि 1987-88 में 3.77% थी वह 1993-94 में घटकर 2.56% हो गई। इसी प्रकार, गुजरात राज्य की बेरोजगारी की दर संदर्भाधीन अवधि में 2.57% से घटकर 1.89% हो गई।

(ग) गरीबों हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, 9वीं योजना में राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना को कार्यान्वित करना होगा।

9वीं योजना के दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादन रोजगार सृजन करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने के उद्देश्य से कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार के लक्षणों युक्त क्षेत्रों में, श्रम सघन क्षेत्रों, उपक्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों में संकेन्द्रित होने विकास प्रक्रिया में स्वत: ही अधिकतम उत्पादक रोजगार सृजित होगा।

पर्यटकों का आना

2014. श्री केशव महंत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी 1997 के "असम ट्रिब्यून" में "टूरिस्ट्स इनपलो ऑन दि डिक्लाइन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की चाय पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने की महत्त्वाकांक्षी योजना का असफल होना निश्चित है क्योंकि कोई भी पर्यटक राज्य के चाय बागानों का दौरा नहीं करना चाहेगा क्योंकि इन बागानों में पर्यटक विभिन्न उग्रवादी संगठनों का आसानी से निशाना बन सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या परिस्थिति में सुधार लाने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) समाचार में यह रिपोर्ट किया गया है कि असम राज्य में हाल की हिंसा के परिणामस्वरूप पर्यटक आगमन में गिरावट आई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने दर्शाया है कि राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं तथा चाय, पर्यटन मेला करवाकर और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

लीलाबाड़ी विमानपत्तन हेतु आबंटन

2015. डा॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीलाबाड़ी विमानपत्तन का दर्जा बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस परियोजना को क्रियान्वित किए जाने का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है;

(ग) हवाई पट्टी तथा टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य किस चरण में है; और

(घ) कार्य प्रगति में विलंब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान लीलाबाड़ी हवाई अड्डे को अंतर्देशीय प्रचालनों हेतु उन्नयन के लिए चुना गया है। 14.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य जुलाई, 1999 तक पूरा होने की संभावना है तथा 13.90 करोड़ रुपए की लागत से धावनपथ के सुदृढ़ीकरण और 7,500 फीट तक के विस्तार का कार्य सितम्बर, 1998 तक पूरा होने की संभावना है।

साबरमती रेलवे स्टेशन का विकास

2016. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

श्री दिनशा पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अत्याधिक भीड़-भाड़ तथा स्थान की कमी के कारण इसके विस्तार की सीमित संभावना के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ कम करने हेतु समीप के साबरमती रेलवे स्टेशन के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई.टी.आई. पालघाट यूनिट

2017. श्री एन. एन. कृष्णादास : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय टेलीफोन उद्योग के पालघाट यूनिट द्वारा भारी संकट का सामना किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो आई.टी.आई. पालघाट यूनिट को बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) पालघाट यूनिट सहित सभी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) क्षमता के कम उपयोग, दूरसंचार उपस्करों की कीमत में कमी तथा वित्तीय संसाधनों की कमी संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं। इस कम्पनी की सहायता हेतु निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :—

(i) दूरसंचार विभाग के 20% से 30% आर्डरों को, आई.टी.आई. हेतु सुरक्षित रखा जाता है। कम्पनी, दूरसंचार विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेकर और—अधिक आर्डर भी प्राप्त कर सकती है।

(ii) दिनांक 31.3.97 तक की अवधि के लिए, क्रयादेशों के प्रति पेशगी भुगतान को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।

(iii) कम्पनी को परिसमाप्त हजनि तथा अन्य वित्तीय मुद्दों के संबंध में 62 करोड़ रुपए की तदर्थ राशि का भुगतान किया जा चुका है।

रेलों में माल ढुलाई की प्रतिशतता में कमी

2018. श्री ए. जी. एस. राम बाबू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों की तुलना में माल ढुलाई की प्रतिशतता में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कमी के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा जोन-वार कितनी माल ढुलाई की गई;

(घ) क्या सरकार ने रेलवे में और अधिक माल ढुलाई को प्रोत्साहन देने हेतु कोई ठोस उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। पिछले कई वर्षों से माल यातायात में निरंतर वृद्धि हो रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा संभाला गया माल यातायात निम्नानुसार है :—

(मिलियन टन में)

रेलवे	1993-94	1994-95	1995-96
मध्य	36.04	37.11	38.51
पूर्व	70.88	72.03	73.39
उत्तर	24.99	21.47	25.94
पूर्वोत्तर	2.88	2.33	3.03
पूर्वोत्तर सीमा	5.79	6.53	7.21
दक्षिण	19.02	19.27	21.02
दक्षिण मध्य	40.30	35.73	36.68
दक्षिण पूर्व	131.50	141.72	155.50
पश्चिम	27.32	28.77	29.41
जोड़	358.72	364.96	390.69

(घ) और (ङ) रेल द्वारा यातायात के अधिकतम संचलन के लिए रेल उपयोगकर्ता संगठनों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकट संपर्क बनाए रखा जा रहा है। कन्टेनर और विशेष कन्टेनर गाड़ियों को आरंभ

करने के माध्यम से, हर संभव यातायात को वहन करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। माल यातायात के सुचारु संचालन के लिए फील्ड स्तर से रेल मंत्रालय स्तर तक गहन निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खनिज पदार्थ

2019. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अधिकतम खनिज पदार्थों के भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में खानों का उचित दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य में खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जारी गतिविधियों के रूप में मध्य प्रदेश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करता है।

पिछले तीन वर्ष के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सागर, पन्ना, छतरपुर, मांडला, जबलपुर, बालाघाट, बेतुल जिलों में ग्रेनाइट तथा अन्य आयामी पत्थरों के अलावा, सागर-छतरपुर जिले में निम्न सिलिका डोलोमाइट, बेतुल जिले में जस्ता अयस्क, रामगढ़, बस्तर तथा रायपुर जिलों में स्वर्ण अयस्क, पन्ना, सागर, छतरपुर, रायगढ़, बस्तर तथा रायपुर जिलों में हीरे वाला किम्बरलाइट; रायगढ़ जिले में बाक्साइट, छतरपुर जिले में मोलिब्डेनम; रायगढ़ तथा बेतुल जिलों में टंगस्टन अयस्क; सतना-छतरपुर बालाघाट तथा होशंगाबाद जिलों में आधार धातुओं; बालाघाट जिले में मैग्नीज अयस्क के भंडारों का पता लगाया।

(घ) इस राज्य में विभिन्न व्यक्ति/संस्थाएं खनिजों का विदोहन कर रही हैं। इसके अलावा, कोई भी उद्यमी खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों और भारत सरकार द्वारा 1993 में घोषित नई खनिज नीति के अनुसार खनिज संसाधनों का विदोहन कर सकता है।

(ङ) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनियमितताओं संबंधी शिकायतें

2020. श्री जय सिंह चौहान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन कनेक्शन देने संबंधी अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बजट होटलों की स्थापना किया जाना

2021. श्री सनत मेहता :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 100 बजट होटलों की स्थापना किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेरावेल, द्वारका और गुजरात में महत्त्वपूर्ण पर्यटक शहरों में ऐसे होटलों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन होटलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने और उन्हें चालू कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है।

शैक्षणिक उपग्रह दूरदर्शन चैनल

2022. श्री हरिन पाठक :

श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रौढ़, साक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों पर जोर देते हुए चौबीसों घंटे शैक्षणिक उपग्रह दूरदर्शन चैनल आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके तरीके तैयार करने तथा उक्त चैनल के लिए "ट्रांसपोंडर" का पता लगाने हेतु कोई समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह नया चैनल कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में "मुक्त शिक्षा/दूरवर्ती

शिक्षा के त्वरित विकास" पर एक कार्यदल गठित किया गया है। कार्यदल की पहली बैठक 29.11.95 को आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा शैक्षणिक चैनल संबंधी आवश्यकताओं को औपचारिक बनाने हेतु संयुक्त सचिव (प्रौढ़ शिक्षा) शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक उप-दल गठित करने का निर्णय लिया गया था। दल ने कुछ सिफारिशें की हैं जो कि जांचाधीन हैं। इस अवस्था में इस चैनल के परिचालन हेतु कोई विशिष्ट समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

नौवीं योजना के दौरान टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों की स्थापना

2023. श्री शिवराज सिंह :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान उच्च शक्ति, कम शक्ति और बहुत कम शक्ति के स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित ट्रांसमीटरों और ट्रांसपोंडरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार ने इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितना आबंटन किया है;

(ग) क्या कुछ ट्रांसमीटर परियोजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) यद्यपि नौवीं योजना के अंतर्गत दूरदर्शन की नई स्कीमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है तथापि, वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन मैट्रो चैनल सेवा के लिए ट्रांसमीटरों सहित भिन्न-भिन्न क्षमता वाले टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मुख्य रूप से स्थान/भवन, अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध न होने तथा संसाधनों के अभाव के कारण कतिपय दूरदर्शन की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है। तथापि, इन चालू टी॰वी॰ परियोजनाओं के 1999-2000 तक चरणबद्ध रूप में पूरा किए जाने की संभावना है।

विवरण

देश में वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन मैट्रो चैनल सेवा के लिए ट्रांसमीटरों सहित विभिन्न क्षमता वाले टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाली सूची (28.2.1997 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ॰श॰ट्रां॰ डीडी-1 डीडी-2	अ॰श॰ट्रां॰ डीडी-1 डीडी-2	अ॰अ॰श॰ट्रां॰	ट्रांसपोजर	कुल ट्रांसमीटर
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	0	0 + 2	0	0	2
2.	आंध्र प्रदेश	2 + 1	20	1	0	24
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	26	1	28
4.	बिहार	0	11	2	0	13
5.	गोवा	0	0 + 1	0	0	1
6.	गुजरात	1	13	1	0	15
7.	हरियाणा	0	2	0	0	2
8.	हिमाचल प्रदेश	0	3	20	0	23
9.	जम्मू और कश्मीर	0	3	1	1	5
10.	केरल	1	2 + 1	0	0	4
11.	कर्नाटक	1 + 1	17	3	0	22
12.	मध्य प्रदेश	0	10	8	0	16
13.	मेघालय	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	12	8	0	18

1	2	3	4	5	6	7
15.	मणिपुर	1	0	1	0	2
16.	मिजोरम	0	1 + 1	1	0	3
17.	नागालैण्ड	1	0 + 1	2	0	4
18.	उड़ीसा	2	19	13	2.	36
19.	पंजाब	1	1	0	0	2
20.	राजस्थान	3	11	4	0	18
21.	सिक्किम	0	0	3	0	3
22.	तमिलनाडु	0	7	1	0	8
23.	त्रिपुरा	0	2 + 1	1	0	4
24.	उत्तर प्रदेश	1	24	21	0	46
25.	पश्चिम बंगाल	0	4 + 1	0	0	0
26.	दिल्ली	0	0	0	0	0
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0 + 1	1	0	2
28.	दमन एवं द्वीव	0	1	0	0	1
29.	पांडिचेरी	0	0 + 1	0	0	1
30.	लक्षद्वीप समूह	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	1	0	0	1
	कुल	14 + 2	165 + 10	114	4	309

संकेत : उ०श०ट्रां० उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ०श०ट्रां० अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ०अ०श०ट्रां० अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

टेलीफोन लाइनें बिछाना

2024. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार में टेलीफोन लाइनें बिछाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कितनी लाइनें बिछाई गई हैं;

(ग) दूरसंचार विभाग को कौन-कौन सी सर्किलें इस लक्ष्य से पीछे चल रही हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा टेलीफोन लाइनें बिछाने संबंधी वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) चालू वर्ष के दौरान, बिहार दूरसंचार सर्किल के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए 47,000 टेलीफोन लाइनें बिछाने का लक्ष्य निर्धारित है।

(ख) अप्रैल 96 से जनवरी, 1997 तक की अवधि के दौरान, प्रदान की गई टेलीफोन लाइनों की संख्या 25,094 है।

(ग) और (घ) सरकार ने, टेलीफोन लाइनें प्रदान करने के लिए, सभी दूरसंचार सर्किलों को आवश्यक उपस्कर और धनराशि आबंटित की है और उपस्कर, कार्य-स्थल पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यह आशा की जाती है कि 96-97 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

महानगर परिवहन परियोजनाएं

2025. श्री सिद्दय्या कोटा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की निर्माणाधीन महानगर परिवहन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें शुरू किए जाने का विचार है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर होने वाली अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ग) रेलों द्वारा निम्नलिखित म.प.प. परियोजनाएं निर्मित की जा रही हैं। परियोजना की स्वीकृत अनुमानित लागत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई है :—

क्र.सं.	कार्य/परियोजना के नाम	स्वीकृत/अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
कलकत्ता		
1.	अभिकल्प और निर्माण दमदम-टालीगंज (16.45 कि.मी.)	1,640.00
2.	सर्कुलर रेल कलकत्ता	35.49
मुंबई		
3.	बांद्रा-अंधेरी के बीच अतिरिक्त जोडी लाइनें (7.20 कि.मी.)	111.57
4.	थाणे क्रीक के ऊपर एक पुल सहित मानखुद-बेलापुर से रेल लाइनों का विस्तार और हरर्बर शाखा (17.98 कि.मी. में अनुषांगिक सुविधाएं)	440.87 (145.48 रेलवे 259.39 सिडको)
5.	थाणे-तुर्भे नेरुल मुंबई में गलियारा सं. 2 हवांगी हिस्सा (190 कि.मी.)	403.39 (131.47 रेलवे 271.92 सिडको) 279.83
6.	बेलापुर-पनवेल-दैनिक यात्री लाइन का दोहरीकरण (10.9 कि.मी.)	(92.34 रेल 187.49 सिडको)
7.	कुर्ला-थाणे-5वीं तथा छठी लाइन (चरण-I 10.0 कि.मी.)	49.84
8.	सीवुड-उरान-5वीं विद्युतीकृत लाइन (22.30 कि.मी.)	401.81 129.87 रेल 271.94 सिडको)
9.	मुंबई सेंट्रल-सांताक्रुज बोरीवली 5वीं लाइन (15.81 कि.मी.)	64.17
10.	बोरीवली-विरार की चौहरीकरण (25.84 कि.मी.)	327.21
चेन्नई		
11.	मद्रास बीच-लुज से एस.आर.टी. एस. लाइन का निर्माण (8.55 कि.मी.)	259.44
12.	लुज-वेल्लाचेरी-एम.आर.टी.एस. का विस्तार (10.30 कि.मी.)	605.70 (141.96 रेलवे 463.74 तमिलनाडु सरकार)

(ख) इस समय ऐसा कोई स्वीकृत कार्य नहीं है जिन्हें शुरू किया जाना है।

[हिन्दी]

"डेजर्ट सर्किट" को रेलवे के साथ जोड़ना

2026. श्री भेरूलाल मीणा : क्या रेल मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाकों के "पर्यटक डेजर्ट सर्किट" को बड़ी रेल लाइन से दिल्ली के साथ जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो पहले चरण के अंतर्गत किन-किन शहरों में आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) बीकानेर-नागौर-मेड़ता रोड, जोधपुर-जैसलमेर तथा मेड़ता रोड-जयपुर-दिल्ली का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल्को की कोरबा परियोजना

2027. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. तथा कोरबा परियोजना को नई रोलिंग मिल की स्थापना करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं; और

(घ) यह परियोजना कब तक कार्य करना आरंभ कर देगी ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) सरकार ने पतली गेज की शीटों और 0.4 एम एम से कम मोटाई वाली काइलों का उत्पादन करने के लिए 40,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक नई कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना संबंधी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। नई कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना में पिछले तिमाही 1996 के मूल्य स्तर पर 157.50 करोड़ रु. का निवेश होगा। नई कोल्ड रोलिंग मिल की निर्माण अवधि 36 महीने है।

औद्योगिक न्यायाधिकरणों में लंबित मामले

2028. श्री पवन दीवान : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रम संबंधी मामलों में शीघ्र निपटान हेतु अतिरिक्त श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और लोक अदालतों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फरवरी, 1997 तक लंबित मामलों की संख्या क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने अब तक किन्हीं अतिरिक्त श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों का गठन नहीं किया है और न ही लोक अदालतें आयोजित की हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन

2029. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नौगढ़" रेलवे स्टेशन का नाम "सिद्धार्थ नगर" करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कनिष्क होटल में विद्युत आपूर्ति रोकना

2030. श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत कट जाने की स्थिति में पांच सितारा कनिष्क होटल के कमरों में विद्युत आपूर्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है हालांकि उपभोक्ता इस तरह की सुविधा के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में होटल द्वारा नियमों के पालन नहीं किए जाने के लिए क्या कारण हैं तथा उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(ग) उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) होटल कनिष्क चार सितारा श्रेणी के पास बिजली की कटौती के मामले में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था है। तथापि, डी जी सैटों के फेल हो जाने के कारण वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति में कुछ कठिनाई पैदा हो गई है। इस समस्या पर काबू पाने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जहां ब्रेक डाउन डी जी सेटों को बदला जा रहा है/मरम्मत की जा रही है, 1000 कि॰वा॰ के एक अतिरिक्त डी जी सेट लगाए जाने का भी प्रस्ताव है।

(ग) होटल कनिष्क में मुहैया की जा रही सुविधाओं में 317 वातानुकूलित कमरे, क्लोज सर्किट टी वी/एम॰ ए॰ टी वी प्रणाली, रेफरीजरेटर, टेलीफोन प्रणाली, चैनल म्यूजिक; कमरों में गर्म और ठण्डा पानी; 3 रेस्तरां; भिन्न-भिन्न भोजन पेश करना; सम्मेलन और बैंक्यूवेट सुविधाएं, तरनताल, शापिंग आरकेड और कई अन्य सामान्य सेवाएं शामिल हैं।

ट्रांस एशियन रेल परियोजनाएं

2031. श्री वसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित ट्रांस एशियन रेल पर यू॰ ए॰ ई॰ एस॰ सी॰ ए॰ पी॰ द्वारा विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यू॰ एफ॰ ई॰ ए॰ एस॰ सी॰ ए॰ पी॰ ने. तीन संभाव्यता अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित रेल लाइन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हां। ई॰ एस॰ सी॰ ए॰ पी॰ द्वारा निम्नलिखित तीन अध्ययन किए गए हैं :—

1. चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस गणराज्य और कोरियन पेनिनसुला के रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन

2. एशिया-यूरोप मार्ग के दक्षिणी गलियारे में ट्रांस-एशियन रेलवे के विकास पर प्रारम्भिक अध्ययन

3. भारत-चीन तथा आसियान उपक्षेत्र में ट्रांस-एशियन रेल पर अध्ययन

(घ) दक्षिणी गलियारे में ट्रांस एशियन रेल के विकास पर किया गया अध्ययन प्रारम्भिक अध्ययन था जैसा कि उपर्युक्त (क) से (ग) के उत्तर की मद संख्या 2 में उल्लेख किया गया है। और कोई विशिष्ट परियोजना का प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

बंगलौर-सेलम रेल लाइन

2032. श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बंगलौर-सेलम बड़ी लाइन पर नवम्बर, 1996 के प्रथम सप्ताह से ही मालवाही गाड़ियों का चलना आरम्भ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त लाइन पर सवारी गाड़ियों के कब से चलाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार के पास बंगलौर और हैदराबाद के बीच सीधे बड़ी लाइन सम्पर्क स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह लाइन यात्री यातायात के लिए 11.1.97 को खोल दी गई हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) महबूब नगर-द्रोणाचलम खण्ड का आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर है और 31.12.97 तक पूरा करने का लक्ष्य है जिसके पश्चात् हैदराबाद और बैंगलूरू के बीच सीधा ब॰ ला॰ सम्पर्क उपलब्ध हो जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटक स्थलों का विकास

2033. श्री आर॰ एल॰ पी॰ वर्मा : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार में कोडरमा, हजारीबाग तथा गिरिडीह का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो आगामी वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग परियोजनाओं के लिए, उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर, राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन विभाग ने 1991 के दौरान हजारीबाग में एक पर्यटक परिसर और 1993-94 के दौरान कोडरमा में तिल्लैया पर एक जलपान-गृह की स्वीकृति दी। बिहार सरकार ने गिरिडीह के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से, केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है।

विभिन्न एजेंसियों के दूरदर्शन के पास बकाया

2034. श्री सुखलाल कुशवाहा :

श्री के॰ सी॰ कोंडय्या :

श्री मंगत राम शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न एजेंसियों द्वारा दूरदर्शन को भारी धनराशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जनवरी, 1976 से मार्च, 1996 तक की अवधि के लिए विभिन्न एजेंसियों की ओर लगभग 36 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। दूरदर्शन के व्यापार/वाणिज्यिक कारोबार में कई गुना वृद्धि होने के कारण ये देयताएं बढ़ती गई हैं।

(ग) दूरदर्शन देयताओं की वसूली के लिए बैंक गारंटी को भुनाने, चूक कर्त्ता एजेंसियों के पंजीकरण को रद्द करने अप्रत्यापन, मध्यस्थता एवं कानूनी कार्रवाई सहित संविदात्मक प्रावधानों का सहारा ले रहा है।

लोनी टेलीफोन एक्सचेंज

2035. श्री सोहनवीर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपभोक्ता उत्तर प्रदेश को लोनी टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण से संतुष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1996 के दौरान टेलीफोन उपभोक्ताओं से प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(घ) टेलीफोन को ठीक करने/मरम्मत करने में कितना समय लिया जाता है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 3,427।

(घ) कुल प्राप्त 3,427 शिकायतों में से 453 मामलों में कोई भी दोष नहीं पाया गया था। 2,974 खराबियों में से, 2,379 खराबियों को (लगभग 80%) उसी दिन, 416 खराबियों को अगले दिन तथा शेष 179 खराबियों को 7 दिनों के अंदर ठीक कर दिया गया था।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

2036. श्री अजय मुखोपाध्याय :

डा॰ असीम बाला :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शांतिपुर-नवद्वीप घाट रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या इस रेल लाइन को बदलने का कार्य के लिए सर्वेक्षण कार्य तुरंत कराया जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) 1992 में किए गए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात

सर्वेक्षण से पता चला है कि यह लाइन अर्थक्षम नहीं होगी इसलिए परियोजना को शुरू करने पर विचार नहीं किया जा सका।

लौह अयस्क का प्रयोग

2037. श्री के॰ कंडासामी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंजामलाई लौह अयस्क को प्रयोग में लाते हुए सलेम में एक पूर्ण विकसित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

2038. डा॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेल में कैसेल रॉक तथा वास्कोडिगामा के बीच कितनी लंबी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन किए जाने का विचार है;

(ख) उपर्युक्त परिवर्तन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) उपर्युक्त आमान परिवर्तन कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 87 कि॰मी॰।

(ख) 1996-97 में 86 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ग) कार्य 31.3.97 तक पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

बाल श्रम

2039. श्री नामदेव दिवाथे :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

श्री भक्त चरण दास :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम संबंधी प्रतिबन्ध को लागू करने की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में हाल ही में राज्य मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर चर्चा की गई और उसमें लिए गए मुख्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य में प्रतिबन्ध को लागू करने के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के फायदे के लिए तैयार की गई कल्याण/पुनर्वास योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके अंतर्गत क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ग) कामकाजी बालकों को कार्य से हटाने और पुनर्वासित किए जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय के निवदेशों को क्रियान्वित करने के लिए ठोस कार्य-योजना को अंतिम रूप दिए जाने हेतु 22.1.97 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि प्रथम चरण में राज्य सरकारों द्वारा शहरी तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में सभी प्रतिष्ठानों और ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करवाया जाए। यदि ऐसे किसी कार्य में किसी बाल श्रमिक को नियोजित पाया जाएगा तो अपराधी नियोजक से 20,000/- रु॰ की धनराशि की वसूली करने के लिए साथ ही कार्रवाई की जाएगी। इस सर्वेक्षण को 10.6.97 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों के पुनर्वास के लिए बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का गठन किया गया है। लगभग 1.5 लाख बालकों के पुनर्वास के लिए अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाओं का गठन किया गया है। ये बाल श्रम परियोजनाएं आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प॰ बंगाल में स्थित हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन परियोजनाओं के अंतर्गत विशेष स्कूलों में लगभग 1.05 लाख बालकों को पहले ही दाखिल करवाया जा चुका है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों तथा विमानन सुविधाओं का आधुनिकीकरण

2040. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विमानपत्तनों तथा विमानन सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय सूची के अनुरूप किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चलाई गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1. मध्य प्रदेश

1. भोपाल : (क) टर्मिनल भवन का विस्तार/परिवर्धन; (ख) धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का पुन: सतहलेपन;

2. रायपुर : (क) टर्मिनल भवन का विस्तार/परिवर्धन; (ख) धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का सुदृढ़ीकरण;

3. इन्दौर : (क) टर्मिनल भवन का विस्तार/परिवर्धन; (ख) धावनपथ तथा एप्रन का सुदृढ़ीकरण/परिवर्धन; (ग) तकनीकी ब्लॉक व नियंत्रण टावर का निर्माण;

4. जबलपुर : (क) बी-737 प्रचालनों के लिए धावनपथ का सुदृढ़ीकरण और विस्तार;

2. उत्तर प्रदेश :

1. आगरा : (क) टर्मिनल भवन का विस्तार/परिवर्धन; (ख) एप्रन विस्तार;

2. लखनऊ : (क) टर्मिनल भवन का विस्तार/परिवर्धन; (ख) धावनपथ और टर्निंग पैड का पुन: सतहलेपन; (ग) चारदीवारी का निर्माण;

3. कानपुर : (क) चार-दीवारी का निर्माण।

(ख) और (ग) परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं।

अयोध्या और नई दिल्ली के बीच नई यात्री रेलगाड़ी शुरू करना

2041. श्री विनय कटियार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व को मद्दे नज़र रखते हुए सरकार का विचार कानपुर के मार्ग से अयोध्या और नई दिल्ली के बीच नई यात्री रेल गाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

पत्रकारों को रियायतें

2042. डा॰ जी॰ आर॰ सरोदे :

श्री एस॰ पी॰ जायसवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित कार्ड धारक पत्रकारों को रेल किराए में कोई रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के पत्रकार इस सुविधा से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जिलास्तरीय पत्रकार भी रेल किराए में इस रियायत का लाभ उठा सकते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यालयों के जाने माने प्रेस संवाददाताओं जो संबंधित राजधानी के 25 किलोमीटर के भीतर रहते हैं, को सदाशयी पेशेवर कार्य के लिए प्रति माह 2,500 कि॰मी॰ की यात्रा हेतु प्रथम श्रेणी में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय श्रेणी/शयनयान श्रेणी में 50 प्रतिशत की रियायत पर रेल यात्रा कूपन जारी किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) जिला स्तर के प्रेस संवाददाताओं को भी रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है।

आमान परिवर्तन

2043. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के रतलाम-अजमेर डिवीजन में नीमच और रतलाम के बीच आमान परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या इस कार्य के दौरान कई पुलों को चौड़ा किया गया है और अनेक स्थलों पर सड़कों को भी चौड़ा किया गया है;

(ग) क्या इस मार्ग पर आमान परिवर्तन का कार्य वर्ष 1995-96 के दौरान पूरा किया जाना था लेकिन धनराशि के अभाव में इस कार्य को पूरा करने में विलम्ब हो रहा है और इस क्षेत्र के नागरिकों, उद्योगपतियों और सरकारी प्रतिनिधियों ने सरकार से आवश्यक धनराशि मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो शेष कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कार्य को नौवीं योजना अवधि में पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

ई॰ एस॰ आई॰ अस्पताल

2044. श्री के॰ सी॰ कोडयूया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार ई॰ एस॰ आई॰ के कितने नए अस्पताल खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) निर्माणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 10,246.87 लाख रुपए।

विवरण

निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में अस्पतालों की सूची

क्रम संख्या	अस्पताल का नाम
आंध्र प्रदेश	
1.	50 बिस्तरों वाला क॰रा॰बी॰ अस्पताल, तिरूपति
2.	50 बिस्तरों वाला क॰रा॰बी॰ अस्पताल, निजामाबाद
चंडीगढ़	
1.	50 बिस्तरों वाला क॰रा॰बी॰ अस्पताल, चंडीगढ़
दिल्ली	
1.	262 बिस्तरों वाला क॰रा॰बी॰ अस्पताल, ओखला
2.	270 बिस्तरों वाला क॰रा॰बी॰ अस्पताल, रोहिणी
गुजरात	
1.	100 बिस्तरों वाला क॰रा॰बी॰ अस्पताल, वापी
2.	50 बिस्तरों वाला क॰रा॰बी॰ अस्पताल, जामनगर
हरियाणा	
1.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, भिवानी
कर्नाटक	
1.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, बेलगांव
2.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, शाहबाद
मध्य प्रदेश	
1.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, नागदा
महाराष्ट्र	
1.	100 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, कोल्हापुर
2.	100 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, चिंचवाड
3.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, बिवेवाडी
उड़ीसा	
1.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, भुवनेश्वर
2.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, राऊरकेला
पंजाब	
1.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, मंडी गोबिन्दगढ़
राजस्थान	
1.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, भीलवाड़ा
2.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, पाली
तमिलनाडु	
1.	50 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, तिरूचरापल्ली
पश्चिम बंगाल	
1.	100 बिस्तरों वाला ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, दुर्गापुर

[अनुवाद]

नई दिल्ली-इंदौर इंटर सिटी एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन

2045. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-इंदौर इंटर सिटी एक्सप्रेस गाड़ी के समय में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 4005/4006 इंदौर-निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2046. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर॰आई॰एन॰एल॰) के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है और निवेश के स्रोत क्या हैं;

(ग) इसकी क्षमता को किस सीमा तक बढ़ाए जाने का विचार है; और

(घ) इस परियोजना के चरण-I और चरण-II को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र) ने 984 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (आधार तिथि : 1994-95 की अंतिम तिमाही) से द्रव इस्पात उत्पादन को 30 लाख टन से बढ़ाकर 40.5 लाख टन करने का प्रस्ताव किया है। इस विस्तार को दो चरणों, यथा चरण-I 30 माह में और चरण-II 30 माह में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इस विस्तार की वित्तीय व्यवस्था विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र द्वारा अपने आंतरिक स्रोतों के साथ-साथ वाणिज्यिक ऋण से की जाएगी।

वायु सीमा में बार-बार घुसपैठ

2047. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सीमा में बार-बार घुसपैठ से यह जरूरी हो गया है कि भारत जमीन पर अपनी हवाई निगरानी राडार प्रणाली को सुदृढ़ बनाए;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दो-तीन महीनों के दौरान हवाई

सीमा में घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा सही समय पर कार्रवाई करने से बचा लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो ऐसी घुसपैठ कितनी बार हुई;

(घ) इसके मुख्य कारण क्या थे; और

(ङ) सरकार का भविष्य में घुसपैठ की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं। अन्य देशों के सिविल विमान द्वारा भारतीय एयरस्पेस के उल्लंघन से संबंधित किसी भी घटना की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

खान और खनिज अधिनियम, 1957 संबंधी समिति

2048. श्री नंद कुमार साय : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान और खनिज अधिनियम, 1957 में खामियों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति की अन्य सेवा शर्तें क्या हैं;

(ग) समिति का गठन कैसे हुआ; और

(घ) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किएं जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने सचिव (खान), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसके उपाध्यक्ष खान मंत्रालय के अपर सचिव हैं। उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश के खनन सचिव, भारतीय खनिज उद्योग संघ के महासचिव और भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक इसके सदस्य और खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव हैं। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन और विकास को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उन्हें नीति में किए गए परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना और पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण में होने वाली देरी को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना शामिल है। समिति को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण करने तथा अवैध खनन को रोकने के उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को और शक्तियां प्रदान करने पर भी विचार करना और सुझाव देना है। आशा है कि समिति यथा शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

होटलों और पर्यटन उन्मुखी परियोजनाओं का विकास

2049. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि भारत पर्यटन विकास निगम का विचार कर्नाटक में होटलों और अन्य पर्यटन उन्मुखी परियोजनाओं का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय पर्यटन विकास निगम ने कर्नाटक सरकार से सम्पर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां भारत पर्यटन विकास निगम का विचार पर्यटन उन्मुखी परियोजनाओं का विकास करने का है; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बंगलौर और मैसूर में कितने नए होटल खोलने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम अपनी संयुक्त उद्यम स्कीम के अनुसरण में, कर्नाटक सहित देश में कुछ पर्यटन परियोजनाओं को व्यापारिक व्यवहार्यता की शर्त पर, संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से आरम्भ करना चाहता है। इस संबंध में, भारत पर्यटन विकास निगम ने कर्नाटक राज्य सरकार से भी सम्पर्क किया था परन्तु उन्होंने संयुक्त उद्यम स्कीम के बारे में अपनी असमर्थता जाहिर की है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम की वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना में बंगलौर तथा मैसूर सहित राज्य में कोई नई होटल परियोजना लगाने के लिए कोई विशिष्ट योजना स्कीम/प्रावधान शामिल नहीं है।

पर्यटन क्षमता

2050. श्री पी. कोदंडरमैया : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाह्य पर्यटन क्षमता की तुलना में आंतरिक पर्यटन क्षमता को नजरअंदाज किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो बाह्य पर्यटन से कितना राजस्व अर्जित किया गया और इसकी तुलना आंतरिक पर्यटन से अर्जित राजस्व से कैसे की जाती है;

(ग) ऐतिहासिक और पर्यटन महत्त्व के प्रत्येक स्थान का गत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशियों ने और कितने भारतीयों ने दौरा किया;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक स्थानों के संवर्धन तथा पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार चित्रदुर्ग किले के संरक्षण और पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) इस वास्तविकता से कि स्वदेशी पर्यटन भारतीय पर्यटन के लिए एक प्रमुख आधार है, जिसे सरकार अच्छी तरह पहचानती

है, हालांकि इससे देश को कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं प्राप्त होता। तथापि, धन का वितरण करके इसके माध्यम से दूरवर्ती क्षेत्रों का विकास करने में सहायता मिलती है। गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से हुई अनुमानित विदेशी मुद्रा आय नीचे दी गई है :–

वर्ष	विदेशी मुद्रा (रू० करोड़ों में)
1994	7103.53
1995	8640.02
1996	10061.36

ऐतिहासिक और पर्यटक महत्त्व के स्थलों के संबंध में विश्वसनीय पर्यटक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ष) से (च) ऐतिहासिक स्थलों का संवर्धन करना और पर्यटकों को सुख-सुविधाएं मुहैया कराना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को चित्रदुर्ग के संरक्षण के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रेल यात्री सेवा एजेंटों को लाइसेंस

2051. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1997 के "दि डेकन क्रोनिकल" (हैदराबाद संस्करण) में "रेलवे लाइसेंसिज एलॉटिड आउट ऑफ टर्न" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) "रेल यात्री सेवा एजेंट नियम, 1985" के अनुसार, रेल यात्री सेवा एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस विभिन्न आवेदनकर्ताओं से प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं जो निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. आयकर अनापत्ति का नवीनतम प्रमाण होना चाहिए।

2. शहर में पर्याप्त सुविधाजनक तथा सुविधाओं सहित भली-भांति अनुरक्षित कार्यालय और परिसर होना चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या में ग्राहकों को सम्हाला जा सके।

3. नैतिक चरित्रहीनता के किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त न हो।

दक्षिण मध्य रेल ने रेल यात्री सेवा एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए उपरोक्त नियमों के अनुसार रेल मंत्रालय के माध्यम से, उनसे प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर केवल कुछ आवेदनकर्ताओं को ही लाइसेंस दिए हैं। जनवरी, 1996 के दौरान दक्षिण मध्य रेल ने प्रेस अधिसूचना के माध्यम से 39 अतिरिक्त रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। इस प्रयोजन के लिए मंडल स्तर पर कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों की जांच और संवीक्षा करने के लिए वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई थी। सिकंदराबाद, विजयवाडा, गुंतकल तथा हुबली मंडल में 31 अतिरिक्त रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति करने के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है और चुनिंदा एजेंटों के नाम 28.02.97 को संबंधित मंडलों को सूचित कर दिए गए हैं। हैदराबाद मंडल में रेल यात्री सेवा एजेंटों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ग) दक्षिण मध्य रेल द्वारा रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति के लिए चयन मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की जा रही है।

(घ) और (ङ) तथ्यपरक स्थिति होने के कारण इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

डाक वितरण प्रणाली

2052. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की समीक्षा कब की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक वितरण की पुनरीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। देश में डाक वितरण प्रणाली की आमतौर पर तथा ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से क्षेत्रीय तथा मुख्यालय स्तर पर निरंतर मॉनीटरिंग तथा आवधिक पुनरीक्षा की जाती है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में डाक वितरण प्रणाली सामान्यतया संतोषजनक है परन्तु परिवहन संबंधी अपरिहार्य समस्याओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण डाक के वितरण में यदा-कदा विलंब हो जाता है जो विभाग के नियंत्रण से बाहर है।

(ग) विभिन्न स्तरों पर सर्वेक्षण के माध्यम से डाक में विलंब होने के कारणों, यदि कोई है, का पता लगाया जाता है तथा जहां आवश्यक होता है, डाक की रूटिंग व वितरण प्रणाली को कारगर बनाया जाता है।

सम्भल रेलवे स्टेशन पर दुकानें

2053. श्री डी. पी. यादव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सम्भल रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर स्थित दुकानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनकी संख्या यात्रियों की मांग के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नई दुकानें आबंटित करने हेतु विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सम्बल रेलवे स्टेशन पर एक टी स्टाल है जिसे यात्रियों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हरियाणा में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का विकास

2054. चौधरी रामचन्द्र बेंदा : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास हेतु संघ सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु संघ सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) उक्त स्थानों के विकास हेतु राज्य सरकार ने क्या प्रगति की है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग ने वर्ष 1995-96 के दौरान सूरजकुंड स्मारक तथा कुरुक्षेत्र उत्सव के प्रदीप्तिकरण हेतु हरियाणा सरकार को 9.36 लाख रु० स्वीकृत किए हैं।

वर्ष 1996-97 के दौरान, 43.81 लाख रु० की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी एफ ए) हेतु बल्लबगढ़ जिले के सौंदर्यकरण करने को अभिनिर्धारित किया है।

वाराणसी में निजी एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ

2055. श्री एस० पी० जायसवाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी में कितने निजी एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ बूथ हैं;

(ख) नवम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार इन बूथों के आबंटन हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं; और

(ग) कब तक उपरोक्त बूथों का इनको आबंटन कर दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 30.11.96 की स्थिति के अनुसार, वाराणसी में प्रदान किए गए निजी एस टी डी, आई एस डी, पी सी ओ बूथों की संख्या 608 थी।

(ख) 30.11.96 की स्थिति अनुसार, प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 863 थी।

(ग) दिसम्बर, 97 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को निपटा (क्लीयर) दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा

2056. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 75 प्रतिशत केन्द्रीय राजसहायता से सिक्किम हेतु हेलीकाप्टर सेवा को स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं जैसा कि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में किया गया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने सिक्किम में हवाई पट्टी के निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि स्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि अलग से रखी गई है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए राजसहायता सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए मंजूर की गई है और जहां सड़क-सम्पर्क बहुत ही कम हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खजुराहो के मंदिरों में दरार

2057. कुमारी उमा भारती : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खजुराहो के निकट स्थित विमानपत्तन से हवाई सेवाओं के प्रचालन के कारण खजुराहो के मंदिरों में पड़ी दरारें चौड़ी हो गई हैं जिससे इन मंदिरों के अस्तित्व को ही खतरा हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने खजुराहो के मंदिरों में चौड़ी होती जा रही इन दरारों की मरम्मत के लिए तथा इस को सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में और अधिक दरारें न होने पाएं, कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

ने विमान सेवाओं के प्रचालन के कारण खजुराहो मंदिरों में दरारें पड़ने की सूचना नहीं दी है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया है कि इन मंदिरों के ऊपर से विमान निकलने पर कम्पन पैदा होते हैं जो कि खतरनाक हो सकते हैं तथा इन मंदिरों के ऊपर उड़ान न भरने का अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) मंदिरों को कोई भी क्षति होने से बचाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विनियम उड़ान कर्मीदल द्वारा अपनाए जाने हेतु प्रविधि निर्धारित करते हैं।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार बाजार

2058. श्री प्रमोद महाजन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग का विचार लंबी दूरी के तथा अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार बाजार को चरणबद्ध रूप से बहुपक्षीय व्यापार संगठनों के लिए खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) घरेलू दूरसंचार फर्मों में विदेशी इक्विटी को अनुमति देने के संबंध में वर्तमान निवेश नीति का क्या ब्यौरा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन की नीति के अंतर्गत बाजार उपलब्ध कराने के लिए की गई अपनी पेशकश में संशोधन करने का है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) को प्रस्तुत बुनियादी दूरसंचार सेवाओं पर अपने योजना कार्यक्रम में कहा है कि प्रतिस्पर्धा करने के लिए सेवा क्षेत्र के बाहर लंबी दूरी को राष्ट्रीय सेवा शुरू करने संबंधी विषय की समीक्षा वर्ष 1999 में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने संबंधी विषय की समीक्षा वर्ष 2004 में की जाएगी।

(ग) भारत के योजना कार्यक्रम में विश्व व्यापार संगठन में वचनबद्ध सेवाओं के लिए 25% तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है। तथापि, वास्तव में बुनियादी और सेल्यूलर टेलीफोन सेवाओं में 49% विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जा रही है।

(घ) भारत के योजना कार्यक्रम में वचनबद्ध सेवाओं के लिए विदेशी इक्टिवटी बढ़ाने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत नया रंगिया मंडल

2059. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसकी आधारशिला फरवरी, 96 में रखी गई थी, के अंतर्गत नया रंगिया मण्डल के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने संबंधी आवश्यक आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) रंगिया मंडल के विस्तृत क्षेत्राधिकार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विद्युतीकरण कार्यक्रम

2060. श्री मंगत राम शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी रेल लाइनों का 2000 ई॰ तक विद्युतीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने कि॰मी॰ रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है तथा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। विद्युतीकरण परियोजनाएं अधिक पूंजी वाली होती हैं और इसकी केवल उन्हीं बड़ी लाइन मार्गों के विद्युतीकरण पर विचार किया जाता है। जहां पर यातायात घनत्व अधिक होता है और जहां निवेश पर प्रतिफल निर्धारित न्यूनतम से कम नहीं होता है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान निम्नलिखित खंडों को विद्युतीकृत किया गया है/विद्युतीकृत किए जाने की आशा है।

	खण्ड	मार्ग कि॰मी॰	राज्य
1.	टोरी-पतरात्-चैनपुर	101	बिहार
2.	मण्डी गोबिन्दगढ़-लुधियाना	46	पंजाब
3.	वालायर-शोरुनूर	72	केरल
4.	भीमाडोलू-निदादावोलू-राजमुंद्री सामलकोट-अनाकापल्ली	179	आंध्र प्रदेश
5.	कारकेंड-जामादोबा	8	बिहार
6.	बोंडामुंडा-बरसुआन/कीरीबुरू	105	बिहार/उड़ीसा
7.	जामतारा-झाझा-दादपुर	123	बिहार

अगले वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान निम्नलिखित खंड का लक्ष्य बनाया गया है :—

	खंड	मार्ग कि॰ मी॰	राज्य
1.	चैनपुर-गुमिया	31	बिहार
2.	अम्बाला-सहारनपुर	89	हरियाणा, उत्तरप्रदेश
3.	बोंडामुंडा-लोहमा	136	बिहार/उड़ीसा
4.	शोनानूर-मुलागुनु-आथकावू	20	केरल
5.	झाझा-मोकामा	105	बिहार
6.	चांदिल-मुरी-बरकाकाना	119	बिहार/पश्चिम बंगाल

(ग) चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के दौरान कुल खर्च 650 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

दूरसंचार क्षेत्र को खोलने के बारे में अमरीका का दबाव

2061. श्री संतोष मोहन देव :

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अक्तूबर, 1996 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ओपन 301 यू एस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को खोलने के लिए अमरीका द्वारा भारत पर दबाव डालने के बारे में रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मामले को अमरीका सरकार के साथ उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने, राष्ट्रीय नीतिगत लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी दूरसंचार सेवाओं संबंधी अपनी पेशकश विश्व व्यापार संगठन को भेज दी है। चर्चा के दौरान 15 अक्तूबर, 1996 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "ओपन अप टेलीकॉम सैक्टर ऑर फेस स्पेशल 301 : यू एस" शीर्ष समाचार का कोई उल्लेख नहीं हुआ था।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कराधान नीति

2062. श्री नीतीश कुमार :

श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग वर्तमान कराधान नीति और तत्संबंधी दरों के कारण देश में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान कराधान नीति में व्यापक सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) सरकार की 1991 से आर्थिक उदारीकरण नीति के बाद इस्पात क्षेत्र में काफी विकास हुआ है।

(ग) से (ङ) परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश में सरकार पनपते हुए उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर कराधान और राजकोषीय नीति में समुचित परिवर्तन करती है। ये परिवर्तन बजट में प्रतिबिम्बित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

उद्योगों के बेरोजगार व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करना

2063. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राजधानी दिल्ली में बन्द किए गए अथवा बन्द किए जाने वाले उन उद्योगों के बेरोजगार व्यक्तियों को क्या सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इन उद्योगों के कार्यरत और बेरोजगार व्यक्तियों को सेवा संबंधी लाभ आदि मुहैया कराने के बारे में इन उद्योगों के प्रबन्धकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) क्या सरकार को इन प्रभावित व्यक्तियों को सेवा संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए मनाही करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न श्रम संगठनों से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 4677/1985 में अंतवर्ती आवेदन संख्या 22 में दिनांक 8.7.96 को आदेश दिया कि जोखिमकारी के रूप में सूचीबद्ध 168 उद्योगों को बन्द कर दिया जाए। दिल्ली से बाहर पुनर्स्थापित किया जाए। तत्पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31.1.97 से अन्य इकाइयों तथा 28.2.97 से 43 इकाइयों को भी बन्द किए जाने का निर्देश दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इन उद्योगों में नियोजित कर्मकार निम्नलिखित अधिकारों और लाभों के लिए पात्र होंगे :—

(एक) जिस नए कस्बे और स्थान पर उद्योग को पुनः स्थापित किया जाएगा वहां कर्मकारों को सतत् रोजगार प्रदान किया जाएगा। उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनके रोजगार की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(दो) दिल्ली में उद्योग को बन्द किए जाने और पुनर्स्थापन स्थल पर इसके पुनः कार्य प्रारम्भ करने के बीच की अवधि को सक्रिय रोजगार के रूप में माना जाएगा और कर्मकारों को सतत् सेवा के साथ उनकी पूरी मजदूरी अदा की जाएगी।

(तीन) वे सभी कर्मकार जो उद्योग के साथ जाने पर सहमत हैं उन्हें नए स्थान पर स्वयं की व्यवस्था करने में सहायता करने के लिए "स्थान परिवर्तन बोनस" के रूप में एक वर्ष की मजदूरी अदा की जाएगी।

(चार) किसी कर्मकार को संदेय उपादन राशि अलग से अदा की जाएगी।

(पांच) ऐसे कर्मकार जो ऐसे उद्योगों में नियोजित हैं जो पुनः अवस्थापना नहीं कर पाते और ऐसे कर्मकार को पुनर्अवस्थापित उद्योगों के साथ-साथ शिफट करने के इच्छुक नहीं हैं, उद्योगों को बन्द किए जाने की निर्धारित तिथि से छंटनी किए गए माने जाएंगे, बशर्ते कि उन्होंने उक्त तिथि से पहले संबंधित उद्योग में कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 च (ख) के अधीन देय मुआवजे की राशि के अतिरिक्त, कर्मकारों को अतिरिक्त, मुआवजे के रूप में एक वर्ष की मजदूरी भी अदा की जाएगी।

तत्पश्चात्, पुनर्अवस्थापना के लिए कोई रुझान न दर्शाने वाले उद्योगों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसरण में और इस आशंका की दृष्टि से कि उद्योग अपनी भूमि के हिस्से को बेचने और इस प्रकार से प्राप्त धन को पुनःअवस्थापन से इतर अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के पक्ष में अधिक हैं। 28 नवम्बर, 1996 को संसद के दोनों सदनों में केन्द्रीय श्रम मंत्री की ओर से एक स्वतः प्रेरित वक्तव्य रखा गया था। जिसमें इस विषय पर केन्द्रीय सरकार की गहरी चिन्ता व्यक्त की गई थी। दिशा-निर्देशों के लिए भारत संघ की ओर से एक आवेदन भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4.12.96 को एक अन्य आदेश पारित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मकारों को निम्नलिखित अतिरिक्त राहत प्रदान की गई है :—

(1) ऐसे उद्योग जो पुनर्अवस्थापना नहीं कर पाते और बन्द करने का विकल्प करते हैं, कर्मकारों को "अतिरिक्त मुआवजे के रूप में" एक वर्ष के स्थान पर 6 वर्षों की मजदूरी अदा करेंगे। तथापि, ऐसे कर्मकार जो उद्योगों के साथ-साथ पुर्नस्थापना से इंकार करते हैं, "अतिरिक्त मुआवजे" के रूप में केवल एक वर्ष की मजदूरी के पात्र होंगे।

(2) नियोजक द्वारा दिए गए रिहायशी मकानों में रहने वाले कामगार, पुनः स्थापित स्थल पर नियोजक द्वारा वैकल्पिक आवास प्रदान करने तक, उन मकानों में रहते रहेंगे। इकाई के बंद हो जाने के मामले में, कर्मकार, नियोजक द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान रिहायशी स्थल में 1½ वर्ष तक रह सकते हैं। यदि नियोजक उनको मकान में रहने के एवज में मुआवजा देना चाहता है तो वह मकान को तुरंत खाली करने के लिए प्रत्येक कामगार को 20,000/- रु० की राशि का भुगतान करेगा। प्रबंधन, इस राशि को किस्तों में अदा करने के लिए मुक्त होगा परन्तु अन्य मुआवजे के साथ-साथ कुल राशि का भुगतान 30 अप्रैल, 1997 से पहले कर दिया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4-12-96 के संशोधित निर्देश में निर्धारित तारीख अभी समाप्त नहीं हुई है अतः सेवा लाभों का भुगतान न करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को हानि

2064. लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश माणि त्रिपाठी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-नवम्बर, 1996 के दौरान हिन्दुस्तान कापर लि० को कितने रुपयों की हानि हुई है;

(ख) हानि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संगठन ने हानि को पूरा करने के लिए सरकार से अल्पकालिक ऋण मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धनराशि जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान कापर लि० ने कापर पर सीमाशुल्क बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान कापर लि० को कापर के एलएमई मूल्य में भारी गिरावट, तांबे पर सीमा शुल्क में कमी तथा पिछले केन्द्रीय बजट में पेट्रोलियम की कीमत तथा रेल भाड़े में हुई वृद्धि के कारण, अप्रैल-नवम्बर, 1996 के दौरान 99.32 करोड़ रु० की विशुद्ध हानि हुई।

(ग) से (च) हिन्दुस्तान कापर लि० को हुए नुकसान को देखते हुए, कंपनी ने ताम्र कैथोड पर सीमाशुल्क में वृद्धि करने का अनुरोध किया था और मजदूरी तथा वेतन का भुगतान करने तथा योजना खर्च को पूरा करने के लिए बजट संबंधी सहायता देने के लिए भी कहा था। खान मंत्रालय ने इस मामले को वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ उठाया था और योजना खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 1997-98 के बजट प्राक्कलन में 13 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

कर्नाटक के वर्तमान विमानपत्तनों का विस्तार

2065. श्री अनंत कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के वर्तमान विमानपत्तनों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन विमानपत्तनों का कब तक विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कर्नाटक के सभी विमानपत्तनों की वर्तमान लंबाई कितनी है;

(ङ) कर्नाटक के कौन-कौन से विमानपत्तन आधुनिक उपकरणों से सज्जित हैं; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) बंगलौर हवाई अड्डे पर 13.70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण अप्रैल, 1998 में पूरा होने की संभावना है। मंगलौर हवाई अड्डे पर ए॰ बी॰ 300 श्रेणी के विमान के प्रचालन हेतु नौवीं योजना अवधि के दौरान संबंद्ध सुविधाओं से युक्त 8,000 फुट × 150 फुट लंबाई-चौड़ाई वाले एक नए धावनपथ के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 50 सीटों वाले विमान के प्रचालन के लिए हसन हवाई अड्डे का विकास योजना का एक भाग है इसके अलावा निधियों की उपलब्धता के आधार पर हुबली तथा बेलगॉम हवाई अड्डे का स्तरोन्नयन का कार्य नौवीं योजना में शुरू किया जाएगा।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्नाटक में हवाई अड्डों के धावनपथ की लंबाई निम्न प्रकार है : (1) बंगलौर (हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि॰): 10,850 फुट (2) बेलगाम: 5,785 फुट (3) हुबली : 4,535 फुट (4) बंगलौर : 5,800 फुट (5) मैसूर 4,400 फुट (साफ मौसम के लिए पट्टी) और (6) हसन : 3,950 फुट (कच्छ पट्टी)।

(ङ) और (च) बंगलौर और मंगलौर दिक्चालनात्मक साधनों जैसे अति आवृत्ति सर्व परास, दूरी मापक उपस्कर, उपस्कर अवतरण प्रणाली तथा रात्रि अवतरण सुविधाओं जैसे उच्च प्रबलता धावनपथ प्रकाश, प्रसिजन एप्रोच पाथ इंडिकेटर, एप्रन फ्लड लाइट और आबस्ट्रक्शन लाइट से सज्जित है। हुबली में आदिशिक बीकन है तथा बेलगाम में अदिशिक बीकन, डाप्लर वीओआर, दूरी मापक उपस्कर, प्रसिजन एप्रोच पथ इंडिकेटर तथा अति उच्च आवृत्ति संचार उपकरण है।

[हिन्दी]

फॉल्ट कंट्रोल

2066. डा॰ बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के विभिन्न महाप्रबंधकों के अधीन फॉल्ट कंट्रोल संबंधी कार्य के लिए कितने कम्प्यूटर खरीदे गए हैं;

(ख) "डिविजनल इंजीनियरर्स" और डिप्टी डिविजनल इंजीनियर्स के अधीन किन-किन स्थानों पर कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ स्थानों पर फॉल्ट कंट्रोल के लिए कम्प्यूटर और फर्नीचर नहीं पहुंचे हैं;

(घ) क्या कुछ स्थानों पर फॉल्ट कंट्रोल कक्ष के लिए फर्नीचर तो पहुंचाए गए हैं परन्तु कम्प्यूटर अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस पूरे मामले की जांच कराने का है;

(छ) यदि हां, तो कब तक; और

(ज) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 16 ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार प्रत्येक स्थान पर डिविजनल इंजीनियर्स के अधीन फॉल्ट रिपेयर सेवाएं कार्य कर रही हैं।

(ग) सभी 16 स्थानों पर कम्प्यूटरों और फर्नीचर की आवश्यकता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) से (ज) उपरोक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

	दोष मरम्मत सेवा केन्द्र
1.	चाणक्यपुरी
2.	करोलबाग
3.	जोर बाग
4.	हौज खास
5.	ईदगाह
6.	तीस हजारी
7.	शक्ति नगर
8.	जनकपुरी
9.	भीकाजी कामा प्लेस
10.	ओखला
11.	दिल्ली गेट
12.	किदवई भवन
13.	शाहदरा
14.	लक्ष्मी नगर
15.	नेहरू प्लेस और
16.	राजौरी गार्डन

प्रशिक्षण अवधि के लिए प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षुओं को वृत्तिका

2067. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार के श्रम और रोजगार विभाग ने गुजरात में एन॰ आर॰ फंड्स के लाभार्थियों के प्रशिक्षण की अवधि और वृत्तिक बढ़ाने के बारे में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और कितने प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा कितने प्रस्ताव विचाराधीन अथवा लम्बित हैं;

(घ) इन पर निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सलाहार्थ, पुनः प्रशिक्षणार्थ, तथा रोजगार सहायता केंद्रों द्वारा युक्तियुक्त कामगारों के पुनः नियोजनार्थ मार्च, 1994 में जारी किए गए व्यय के वर्तमान मानक विवरण के रूप में संलग्न हैं। लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण अवधि तथा वृत्तिका में वृद्धि का गुजरात राज्य सरकार का प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है।

विवरण

भारत सरकार

औद्योगिक विकास विभाग

(औद्योगिक नवीकरण अनुभाग)

संख्या—12 (1)/96-औ॰ न॰ अ॰ दिनांक 4 मार्च, 1996

सेवा में,

नोडल संस्थाएं

(सूची के अनुसार)

विषय :— रोजगार सहायता केन्द्रों द्वारा युक्तियुक्त कामगारों के पुनःनियोजन सलाह एवं पुनः प्रशिक्षण हेतु व्यय के मानक।

महोदय,

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत कामगारों के चल रहे पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि व्यय के निम्नलिखित मानकों का अनुमोदन किया गया है :—

मद		**व्यय प्रति कामगार (रु॰)**
(i)	अनावर्ती व्यय (अवसंरचनात्मक, कार्यालय उपकरण इत्यादि)	300.00
(ii)	प्रारंभिक (जागरूकता-सह-अभिमुखीकरण, विज्ञापन इत्यादि)	900.00
(iii)	प्रशिक्षण व्यय (प्रशिक्षण संस्थानों को किया जाने वाला भुगतान)	3,000.00
(iv)	वृत्तिका एक माह में 25 दिनों के लिए 40/- प्रति दिन की दर से)	2,000.00
(v)	कार्यालय व्यय (वेतन, डाक व्यय, पत्रिकाएं इत्यादि)	800.00
(vi)	अनुवर्त्ती सेवाएं (टूलकिट, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, बैंक ऋणों हेतु आवेदन इत्यादि)	2,000.00

उपर्युक्त मानक वर्ष 1995-96 तथा उसके बाद के वर्षों में किए गए व्यय हेतु लागू होंगे।

सभी नोडल संस्थाओं से अनुरोध है कि उपर्युक्त मानकों का अनुपालन करें तथा वापसी फैक्स द्वारा निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :—

(i) अब तक किए गए व्यय का ब्यौरा तथा प्राप्त लक्ष्य

(ii) वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा एवं उसके लिए निधियों की आवश्यकता।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय

ह॰/-

(एस के लोहानी)

अवर सचिव, भारत सरकार

फैक्स सं॰-3011770 तथा 3012696

आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ की बकाया देनदारी

2068. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ की बकाया राशि कितनी है जिसकी वसूली की जानी है; और

(ख) इन बकाया राशियों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) दिनांक 31 जनवरी, 1997 को कुल 63.57 करोड़ रुपयों की अनन्तिम राशि बकाया थी।

(ख) बकाया राशि की वसूली करना एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसमें एकक और निगम दोनों स्तरों पर सम्पर्क, आवधिक समीक्षा और जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई सम्मिलित है।

दस्तावेजों पर रायल्टी

[अनुवाद]

2069. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत के पूर्व प्रधान मंत्रियों के आधिकारिक भाषणों तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों की सामग्री वाली किताबें हैं;

(ख) यदि हां, प्रकाशित की गई ऐसी किताबों की संख्या क्या है तथा ऐसी किताबों के अंकों, कीमत आदि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन किताबों पर किसी व्यक्ति या ट्रस्ट या अन्य एजेंसियों की कोई रायल्टी दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे व्यक्तियों या ट्रस्ट या एजेंसियों को अब तक कुल कितनी रायल्टी दी गई है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशन विभाग ने अभी तक 30 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र॰ सं॰	शीर्षक	भाषा	संस्करण	मूल्य (रु॰ में) (लोकप्रिय संस्करण)	(डिलक्स)
1	2	3	4	5	6
1.	जवाहर लाल नेहरूज स्पीचेज (खण्ड-1)	अंग्रेजी	1949	7.50	
		"	1958	6.50	9.50
		"	1963	12.50	
		"	1967	12.50	
		"	1983	50.00	60.00
		"	1992	90.00	
		"	1996		225.00
2.	जवाहर लाल नेहरूज स्पीचेज (खण्ड-2)	"	1954	5.50	
		"	1957	5.50	
		"	1963		12.50
		"	1967		12.50
		"	1983	70.00	80.00
		"	1996		300.00
3.	जवाहर लाल नेहरूज स्पीचेज खण्ड-3	"	1958	6.50	
		"	1970	11.50	14.50
		"	1983	60.00	70.00
		"	1996		270.00
4.	जवाहर लाल नेहरूज स्पीचेज (खण्ड-4)	"	1964	9.50	12.50
		"	1983	55.00	65.00
		"	1996		255.00
5.	जवाहर लाल नेहरूज स्पीचेज (खण्ड-5)	"	1968		10.00
		"	1983	30.00	40.00
		"	1996		150.00
6.	जवाहर लाल नेहरूज स्पीचेज (खण्ड-1)	हिंदी	1977	12.00	16.00
	(खण्ड-2)	हिंदी	1995	90.00	
		हिंदी	1995	75.00	
7.	इंडियाज फोरेन पोलिसी (सेलेक्टेड स्पीचेज आफ	अंग्रेजी	1971	14.00	
	जवाहर लाल नेहरू)		1984	70.00	85.00

1	2	3	4	5	6	
8.	सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ इंदिरा	अंग्रेजी	1971	12.00		
	गांधी (ईयर्स ऑफ चैलेन्जेज)	"	1973	15.50		
	(खण्ड-1)	"	1985	66.00		
9.	सेलेक्टेड स्पीचेज इंदिरा गांधी	"	1975	30.00		
	(ईयर्स आफ इन्डववर) (खण्ड-2)		1983	80.00	90.00	
			1995		260.00	
10.	इंदिरा गांधी-सेलेक्टैड स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स (खण्ड-3)	"	1984	115.00		
11.	—तथैव— (खण्ड-4)	"	1985	80.00		
12.	—तथैव— (खण्ड-5)	"	1987	75.00		
13.	सेलेक्टेड स्पीचेज आफ इंदिरा गांधी (खण्ड-1)	हिंदी	1976	15.00	18.00	
14.	—तथैव— (खण्ड-2)	"	1986	60.00	65.00	
15.	—तथैव— (खण्ड-3)	"	1990	155.00		
16.	—तथैव— (खण्ड-4)	"	1996	515.00		
17.	सेलेक्टेड स्पीचेज आफ लाल बहादुर शास्त्री	अंग्रेजी	1965	4.50		
		"	1975	13.00	16.00	
18.	सेलेक्टेड स्पीचेज आफ मोरारजी देसाई	अंग्रेजी	1986	40.00	45.00	
19.	सेलेक्टेड स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ चरण सिंह	अंग्रेजी	1992	55.00		
20.	सेलेक्टेड स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ वी॰ पी॰ सिंह	"	1993		150.00	
21.	सेलेक्टेड स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ चन्द्रशेखर	"	1993		110.00	
22.	सैलेक्टेड स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ पी॰ बी॰ नरसिम्हाराव (खण्ड-1)	अंग्रेजी	1993		300.00	
23.	—तथैव— (खण्ड-2)	अंग्रेजी	1994		300.00	
24.	—तथैव— (खण्ड-3)	अंग्रेजी	1995		550.00	
25.	—तथैव— (खण्ड-4)	अंग्रेजी	1995		550.00	
26.	सेलेक्टेड स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ राजीव गांधी (खण्ड-1)	अंग्रेजी	1987	80.00	90.00	(सुपर डी॰)
			1991		670.00	
27.	—तथैव— (खण्ड-2)	"	1989	80.00	90.00	"
			1992		650.00	"
28.	—तथैव—(खण्ड-3)	"	1989	110.00	120.00	"
			1992		760.00	"
29.	—तथैव—(खण्ड-4)	"	1989	130.00	140.00	"
			1992		610.00	"
30.	—तथैव—(खण्ड-5)		1991		155.00	"
			1992		610.00	"

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीय निगम बनाना

2070. **श्री पृथ्वी राज दा. चव्हाण :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीय निगम बनाने संबंधी प्रस्ताव को ताक पर रख दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से अलग कर कार्यात्मक सवायतत्ता देने के बारे में एक विशेष "पैकेज" तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन को घाटा

2071. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल :

श्री राम नाईक

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को चित्रहार और "वर्ल्ड दिस वीक" तथा "चन्द्रकांता" धारावाहिकों के लिए विशेष रियायतें देने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) दूरदर्शन पर विभिन्न रूपों में कार्यक्रमों को प्रसारित करने संबंधी मौजूदा मार्गनिर्देशों में परिवर्तन/संशोधन बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर किया जाता है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्रों का उन्नयन/विस्तार

2072. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री संदीपन थोरात :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कुछ दूरदर्शन केन्द्रों के उन्नयन/विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या अनेक परियोजनायें लक्ष्य से पीछे चल रही हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कब तक इन्हें पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (छ) : दूरदर्शन केन्द्रों के उन्नयन/विस्तार हेतु कुछ राज्य सरकारों सहित, विभिन्न मंचों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। मुम्बई, नागपुर, दिल्ली, रांची और राजकोट में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों के विस्तार संबंधी स्कीमें वर्तमान में 8वीं योजना के एक भाग के रूप में कार्यान्वयनाधीन हैं। इन सभी परियोजनाओं का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है और कुछ उपकरण पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं। हालांकि सिविल निर्माण कार्यों को पूरा करने में हुए विलम्ब तथा अपेक्षित संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध न होने तथा धनराशि की कमी के कारण इन परियोजनाओं को पूरा करने में कुछ विलम्ब हुआ है तथापि, इन परियोजनाओं को 1998-99 तक चरणबद्ध रूप से पूरा किए जाने की आशा है।

मुरादाबाद से होकर दिल्ली-पटना राजधानी एक्सप्रेस का चलना

2073. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-पटना राजधानी रेलगाड़ी के वरास्ता मुरादाबाद और बरेली चलने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ.

(ख) नई दिल्ली-पटना राजधानी एक्सप्रेस को बरास्ता मुरादाबाद-बरेली चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

2074. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण तथा विमानन सुविधाओं के लिए आरंभ की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में प्रगति निर्धारित कार्यक्रमानुसार हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्थान/योजना	1996-97 अनुमानित लागत	बजट प्राक्कलन (लाख रु. में)
1	2	3
1. अहमदाबाद		
11,500 फुट तक धावनपथ का विस्तार	800.00	100.00
विभिन्न वैमानिकी संचार उपस्कर	2972.00	362.00
2. बड़ोदरा		
नए टर्मिनल भवन का निर्माण	1488.00	350.00
नए एप्रन तथा अतिरिक्त टैक्सी ट्रैक का विस्तार	245.75	96.00
तकनीकी ब्लाक तथा नियंत्रण टावर का निर्माण	37.06	63.00
चारदीवारी	177.00	
विभिन्न वैमानिकी संचार उपस्कर	295.00	210.00
3. भावनगर		
धावनपथ का विस्तार	300.00	100.00
विभिन्न वैमानिकी संचार उपस्कार	120.00.	
4. भुज		
यात्री विमान टर्मिनल काम्पलैक्स का विकास	500.00	100.00
विभिन्न वैमानिकी संचार उपस्कर	210.00	210.00
5. पोरबंदर		
नए टर्मिनल भवन और एप्रन टैक्सी ट्रैक का निर्माण	300.00	200.00
आवासी क्वाटरों का निर्माण	50.00	50.00
6. राजकोट		
प्रचालनात्मक दीवार का निर्माण	60.00	50.00
धावनपथ पहुंच सड़क तथा कार पार्क की रिसर्फेसिंग	150.00	200.00
विभिन्न वैमानिकी संचार उपस्कर	405.00	
7. जामनगर		
विभिन्न वैमानिकी संचार उपस्कर	210.00	210.00
	8367.81	2306.00

रांची तथा नई दिल्ली के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाना

2075. श्री ब्रजमोहन राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसमें रांची से नई दिल्ली के बीच बरास्ता डाल्टागंज, डेहरी ऑन सोन सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का उल्लेख हो;

(ख) यदि हां, तो इस ट्रेन को कब तक चलाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) 1997-98 के दौरान रांची और दिल्ली के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी को चलाने का विनिश्चय किया गया है.

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना

2076. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री सुख लाल कुशवाहा :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने के कारणों सहित अनुमोदित किये गये/अस्वीकार किये गये अथवा अब भी लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(घ) क्या कुछ पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धन की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दी गयी धनराशि कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ङ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 9.32 लाख रु० की राशि की दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने, वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय पर्यटन विभाग को कोई प्रस्वाव नहीं भेजा है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

2077. श्री हरिवंश सहाय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मार्च, 1997 तक कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का "माइक्रो वेव" की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जिले के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मार्च 1997 तक 256 पोर्ट सी-डॉट के 6 टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) जी हां, देवरिया जिले हमें 1996-97 के दौरान 5 डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियाँ संस्थापित करने का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

1.	पड़रौना-हाटा देवरिया	120 चैनल क्षमता
2.	लार सेलेमपुर	30 चैनल क्षमता
3.	सेलेमपुर देवरिया	120 चैनल क्षमता
4.	गोरखपुर-देवरिया	1920 चैनल क्षमता
5.	देवरिया-पटना	1920 चैनल क्षमता

(घ) और (ङ) जी हां, 1996-97 के दौरान 296 गावों में सार्वजनिक टेलिफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

9वीं पंचवर्षीय गोजना के दौरान देवरिया जिले के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

कुर्ला उपरि पुल परियोजना

2078. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में कुर्ला उपरि पुल परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नही.

(ख) प्रश्न नहीं उठता.

(ग) और (घ) परियोजना अनुमोदित नहीं की जा सकी क्योंकि इस लोकेशन से प्रस्तावित बांद्रा-कुर्ला रेल लाइन में बाधा आ रही है।

कर्नाटक में डाकघर

[अनुवाद]

2079. श्री बी. एल. शंकर: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 के दौरान तथा 1996-97 में आज की तारीख तक कितने गांवों में डाकघर नहीं हैं;

(ख) राज्य में जिलावार कितने गांवों में किस-किस श्रेणी के डाकघर हैं; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य में जिलावार तथा श्रेणीवार कितने डाकघर खोले जाने का बिचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कर्नाटक में वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (आज तक) के दौरान बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या
1994-95	18,828
1995-96	18,828
1996-97	18,807

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) डाकघर खोलने के लक्ष्य वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत डाक सर्किलवार आवंटित किए जाते हैं तथा उन्हें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अंतिम रुप दिया जाता है।

[हिन्दी]

रांची विमानपत्तन पर रात्रि के समय विमान अवतरण सुविधाएं

2080. श्री राम टहल चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची विमानपत्तन पर रात्रि के समय विमान उतारा नहीं जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में वायुसेना द्वारा की गई मांग को मद्दे नजर रखते हुए रात्रि के समय उड़ान भरने और उतरने संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और

(ग) यदि इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां। हवाई अड्डे के चारों ओर पशुओं से खतरे के कारण, रात्रि के दौरान रांची हवाई अड्डे पर अवतरण करना असुरक्षित समझा जाता है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रांची हवाई अड्डे पर रात्रि प्रचालनों के लिए वायु सेना प्राधिकारियों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर अग्निकांड

2081. प्रो. ओम पाल सिंह "निडर": क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1996 को नई दिल्ली स्थित इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगी आग से नष्ट टर्मिनल I ए बिल्डिंग की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

नगर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति ने दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जांच-समिति के प्रमुख निष्कर्ष ये है :—

(1) कृत्रिम छत के ऊपर आग लगने का कारण बताना कठिन है क्योंकि पूरा ढांचा आग में ध्वस्त हो चुका है।

(2) कारोबार, राजस्व तथा प्रचालनात्मक असुविधा-जन्य हानि के संदर्भ में अप्रत्यक्ष हानि को छोड़कर कोई 15.50 करोड़ रुपये की हानि होने का अन्दाजा लगाया गया है।

(3) किसी पर भी लापरवाही का आरोप नहीं लगाया गया है।

(ग) सभी हवाई अड्डों पर अग्निशमन सेवा तथा सम्बद्ध प्रणालियों की पुनरीक्षा करने और इसे कारगर बनाने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की गयी है ताकि इस प्रकार की आग लगने की घटनाओं के बचाव हेतु निवारक कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

खजुराहो को रेल नेटवर्क से जोड़ना

2082. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में विश्व विख्यात पर्यटक स्थान खजुराहो को रेल नेटवर्क से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्य 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन होटल

2083. श्री के. प्रधानी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के अधीन कितने होटल हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : इस समय, भारत पर्यटन विकास निगम 33 होटल चला रहा है जिसमें उसके अपने 26 होटल, 6 संयुक्त उद्यम और एक प्रबंधन परिसम्पति शामिल है। इन होटलों के स्थिति-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जा रहे हैं।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रचालित किए जा रहे होटलों की स्थितिवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र।

क्रम सं.	स्थिति	होटलों की संख्या
1	2	3
1.	इटानगर* (अरुणाचल प्रदेश)	1
2.	गुवाहाटी* (असम)	1

1	2	3
3.	पटना (बिहार)	1
4.	बोधगया (बिहार)	1
5.	रांची* (बिहार)	1
6.	मनाली (हिमाचल प्रदेश)	1
7.	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	1
8.	बंगलौर (कर्नाटक)	1
9.	हसन (कर्नाटक)	1
10.	मैसूर (कर्नाटक)	1
11.	कोवलम (केरल)	1
12.	भोपाल* (मध्य प्रदेश)	1
13.	खजुराहो (मध्य प्रदेश)	1
14.	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	1
15.	नई दिल्ली (एनसीटी)	8
16.	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	1
17.	पुरी* (उड़ीसा)	1
18.	पांडिचेरी* (संघ शासित प्रदेश)	1
19.	जयपुर (राजस्थान)	1
20.	उदयपुर *(राजस्थान)	1
21.	भरतपुर** (राजस्थान)	1
22.	मदुरै (तमिलनाडु)	1
23.	मामल्लापुरम (तमिलनाडु)	1
24.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	1
25.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	1
26.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	1
	जोड़ :	33

*संयुक्त उद्यम होटल

**प्रबंधन होटल

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नई रेल लाईन

2084. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइन बिछाए जाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये लाइन कब तक बिछा दिए जाएंगे।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 5 वर्ष में नई लाइनों के लिए 9 सर्वेक्षण पूरे किए गए और इस समय 12 सर्वेक्षण प्रगति पर हैं। इन सर्वेक्षणों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है :—

विवरण

उत्तर प्रदेश में नई लाइनों के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरे किए गए तथा/या किए जा रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	खंड जिसका सर्वेक्षण किया गया	वर्ष जब सर्वेक्षण किया गया	कि॰मी॰	परियोजना लागत (करोड़ रु॰ में)	प्रतिफल की दर
1	2	3	4	5	6
पूरे किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा					
1.	हस्तिनापुर के रास्ते दौराला से बिजनौर	1995	63.50	66.74	5% से कम
2.	खुर्जा-पलवल-रेवाड़ी-रोहतक (आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में)	1995	212.65	365.47	2% से कम
3.	टनकपुरघाट-बागेश्वर	1992	154.50	659.25	ऋणात्मक
4.	मऊ-गाजीपुर सिटी	1992	42.00	39.00	ऋणात्मक
5.	ताड़ीघाट-गाजीपुर	1993	8.70	93.54	ऋणात्मक
6.	रामनगर-चौखुटिया	1994	87.00	560.00	ऋणात्मक
7.	सीतापुर-नानपाड़ा	1995	135.00	195.00	ऋणात्मक

1	2	3	4	5	6
8.	सीतापुर-बहराइच	1996	65.00	93.81	—
9.	आगरा-इटावा	1991	110.50	101.38	ऋणात्मक
सर्वेक्षण चल रहा है					
1.	पानीपत-मेरठ (आंशिक रूप से हरियाणा में)		100.00		
2.	लक्सर-बक्सर		125.00		
3.	ऋषिकेश-देहरादून		30.00		
4.	हरिद्वार-कोटद्वार-रामनगर		125.00		
5.	देहरादून-सहारनपुर		70.00		
6.	ऋषिकेश-करणप्रयाग		185.00		
7.	चण्डीगढ़-देहरादून वरास्ता जगाधरी-पोन्टा साहिब-काला अम्ब-(आंशिक रूप से पंजाब में)		220.00		
8.	मुजफ्फरनगर-हरिद्वार वरास्ता रूड़की		95.00		
9.	नोएडा के लिए रेल संपर्क (निक्षेप कार्य)		—		
10.	किच्छा-सितारगंज-नानकमाता-खटीमा		55.00		
11.	टनकपुर-पूर्णागिरि		15.00		
12.	फर्रूखाबाद-गोलकरणनाथ		153.32		

(ग) जिन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं उनमें से किसी को भी स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है। जहां तक उन सर्वेक्षणों, जिनका कार्य प्रगति पर है, का प्रश्न है, सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने के पश्चात् ही आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

अजमेर और अहमदाबाद के बीच बड़ी रेल लाइन

2085. श्री ताराचंद भगोरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तौड़-उदयपुर (राजस्थान) होते हुए अजमेर और अहमदाबाद के बीच रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अगली पंचवर्षीय योजना में इस "स्कीम" को शामिल करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर मी.ला. खण्ड का आमान परिवर्तन का कार्य 1996-97 के पूरक बजट में शामिल कर लिया गया है। अब काम शुरू करने के लिए आवश्यक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है तथा कार्य शुरू किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीमेटिक्स के विकास संबंधी स्थायी समिति

2086. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसदीय स्थायी समिति ने "सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) के कार्यकरण के बारे में मंत्रालय की आलोचना की है;

(ख) क्या समिति इस बात से अवगत है कि सी-डॉट सदैव बजट में आबंटित की गई धनराशि का पूर्णतः उपयोग कर पाने में असफल रहा है और इस संबंध में मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) स्थायी समिति ने वर्ष 1994-95 के लिए आबंटित निधियों का कम उपयोग होने पर चिन्ता व्यक्त की है।

(ग) मंत्रालय ने स्थायी समिति को की गई कार्रवाई का नोट पहले ही प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सी-डॉट द्वारा बजटीय राशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत, निधियों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सी-डॉट बोर्ड द्वारा कड़ी निगरानी भी शामिल है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर का परिवर्तन

2087. श्री एन॰ डेनिस : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के विशेष रूप से नागरकोइल में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इन परियोजनाओं को शुरू किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में टेलीविजन सेवा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्तमान में राज्य में भिन्न-भिन्न क्षमताओं की 19 टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने हेतु परिकल्पित हैं जिसमें धर्मपुरी, कुम्बाकोनम तथा तिरूनेलवेली में विद्यमान अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटरों के स्थान पर प्रस्तावित तीन उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर शामिल हैं। तथापि, नागरकोइल में विद्यमान अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ग) उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सामान्यतया स्कीम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करने के बाद लगभग 3-4 वर्ष का समय लगता है और यह पर्याप्त निधियों तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन डाइरेक्टरी

2088. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सहरसा, सुपोल और मधेपुरा जिलों के लिए टेलीफोन डाइरेक्टरी किस वर्ष जारी की गई थी;

(ख) नई टेलीफोन डाइरेक्टरी कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि शुद्धिपत्र सहित टेलीफोन डाइरेक्टरी समय से जारी की जाए ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार के सहरसा, सुपोल और मधेपुरा जिलों के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी 1994 में जारी की गई थी।

(ख) नई टेलीफोन डायरेक्टरी मार्च, 1997 तक जारी किए जाने की संभावना है।

(ग) सहरसा दूरसंचार जिला हाल ही में बनाया गया है। सहरसा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की सूची का संकलन करने में कुछ समय लगा। सहरसा दूरसंचार जिले की टेलीफोन डायरेक्टरी में सुपोल और मधेपुरा के टेलीफोन नंबर भी शामिल होंगे।

(घ) डायरेक्टरी समय पर जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खनिज नीति

2089. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हीरे की खानों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के अनुसार 13 खनिजों को (जिनमें हीरा शामिल है) जो अब तक सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है ताकि गवेषण और विदोहन के लिए विदेशी निवेश तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी सहित निवेश बढ़ाया जा सके।

खनन पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधनों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दिए जाते हैं। खनन पट्टे के लिए आवेदन राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तथा उनके द्वारा ही उन पर कार्रवाई की जाती है। तथापि, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों के लिए ही केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

विदेशी उपग्रह चैनल

2090. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी उपग्रह चैनलों को विनियमित करने हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्राधिकरण गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) सरकार का संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है जिसका उद्देश्य विदेशी उपग्रह चैनलों को प्रस्तावित कानून की परिधि में लाना होगा।

[हिन्दी]

टोहरा रेलवे स्टेशन पर गोदाम का निर्माण

2091. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत टोहरा रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और यह अनाज, कपड़ों इत्यादि का व्यावसायिक केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बड़ी रेल लाइन पर कोई गोदाम नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त स्टेशन पर एक गोदाम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर रेल पर "टोहाड़ा" नाम का कोई स्टेशन नहीं है। हालांकि पूर्वोत्तर रेल के सोनपुर मंडल में बरौनी-मुज़्फ़्फ़रपुर ब.ला. खंड पर "टेघरा" नाम का एक स्टेशन है जहां पर इस समय न तो माल बुक करने की सुविधा है और न ही भविष्य में प्रदान करने का इरादा है। बरौनी रेलवे स्टेशन जोकि टेघरा रेलवे स्टेशन से केवल 8 किमी दूर है, माल यातायात के लिए खुला है और इस क्षेत्र के व्यापारी/जनता इस स्टेशन से अपने परेषण की बुकिंग करा सकते हैं।

[अनुवाद]

कोट्टयम-डिंडीगुल रेल लाइन का सर्वेक्षण

2092. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोट्टयम-डिंडीगुल रेल लाइन के संबंध में कब सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) उक्त सर्वेक्षण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सर्वेक्षण अभी जारी है।

(ख) 15.70 लाख रुपए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

2093. श्री शरत पटनायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां। खान मंत्रालय द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लि॰ की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा कंपनी के वास्तविक वित्तीय तथा विपणन निष्पादन की नियमित देख-रेख की जाती है और जब भी आवश्यक होता है कंपनी को अपना कार्य निष्पादन संवर्धित करने के लिए समुचित सलाह दी जाती है। मंत्रालय अन्य संबंधित अधिकारियों से समन्वय तथा बातचीत करके कंपनी को विभिन्न समस्याएं सुलझाने के लिए सहायता भी देता है।

ऊपर बताए गए उपायों के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान जिंक लि॰ का समग्र कार्य निष्पादन सन्तोषजनक रहा है तथा कंपनी प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के बावजूद लाभ कमा रही है। कंपनी द्वारा सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान कंपनी की समग्र स्थिति बहुत अच्छी थी।

उड़ीसा में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2094. श्री अंचल दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में जिलेवार कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान जिलेवार कितने मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदला गया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिनांक 28 फरवरी, 97 की स्थिति के अनुसार, राज्य में 719 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। जिला-वार विवरण संलग्न है।

(ख) शून्य।

विवरण

दिनांक 28.2.97 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज। *(उड़ीसा दूरसंचार सर्किल)*

क्र॰ सं॰	जिले का नाम	इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालासोर	31
2.	भद्रक	20
3.	मयूरभंज	34

1	2	3
4.	गंजम	71
5.	गजापति	16
6.	फूलबानी	21
7.	बोध	10
8.	खुर्दा	44
9.	नयागढ़	15
10.	पुरी	27
11.	बोलंगीर	22
12.	सोनपुर	8
13.	कालाहांडी	16
14.	नुआपाड़ा	8
15.	कटक	39
16.	जगतसिंह पुर	28
17.	केन्द्रपाडा	19
18.	जाजपुर	29
19.	केओंझार	31
20.	अन्गुल	29
21.	ढेकानाल	29
22.	कोरापुट	23
23.	मलंकागिरी	6
24.	नौरंगपुर	11
25.	रायगाडा	20
26.	सम्बलपुर	26
27.	झरसुगुडा	12
28.	बारगढ़	32
29.	देवगढ़	3
30.	सुंदरगढ़	39
	जोड़ :	719

बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

2095. श्री थामस हंसदा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन के कितने-कितने बूथ आबंटित किए गए हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जहां सार्वजनिक टेलीफोन बूथ नहीं हैं तथा प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित किए जाने हेतु जिलेवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक टेलीफोन बूथ आबंटित करने के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन आबंटित किए गए हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

बितरागुंटा लोको शेड का उपयोग

2096. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण-मध्य रेलवे के अधीन बितरागुंटा लोको शेड में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं तथा रेलवे परिसम्पतियों का उपयोग नहीं करके अन्य स्थान पर इनका निर्माण करने हेतु जारी धनराशि खर्च कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) फिलहाल दक्षिण मध्य रेलवे में बिट्रागुंटा में कोई लोको शैड मौजूद नहीं है। विद्युतीकरण और डीजलीकरण के कारण 1981 में भाप इंजन शैड बंद कर दिया गया था।

आमान परिवर्तन

2097. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-96 के दौरान देश में कुल कितने किलोमीटर छोटी लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान इस कार्य पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) आमान परिवर्तन से किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचा है;

(घ) क्या रेलवे ने दक्षिण रेलवे में किलोन-विरूद्ध नगर से आमान परिवर्तन पर गंभीरता से विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1.4.91 से अब तक 341 कि॰मी॰ छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है।

(ख) इस अवधि के दौरान छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन पर 235 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ग) लाभान्वित राज्य गुजरात, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है।

(घ) जी, हां।

(ङ) परियोजना को 280 करोड़ रु० की लागत से 97-98 के बजट में शामिल किया गया है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा।

सिद्ध बाबा सोडल मन्दिर जालंधर का विकास

2098. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जालंधर स्थित सिद्ध बाबा सोडल मन्दिर के विकास हेतु पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र और प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल के रूप में विकसित किए जाने के बावजूद केन्द्र सरकार ने इस मंदिर की उपेक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पंजाब सरकार ने इसके विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार ने अभी तक कितनी धनराशि जारी की है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (च) पर्यटन विभाग को पंजाब सरकार से, सिद्ध बाबा सोडल मंदिर के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जम्मू और कश्मीर में टेलीफोन कनेक्शन

2099. श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन कनेक्शन हेतु जिला-वार कितने व्यक्ति पंजीकृत और प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रतीक्षा सूची को मार्च, 1997 तक निपटाने की योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31 जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिला-वार रजिस्टर्ड व्यक्तियों और प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जम्मू-कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों के कारण, वर्ष 96-97 के दौरान लगभग 2,000 व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची का निपटान किए जाने की योजना है और शेष सूची का निपटान वर्ष 97-98 और 98-99 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से किया जाएगा।

विवरण

(क) जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए रजिस्टर्ड व्यक्तियों तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों का जिले-वार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	31.1.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	श्रीनगर	15,578
2.	बारामुल्ला	868
3.	पुलवामा	1,028
4.	अनन्तनाग	748
5.	कूपवाड़ा	235
6.	बड़गांव	451
7.	जम्मू	7,467
8.	खतुआ	747
9.	राजौरी	290
10.	पुंछ	283
11.	उधमपुर	918
12.	दोला	468
13.	लेह	1,077
14.	करगिल	286

रेल लाइन का दोहरीकरण

2100. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेणिगुंटा और गुंतकल के बीच रेल लाइन को दोहरा बनाने के लिए की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) रेणिगुंटा और गुंतकल खण्ड के बीच निम्नलिखित उप खण्डों में पहले ही कहीं-कहीं दोहरी लाइन है।

(i) गुंतकल—रायलचेरुवु

(ii) कोंडापुरम—मुद्दानुरु

(iii) कुड्डप्पा—भाकरापेट्ट

(iv) बेलापल्ले—रेणिगुंटा

गूटी से रेणिगुंटा (280 कि.मी.) तक शेष खण्ड के दोहरीकरण के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण भी शुरू कर

लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर परियोजना पर विचार करना संभव होगा।

ग्रामीण डाक नेटवर्क हेतु उच्च स्तरीय समिति

2101. डा० कृपासिंधु भोई : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण डाक नेटवर्क के संचालन की निगरानी हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो समिति कब से कार्य करना आरम्भ कर देगी; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं सुनिश्चित करने तथा इनकी कार्यकुशलता बनाए रखने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) समिति के मार्च 1997 से कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है।

(ग) ग्रामीण क्षणों में डाक सेवाओं की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदम इस प्रकार है :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की फील्ड और मुख्यालय स्तर पर लगातार मानीटरिंग की जाती है और आवधिक रूप से इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

(ii) विजिटिंग अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर डाकघरों और आर एम एस कार्यालयों के नियमित रूप से और बार-बार दौरे किए जाते हैं ताकि डाक प्रोसेसिंग और वितरण की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जा सके।

(iii) विभिन्न स्टेशनों के बीच टेस्ट लेटर पोस्ट किए जाते हैं ताकि लगने वाले ट्रांजिट समय और वितरण में कार्यकुशलता का निर्धारण किया जा सके और विलंबित रूटों का पता लगाया जा सके तथा उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

(iv) ग्रामीण डाक सर्वेक्षण के लिए चुने गए 25 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इसके अलावा लाइव मेल्स के आवधिक परीक्षण भी डाकघरों में किए जाते हैं।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के परिवहन की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न परिवहन प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं।

(vi) निरीक्षकों/सहायक अधीक्षकों तथा मेल ओवरसियरों और ओवरसियर पोस्टमैन द्वारा मनीआर्डर भुगतान की जांच करना।

राजस्व भागीदारी समझौता

2102. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग ने राजस्व भागीदारी संबंधी कोई नया समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

1. नई राजस्व सहभागिता व्यवस्था 1.4.97 में प्रभावी होंगी तथा 31.3.2002 तक लागू होंगी।

2. करार के प्रथम तथा द्वितीय वित्तीय वर्षों में, वी एस एन एल प्रत्येक आउटगोइंट तथा इनकमिंग कालों के लिए 10 रुपए प्रति मिनट का कुल प्रतिधारण प्राप्त करेगा।

3. तृतीय वर्ष के बाद से अंतर्राष्ट्रीय वरीयता के प्रति दत्त मिनट निबल आय की तुलना आधार वित्तीय वर्ष अर्थात् 1997-98 के अंतर्राष्ट्रीय परियात के प्रति दत्त मिनट निबल आय के साथ की जाएगी। राशि में किसी भी तरह का अंतर डी ओ टी तथा वी एस एन एल के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटा जाएगा :

वर्ष 1999-2000 के लिए, क्रमशः वी एस एन एल तथा डी ओ टी के बीच भागीदारी का अनुपात 15:85 होगा।

वर्ष 2000-2001 के लिए, क्रमशः वी एस एन एल तथा डी ओ टी के बीच भागीदारी का अनुपात 20:00 होगा।

वर्ष 2001-2002 के लिए, क्रमशः वी एस एन एल तथा डी ओ टी के बीच भागीदारी का अनुपात 25:75 होगा।

4. चालू सर्किटों के प्रति औसत संख्या के लिए वी एस एन एल 2.5 लाख रुपए का प्रति वर्ष लाइसेंस फीस अदा करेगा।

5. "सुपर ग्रुप" पर अधिभार को शून्य कर दिया गया है।

6. यदि किसी भी वित्तीय वर्ष अथवा वर्षों में किसी भी तरफ रुपए/डालर एक्सचेंज दर 10 प्रतिशत से अधिक कमोबेश होने पर असंतुलन को ठीक करने की दृष्टि से करार की पुनर्समीक्षा की जाएगी।

7. तब भी पुनर्समीक्षा की जाएगी यदि असंतुलन को ठीक करने के लिए करार की किसी भी वित्तीय वर्ष अथवा वर्षों में वी एस एन एल प्रति मिनट में 9 रुपए से कम अर्जन करता है अथवा प्रति मिनट में 11 रुपए से अधिक अर्जन करता है।

आमान परिवर्तन

2103. श्री दिनशा पटेल :

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फेडरेशन आफ चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज आफ सौराष्ट्र एवं कच्छ की ओर से सुरेन्द्र नगर-भावनगर मीटर लाइन सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बंकानेर मोरवी-नवलखी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सुरेन्द्र नगर-भावनगर धौला-ढाला-महुवा का आमान परिवर्तन तथा इसका पिपावाव तक विस्तार 96-97 के पूरक बजट में शामिल किया गया है। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात इस कार्य को शुरु किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) बांकानेर-मिलिया मियाना और दहीसंरा-नवलाखी के आमान परिवर्तन को पहले ही बजट में शामिल कर लिया गया है। कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन

2104. श्री मुख़तार अनीस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 01.4.1996 और 31.12.1996 को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने से संबंधित लम्बित आवेदनों की सर्किलवार संख्या क्या है;

(ख) अप्रैल 1996 से दिसम्बर 1996 तक बढ़ाई गई लाइनों की सर्किलवार संख्या क्या है;

(ग) अप्रैल 1996 से दिसम्बर 1996 तक सर्किलवार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(घ) सामान्य श्रेणी के लिए सर्किलवार औसत प्रतीक्षा अवधि कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सूचना क्षेत्रीय इकाइयों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन-पत्रों, जोड़ी गई लाइनों की संख्या और प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या

क्र॰ सं॰	सर्किल	विचाराधीन पड़े आवेदन-पत्र		अप्रैल-दिसम्बर, 1996 के दौरान जोड़ी गई लाइनों की संख्या	अप्रैल-दिसम्बर, 1996 के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या
		1.4.1996 की स्थिति के अनुसार	31.12.1996 की स्थिति के अनुसार		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	135054	226318	104265	92033
2.	असम	19648	28707	13172	9481
3.	बिहार	42481	60065	7770	20362
4.	गुजरात	211799	290801	54302	80104
5.	हरियाणा	76914	101695	18882	22503
6.	हिमाचल प्रदेश	24768	44716	24329	18930
7.	जम्मू और कश्मीर	27919	31214	8431	6847
8.	कर्नाटक	153663	230349	94605	70388
9.	केरल	415321	620177	98434	87924
10.	मध्य प्रदेश	35806	67970	19429	24782
11.	महाराष्ट्र	226144	313685	137237	95198
12.	उत्तर पूर्व	5961	16772	5868	7500
13.	उड़ीसा	14682	22579	13332	22548
14.	पंजाब	173005	230604	73602	51729

1	2	3	4	5	6
15.	राजस्थान	138150	190678	72706	46460
16.	तमिलनाडु	258642	350104	103242	73297
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	52733	83463	39561	37737
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	65813	100269	30117	50164
19.	पश्चिम बंगाल	46998	72838	41429	30138
20.	अंडमान और निकोबार	1179	2849	100	263
21.	मुंबई	10572	61584	13050	67254
22.	दिल्ली	9221	56820	35584	85351
23.	कलकत्ता	47588	90587	58700	26184
24.	चेन्नई	83187	103327	55160	27738
	जोड़ :	2277248	3398171	1123307	1054915

इलाहाबाद में गंगा नदी पर कर्जन पुल

2105. श्री रामसागर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि रेल प्राधिकारी इलाहाबाद में गंगा नदी पर कर्जन पुल को पुन: प्रयोग किए जाने योग्य बनाने हेतु योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पुल को कब तक पुन: प्रयोग के काबिल बना दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इलाहाबाद में यमुनापार क्षेत्र में जहां समुचित संचार व्यवस्था के अभाव में बड़ी संख्या में उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, विकास कार्यों के लिए यमुना नदी पर एक और पुल का निर्माण कराने संबंधी कोई प्रस्ताव भी है; और

(घ) यदि हां, तो यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण कब तक आरंभ किए जाने और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2106. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षासूची में हैं, और उन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की संभावना है;

(ख) जयपुर में "मांग पर" टेलीफोन कनेक्शन कब से प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) जयपुर में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(घ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन केबल बिछाए जाने का कार्य प्रगति पर है; और

(ङ) इन कार्यों के कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31 जनवरी, 97 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में 42,287 आवेदक दर्ज हैं। इसमें से, फरवरी, मार्च, 97 के दौरान 8,000 कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। 1997-98 और 1998-99 के दौरान, शेष प्रतीक्षा सूची का उत्तरोत्तर रूप से निपटान कर दिए जाने की संभावना है।

(ख) जयपुर में, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

(ग) जयपुर में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 23 है।

(घ) जिन स्थानों पर टेलीफोन केबल बिछाने से संबंधित कार्य चल रहा है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) केबल संबंधी इन कार्यों के निष्पादन पर खर्च की जाने वाली राशि अनुमानत: 3.3 करोड़ रुपए है।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां केबल बिछाने का कार्य चल रहा है।
1. मोती डूंगरी रोड
2. ब्रह्मपुरी
3. आमेर
4. दुर्गापुरा
5. मानसरोवर-II
6. बरकतनगर
7. प्रतापनगर एचबी
8. मानसरोवर I और II ओ एफ सी
9. जवाहर नगर से तिलक नगर
10. ट्रांस्पोर्ट नगर
11. वी के आई क्षेत्र तथा झोटवाड़ा
12. श्याम नगर और वैशाली नगर
13. चहारदीवारी से बाहर स्थित शहर (बनी पार्क, शास्त्री नगर)
14. सी–07 क्षेत्र (जौहरी बाजार)
15. हीरा बाग क्षेत्र
16. जोरावाड़ सिंह गेट I
17. सी–05 क्षेत्र (सेठी कॉलोनी, जनता कॉलोनी)

नागर विमानन के होटलों तथा पर्यटन उद्योगों का विकास

2107. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

श्री शिवराज सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नागर विमानन के होटलों के विकास के संबंध में कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी राशि खर्च की जाने की संभावना है; और

(ग) उपर्युक्त कार्ययोजना पर कब तक कार्य शुरू हो जाएगा ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज

2108. श्री तारीक अनवर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी क्षेत्र में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं;

(ख) क्या इन टेलीफोन एक्सचेंजों से सरकार द्वारा संचालित एक्सचेंजों की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन निजी एक्सचेंजों के खोले जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु चुने गए निजी क्षेत्र की कंपनियों ने अभी तक कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं खोला है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न हीं उठते।

कश्मीर में कार्यरत एस॰ टी॰ डी॰/आई॰ एस॰ डी॰ बूथ

2109. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में कार्य कर रहे एस॰ टी॰ डी॰/आई॰ एस॰ डी॰ बूथों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य में ऐसे नए बूथों के आबंटन के लिए अभी भी बड़ी संख्या में आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक इन्हें स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कश्मीर में कार्यरत एस॰ टी॰ डी॰/आई॰ एस॰ डी॰ बूथों की जिले-वार संख्या संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। केवल 103 ओवदन-पत्र विचाराधीन हैं।

(ग) विचाराधीन आवेदन-पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) लम्बित सूची को दिसम्बर, 1997 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	कार्यरत एस०टी०डी०/ आई०एस०डी० बूथों की संख्या	लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या
1.	श्रीनगर	151	71
2.	अनन्तनाग	15	10
3.	बारामुल्ला	28	09
4.	पुलवामा	07	12
5.	बदगाम	02	शून्य
6.	कुपवारा	03	01

[हिन्दी]

कटनी-सतना रेल मार्ग पर टैंक वैगनों का पटरी से उतरना

2110. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जनवरी, 1997 की रात को कटनी-सतना रेल खंड पर मदनपुर स्टेशन से 1130/1144 किलोमीटर दूर ट्राम्बे से सतना के बीच चल रही टैंक वैगन स्पेशल रेलगाड़ी की दस बोगियां पटरी से उतर गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण रेल विभाग को कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या उपाए किए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। 9.1.97 को 02.05 बजे मध्य रेल के जबलपुर मण्डल में कटनी-सतना खंड के मदनपुर स्टेशन पर सतना तेल टैंक विशेष मालगाड़ी के 11 भरे हुए तेल टैंक पटरी से उतर गए थे।

(ख) इस दुर्घटना के कारण रेलवे को 19,15,000/- रू० की हानि हुई।

(ग) हॉट बाक्स के कारण जर्नल के टूट जाने से पटरी से उतरने की घटना हुई। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) कर्मचारियों को परामर्श और प्रशिक्षण देना तेज कर दिया गया है।

(ii) दुर्घटना प्रवण कर्मचारी के कार्य निष्पादन पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है।

(iii) वरिष्ठ अधिकारियों का निगरानी और कार्यान्वयन दल दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण स्थापनाओं और मंडलों का दौरा करता है।

(iv) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता का जायजा लिया जाता है तथा समय-समय पर निवारक उपाय सुझाए जाते हैं।

(v) दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार ठहराए गए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

दूरसंचार विभाग को प्राप्त राजस्व

2111. श्री सुख राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दूरसंचार विभाग ने टेलीफोन से कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) देश में उपरोक्त अवधि के दौरान टेलीफोन से प्राप्त राजस्व में से इसकी औसत संचालनात्मक लागत घटाने के बाद इससे कितनी औसत आय हुई;

(ग) क्या 1996-97 में टेलीफोन लगाने का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग ने टेलीफोनों से जो राजस्व अर्जित किया है वह इस प्रकार है :

वर्ष	दूरसंचार विभाग के बनाए गए बिलों की राशि (करोड़ रुपयों में)
1993-94	5216
1994-95	6400
1995-96	8085

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान औसत कार्यकारी व्यय को घटाने के पश्चात् दूरसंचार विभाग की प्रति माह प्रति सीधी एक्सचेंज लाइन से औसत आय इस प्रकार है :

वर्ष	रुपए
1993-94	167.63
1994-95	295.72
1995-96	369.44

(ग) और (घ) 1996-97 का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है। टेलीफोनों के संबंध में दूरसंचार विभाग के लिए लक्ष्य 19.5 लाख और एम टी एन एल के लिए 5 लाख है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ठेका मजदूर प्रणाली

2112. श्री ए॰ सम्पथ : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका मजदूर प्रणाली को समाप्त किए जाने संबंधी प्रावधानों को तैयार किए जाने के समय श्रम अधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचना में भारतीय खाद्य निगम के कुछ डिपुओं को शामिल नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त डिपुओं के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इन्हें भी शामिल किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के 988 डिपुओं के संबंध में सरकार ने डाटा का विश्लेषण किया और केवल 172 डिपुओं में ठेका श्रम के उत्पादन के लिए अधिसूचना जारी की, जिनको इस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया।

[हिन्दी]

पर्यटन को उद्योग का दर्जा

2113. श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

श्री दिनशा पटेल :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई राज्य-वार नीति बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के लिए बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इस नीति का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इस नीति को किस सीमा तक लागू किया गया है;

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान इस उद्योग के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र में, विशेषकर गुजरात में, किए गए विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए अनुमति मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो अभी तक गुजरात से स्वीकृति के लिए प्राप्त प्रस्तावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश तथा गुजरात सहित 23 राज्य सरकारों ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित कर दिया है तथा तद्नुसार पर्यटन के विकास हेतु अपनी राज्य पर्यटन नीति बनाई है। पर्यटन नीति का कार्यान्वयन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है, फिर भी पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ङ) से (छ) होटल तथा पर्यटन उद्योग हेतु विदेशी निवेश अनुमोदन, भारतीय रिजर्व बैंक तथा उद्योग मंत्रालय के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं। गुजरात राज्य हेतु कोई विदेशी निवेश अनुमोदन स्वीकृत नहीं किया गया है।

आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ के होटलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

2114. श्रीमती शीला गौतम : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों द्वारा चालू वर्ष के दौरान आज तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या इन होटलों को राष्ट्रमंडल के देशों से सीधे कारोबार नहीं मिल रहा है और इन होटलों द्वारा विभिन्न ट्रेवल एजेंसियों को प्रभारों में भारी रियायतें देने की पेशकश की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) चालू वर्ष (1996-97) के दौरान जनवरी 97 तक भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने प्रत्यक्ष रूप से 12.39 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल, राष्ट्र मंडल के देशों सहित विदेशों से अधिकतर कारोबार, भारतीय यात्रा प्रवातकों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, क्योंकि भारत पर्यटन विकास निगम के विदेशों में अपने कार्यालय नहीं हैं। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम अपने विदेशी कारोबार का कुछ हिस्सा सीधे भी प्राप्त करता है। मार्केट सामर्थ्य, कारोबार की मात्रा (सीजनेबिलिटी) प्रतियोगिता आदि पर निर्भर करते हुए ऐसे कारोबार पर छूट/रियायतों का प्रस्ताव किया जाता है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उपकरणों की आपूर्ति

2115. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किए गए टेलीफोन उपकरण शीघ्र खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किन-किन ब्रांडों के टेलीफोन उपकरण खरीदे गए और उनमें से कितने उपकरण उनके खरीदे जाने की तारीख से कितने समय पश्चात् खराब हो गए;

(ग) क्या उपकरण खराब हो जाने की स्थिति में ग्राहकों को

मरम्मत किए हुए उपकरण प्रदान किए जाते हैं और वे पुन: खराब हो जाते हैं जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या घटिया और निम्न गुणवत्ता के टेलीफोन उपकरण खरीदे जाने और खराब उपकरणों की जगह पर नए उपकरण न लगाए जाने के मामले की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार को सांसदों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपस्करों की दशा और भण्डार में उसकी उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन उपकरणों को बदलकर उनके स्थान पर नए उपकरण दे दिए जाते हैं अथवा उनकी मरम्मत कर दी जाती है। यद्यपि मरम्मत कराए गए उपकरणों की कार्यशीलता की गुणवत्ता की जांच की जाती है, इसके बाद ही उन उपकरणों को बदलने के लिए भेजा जाता है।

(घ) जी, नहीं। गुणवत्ता आश्वासन दल, बंगलौर द्वारा विधिवत परीक्षित दूरसंचार अभियंत्रण केन्द्र द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार ही उपकरणों की खरीद की जाती है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एयर इंडिया द्वारा यात्रियों का क्षमता से अधिक बुक किया जाना

2116. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने जनवरी, 1997 के पूर्वार्द्ध तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से लगभग 190 यात्रियों को उतार दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीट से अधिक टिकट बुक करने संबंधी कोई मानदंड है अथवा इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है और क्या इस सीमा से अधिक बुकिंग की गई है;

(घ) क्या एअर इंडिया का निर्धारित सीट से अधिक बुक किए गए यात्रियों को अपनी यात्रा को एक सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक स्थगित करने पर किराए में 50 प्रतिशत रियायत देने आदि जैसी वैकल्पिक योजना की पेशकश करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) एअर इंडिया द्वारा यात्रियों को इस प्रकार की परेशानी और नुकसान से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) एअर इंडिया ने 1 जनवरी से 15 जनवरी, 1996 तक की अवधि में भारत से जाने वाली अपनी उड़ानों में से 433 यात्रियों को उतारा था।

(ग) जी हां। एअर इंडिया प्रत्येक मार्ग के लिए ओवर बुकिंग का रुख बनाए रखता है। तथापि, कभी-कभार अनुकम्पा वाले तथा वाणिज्यिक रूप से महत्त्वपूर्ण मामलों आदि को स्थान देने हेतु ओवर बुकिंग की सीमा को बढ़ा दिया जाता है।

(घ) और (ङ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रथम उपलब्ध उड़ान पर यात्रियों को ले जाने की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक एअर इंडिया भोजन एवं होटल उपलब्ध कराता है।

(च) यात्रियों को उड़ान से उतारने की घटनाओं (ऑफ-लोडिंग्स) को कम करने के प्रयोजन से, अनुभूत भारों के आधार पर एअर इंडिया ओवर बुकिंग के रुख की सतत रूप से निगरानी तथा इसमें परिवर्तन करता है।

[हिन्दी]

"सेटेलाइट मनीआर्डर" सेवा

2117. श्री ललित उरांव :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री हरिन पाठक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक राज्य और जिले की "सेटेलाइट मनीआर्डर" सेवा से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में "सेटेलाइट मनीआर्डर" सेवा से जोड़ दिए गए राज्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभाग ने देश में 73 स्थानों पर वी एस ए टी स्थापित किए हैं। उन 73 स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां वी एस ए टी स्थापित किए गए हैं (30.11.1996 के अनुसार स्थिति)

क्रम सं.	सर्किल/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	नगर/शहर/ जिला प्रधान डाकघर
1	2	3
01.	असम	1. सिल्चर
		2. तेजपुर
		3. डिब्रूगढ़
		4. गुवाहाटी
02.	आंध्र प्रदेश	1. विजयवाड़ा
		2. विशाखापतनम

1	2	3
		3. कुर्नूल
		4. हैदराबाद
		5. तिरूपति
03.	बिहार	1. मुजफ्फरपुर
		2. पटना
		3. दरभंगा
		4. गया
		5. पूर्णिया
		6. रांची
04.	दिल्ली	1. दिल्ली (अशोक विहार प्रधान डाकघर)
		2. नई दिल्ली जी पी ओ
05.	गुजरात	1. राजकोट
		2. बड़ौदा
		3. सूरत
		4. अहमदाबाद
06.	हरियाणा	1. अंबाला
		2. रोहतक
07.	हिमाचल प्रदेश	1. मंडी
		2. कांगड़ा
		3. शिमला
08.	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू
09.	कर्नाटक	1. मैसूर
		2. हुबली
		3. गुलबर्गा
		4. मैंगलूर
		5. बेंगलूर
10.	केरल	1. कालीकट
		2. त्रिवेन्द्रम
		3. कावारती (लक्ष द्वीप)
		4. एर्णाकुलम
11.	मध्य प्रदेश	1. रायपुर
		2. जबलपुर
		3. इंदौर
		4. ग्वालियर
		5. भोपाल
12.	महाराष्ट्र	1. पुणे
		2. दादर प्रधान डाकघर (मुंबई)
		3. नागपुर
		4. मुंबई जी पी ओ
		5. औरंगाबाद
		6. पणजी
13.	उत्तर पूर्व	1. आइजोल
		2. कोहिमा
		3. शिलांग
		4. अगरतला
14.	उड़ीसा	1. संबलपुर
		2. बेहरामपुर
		3. भुवनेश्वर
15.	पंजाब	1. जालंधर
		2. लुधियाना
16.	राजस्थान	1. जोधपुर
		2. उदयपुर
		3. अजमेर
		4. जयपुर
17.	तमिलनाडु	1. मदुरै
		2. तिरूचि
		3. कोयम्बतूर
		4. मद्रास
18.	उत्तर प्रदेश	1. कानपुर
		2. वाराणसी
		3. इलाहाबाद
		4. लखनऊ
		5. बरेली
		6. सहारनपुर
19.	पश्चिम बंगाल	1. सिलीगुड़ी
		2. आसनसोल
		3. कलकत्ता

[अनुवाद]

हवाई दुर्घटना

2118. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1995 और 1996 के दौरान देश में अनेक हवाई दुर्घटनाओं को टाल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या एहतियाती उपाय किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) दिनांक 12 नवम्बर, 1996 को चरखी दादरी के ऊपर सऊदी अरबिया के बोईंग 747 तथा खजाकिस्तान आई एल-76 विमानों की मध्य-आकाश में दुर्घटना को छोड़कर, 1995 तथा 1996 के दौरान मध्य-आकाश दुर्घटना की कोई अन्य घटना नहीं हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रचालकों की सुरक्षा ऑडिट, विमान-दुर्घटनाओं तथा भयंकर घटनाओं की जांच से मिलने वाली सिफारिशों का क्रियान्वयन, उड़ान रिकार्डरों की निगरानी, नागर विमानन अपेक्षाओं को जारी करना, सुरक्षा सम्मेलनों बैठकों का आयोजन, हवाई अड्डों का निरीक्षण, विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण देना तथा मॉनीटरिंग करना आदि जैसे सुरक्षा उपाय सतत् रूप से किए जाते हैं।

केरल में कण्णनूर में विमानपत्तन

2119. श्री टी॰ गोविन्दन :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कण्णनूर जिले में विमानपत्तन स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है, इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उपरोक्त विमानपत्तन द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने कन्नानोर के निकट एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विभिन्न स्थलों का प्रारंभिक स्थल निरीक्षण कर लिया है।

(ग) इस समय यह परियोजना प्रारंभिक स्तर पर है तथा हवाई अड्डे के चालू होने की कोई निश्चित समय अनुसूची इंगित नहीं की जा सकती।

रेलगाड़ियों और सवारी डिब्बों की कमी

2120. श्री वी॰ एम॰ सुधीरन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों और सवारी डिब्बों की कमी के कारण कायमकुलम और एलेप्पी, एर्नाकुलम क्षेत्र के यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में और अधिक यात्री रेलगाड़ियां चलाने तथा वर्तमान यात्री गाड़ियों में और सवारी डिब्बे जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) एर्णाकुलम-एलेप्पी-कायमकुलम खण्ड में सवारी डिब्बों की कमी और अतिरिक्त गाड़ी सेवाएं चलाए जाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों पर अतिरिक्त गाड़ी सेवाएं चलाने और मौजूदा गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने सहित यात्रा की बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करना, संसाधनों की उपलब्धता, परिचालनिक व्यावहारिकता और यातायात औचित्य के अध्यधीन एक सतत् प्रक्रिया है। 1997-98 के दौरान 6315/6316 हवड़ा-कोचीन (साप्ताहिक) एक्सप्रेस को ऐलेप्पी और कायमकुलम के रास्ते त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

ई॰ एम॰ यू॰ रेलगाड़ियों को चलाया जाना

2121. डा॰ असीम बाला : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नैहाटी रेलवे स्टेशन की अप्रयुक्त पड़ी "कर्व" लाइन का उपयोग करके कृष्णानगर/रानाघाट/कल्याणी से बंडेल/हावड़ा/वर्धमान तक न्यूनतम निवेश करके ई॰ एम॰ यू॰ रेलगाड़ियां चलाना संभव हो पाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थानों के बीच सीधी रेल सेवा चला करके इस अप्रयुक्त पड़ी रेल लाइन का उपयोग करने हेतु सर्वेक्षण कराने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इससे हजारों यात्रियों को राहत पहुंचेगी तथा जंक्शन स्टेशनों पर दबाव कम होगा;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) नैहाटी के निकट कर्व लाइन को उखाड़ दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (च) कृष्णानगर/रानाघाट/कल्याणी से सियालदह के बीच सीधी ई एम यू सेवाएं उपलब्ध हैं। नैहाटी-बंडेल खण्ड पर और बर्धमान बंडेल तथा बंडेल हवड़ा के बीच पृथक ई॰ एम॰ यू॰ गाड़ियां उपलब्ध हैं।

प्रिंसेप घाट तथा मजेरहाट के बीच सर्कुलर रेल

2122. श्री तरित बरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्कुलर रेलवे कलकत्ता के प्रिंसेपघाट तथा मजेरहाट सेक्शन के बीच मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कलकत्ता सबबर्न के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर दबाव कम करने के लिए इस सेक्शन के विद्युतीकरण तथा इसे दोहरा बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) दमदम जंकशन से प्रिंसेपघाट तक की 13.5 कि०मी० गैर-विद्युतीकृत इकहरी लाइन परियोजना को, प्रिंसेपघाट के माज़ेरहाट तक का भाग छोड़कर, 17.06.90 से यातायात के लिए चरणों में चालू किया गया है। पूर्व रेल द्वारा प्रिंसेपघाट से माजेरहाट तक इकहरी लाइन के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य नए सिरे से प्रारंभ किया गया है। मैसर्स राइट्स द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार हेतु दमदम से प्रिंसेपघाट खण्ड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए एक अध्ययन किया गया है।

केरल टेलीकॉम का विकास

2123. श्री पी० सी० थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केरल में टेलीकॉम के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इसके लिए धनराशि कितनी-कितनी रखी गई थी;

(ग) क्या केरल सर्किल के लक्ष्य के अनुरूप विकास कार्य पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष और गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष केरल में टेलीकॉम विकास हेतु खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केरल में कितने नए फोन कनेक्शन दिए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान, केरल में दूरसंचार के विकास के लिए संशोधित प्राक्कलनों के स्तर तक 508 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, केरल में दूरसंचार के विकास हेतु आबंटित की गई धनराशि निम्नवत् है :—

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु० में)
1993-94	271.00
1994-95	310.00
1995-96	636.00

(ग) केरल सर्किल में, वर्ष 1996-97 हेतु 2,28,000 सीधी एक्सचेंज लाइनों के लक्ष्य की तुलना में, सर्किल ने दि० 31.1.97 तक 1,06,094 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान कर दी हैं।

(घ) चालू वर्ष में, जनवरी 1997 तक केरल दूरसंचार के विकास हेतु 388.22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े निम्नवत् हैं :—

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपयों में)
1993-94	292.58
1994-95	328.86
1995-96	630.26

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केरल में प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्नवत् है :—

वर्ष	प्रदान किए गए नए टेलीफोन
1993-94	58,936
1994-95	90,460
1995-96	1,54,033

भरगछिया से मुंशीरहाट तक रेलवे लाइन

2124. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे के हावड़ा-आमता खंड पर भरगछिया से मुंशीरहाट तक रेलवे लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार हावड़ा और भरगछिया के बीच रेल सेवा की आवृत्ति बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 8 किलोमीटर की लाइन के लिए केवल 5 किलोमीटर की भूमि उपलब्ध है। इस टुकड़े में दो छोटे पुलों सहित भूमि संबंधी कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। शेष 10 छोटे पुलों पर कार्य प्रगति पर है और बड़े पुल हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। यदि राज्य सरकार द्वारा भूमि सुलभ करा दी जाती है तो कार्य 1997-98 में पूरा हो जाएगा।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक और संसाधन की तंगियों के कारण।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि०

2125. श्री सनत कुमार मंडल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० से निर्यात बढ़ाने और इसकी सामान सूची को कम करने हेतु कोई नीति तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा इतनी बड़ी सामान सूची बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इसका नेल्को के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार द्वारा नेल्को की वित्तीय और तकनीकी कार्यकरण में सुधार हेतु क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ङ) नाल्को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी है। कंपनी को कार्य निष्पादन की सरकार के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कंपनी अपने वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्यात सहित निर्णय लेती है। कंपनी ने वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक सर्वाधिक लाभ कमाया है। नाल्को ने एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए अद्यतन तकनीक प्राप्त की है। एल्यूमिनियम का विक्रय मूल्य लंदन धातु विनिमय (एलएमई) मूल्य से जोड़ा जाता है। वर्ष, 1996 के दौरान एलएमई मूल्यों में गिरावट आई थी और इससे एल्यूमिनियम के सभी प्राथमिक उत्पादक प्रभावित हुए थे। इसके परिणामस्वरूप एल्यूमिनियम के सभी प्राथमिक उत्पादकों ने सामान की बड़ी सूची की स्थिति का सामना किया। इसके अतिरिक्त अंगुल की नाल्को ट्रक एसोशियेशन अगस्त, 1996 के दौरान हड़ताल पर चली गई थी।

नई मुंबई की रेल परियोजनाएं

2126. श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई मुंबई से संबंधित रेल परियोजनाओं को अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें लंबित रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो न्यू मुम्बई के संबंध में स्वीकृति हेतु लंबित हो।

दक्षिण रेल की रेल गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं

2127. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेल विशेषकर, पालघाट और त्रिवेन्द्रम डिवीजन में यात्री और मालगाड़ियों के प्राय: पटरियों से उतरने की घटनाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी गाड़ियों के पटरियों से उतरने की घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटनाओं की वजह से कितनी क्षति हुई है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) अप्रैल, 96 से जनवरी, 97 की अवधि के दौरान दक्षिण रेल में गाड़ी के पटरी से उतरने की 19 दुर्घटनाएं हुईं जिसमें पालघाट मंडल पर 7 तथा त्रिवेन्द्रम मंडल पर 3 दुर्घटनाएं शामिल हैं जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान पालघाट मंडल पर 6 तथा त्रिवेन्द्रम मंडल पर 4 गाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं सहित कुल 24 पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं हुई थीं। चालू वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं के कारण रेल संपत्ति को हुई क्षति की लागत लगभग 5.89 करोड़ रू० थी।

(ग) संरक्षा में सुधार करने तथा दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

1. महत्त्वपूर्ण मार्गों पर रेलपथ का अनुरक्षण "ऑन ट्रेक टाई टैम्पर्स" द्वारा किया जा रहा है।
2. पटरियों में छिपी हुई ऐसी कमियों, जो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, को पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक दोष संसूचकों को लगाया गया है। समय-समय पर नाजुक खंडों में पटरियों की जांच तथा झलाई की जाती है।
3. चल स्टाक के सवारी और मालडिब्बे की जांच को और मजबूत तथा युक्तियुक्त किया गया है।
4. पानी जमा होने वाले स्थानों को साफ करके मासून से पहले पूर्वोपाय किए जाते हैं।
5. कर्मचारियों के निष्पादन पर लगातार निगरानी रखी जाती है जिसमें रात में निरीक्षण करना भी शामिल है।

पश्चिम बंगाल में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ.

2128. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 31.12.96 की स्थिति के अनुसार जिलावार कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य में 31.12.96 की स्थिति के अनुसार ऐसे बूथों के आबंटन के लिए कितने आवेदन जिला-वार लंबित हैं,

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है,

(घ) क्या इनका आबंटन पात्रता के आधार पर किया जाता है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(च) क्या सहकारी समितियां और महिलाएं वरीयता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार वरीयता सूची में इन दोनों श्रेणियों को शामिल करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी।

गुवाहाटी/दीमापुर से अलग-अलग दिशाओं के लिए गाड़ियां चलाना

2129. श्री उद्धव बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गुवाहाटी/दीमापुर से देश के विभिन्न भागों के लिए रेल सेवा प्रदान करने संबंधी अब तक कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) दीमापुर-डिब्रूगढ़ टाउन खंड के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन होने से दीमापुर के रास्ते तिनसुकिया/डिब्रूगढ़ से दिल्ली और कलकत्ता तक सीधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 4055/4056 दिल्ली-दीमापुर ब्रह्मपुत्र मेल तथा 5659/5660 हवड़ा-गुवाहाटी कामरूप एक्सप्रेस के डिब्रूगढ़ टाउन/तिनसुकिया तक विस्तार करने के अतिरिक्त 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को साप्ताहिक आधार पर डिब्रूगढ़ टाउन तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त, गुवाहाटी सीधी गाड़ियों द्वारा जम्मूतवी, मुंबई, त्रिवेन्द्रम और बैंगलूरू सहित देश के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है।

माल की ढुलाई

2130. श्री बाजू बन रियान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मीटर गेज रेल लाइन के डिब्बों की अनियमित सप्लाई के कारण असम से त्रिपुरा में वस्तुओं की ढुलाई में कई बार बाधा आ रही है जिससे त्रिपुरा में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो असम से त्रिपुरा में माल की ढुलाई के लिए मीटर गेज रेल लाइन के डिब्बों की पर्याप्त संख्या में सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) असम से त्रिपुरा तक रेल द्वारा परिवहन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या, आंदोलन, बंद, दुर्घटनाओं, भूस्खलन आदि के कारण प्रायः प्रभावित होता हैं। इन कारकों के बावजूद, रेलों ने त्रिपुरा को आवश्यक वस्तुओं की सतत् आपूर्ति बनाए रखी है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न स्तरों पर संचलन की निगरानी की जाती है।

बंडेल का टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास

2131. श्री महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न दिशाओं के लिए "ई॰ एम॰ यू॰" सेवा चलाने हेतु बंडेल स्टेशन का टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) बंडेल पहले से ही टर्मिनल स्टेशन है तथा इस स्टेशन पर ई॰ एम॰ यू॰ गाड़ियां विभिन्न दिशाओं के लिए प्रारंभ तथा समाप्त होती हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में वातानुकूलित शयनयान जोड़ा जाना

2132. श्री भक्त चरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस के दो वातानुकूलित शयनयानों में से एक को हटा लिया गया है और उसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस रेलगाड़ी में दो वातानुकूलित शयनयान पुनः जोड़ने के लिए उड़ीसा से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एक अधिक लोकप्रिय गाड़ी है इसके अलावा, पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस में इसके बदले एक अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी का शयनयान मुहैया कराया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस में एक और वाता॰ 2 टियर सवारी डिब्बों की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इससे एक द्वितीय श्रेणी के शयनयान सवारी डिब्बे को हटाना पड़ेगा।

वाली विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के पास रेल फाटक बनाना

2133. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीहू के स्थानीय लोगों द्वारा टीहू और कैथलकुट्टी रेलवे स्टेशनों के बीच वाली विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के पास रेल फाटक बनाए जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कार शेड बनाना

2134. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा, सियालदह और खड़गपुर मंडलों में ई॰ एम॰ यू॰ रेक्स के रख-रखाव के लिए अब तक कितने कार शेड स्थापित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक कार शेड की क्षमता क्या है;

(ग) क्या उनकी क्षमता में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उसके बाद से अब तक वर्धमान में कोई कार शेड स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) ई॰ एम॰ यू॰ रेकों के अनुरक्षण हेतु अब तक स्थापित कार शेडों की संख्या इस प्रकार है :—

मंडल का नाम	कार शेडों की संख्या
हावड़ा	2 अदद
सियालदह	3 अदद
खड़गपुर	2 अदद

(ख) प्रत्येक कार शेड की क्षमता नीचे दी गई है :—

कार शेड का नाम	रेकों की क्षमता संख्या
(i) हावड़ा	22
(ii) बंडेल	18
(iii) नरकेलडांगा	17
(iv) सोनारपुर	21
(v) बारसात	28
(vi) टिकियापाड़ा	22.5
(vii) पांसकुरा	9.5

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) ई॰ एम॰ यू॰ रेकों के अनुरक्षण हेतु पर्याप्त क्षमता और परिचालनिक कठिनाई के कारण वर्धमान में कार शेड की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त जोन का निर्माण

2135. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु छः अतिरिक्त ज़ोनों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से पांच जोनों में जोन प्रमुख नहीं है;

(ग) क्या इन जोनों में नियमित महाप्रबंधक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इन जोनों के निर्माण में हुए विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ङ) क्या इससे रेलवे की निर्धारित आय के लक्ष्य को पूरा करने में काफी अड़चनें पैदा हुई हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन जोन प्रमुखों की नियुक्ति कब तक करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (च) छह नए जोनों में महाप्रबंधक के ग्रेड में विशेष कार्य अधिकारियों की तैनाती पहले ही कर दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

स्वचालित काफी/चाय मशीन लगाना

2136. श्री अनिल बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वेंडिंग स्टालों में स्वचालित काफी/चाय मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों को लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) हावड़ा में वेंडिंग स्टालों में ये मशीनें तत्काल लगाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

होलीडे-स्पेशल रेलगाड़ी

2137. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 1996 में तिरूपति और चेन्नई के बीच दिसंबर-जनवरी महीनों के लिए नई रेलगाड़ी होलीडे-स्पेशल चलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नई रेलगाड़ी को जारी रखने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें यात्रियों की संख्या प्रत्याशा से काफी अधिक रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे जारी रखने के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चेन्नई और तिरूपति के बीच नियमित गाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है।

नार्थ-वेस्ट एयरलाइन्स की भारत से अमरीका तक हवाई सेवा

2138. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ-वेस्ट एयरलाइन्स का विचार शीघ्र ही अपनी सेवाएं भारत से अमरीका बरास्ता आम्सटरडम तक आरम्भ करने का है;

(ख) क्या सरकार उक्त एयरलाइन्स को अपनी दिल्ली/मुम्बई से आम्सटरडम की उड़ानों को कलकत्ता के रास्ते से संचालित करने के संबंध में उनसे सम्पर्क स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विदेशी एयरलाइनों को उनकी भारत से शुरू होने वाली उड़ानों को कलकत्ता से होकर संचालित न करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस से नागर विमानन महानिदेशक से जून, 97 से एम्सटरडम से होकर भारत के लिए प्रचालन की अनुमति का प्रस्ताव किया है।

(ख) से (घ) कलकत्ता पहले से ही संयुक्त राज्य के वाहकों को अवतरण के लिए उपलब्ध है। वास्तविक प्रचालन एयरलाइन के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ा गया है।

बिक्री में कमी

2139. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे खानपान प्रबंध इकाई के उत्तरी स्कंध विक्रय स्टाल में नवंबर, 1996 से होने वाली बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में आनुपातिक कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार आनुपातिक बिक्री को बढ़ाने के लिए विक्रेताओं के साथ-साथ उत्तर स्कंध हावड़ा विक्रय स्टॉल के कर्मचारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए हावड़ा के डी॰ आर॰ एम॰ तथा पूर्वी रेलवे के वाणिज्यिक विभाग को निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) बिक्री में कोई कमी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

होटल उद्योग में निवेश बढ़ाने हेतु व्यापक नीति

2140. श्री संदीपान थोरात : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए तथा पर्यटन संवर्धन के लिए ब्याज में भारी राहत तथा पूंजीगत राजसहायता सहित अत्यधिक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले मौजूदा वित्तीय प्रोत्साहनों और प्रोत्साहनों संबंधी नए पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्रों तथा चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) जी, हां। होटल उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए बहुत से वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं जिसमें विशिष्ट होटल श्रेणियों के लिए ब्याज इमदाद, परियोजना/पूंजीगत उपकरण/कच्चे सामान आदि का आयात शामिल है। आयकर अधिनियम आदि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बहुत सी रियायतें भी उपलब्ध हैं।

हाल ही में वित्त मंत्री ने प्रोत्साहनों का एक नया पैकेज घोषित किया है जिसमें होटल उद्योग द्वारा अपेक्षित उपकरणों और वस्तुओं के लिए आयात ड्यूटी में और अधिक कमी तथा देश में विशिष्ट केन्द्रों पर नए होटलों का निर्माण करने के लिए रियायतें भी शामिल हैं।

(ग) पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास और संवर्धन करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजना ने गहन विकास के लिए राज्य सरकारों/निजी सेक्टर के सहयोग से परिपथों और गंतव्य स्थलों की पहचान की है।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय वित्तीय

सहायता हेतु प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

1. कुंकेश्वर में पर्यटक परिसर।
2. पिंगुली गांव में पर्यटक परिसर और शिल्प केंद्र।
3. धामपुर झील पर अतिथि गृह और जल क्रीड़ाएं।
4. कोंकणी गृह निम्न में है :
   (क) हरिहरेश्वर, रायगढ़ जिला।
   (ख) गणपतिपुले, रत्नगिरि जिला।
5. होटल शिर्डी में शौचालय का उन्नयन।
6. हिल रिजार्ट, औरंगाबाद का उन्नयन।

कोल्लाम और त्रिवेंद्रम के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण

2141. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्लाम और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ रेलगाड़ियों को जो एर्णाकुलम और अलपुजा तक चलाई जाती हैं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोल्लाम और कयामकुलम के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण पूरा हो चुका है, कोल्लाम तक चलाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन रेल गाड़ियों को विकलोन तक चलाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है तिरुवनन्तपुरम-कोचुवेली खंड के अप्रैल 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद आगे प्रगति करना संभव होगा।

(ग) 6315/6316 हवड़ा कोचीन एक्सप्रेस को अल्लेप्पी कोल्लम के रास्ते तिरुवनन्तपुरम तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। तथापि गाड़ियों को कोल्लम तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कोल्लम में टर्मिनल/अनुरक्षण संबंधी कठिनाइयों सहित संसाधनों की तंगी और परिचालनिक कठिनाइयां।

उत्तरी मुंबई में डाकघर खोलना

2142. श्री राम नाईक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने उत्तरी मुंबई के विस्तारित उपनगरों के क्षेत्रों का पता लगाया है जहां नए डाकघर खोलना आवश्यक है;

(ख) नए डाकघर खोलने हेतु भवन प्राप्त करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम क्या हैं; और

(ग) नए भवन प्राप्त करने में विभाग को किन-किन कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंजूर किए गए डाकघर खोलने के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने हेतु निरंतर प्रयास किए गए हैं। तथापि, फिलहाल कोई स्थान उपलब्ध नहीं है एवं इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पीड़ितों को अथवा उनके परिवारों को मुआवजे का भुगतान

2143. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाओं के कारण पीड़ितों को अथवा उनके परिवारों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : पिछले तीन वर्षों के दौरान चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाओं में जख्मी हुए व्यक्तियों या मृतकों के आश्रितों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि ये दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण हुई थीं।

खराब टेलीफोनों की शिकायतें

2144. श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महानगरों में एम॰ टी॰ एन॰ एल॰ द्वारा खराब टेलीफोनों की कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(ख) किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों को दूर करने में औसतन कितना समय लिया गया; और

(ग) ऐसी कितनी और किस तरह की शिकायतें हैं जिनका 48 घंटों की अवधि में भी समाधान नहीं किया जा सका तथा इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि॰, दिल्ली तथा मुंबई में पिछले तीन वर्षों से खराब पड़े टेलीफोनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विभिन्न किस्म की शिकायतों में सामान्यतया निम्नलिखित के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं :

(i) टेलीफोन से अवांछित आवाज/टेलीफोन निष्क्रिय (डेड) होना।
(ii) डायल की खराबी।
(iii) कोई बातचीत न होना अथवा एक ही तरफ से बातचीत होना।
(iv) आने वाली (इनकमिंग) कालें आदि आने पर घंटी न बजना।

ऊपर उल्लिखित शिकायतें, मुख्य वितरण फ्रेम (एम डी एफ)/आंतरिक,

बाह्य लाइनों/ड्रॉप वायर, अन्दरूनी फिटिंग तथा भूमिगत केबलों की वजह से होती हैं। इस समय, एम॰ टी॰ एन॰ एल॰, दिल्ली तथा मुंबई में क्रमश: 75% और 71% खराबियां 48 घंटे की निर्धारित सीमा के भीतर ठीक कर दी जाती हैं।

(ग) जिन खराबियों को ठीक करने में 48 घंटे से अधिक का समय लग जाता है उसका मुख्य कारण केबलों में खराबी तथा केबलों की चोरी आदि है। ऐसी शिकायतों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महानगर टेलीफोन निगम लि॰, दिल्ली तथा मुंबई में पिछले तीन वर्षों के दौरान खराब टेलीफोनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या

वर्ष	शिकायतों की सं॰		प्रति माह प्रति 100 केंद्र शिकायतें	
	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई
1993-94	2828596	3532025	25.60	26.6
1994-95	3152835	3868916	26.30	25.8
1995-96	3351528	3455438	23.98	19.8

महानगर टेलीफोन निगम लि॰, दिल्ली तथा मुंबई में उन शिकायतों की संख्या, जिन्हें 48 घंटे की अवधि में ठीक नहीं किया जा सका

वर्ष	दिल्ली	मुंबई
1993-94	707149	1024287
1994-95	788209	1121986
1995-96	837882	1002077

खानपान व्यवस्था

2145. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों के लिए रेल की खानपान व्यवस्था के बारे में केंद्र सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या रेल प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था ठेके के माध्यम से निष्पादित की जा रही है;

(ग) इस संबंध में मध्य रेल के भोपाल और इटारसी रेलवे स्टेशनों पर वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन स्टेशनों पर विक्रेता (वेंडर) इन दिनों खानपान व्यवस्था के विरोध में यह मांग करते रहे हैं कि यह व्यवस्था सीधे की जानी चाहिए न कि ठेकेदारों के माध्यम से; और

(ङ) यदि हां, तो इन विक्रेताओं (वेंडरों) की मांग पर रेल प्रशासन ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) विभागीय इकाइयों एवं लाइसेंसधारियों दोनों की खानपान सेवाओं के प्रबंध हेतु खानपान नीति की व्यवस्था की जाती है। आवेदन आमंत्रित करके गुणदोष के आधार पर निजी लाइसेंस धारियों को सेवाओं की पेशकश की जाती है।

(ग) भोपाल में केवल निजी लाइसेंसधारियों के माध्यम से खानपान सेवा की व्यवस्था की जाती है तथा इटारसी में इन सेवाओं की व्यवस्था विभागीय के साथ-साथ लाइसेंसधारियों द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। मांग मौजूदा नीति के अंतर्गत नहीं आती है।

गुजरात में चौकीदार रहित रेलवे फाटकों को बंद किया जाना

2146. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में चौकीदार रहित रेलवे फाटकों को बंद करने से स्थानीय लोगों को समस्याएं पैदा हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो चौकीदार रहित रेलवे फाटकों को चौकीदार सहित रेलवे फाटकों में बदले जाने की कब तक संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केवल दो समपारों, जहां यातायात शून्य है, को गुजरात राज्य सरकार के अनुमोदन से मौजूदा नजदीकी समपारों से जोड़ने का प्रस्ताव है।

एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर, कोडीकनाल

2147. **श्री ए॰ जी॰ एस॰ राम बाबू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर, कोडीकनाल के बारे में 5 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2008 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडीकनाल में 10 एफ॰ एम॰ का ट्रांसमीटर लगाए जाने का काम निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस ट्रांसमीटर के कब तक काम शुरू कर देने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) कोडईकनाल स्थित 10 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार है तथा बहुउद्देशीय स्टूडियो की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। कोडईकनाल स्थित 10 कि॰वा॰

एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर, बहुउद्देश्यीय स्टूडियो तथा अभिग्रहण सुविधा वाले रेडियो केन्द्र के जून, 1997 तक तकनीकी रूप से तैयार होने की संभावना है। स्टूडियो के पूरा होने में भारी वर्षा तथा श्रम की कमी के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। इसकी शुरूआत स्टाफ मंजूरी तथा विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, जिसकी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अभी आपूर्ति की जानी है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में डाक और तार तथा एस॰ टी॰ डी॰ सुविधाएं

2148. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में अभी तक डाक एवं तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) 1996-97 के दौरान कितने डाक एवं तार कार्यालय खोले गए;

(ग) क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई अवधि निर्धारित की गई है;

(घ) ग्राम पंचायतों में कितने डाकघरों में एस॰ टी॰ डी॰ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ङ) क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत के डाकघर में एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मध्य प्रदेश की जिन ग्रामीण पंचायतों में अब तक डाक और तार सुविधा प्रदान की गई है, उनकी संख्या क्रमशः 10037 और 543 है। तथापि देश के सभी गांवों में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के माध्यम से डाक के दैनिक वितरण की सुविधा मौजूद है। ऐसे सभी गांवों में जिनकी जनसंख्या 500 या अधिक है, लेटर बाक्सों की निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(ख) मध्य प्रदेश में अब तक 1996-97 के दौरान 4 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले जा चुके हैं।

1996-97 के दौरान कोई तारघर नहीं खोला गया है।

(ग) डाकघर खोलने के लिए वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण वर्ष-दर वर्ष आधार पर किया जाता है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। ग्राम पंचायत मुख्यालय गांवों को प्राथमिकता दी जाती है, बशर्ते कि मानदंडों की पूर्ति होती हो।

तार सुविधाएं मांग पर उपलब्ध कराई जाती हैं जो ट्रैफिक की मात्रा पर आधारित होती हैं। अतः कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) मध्य प्रदेश में ग्रामीण पंचायतों में किसी डाकघर में एसटीडी सुविधा नहीं है।

(ङ) से (छ) प्रत्येक पंचायत डाकघर में एसटीडी सुविधा सुलभ कराने के लिए कोई योजना नहीं है।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मारे गए छापे

2149. श्री जयसिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कोयले की अवैध ढुलाई को रोकने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों में कितने छापे मारे गए;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए अथवा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया;

(ग) क्या इस संबंध में प्रशासन के अधिकारी भी दोषी पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) गत दो वर्षों यथा 1995 और 96 के दौरान गाड़ियों में कोयला के अनधिकृत परिवहन की जांच के संबंध में रे॰ सु॰ ब॰ द्वारा आयोजित छापों तथा गिरफ्तार/अभियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	रे॰सु॰ब॰ द्वारा आयोजित छापों की संख्या	गिरफ्तार/अभियोजित व्यक्ति
1995	477	39
1996	481	95

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेल्यूलर फोन टैपिंग

2150. श्री नवल किशोर राय :

श्री तारीक अनवर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लिस्निंग पोस्ट" प्लान्ड टू टैप सेल्यूलर फोन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो महानगर-वार तत्संबंधी ब्यौरा तथ्य क्या है;

(ग) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान महानगर-वार ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) क्या यह प्राइवेट आपरेटरों के साथ हुए समझौते का एक भाग है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां।

तथापि, इस समय सेल्युलर टेलीफोन टेप करने वाली न तो कोई प्रणाली है और न तो दिल्ली पुलिस में ही ऐसा करने के लिए कोई प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) सेल्युलर सेवा उन कम्पनियों द्वारा प्रदान की जा रही है जिन्हें इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं जो भारतीय तार अधिनियम 1885 द्वारा शासित होते हैं। अधिनियम के खण्ड 5(2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार लाइसेंसधारी को उनके नेटवर्क से गुजरने वाले संदेशों को बाधित करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार के प्राधिकृत प्राधिकारियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करना आवश्यक होता है।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) का पाठ निम्नानुसार है :

"केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी किसी आपात स्थिति के उत्पन्न होने पर अथवा लोक सुरक्षा के हित में, यदि इस बात से समाधांन हो जाता है कि भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, दूसरे देशों से मैत्री संबंधों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अथवा आदेश द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी अपराध के किए जाने की उत्तेजना को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक अथवा समी-चीन है, तो वह निदेश दे सकता है कि किसी दूर संचार प्रणाली अथवा दूरसंचार उपकस्कर के पास किसी व्यक्ति के लिए अथवा किसी व्यक्ति से संप्रेषण के लिए लाए गये अथवा संप्रेषित किये गये अथवा प्राप्त किए गए किसी भी दूरसंचार संदेश को संप्रेषित नहीं किया गया अथवा उसका अंतर्रोधन कर दिया जाए अथवा निरुद्ध कर दिया जाए अथवा आदेश देने वाली सरकार को या आदेश में उल्लखित उसके किसी अधिकारी को बता दिया जाए। लेकिन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संवाददाता द्वारा भारत में प्रकाशन के लिए भेजे गए प्रेस संवादों को तब तक नहीं बाधित किया जाए या रोका जाएगा जब तक कि उसका प्रसारण इस उपधारा के अंतर्गत प्रतिबंधित न किया गया हो।"

(च) उच्चतम न्यायालय ने 1991 के रिट याचिका (सिविल) संख्या 256 के मामले में अपने दिनांक 18.12.1996 के आदेश के जरिए यह निदेश दिया है कि संदेशों को अवरोधित करने जिसमें टेलीफोन/सेल्युलर टेलीफोन शामिल हैं में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय माननीय न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) द्वारा प्रतिपादित क्रियाविधि संबंधी सुरक्षोपाय का अनुपालन किया जाएगा। उक्त अधिनियम (भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम) की धारा 5(2) के अंतर्गत सेल्युलर टेलीफोन सहित टेलीफोनों पर निगरानी करने संबंधी आदेश जारी करते समय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके दिनांक 18.12.96 के निर्णय में दिए गए निर्देशनों को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अनिनिर्णय के विपरीत नहीं है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में दुर्घटनाएं

2151. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) क्या सरकार ने इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने तथा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्प शक्ति के ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों में बदलना

2152. **श्री काशीराम राणा :**

श्री सनत मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात राज्य के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात के द्वारका में नवचयनित स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर हेतु निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) गुजरात में भावनगर, सूरत, वडोदरा एवं जूनागढ़ में मौजूदा अल्प शक्ति टी वी ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति टी वी ट्रांसमीटरों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का विचार है बशर्ते संसाधन एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्कीम को अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना है।

(च) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदित किए जाने के बाद सामान्यतया इस आकार की परियोजना के कार्यान्वयन में लगभग 3-4 वर्ष का समय लगता है।

[अनुवाद]

सबरीमाला का विकास

2153. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सबरीमाला के विकास के लिए तथा प्रति वर्ष वहां लाखों की संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) केरल सरकार ने पर्यटन विभाग को सबरीमाला के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

3009 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस रेल गाड़ी का विलम्ब से चलना

2154. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3009 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस रेल गाड़ी गत एक वर्ष से विलम्ब से चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल गाड़ी को समय पर चलाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 3009 अप हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस का समय-पालन कतिपय कारणों जैसे—दुर्घटनाएं, प्रदर्शनों/बन्द, खतरे की जंजीर खींचना, शरारती गतिविधियां, उपस्कर की खराबी, कानून एवं व्यवस्था स्थिति इत्यादि की वजह से संतोषजनक नहीं रहा है।

(ख) कड़ी नजर रखने और विभिन्न स्तरों पर दैनिक निगरानी सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके अलावा समयपालन अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

स्थानांतरण पर टेलीफोन लगाने में विलम्ब

2155. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से गाजियाबाद दूरसंचार जिले के साहिबाबाद स्थानांतरित किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर नहीं लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त दूरसंचार जिले के राजेन्द्र नगर क्षेत्र में उन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है जिन्होंने डिमांड नोट की राशि जमा कराई है; और

(घ) वहां टेलीफोन कनेक्शनों को शीघ्र लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) दिल्ली से गाजियाबाद दूरसंचार जिले के साहिबाबाद क्षेत्र (स्तर 62) में टेलीफोनों का स्थानांतरण जहां भी क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो सामान्यतः निर्धारित मानकों के अनुसार, अर्थात् ओ वी जारी होने के पश्चात् एक माह के भीतर कर दिया जाता है।

(ग) राजेन्द्र नगर क्षेत्र (स्तर 63) में टेलीफोन एक्सचेंज के काम न करने पर टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता के अभाव के कारण स्थानांतरण के 32 मामलें लम्बित पड़े हैं।

(घ) राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज (स्तर 63) के विस्तार करने की योजना बना ली गई है और आवश्यक प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटरीकृत डाकघर

2156. श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्थन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार कितने कम्प्यूटरीकृत डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1997-98 के दौरान और कम्प्यूटरीकृत डाकघर खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए विशेष धनराशि आवंटित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में कम्प्यूटरीकृत डाकघर खोलने के लिए मानदंड क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में ऐसे 885 डाकघर हैं जहां काउंटर सेवाओं को पीसी-आधारित काउंटर मशीनों की सहायता से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इन डाकघरों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनों के साथ काउंटर सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम विभाग की वार्षिक योजनाओं के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, जो पहले ही 1996-97 तक अनुमोदित हैं। वार्षिक योजना 1997-98 के विस्तृत कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) और (ङ) "इन हाउस कम्प्यूटरीकरण" की वार्षिक योजना स्कीम के अंतर्गत काउंटर सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। आठवीं योजनावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ 19.90 करोड़ रू॰ मुहैया कराए गए हैं।

(च) बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनों की मदद से काउंटर सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य आरम्भ में उन महत्वपूर्ण चुनिंदा डाकघरों को कवर करने का है जहां पर्याप्त ट्रैफिक और ग्राहक संरक्षण है तथा जहां ऐसी मशीनें प्रत्यक्ष रूप से अधिक अनुक्रियाशील और प्रभावी सेवाओं के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बना सकती हैं।

विवरण

3.3.97 की स्थिति के अनुसार कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की राज्यवार सूची

राज्य का नाम	कम्प्यूटरीकृत काउंटरों वाले डाकघरों की संख्या
आंध्र प्रदेश	59
असम	26
बिहार	37
दिल्ली	63
गुजरात	79
हरियाणा	21
हिमाचल प्रदेश	30
जम्मू एवं कश्मीर	07
कर्नाटक	69
केरल	75
मध्य प्रदेश	36
महाराष्ट्र	101
उत्तर-पूर्व	10
उड़ीसा	30
पंजाब	31
राजस्थान	42
तमिलनाडु	84
उत्तर प्रदेश	62
पश्चिम बंगाल	23
कुल :	885

कन्याकुमारी से जम्मू और कश्मीर के बीच रेलगाड़ी का शुरू किया जाना

2157. श्री के॰ परसुरामन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्याकुमारी से मदुरै-चेन्नई दिल्ली-चंडीगढ़-लुधियाना-अमृतसर-पठानकोट के रास्ते जम्मू और कश्मीर तक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) खण्डों के आमान परिवर्तित किए जाने सहित नई गाडियां चलाना भारतीय रेलों पर एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि संसाधनों की उपलब्धता, परिचालहनक व्यवहार्यता तथा यातायात का औचित्य हो।

कन्याकुमारी और जम्मू के बीच बरास्ता मदुरै-चेन्नई-दिल्ली-चण्डीगढ़-लुधियाना-अमृतसर-पठानकोट मार्ग पर एक सीधी गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) परिचालनिक तथा संसाधन की तंगियों के कारण।

टेलीफोन सेवाएं

2158. श्री पंकज चौधरी :

श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

कुमारी उमा भारती :

श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी टेलीफोन सेवा शुरू करने का है जिसमें प्रयोक्ता एक-दूसरे को देख सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यह प्रणाली किन स्थानों पर पहले शुरू किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। विभाग ने हाल ही में सामान्य उपभोक्ताओं को इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) संपर्कता प्रदान करनी शुरू की है। आईएसडीएन उपभोक्ता अपनी लाइनों पर ग्राहक के स्वामित्व वाले विडियो कंफ्रेंसिंग यंत्रों का प्रयोग करके बातचीत करते समय एक-दूसरे को देख सकते हैं।

(ग) और (घ) आईएसडीएन सेवा 11 शहरों अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर, लखनऊ; रांची और कानपुर में पहले ही शुरू कर दी गई है। 9वीं योजना के दौरान देश के अन्य बड़े शहरों में इस सेवा को शुरू किए जाने की संभावना है।

खान क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं

2159. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियां जैसा कि 24 दिसम्बर, 1996 के 'पायोनियर' में समाचार शीर्षक "माइन एक्सपलोरेशन फर्म्स हिट बाय स्टेट एपाथी" के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है, को अनेक राज्यों में खनिज गवेषणा के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक उठाए गए उपचारात्मक कदम क्या हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (घ) खनिज रियायतों की मंजूरी खान और खनिज (विनियमन

और विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती है। खनिज रियायत की मंजूरी संबंधी आवेदन राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उन पर कार्रवाई भी राज्य सरकारें ही करती हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची-I के अंतर्गत आने वाले खनिजों के मामले में ही केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अंतर्गत अनेक कदम उठाए हैं जिनमें खनिज क्षेत्र में विदेशी इक्विटी सहभागिता सहित निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देने के लिए कानून में संशोधन करना शामिल है। केन्द्र सरकार ने पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए बड़े क्षेत्रों की अनुमति देने हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने कुछ गैर-धात्विक खनिजों के साथ-साथ लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क आदि के खनन के मामले में 50% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता के लिए स्वतः अनुमोदन की अनुमति दी है। कानून के प्रावधानों के अनुसार मामला-दर-मामला के आधार पर अधिक इक्विटी सहभागिता की अनुमति दी जा सकती है। इस खबर में जिन कठिनाइयों का जिक्र किया गया है वे खान मंत्रालय के तत्वावधान में 26 और 27 दिसम्बर, 1996 को हुए खान और भू-विज्ञान राज्य मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलन में चर्चा के लिए रखी गई कार्यसूची मद में प्रमुख रूप से शामिल है। सचिव (खान भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है जिसमें खान और भू-विज्ञान के कुछ राज्य सचिव, भारतीय खनिज उद्योग संघ के सचिव शामिल हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ खनिज रियायत देने संबंधी मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी और विभिन्न स्तरों पर इस संबंध में होने वाली देरी को रोकने के उपाय सुझाएगी। सरकार खनन क्षेत्र के निवेशकों के साथ भी बातचीत कर रही है ताकि उनकी कठिनाईयों का पता लगाया जा सके और राज्य सरकारों के साथ विचारों के विस्तृत आदान-प्रदान के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषित खनिज भण्डारों के संबंध में भू-वैज्ञानिक डाटा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

क्रेनों की खरीद

2160. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री सुरेन्द्र यादव :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 140 टन क्षमता वाली क्रेनों की खरीद के संबंध कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्रेनों की संख्या कितनी है तथा इन्हें कितने मूल्यों पर खरीदे जाने की संभावना है, उन देशों के साथ-साथ फर्मों के नाम क्या हैं जिनके साथ यह समझौता किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार की क्षमता वाली क्रेनों का देश में निर्माण किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो इन क्रेनों का किसी विदेशी फर्म से आयात किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशों की अन्य फर्मों से भी निविदाएं प्राप्त हुई थीं; और

(च) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) पोत पर्यन्त निःशुल्क प्रति क्रेन 2.95 मिलियन ड्यूश मार्क की दर से (लगभग 6.91 करोड़ रुपए के समतुल्य) मैसर्स मैनस्मैन डेमग फोरडर टेक्नीक एजी गोटवाल्ड जर्मनी को 8 अदद क्रेनों के लिए आदेश दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। जमालपुर रेलवे कारखाना इसी तरह की क्रेनों के निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में है।

(घ) चूंकि इन क्रेनों की प्रौद्योगिकी का अभी देश में विकास किया जाना है और दुर्घटना राहत उपस्कर के रूप में विशेषत: परिवर्तित मार्गों पर इन क्रेनों की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन 8 क्रेनों का आयात किया जा रहा है।

(ङ) जी, हां।

(च) तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए दो फर्मों को सीमित निविदा जारी की गई थी। दूसरी मैसर्स कोवन्स शेल्डन/यू. के. थी।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड-लाभ

2161. श्री आई. डी. स्वामी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने यह टिप्पणी की है कि एम. टी. एन. एल. ने 21.3.96 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपना लाभ 109.10 करोड़ रुपए कम दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) लेखा परीक्षा ने यह प्रेक्षण किया है कि 137.16 करोड़ रु. की सीमा तक कम लाभ दिखाया गया है जिसका कारण मूल्यह्रास नीति और अन्य मामले रहे हैं, तथा 28.06 करोड़ रु. तक अधिक लाभ दिखाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 109.10 करोड़ रु. की सीमा तक कम लाभ दिखाया गया है।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि. ने नियंत्रक एवं महालेखा

परीक्षक के विभिन्न बिन्दुओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया था और 0.39 करोड़ रु. के अधिक लाभ के आंकड़े दर्शाए हैं।

बाल श्रम

2162. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा स्थित वी॰ वी॰ गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने हाल ही में बाल श्रम के संबंध में कोई सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई चर्चा संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) और (ख) वी॰ वी॰ गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा द्वारा 27 जनवरी, 1997 को बाल श्रम के बारे में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। इसमें, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अध्यक्षों और परियोजना निदेशकों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसाय संघों, नियोजक संगठनों, और अ॰ श्र॰ सं॰ एवं यूनीसेफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेमिनार में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष स्कूलों में जाने वाले सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच, विशेष स्कूलों में समुचित व्यावसायिक शाखा की शुरूआत, बाल श्रम के उन्मूलन में व्यवसाय संघों द्वारा सकारात्मक भूमिका और बाल श्रम बहुल क्षेत्रों में बाल श्रम से संबंधित कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन शामिल है।

[हिन्दी]

बिहार में डाकघरों की कमी

2163. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के ग्रामीण जिलों विशेषकर गोड्डा, जमुई, बांका, देवघर और दुमका में डाकघरों की कमी है और इन जिलों में और अधिक डाकघर खोलने के लिए बार-बार मांग की जा रही है;

(ख) क्या अभी तक जमुई जिले में गोड्डा-चकई और सोनो जिला मुख्यालयों के पाथरगवां, पोरेमाहार खण्डों में एसटीडी सुविधा प्रदान नहीं की गई है जबकि वहां पर टेलीफोन सुविधा पहले से ही विद्यमान है;

(ग) क्या सरकार के आश्वासन के बावजूद इस संबंध में अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार के ग्रामीण जिलों में विशेषतया गोड्डा, जमुई, बांका, देवघर और दुमका में डाकघरों की कोई कमी नहीं है। इन जिलों में डाकघरों द्वारा कवर किए जाने वाले ग्राम पंचायत गांवों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह दर्शाता है कि इन जिलों में ग्राम पंचायत गांवों में डाक नेटवर्क ग्राम पंचायत गांवों में राष्ट्रीय नेटवर्क की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

जिले का नाम	डाकघर वाले ग्राम पंचायत गांवों की प्रतिशतता
गोड्डा	55.68
जमुई	71.00
बांका	70.00
देवघर	47.00
दुमका	57.54
राष्ट्रीय	50.00 प्रतिशत

तथापि इन जिलों में और डाकघर खोलने की मांग है।

(ख) पत्थरगांवा, पोड़ैयाहाट और चकाई में एसटीडी सुविधा पहले ही सुलभ करा दी गई है। सोनो में एसटीडी सुविधा 1997-98 के दौरान सुलभ कराने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खड़गपुर-टाटा सेक्शन पर ई॰एम॰यू॰ रेलगाड़ी शुरू करना

2164. श्री रूपचंद मुर्मु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण पूर्व रेल के खड़गपुर-टाटा सेक्शन पर लोगों द्वारा अपर्याप्त सवारी गाड़ियों के कारण अनुभव की जा रही परेशानियों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सेक्शन में और ज्यादा ई॰ एम॰ यू॰ रेलगाड़ी शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) खड़गपुर-टाटा खण्ड पर मौजूदा सुविधाएं यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त हैं। बहरहाल, कुछ अवधियों में अतिरिक्त भीड़-भाड़ रहती है।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार में अनियमितताएं

2165. श्री के॰ डी॰ सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हिमाचल प्रदेश में कितने ठेकेदारों को ठेके प्रदान किए गए; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान टेलीफोन केबल बिछने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। विभागीय निरीक्षण के दौरान, 14 रूट लम्बाइयों के कुछ स्थानों में ऑप्टीकल फाइबर केबल विनिर्दिष्ट गहराई की अपेक्षा कम गहराई पर बिछाने में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं।

(ग) कुल 226 ठेकेदारों को केबल बिछाने के ठेके दिए गए।

(घ) पिछले वर्ष के दौरान इन कार्यों पर कुल 666.17 लाख रू० खर्च हुए।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स की सहायक कम्पनी "एलायन्स एयर"

2166. श्री पी० आर० दासमुंशी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में इंडियन एयरलाइन्स की सहायक कम्पनी "एलायन्स एयर" की किस वर्ष स्थापना की;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स तथा "एलायन्स एयर" के पायलट, इंजीनियर, चालक दल तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे तथा अन्य सेवा शर्तों के बीच कोई अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) एलायंस एयर 1983 में इंडियन एयरलाइन्स लि० द्वारा गठित एक पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी एयरलाइन एलाइंस सर्विसेज लि० (ए ए एस एल) द्वारा प्रचालित विमान कंपनी का ब्रांड नाम है। एलायंस एयर ने 15 अप्रैल, 1996 से एयर लाइन के प्रचालन प्रारंभ किए थे।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स तथा एलाइंस एयर में कार्मिकों के नियोजन संबंधी अनुबंध और शर्तें दो भिन्न-भिन्न संगठन होने के कारण तुलनीय नहीं हैं। एलायंस एयर, इंडियन एयरलाइंस से प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान पर तथा अनुपलब्धता की स्थिति में खुले बाजार से ठेकों के आधार पर विमानचालकों तथा अन्य कार्मिक प्राप्त कर रहा है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर स्टॉप/हाल्ट

2167. श्री राम कृपाल यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी के स्टॉप/हाल्ट के प्रावधान के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान किन-किन संसद सदस्यों से स्टेशनों का विवरण सहित स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के हाल्ट/स्टॉप हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) किसी गाड़ी के ठहराव का विनिश्चय यातायात की मात्रा और स्वरूप, मौजूदा सेवाओं की उपलब्धता तथा गाड़ी की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

2168. श्री सनत मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेहसाना-पाटन छोटी लाइन के इस शर्त के साथ बड़ी लाइन में बदलने का है कि कलोल-कटोसन की अलाभकारी शाखा लाइन को बन्द कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने कलोल-कटोसन की वर्तमान सेवाओं को प्रभावित किए बिना उपर्युक्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रेफाइट के भण्डार

2169. श्री बृज मोहन राम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के पलामू जिले के चैनपुर प्रखण्ड के सोकारा गांव में उच्च स्तर के ग्रेफाइट के भण्डार के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में खनन कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्ष 1965-66 के दौरान सोकारा क्षेत्र का अन्वेषण किया था। अन्वेषण से ग्रेफाइट वाले क्षेत्र का पता चला है जिसकी लम्बाई 160 एम और 1.5 एम औसत चौड़ाई है। अनुमान है कि 6,000 टन के कुल भण्डार हैं।

तथापि, 1.4.1990 की स्थिति के अनुसार बिहार के पूरे पलामू जिले में 78,000 टन ग्रेफाइट के परीक्षित भण्डार हैं (स्रोत : राष्ट्रीय खनिज सूची)

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक अन्वेषण शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

आमान परिवर्तन

2170. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णिया होते हुए कटिहार और जोगबनी सैक्शन के बीच छोटी लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन करने का कार्य लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) पूर्णिया के रास्ते कटिहार-जोगबनी खंड के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है।

एक बार सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास का आकलन

2171. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1996 के दौरान पर्यटन विकास संबंधी अनुमानों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996 के दौरान देश में अनुमान की तुलना में कितने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का अनुमानित कितना नुकसान हुआ;

(घ) देश में पर्यटन क्षेत्र में गतिरोध के लिए किन कारणों का पता लगाया गया है; और

(ङ) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या नीति तैयार की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) वर्ष 1996 के दौरान दर्शाई गई लगभग 8% की वृद्धि की तुलना में 7.7% की सकारात्मक वृद्धि को दर्ज करते हुए देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन 22,87,860 हुआ था। इस प्रतिशत का आंशिक अन्तर, मुख्यत: पाकिस्तान से होने वाले आगमन में कमी होना था। वर्ष के दौरान पर्यटकों से विदेशी मुद्रा आय में कोई विशेष कमी नहीं हुई।

(ङ) पर्यटन के संवर्धन हेतु नीति में आधारिक संरचना सुविधाओं में सुधार, संवर्धनात्मक प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करना तथा मानव संसाधन का विकास करना शामिल है।

[हिन्दी]

रतलाम-बांसवाड़ा-डुंगरपुर-हिम्मतनगर रेल लाइन

2172. श्री भेरूलाल मीणा :

श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम-बांसवाड़ा-डुंगरपुर-हिम्मतनगर को रेल से जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है; और

(ग). यदि नहीं, तो उपर्युक्त सर्वेक्षण कार्य आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण 31.12.97 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात का निर्यात

2173. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री भक्त चरण दास :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के प्रथम नौ महीनों के भीतर (अप्रैल-दिसम्बर) घरेलू इस्पात के निर्यात में 31.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अगले वित्त वर्ष में 50% तक निर्यात की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) 1996-97 के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान प्रमुख उत्पादकों अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा परिसज्जित इस्पात का अनुमानित निर्यात 7.47 लाख टन किया गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 36.6% अधिक है।

(ग) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार लोहे और इस्पात का निर्यात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है। लोहे और इस्पात का निर्यात और इसके गंतव्य स्थान कई घटकों जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग, घरेलू मूल्य, आयात करने वाले देशों में इस्पात के मूल्य आदि पर निर्भर करता

है। ये घटक सामान्यतया गत्यात्मक होते हैं और बार-बार बदलते रहते हैं। विद्यमान बाजार स्थितियों के आधार पर उद्यम स्वयं निर्यात बाजार का पता लगाते हैं और निर्यात करते हैं। अतः सरकार निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती। तथापि निर्यात की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(i) विनिमय की बाजार दर पर निर्यात से हुई आय की पूर्ण परिवर्तनीयता।

(ii) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत निर्यात कर्ताओं को कच्चे माल की अपनी आवश्यकताओं को बिना शुल्क के आयात करने की सुविधा उपलब्ध है।

(iii) निर्यात किए जाने वाले सामान के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले किसी आयातित अथवा उत्पादन शुल्क योग्य सामग्री पर दिए गए शुल्क को वापिस करना।

(iv) निर्यात से अर्जित आय को धारा—80 एच०एच०सी० के अंतर्गत आयकर से छूट।

[हिन्दी]

श्रमिकों का कल्याण

2174. श्री पवन दीवान :

श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण तथा विकास के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के कल्याण और विकास के संबध में अनेक कदम उठाए हैं। असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मकारों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्साहन) अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम तथा अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम आदि जैसे अनेक विद्यमान श्रम कानून लागू होते हैं। ये कानून उनकी मजदूरी, कार्य घंटे, सामाजिक सुरक्षा आदि के मामले में उनके हितों की देखभाल करते हैं। श्रम मंत्रालय, बीड़ी, खानों (चूना पत्थर/डोलोमाइट, लौह, मैंगनीज क्रोम और अभ्रक) तथा सिने कर्मकारों के लिए आवास, शैक्षणिक, चिकित्सा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं के क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए विधान द्वारा स्थापित पांच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन निधियों के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

निधि का नाम	वास्तविक व्यय		
	1993-94	1994-95	1995-96 (लाखों में)
बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि	1661.76	2159.50	2523.77
अभ्रक कर्मकार कल्याण निधि	191.49	203.21	226.83
लौह अयस्क कर्मकार कल्याण निधि	324.03	444.72	574.61
चूना पत्थर कर्मकार कल्याण निधि	295.96	275.65	322.59
सिने कर्मकार कल्याण निधि	4.55	9.20	71.43

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों का विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०), स्वःरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), रोजगार आश्वासन योजना (ई० ए० एस०) और हाल ही में की गई राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एन एस ए एस) इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए लाभों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

योजना का नाम	प्रदान किए गए लाभ	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)	सहायता प्रदान किए गए परिवारों की संख्या	2215421	2089400	989631 दिसम्बर, 1996 तक
जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवसों में)	9517.07 (लाख)	8958.25 (लाख)	2591.59 (लाख) जनवरी 1997 तक
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं	लाभान्वित महिलाओं की	592026	697088	514223 जनवरी, 1997 तक

1	2	3	4	5
और बालकों का विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए)	संख्या			
स्व: रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	281874	301651	199668 फरवरी, 1997 तक
रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस)	सृजित श्रम दिवस (लाखों में)	2739.56 (लाख)	3465.27 (लाख)	1892.02 (लाख) दिसम्बर, 1996 तक

आठवीं योजना के दौरान, ग्रामीण विकास के लिए परिव्यय को 10,650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए भी परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

कृषि और निर्माण कार्य में असंगठित क्षेत्र के सर्वाधिक कर्मकार नियोजित हैं। भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 नामक दो विधानों को निर्माण कर्मकारों की कार्यप्रणाली और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए और उनके लिए कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस विधान से लगभग 8.5 मिलियन निर्माण कर्मकारों को लाभ प्राप्त होगा।

जी॰ सी॰ एस॰ पदों का भरा जाना

2175. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी॰ सी॰ एस॰ पदों को अपर्याप्त विज्ञापन उपशमन अवधि और अंशकालिक अनुभव अर्हता आदि में मनमानी छूट देकर भरा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि अनुभवी और योग्य अधिकारी, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर जाने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ का चयन किया जा सके और संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत पारदर्शिता और समानता के अवसर को गारंटी सुनिश्चित की जा सके; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अवर सचिव के रूप में नियमित प्रोन्नति में एक दशक के विलम्ब के कारण अधिकारियों को अलाभकारी स्थिति का सामना करना पड़ता है और वे 13 वर्षों से अधिक के लिए अनुभाग अधिकारी के रूप में जी सी एस आधारित उनकी सेवा में जेएजी पद हेतु विचारणीय है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) रोजगार समाचार में रिक्तियों के सर्क्युलेशन द्वारा सामान्य सिविल सेवा पदों को नियमित आधार पर भरा गया है। भर्ती नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार-उम्मीदवार का चयन किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1986 पैनल के बाद सीएसएस के लिए अवर सचिव ग्रेड हेतु सीधी भर्ती वाले तथा पदोन्नत किए गए अनुभाग अधिकारियों के बीच अंतरवरिष्ठता के संबंध को लेकर हुए विवाद की मुकदमेबाजी के कारण नियमित पदोन्नतियां नहीं हुई हैं। चूंकि भर्ती नियमों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है, अत: भर्ती नियमों में निर्धारित शर्तों का पालन करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों की उम्मीदवारी पर सामान्य सिविल सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पदों के लिए उचित रूप से विचार किया जाता है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के मामले में भी भर्ती नियमों में निर्धारित शर्तों का पालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेलवे की निर्माणाधीन परियोजनाओं का पूरा होना

2176. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे की निर्माणाधीन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के समय से पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संसाधनों की तंगी।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	96-97 में उपलब्ध की गई निधि	97-98 में उपलब्ध की गई निधि	टिप्पणियां/विलम्ब के के कारण
	नई लाइनें			
1.	लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना	4.75	5.00	भूमि अधिग्रहण
2.	दुमका के रास्ते मंदार हिल-रामपुर हाट	1.00	5.00	——
	दोहरीकरण			
3.	साहिबगंज-न्यू फरक्का-मालदा टाउन	1.00	1.00	अतिक्रमण और बाढ़ से नुकसान
4.	सोन नगर-मुगलसराय-तीसरी लाइन	12.00	28.00	अधिक संतृप्त खंड होने के कारण यातायात की सीमित उपलब्धता/पावर ब्लॉक/गति प्रतिबंध गैर अन्तर्पाशित कार्य प्रणाली
5.	खाना-सैंथिया (चरण-I)	1.43	4.00	ठेकेदार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा
6.	झापटेरढाल-गुसकारा (चरण-II)	1.00	4.00	अनुवर्ती ठेकेदारों की विफलता
7.	चंदनपुर-गुरूप-तीसरी लाइन	1.00	1.00	——
8.	गुसकारा-बोलपुर (चरण-III)	1.73	4.50	——

स्वतंत्र कलाकार

2177. श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के लिए कई स्वतंत्र कलाकार भी कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा इन कलाकारों को पहचान-पत्र दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न श्रेणियों यथा कमीशंड, प्रायोजकता तथा रायल्टी आदि के अंतर्गत, दिल्ली दूरदर्शन के लिए बाहरी निर्माताओं से कई कार्यक्रम तैयार कराए जाते हैं। ऐसे निर्माताओं का ब्यौरा केंद्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नियमित कर्मचारियों और नैमेत्तिक कार्यों को करने वाले कर्मचारियों जैसेकि कार्यक्रम निर्माण स्टाफ/समाचार वाचकों/उद्घोषकों आदि को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। बाहरी निर्माताओं को पहचान पत्र जारी करना न तो आवश्यक है और न ही व्यवहार्य है।

डाक भवनों का निर्माण

2178. श्री आर॰ एल॰ पी॰ वर्मा :

श्री पी॰ एस॰ गढ़वी :

श्री जयसिंह चौहान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले के नलिया, खावड़ा, केरा, कुकमा तथा लकाड़िया गांवों में डाक भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिगृहीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो ये प्रस्ताव कब से लम्बित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) उपरोक्त गांवों में डाकघरों के अपने निजी भवनों में कब तक स्थानान्तरित हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा कच्छ जिले के निम्नलिखित गांवों में उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से भू-खण्ड अधिगृहीत किए गए हैं :—

क्रम सं०	गांव का नाम	अधिग्रहण की तारीख
1.	नलिया	15.5.1992
2.	केरा	18.7.1983
3.	कुक्मा	10.1.1983
4.	खावडा	09.7.1981

लकाडिया गांव में कोई भू-खण्ड अधिगृहीत नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) धनराशि की कमी के कारण विभाग निर्माण कार्य आरंभ नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, डाक भवनों का निर्माण पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता तथा परियोजनाओं की प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

विकास प्रखंडों को एस० टी० डी० सुविधा

2179. श्री सुखलाल कुशवाहा :

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी :

श्री सी० नरसिम्हन :

श्री एन० जे० राठवा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1997 के अंत तक प्रत्येक राज्य के सभी विकास प्रखंडों को एसटीडी सुविधा से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विकास प्रखंडों की क्या संख्या है जहां वर्ष 1996 के दौरान एसटीडी सुविधा प्रदान की गई थी;

(घ) देश के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत एसटीडी केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में और ज्यादा एसटीडी केंद्र खोलने के लिए अपनाई जा रही नीति का क्या ब्यौरा है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) उक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) मांग होने पर फ्रेंचाइज आधार पर एसटीडी पीसीओ प्रदान किए जा रहे हैं, बशर्ते कि तकनीकी तथा प्रशासनिक रूप से व्यवहार्यता हो।

— जहां कहीं भी तकनीकी तथा प्रशासनिक रूप से व्यवहार्यता हो वहां मांग होने पर फ्रेंचाइज आधार पर ग्रामीण पंचायत टेलीफोनों पर एसटीडी सुविधा प्रदान की जा रही है।

— यह भी प्रस्ताव किया गया है कि 9वीं योजना अवधि के दौरान सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को एसटीडी सुविधा प्रदान कर दी जाए।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

2180. श्री सोहनवीर :

श्री एल० रमना :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश में कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई है;

(ग) ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जो पहले ही पूरी की जा चुकी हैं तथा इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 496.39 लाख रुपए की राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। परियोजनाओं को कार्यान्वित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

निर्माण परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा पूरे होने के विभिन्न चरणों में है।

(घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों जिसमें उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, में पर्यटन के विकास के लिए एक कृतिक बल की स्थापना की है।

[अनुवाद]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

2181. श्री अजय मुखोपाध्याय :

डा० असीम बाला :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेल के सियालदह मंडल के राणाघाट-गेडे, राणाघाट बोंगांव, कृष्णनगर-लालगोला तथा बारसाट-हुसनाबाद खण्डों पर विद्युतीकरण कार्य शुरू करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रस्ताव स्वीकृति हेतु योजना आयोग

को भेजे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रानाघाट-गेडे और रानाघाट-बोंगांव खण्डों के विद्युतीकरण को चरणों में शुरू किया जाएगा। बहरहाल कृष्णा नगर-लालगोला तथा बरासात-हसनाबाद खंडों को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) रानाघाट-गेडे और रानाघाट-बोंगांव खंडों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को कार्य निष्पादन से पूर्व स्वीकृति हेतु योजना आयोग के पास भेजा जाएगा।

(घ) संसाधनों की तंगी के कारण कृष्णा नगर-लालगोला तथा बरासात-हसनाबाद खंडों को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चेन्नई में अतिरिक्त प्लेटफार्म की आवश्यकता

2182. श्री के. कंडासामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपनगरीय रेलों हेतु चेन्नई मध्य रेलवे स्टेशनों पर दो या तीन और प्लेटफार्मों के तत्काल निर्माण की आवश्यकता से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) चेन्नई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर उपनगरीय यातायात के मौजूदा स्तर को संभालने के लिए उपलब्ध प्लेटफार्म कुल मिलाकर पर्याप्त है। हालांकि, उपनगरीय यातायात में भावी वृद्धि को संभालने के लिए चेन्नई में एक अतिरिक्त प्लेटफार्म की व्यवस्था करने का कार्य स्वीकृत है।

टेलीफोन कॉल के लिए शुल्क

2183. श्री विजय गोयल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चार महानगरों को छोड़कर देश में अन्य स्थानों पर "फिक्स्ड" टेलीफोन से सेल्युलर फोन को जाने वाली टेलीफोन काल के शुल्क में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चार महानगरों को छोड़कर देश के सभी भागों में मोबाइल टेलीफोन पर की जाने वाली कॉल के लिए एस टी डी शुल्क का भुगतान करना होगा जबकि वर्तमान में प्रत्येक काल के लिए एक रुपया लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दूरसंचार सर्किलों में प्रचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त स्थिर नेटवर्क (पी एस टी एन) से सेल्युलर नेटवर्क में की गई कॉलों के लिए पहली बार प्रभार निर्धारित किए गए हैं। चूंकि, इस सेवा के लिए पहले कोई टैरिफ निर्धारित नहीं किया गया था अतः प्रभारों में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) आदेश की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) एक सर्किल के अंतर्गत ऐसी सभी कॉलों के लिए यूनिट कॉलें एक नियत पल्स दर पर होंगी।

विवरण

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

सं. 106-21/96 पीएचसी संचार भवन नई दिल्ली-1

सेवा में,

सभी मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिले।
मुख्य महाप्रबंधक, एमटीएनएल, नई दिल्ली/मुंबई।

विषय :—दूरसंचार सर्किलों में प्रचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त स्थिर नेटवर्क (पीएसटीएन) से सेल्युलर नेटवर्कों को की गई कॉलों के टैरिफ।

दूरसंचार विभाग ने, दूरसंचार सर्किलों में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालनार्थ लाइसेंस जारी किए हैं। पीएसटीएन से सेल्युलर नेटवर्कों को की गई कॉलों के लिए टैरिफ निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया गया है :—

(i) इंट्रा-सर्किल कॉलें 8/16/24/36 सैकेंड प्रति यूनिट कॉल की पल्स दर पर प्रभारित की जाएंगी। भले ही कालिंग और कॉल किए गए उपभोक्ता की लोकेशन कुछ भी हो।

(ii) अंतः सर्किल कॉलें पल्स दर पर प्रभारित होंगी। यह दर "काल्ड सर्किल" में मूल "टैक्स" से "डेजिगनेटिडनोशनल टैक्स" को की गई कालों पर लागू है अर्थात्, "काल्डनोशनल टैक्स" तक सामान्य एस टी डी दर।

2. अंतः मैट्रो सिटी (कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई) के लिए, 2/4/6/8 सैकेंड प्रति यूनिट कॉल की पल्स दर पर प्रभारित करना जारी रहेगा।

3. नोशनल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की सर्किलवार सूची अनुबंध में दी गई है।

4. इस व्यवस्था के साथ, महानगरों और दूरसंचार सर्किलों के बीच कॉलें अंतः सर्किल कॉलों के रूप में प्रभारित होंगी।

5. ये आदेश 15.2.1997 से लागू होंगे। इस बीच आवश्यक तकनीकी इन्तजामात किए जाएं। यह टैरिफ ढांचा, सर्किल स्तर और साथ ही एस. एस. ए. स्तर पर विज्ञापनों को जारी करके प्रिंट मीडिया के जरिए तत्काल जनता के नोटिस में लाया जाए। टेलीफोन डाइरेक्टरियों में टैरिफ सूचना में आवश्यक "एडीशंस" भविष्य के प्रकाशनों के वास्ते किए जाएं।

6. टैरिफ अध्ययन सेवा के प्रचालनीकरण से एक वर्ष की अवधि के लिए किए जाएंगे, जिसके विस्तृत ब्यौरे अलग से जारी किए जाएंगे।

7. इसे सदस्य (वित्त) की सहमति (डायरी सं॰ 53 तारीख 2.1.97) से जारी किया जाता है।

ह/॰
(ए॰ के॰ मित्तल)
निदेशक (सी.एस.)

प्रतिलिपि :

1. सीएमडी, एमटीएनएल, न॰ दि॰
2. वरिष्ठ उपमहानिदेशक (वित्त)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रौ॰)/उप महानिदेशक (एमएस)/महानिदेशक (एनएम)/महानिदेशक (वीएएस)/उप महानिदेशक (बीएस)/उपमहानिदेशक (टीआरएफ)।
3. सीजीएम, टी एंड डी सर्किल, जबलपुर।
4. वरिष्ठ महाप्रबंधक, टेलीफोन्स, अहमदाबाद/बंगलौर।

आमान परिवर्तन

2184. डा॰ एम॰ जगन्नाथ :

श्री एल॰ रमना :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे ने कोस्टल राक और वास्को-डि-गामा के बीच 75 कि॰ मी॰ के आमान परिवर्तन और येरगुंटला और नन्दयाल के बीच 126 कि॰ मी॰ की नई रेल लाइन बिछाने की दो परियोजनाएं शीघ्र शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन दो परियोजनाओं में रेलवे द्वारा निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना में कुल कितना खर्च होगा और इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू होगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

खण्ड	अनुमानित लागत	पूरा करने का लक्ष्य
आमान परिवर्तन		
1. कैसलरॉक-वास्को	522 करोड़ रु॰	31.3.97
नई लाइन		
1. नंदयाल-येरागुंटला	155.74 करोड़ रु॰	फिलहाल अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण की योजना और कागजात तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना को दसवीं योजना अवधि में पूरा करने का लक्ष्य है।

रेलगाड़ी में 3 टियर ए॰ सी॰ कोच सुविधा की व्यवस्था

2185. श्री नामदेव दिवाथे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वर्ष के दौरान ए॰ सी॰ 3 टियर सवारी डिब्बे प्रदान किए जाने का विचार है; और

(ख) लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मार्च '97 से निम्नलिखित गाड़ियों में वातानुकूल 3 टियर शयनयान सवारी डिब्बे की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है :

1. 3143/3144 दार्जिलिंग मेल
2. 2625/2626 केरल एक्सप्रेस
3. 5659/5660 कामरूप एक्सप्रेस

अप्रैल से दिसंबर 1997 के दौरान ऐसे सवारी डिब्बों के साथ गाड़ियां चलाने को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों से इतर गाड़ियों के वातानुकूल 3 टियर सवारी डिब्बों में यात्रियों के लिए बिस्तरबंदों की आपूर्ति, मांग करने पर और निर्धारित प्रभारों का भुगतान करने पर की जाती है। किराया संरचना पृथक होने के कारण, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के वातानुकूल 3 टियर सवारी डिब्बों में यात्रियों को इनकी आपूर्ति निःशुल्क की जाती है। स्थैतिक और चल यूनिटों के माध्यम से लंबी दूरी के यात्रियों के लिए खानपान के पर्याप्त प्रबंधों की व्यवस्था की जाती है।

दिल्ली में रिंग रेल सेवा

2186. श्री के॰ पी॰ सिंह देव :

श्री तारीक अनवर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में रिंग रेल सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस नेटवर्क को व्यवहार्य बनाने हेतु मुख्य केरिडोर सहित प्रस्तावित कितने अतिरिक्त ट्रेक का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम से पहले रिंग रेल प्रणाली की किसी योजना को आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) रिंग रेलवे प्रणाली की योजना मूलतः दिल्ली/नई दिल्ली के भीड़-भाड़ और व्यस्त यार्डों में माल गाड़ियों के आने से बचने के लिए गुड्स

परिहार लाइन के रूप में बनाई गई थी। उनकी योजना दैनिक यात्रियों की ढुलाई करने के लिए नहीं बनाई गई थी। एशियाड के दौरान यात्री सेवाएं चलाई गई थी। ताकि दिल्ली से बाहर के व्यक्ति रिंग रेलवे पर यात्रा कर सकें। इस समय इन लाइनों पर चलाई जाने वाली माल गाड़ियों की संख्या काफी अधिक है और इस मार्ग पर अतिरिक्त यात्री गाड़ी सेवाएं चलाने की संभावना सीमित है।

24.9.96 को सम्पन्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/योजना बोर्ड की बैठक में यह विनिश्चय किया गया था कि दिल्ली में रिंग रेलवे के साथ-साथ दो अतिरिक्त रेलपथ बिछाने की व्यवहार्यता का अध्ययन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/योजना बोर्ड के समन्वय से दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा किया जाएगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मॉस कम्युनीकेशन

2187. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मॉस कम्युनीकेशन्स की शाखाओं की राज्य-वार तथा स्थान-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में उक्त संस्थान की और शाखाएं खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन शाखाओं की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) भारतीय जन संचार संस्थान की शाखाएं निम्नलिखित हैं :—

राज्य का नाम		स्थान
1.	उड़ीसा	धेनकनाल
2.	केरल	कोट्टयम
3.	मध्य प्रदेश	झाबुआ
4.	नागालैण्ड	दीमापुर

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सिंगापुर के लिए उड़ानें

2188. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के लिए और उड़ानें शुरू किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद से सिंगापुर के लिए उड़ान सेवा शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस अपनी ग्रीष्म अनुसूची 1997 में बंगलोर तथा कलकत्ता से सिंगापुर के लिए सप्ताह में तीन तथा मद्रास से सिंगापुर के लिए सप्ताह में एक उड़ान आरंभ करने की योजना बना रही है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की इस समय हैदराबाद से सिंगापुर के लिए सेवा आरंभ करने की कोई योजना नहीं है।

भारत में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

2189. श्री आर॰ साम्बा सिवा राव :

श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किसी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य लक्ष्य इसकी शक्तियां और इसका अधिकार क्षेत्र क्या है;

(ग) इस प्राधिकरण द्वारा किस तारीख से कार्यारंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन 20.2.1997 से कर दिया गया है।

(ख) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य देश में दूरसंचार क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए भारतीय तथा विदेशी दोनों निवेशकों में पूंजी निवेश करने का फिर से विश्वास पैदा करना तथा उनमें उचित प्रतिस्पर्धा के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है।

प्राधिकरण को अन्य शक्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित शक्तियां भी दी गई हैं :—

(i) सेवा प्रदाताओं के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सूचना मांगना,

(ii) किसी सेवा प्रदाता के कार्यों के संबंध में किसी भी मामले की जांच पड़ताल करना,

(iii) सेवा प्रदाता की पुस्तकों और अभिलेखों का निरीक्षण करना,

(iv) अध्यादेश और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियमन बनाना ताकि अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित किया जा सके।

यह प्राधिकरण फीस और अन्य प्रभारों की वसूली ऐसी दरों पर कर सकता है और ऐसी सेवाओं का निरीक्षण कर सकता जिसको विनियमन द्वारा निर्धारण किया जाए।

(v) यह प्राधिकरण अपने कार्यों का निर्वाह करते समय जब कभी आवश्यक समझे, सेवा प्रदाताओं की समय-समय पर यथावश्यक निर्देश जारी कर सकता है।

(ग) और (घ) यह प्राधिकरण मार्च, 1997 से अपना कार्य प्रारंभ करेगा और केन्द्र सरकार ने इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक सदस्य के पदों की नियुक्तियों के सिलसिले में दिनांक 20.2.1997 को पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है।

खनन क्षेत्र को निर्देश

2190. श्री नंद कुमार साय :

कुमारी उमा भारती :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन क्षेत्र को नए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए निर्देशों को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश में किस हद तक वृद्धि होने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने अक्तूबर, 1996 में पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए बड़े क्षेत्रों की मंजूरी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, एक आवेदक को समूचे देश में हवाई पूर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए अधिकतम 10,000 वर्ग कि० मी० तक के क्षेत्र की अनुमति दी जा सकती है। उक्त मंजूरी के लिए आवेदन केवल राज्य सरकारों को ही भेजे जाते हैं। केन्द्र सरकार अनुरोध पर तभी विचार करेगी जब राज्य सरकार केन्द्र सरकार को आवेदनों की सिफारिश करेगी। मार्गदर्शी सिद्धांतों में बहुत अधिक क्षेत्र छोड़ने (ताकि तीन वर्षों की समाप्ति पर विस्तृत पूर्वेक्षण के लिए आवेदक के पास केवल 25 वर्ग किमी० का क्षेत्र रह जाए) आवेदक की ओर से विशिष्ट खर्च की प्रतिबद्धता और हवाई पूर्वेक्षण की योजना निहित है।

खनिज क्षेत्र में विदेशी सीधे निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में जनवरी, 1997 में कुछ गैर धात्विक खनिजों के खनन के अतिरिक्त लौह अयस्क मैगनीज अयस्क, क्रोमाइट, बाक्साइट, ताम्र सीसा और जस्ता अयस्क के खनन के मामले में 50% तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए स्वत: आदेश की अनुमति दी है। सरकार ने खनन के लिए स्वर्ण, चांदी और कीमती/अर्द्ध-कीमती पत्थरों से संबंधित सेवाओं को छोड़कर आकस्मिक सेवाओं, अर्थात् वेधन शाफ्ट, सिंकिंग खानों का सुधार, सर्वेक्षण/मानचित्रण के लिए 74% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए स्वत: अनुमोदन आदेश की भी अनुमति दी है। अधिक इक्विटी भागीदारी पर नई खनिज नीति, 1993 के अंतर्गत निर्दिष्ट नीति के अनुसार एफबीआई आदेश के माध्यम से मामला दर-मामला के आधार पर विचार किया जा सकता है। उम्मीद है कि सरकार के उक्त निर्णयों से खनिज क्षेत्रों में विदेशी सीधे निवेश बढ़ेगा।

विशेष रेलगाड़ियों के लिए मंत्री को पात्रता

2191. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री छीतुभाई गामीत :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री जब अपने गृह नगर (निजी दौरे पर) जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंचने के कारण क्या वे विशेष रेलगाड़ी का उपयोग करने के लिए पात्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेल मंत्रियों के संबंध में नियमों तथा विनियमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेल मंत्री की सरकारी अथवा निजी यात्रा के दौरान क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) (क) और (ख) मौजूदा नियमों के अनुसार कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री ड्यूटी पर रेल द्वारा यात्रा करते समय किसी भी नियमित गाड़ी में सैलून/निरीक्षण कैरिज लगाने की मांग कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में इसे न लगाया जा सकता हो और मंत्री के लिए किसी अन्य गाड़ी में यात्रा करना संभव न हो तो वह सरकार के खर्च पर विशेष गाड़ी चलाने का आदेश दे सकता है।

नैमित्तिक मजदूर

2192. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **रेल** मंत्री 27 अगस्त, 96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3152 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में भारी संख्या में नैमित्तिक मजदूर हटा दिए गए हैं परन्तु सरकार द्वारा समय-समय पर इनके पुनर्नियोजन के लिए आश्वासन दिए जाने के बावजूद इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा इनके पुनर्नियोजन के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) यह मान लिया गया है कि इस प्रश्न के भाग (क) में उपयोग किए गए शब्द "नैमित्तिक मजदूर हटा दिए गए हैं" का आशय विगत में छटनी किए गए नैमित्तिक श्रमिकों से है और प्रश्न के भाग (क) और (ख) में उपयोग किया गया शब्द "पुनर्नियोजन" का आशय नैमित्तिक श्रमिकों को पुन: काम पर लगा दिए जाने से है।

विगत पर छंटनी किए गए नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या 178 है, जो 31.7.96 को पू० सी० रेल के चालू रजिस्टर और अनुपूरक चालू रजिस्टर में दर्ज है। चालू रजिस्टरों में दर्ज नैमित्तिक श्रमिकों को उनकी छंटनी के पूर्व उनकी तैनाती की कुल अवधि के आधार पर प्राथमिकता

के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पुनः काम पर लगाया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

2193. श्री विजय गोयल : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जम्मू-कश्मीर में कितने विदेशी पर्यटक आए थे; और

(ख) सरकार के गठन के पश्चात् पर्यटकों की संख्या की क्या स्थिति है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1994 से 1996 तक जम्मू और कश्मीर में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :—

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1994	24683
1995	20589
1996	22628 (सं)

सं : संशोधित

(ख) अक्तूबर, 1996 में नई सरकार बनने तक, वर्ष 1996 के दौरान राज्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या 2945 थी जो 1995 की इसी समयावधि की तुलना में लगभग 32.54% अधिक दर्ज की गई।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

2194. श्री एन. एन. कृष्णादास : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए उपलेखा कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने कार्यालय केरल राज्य में हैं;

(ग) क्या पालघाट औद्योगिक क्षेत्र में किसी नए कार्यालय को खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुल 16 क्षेत्रीय कार्यालय, 56 उप-क्षेत्रीय कार्यालय और 7 उप-लेखा कार्यालय हैं जिनमें से दो-उप लेखा कार्यालय हैं जिनमें से दो-उप क्षेत्रीय कार्यालय और एक क्षेत्रीय कार्यालय केरल में है। हाल ही में अम्बाटुर और तम्बाराम प्रत्येक में एक-एक उप-लेखा कार्यालय खोलने संबंधी एक प्रस्ताव का सी. बी. टी., ई. पी. एफ. की कार्यकारी समिति ने अनुमोदन किया है। पालघाट में एक कार्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

होटलों में ठहरने वाले लोगों की संख्या में कमी

2195. श्री वी. प्रदीप देव : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में होटल के व्यस्तम मौसम यथा अक्तूबर, 1996 से फरवरी, 1997 तक गत वर्ष की तद्नुसार अवधि की तुलना में होटल में ठहरने वाले लोगों की दर में कमी आई है बावजूद इसके कि देश में विदेशी पर्यटकों के आने में वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हमारे देश के होटलों की दर, जिनकी न्यूयार्क के सबसे अच्छे होटलों की तुलना की जा सकती है, में कमी लाने हेतु तथा होटलों के उन कमरों के किराए निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने, जो अपनी दर प्रतिवर्ष बढ़ाते रहते हैं, हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1982 के पहले देश में बनाए गए उन होटलों की संख्या क्या है जो अपनी दर प्रतिवर्ष बढ़ाते रहते हैं;

(च) क्या सरकार का विचार उनके लिए भी कोई दिशानिर्देश तैयार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) उपलब्ध आंशिक आंकड़ों के अनुसार देश के केवल कुछ ही पर्यटक केंद्रों में होटलों में ठहरने वाले लोगों की दर में थोड़ी सी ही कमी आई है।

(ख) होटल में ठहरने वालों की दर में कमी के कारणों में, कमरों के किरायों में वृद्धि तथा कुछ केंद्रों में आवास की वर्तमान संख्या में बढ़ोतरी भी शामिल है।

(ग) से (छ) देश में होटलों के किराए बाजार से प्रभावित होते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान व एक होटल से दूसरे होटल में भिन्न-भिन्न होते हैं।

इस संबंध में एक रूपता लाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राज्य पर्यटन विकास निगम की बुकिंग एजेंसियों के रूप में नियुक्ति

2196. श्री भेरूलाल मीणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देशी और विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य पर्यटन विकास निगमों की बुकिंग एजेंटों के रूप में नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बुकिंग एजेंट के रूप में नियुक्ति की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन निगमों को तदनुसार बुकिंग कोटा आबंटित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) राजस्थान पर्यटन विकास निगम सहित राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा समान्यतौर पर यात्रियों को पैकेज भ्रमण टिकट जारी करके, जिसमें रेल किराया, खानपान, सैर-सपाटा आदि शामिल होता है, सप्ताह के अंत में कुछ पैकेज भ्रमण आयोजित किए जाते हैं। रेल मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिए गए इस प्रकार के सप्ताहान्त पैकेज भ्रमणों के लिए विनिर्दिष्ट गाड़ियों में उनके लिए कोटा भी आबंटित किया जाता है।

[अनुवाद]

इंडियन एअरलाइंस की यात्री सेवाएं

2197. श्री विजय पटेल :
श्री दिलीप संघानी :
श्री काशीराम राणा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रियों के लिए ग्राउन्ड तथा हवाई सेवाओं में सुधार किया है अथवा ऐसा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय किया गया है और 1995-96 और 1996-97 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स ने कितना राजस्व अर्जित किया ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने स्थल पर और विमान में दोनों ही स्थानों पर ग्राहक सेवा में सुधार सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न कदम उठाए हैं :—

(1) उत्पाद सुधार

(2) वाणिज्यिक पहल

(3) यात्री सुविधा

(ग) इंडियन एयरलाइंस का वर्ष 1995-96 और 1996-97 (अनुमानित) के लिए यात्रियों की भोजन सेवाओं और अन्य सुविधाओं पर किए गए व्यय तथा प्रचालन राजस्व का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	यात्रियों के लिए भोजन एवं अन्य सुविधाओं पर व्यय	प्रचालन राजस्व
		(करोड़ रुपयों में)
1995-96	74.99	2466.81
1996-97 (बजट अनुमान)	76.00	2755.50

कर्नाटक के कुछ भागों में चेन्नई-मुम्बई मेल के निर्धारित मार्ग में परिवर्तन

2198. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नई-मुम्बई मेल का मार्ग बदलने का है, ताकि कर्नाटक के कुछ भागों को भी इसके मार्ग में शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके मार्ग के प्रस्तावित विस्तार से शयनयान के यात्रियों को प्रति टिकट 60 रु॰ से 70 रु॰ अधिक देना पड़ेगा और रेल यात्रा पूरी करने में वर्तमान में लगने वाले दो दिनों के अलावा चार से पांच अतिरिक्त घंटे का समय लगेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी एयरलाइनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं

2199. श्री राजकेशर सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी एयरलाइनों हेतु प्राधिकृत अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने के लिए अनुमति देने संबंधी प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त तथा पारदर्शी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) एक सुस्थापित नीति पहले से ही विद्यमान है जिसके अंतर्गत विदेशी विमान कंपनियों को पर्यटन, यात्रा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अन्योन्यता के आधार पर द्विपक्षीय विमान सेवा करार के अधीन यातायात अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यातायात अधिकार, अनिवार्यत: दो संविदाकारी देशों के बीच सीधे यातायात हेत प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

खानों की खोज के लिए अनुमति

2200. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान खनिज युक्त चट्टानों की खोज करने, खनन सर्वेक्षण, तथा बड़े क्षेत्रों में उनकी बिक्री करने हेतु अनुमति प्रदान करने संबंधी राज्यवार कितने प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(ख) दिसम्बर, 1996 तक स्वीकृत किए गए मामलों की राज्यवार संख्या क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) और (ख) खनन अधिकार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तथापि, खान और खनिज (विनियमन और विकास) एम एम (आर एण्ड डी) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा।

खनिज रियायत के संबंध में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (दिसम्बर, 1996 तक) प्राप्त प्रस्तावों और निबटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1.4.1996 से 31.12.1996 तक खनिज रियायत के पूर्व प्राप्त और निबटाए गए राज्यवार मामले

राज्य का नाम	वर्ष 1994-95 1.4.1994 से 31.3.1995		वर्ष 1995-96 1.4.1995 से 31.3.1996		वर्ष 1996 1.4.1996 से 31.12.1996	
	प्राप्त/निपटाए गए		प्राप्त/निपटाए गए		प्राप्त/निपटाए गए	
आंध्र प्रदेश	42	41	25	35	23	19
असम	1	1	1	1	—	01
बिहार	11	11	14	20	6	9
गोआ	—	—	5	7	2	1
गुजरात	30	27	9	6	23	16
हरियाणा	3	3	4	2	—	1
हिमाचल प्रदेश	—	—	5	—	4	1
जम्मू कश्मीर	2	2	2	4	—	—
कर्नाटक	20	20	21	30	12	19
मध्य प्रदेश	144	141	125	480	47	53
महाराष्ट्र	3	3	17	25	13	12
उड़ीसा	43	38	61	70	19	20
राजस्थान	19	17	29	38	23	21
तमिलनाडु	50	50	33	40	27	20
उत्तर प्रदेश	4	4	4	2	1	2
केरल	1	1	2	1	—	—
मेघालय	1	1	1	1	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	2	2	—	—
कुल	374	360	360	462	196	195

*इसमें पिछले वर्ष के मामले भी शामिल है।

वर्ष 2002 तक सबको रोजगार

2201. श्री सुरेन्द्र यादव :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 दिसंबर, 1996 के जनसत्ता में "रोजगार के दिवास्वपन् कब तक" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् नियोजन संबंधी समिति ने देश में वर्ष 2002 तक सबको रोजगार देने हेतु निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ङ) जी हां। रोजगार पर समिति, राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) ने रोजगार सृजन की गति को तीव्र करने के लिए, नीति के मुख्य तत्वों, नीतियों एवं कार्यक्रमों को जोरदार ढंग से जारी रखने की सिफारिश की है। आठवीं योजना में तुलनात्मक रूप से उच्च रोजगार गहनता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से उच्च रोजगार सृजन नीति की परिकल्पना की गई है। सरकार द्वारा जो अनेक केन्द्र प्रवर्तित/केंद्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार कार्यक्रम, भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं उनमें से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस), नेहरु रोजगार योजना (एनआरवाई), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की 20 लाख रोजगार योजना प्रमुख है। तदनुरूप बेरोजगारी की अनुमानित दर जो वर्ष 1987-88 के दौरान लगभग 3.77% थी वर्ष 1993-94 के दौरान घट कर 2.56% रह गई। आगामी नौवीं पंचवर्षीय योजना (2002) के दौरान रोजगार सघन वृद्धि की नीति के जारी रहने की संभावना है।

बटेश्वर का विकास

2202. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान आगरा के निकट बटेश्वर पूजा स्थल, जो पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, के विकास हेतु 44 लाख रुपए की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के विकास हेतु उक्त धनराशि का पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो व्यय का मदवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन से कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (छ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने, वर्ष 1992-93 के दौरान, आगरा के निकट बटेश्वर में पूजा स्थल के विकास के लिए 44.00 लाख रू॰ स्वीकृत नहीं किए हैं। फिर भी तदनुसार बटेश्वर के लिए 3 परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिया था जिनके नाम हैं :—

1. यमुना नदी के किनारे पर घाट का नवीकरण जीर्णोद्धार	13.24 लाख रू॰
2. बटेश्वर में पर्यटक लॉज	13.95 लाख रू॰
3. शौचालय सुविधाएं मुहैया करने के लिए दो सुलभ शौचालय	6.76 लाख रू॰

परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार द्वारा ये परियोजनाएं पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

राजस्थान में डाकघरों की संख्या

2203. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और महाराष्ट्र में विद्यमान डाकघर और उप-डाकघरों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त राज्यों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए इन डाकघरों की संख्या अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक श्रेणी के डाकघरों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त राज्यों में प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कितने डाकघर खोले जाएंगे; और

(ङ) इन डाकघरों को कब तक खोल दियां जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राजस्थान और महाराष्ट्र में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

	उप डाकघर सहित डाकघरों की कुल संख्या	उप डाकघरों की कुल संख्या
राजस्थान	10,306	1,392
महाराष्ट्र	12,303	2,087

(1) राजस्थान तथा महाराष्ट्र में एक डाकघर द्वारा सेवित औसत

जनसंख्या क्रमश: 4,276 व 6,417 व्यक्ति है जबकि राष्ट्रीय औसत 5,517 व्यक्ति प्रति डाकघर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राजस्थान में 26 विभागीय उप डाकघर व 104 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा महाराष्ट्र में 61 विभागीय उप डाकघर व 172 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। 31 मार्च, 1997 तक महाराष्ट्र में 7 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर व 19 विभागीय उप डाकघर तथा राजस्थान में 4 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

अंडाल-सैंथिया के बीच नई रेलगाड़ी चलाना

2204. डा॰ रामचन्द्र डोम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंडाल-सैंथिया के बीच और अधिक रेलगाड़ियां चलाए जाने की मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) श्री वासुदेव आचार्य, संसद सदस्य, यात्री एसोसिएशनों तथा जनता सहित अंडाल-सैंथिया खण्ड पर और अधिक गाड़ियां चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

बुनियादी उद्योग के रूप में "सेल" को मान्यता

2205. श्री चित्त बसु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेल" ने सरकार को इस्पात को बुनियादी उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवाओं का शोषण

2206. श्री राम कृपाल यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बेरोजगार युवाओं का शोषण किए जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से रकम वेतन देती हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा श्रमिकों के इस प्रकार शोषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नए टेलीफोन एक्सचेंज

2207. श्री चिन्तामन वानगा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान राज्य-वार नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने संबंधी कितने प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं; और

(ख) 1997-98 के दौरान राज्यवार, जिलावार कितनी टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

2208. श्री छीतुभाई गामीत :
श्री मंगतराम शर्मा :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री भक्त चरण दास :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री सुरेश कोडीकुनील :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी हवाई यातायात को देखते हुए विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विमानपत्तनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विमानपत्तनवार किस तरह का आधुनिकीकरण कार्य कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) प्रत्येक विमानपत्तन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ङ) देश में कितने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विद्यमान हैं; और

(च) 1997-98 के दौरान निर्माण हेतु प्रस्तावित विमानपत्तनों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (च) हवाई अड्डों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इसके नियंत्रण में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 87 अंतर्देशीय हवाई अड्डे तथा 28 सिविल एन्क्लेव हैं। उपरोक्त में से निम्नलिखित हवाई अड्डों को उन्नयन के लिए चुना गया है :—

सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए : अहमदाबाद, औरंगाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर, कालीकट, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मंगलौर, मदुरै तथा वाराणसी। अंतर्देशीय प्रचालनों के लिए : अगरतला, बागडोगरा, (सिविल एन्क्लेव), भोपाल, भुज (सिविल एन्क्लेव) भावनगर, डिब्रूगढ़, गया, हसन, इंफाल, जबलपुर, जम्मू, कानपुर, कारगिल, लीलाबाड़ी, पोरबंदर, पोर्टब्लेयर (सिविल एन्क्लेव), रायपुर, सिल्चर, (सिविल एन्क्लेव), तेजपुर (सिविल एन्क्लेव), तिरूपति और विजयवाड़ा।

इसके अतिरिक्त हुबली तथा बेलगांम में हवाई अड्डों का उन्नयन तथा गुलबर्ग और कन्नानोर में हवाई अड्डों का निर्माण विचाराधीन है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अगले तीन वर्षों के दौरान हवाई अड्डों के उन्नयन पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1997-98	609.15
1998-99	666.37
1999-2000	753.29

दूरदर्शन द्वारा पक्षपात

2209. श्री नारायण अठावले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन द्वारा न्यू दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क के प्रति विशेष अनुग्रह बरतने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दूरदर्शन अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष-वार कितने मामलों में की जांच आरम्भ की गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन मामलों के जांच संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान कितने मामले निबटाए गए ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वाह्न 12.01 बजे

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए॰ सी॰ जोस (इदुक्की) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कैमरे बंद कर दिए जाएं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, क्या आप कृपया बैठेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिए। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कैमरे बंद कर दिए गए हैं। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक मैं खड़ा हूं कैमरे बंद हैं और कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं ?

*(व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। आज गैर सरकारी सदस्यों का दिन है। सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों के कार्य वाले दिन शून्य काल नहीं होता।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं ? कृपया अपनी सीट पर बैठिए। क्या आप जानते हैं कि जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो आप खड़े नहीं हो सकते ? कृपया नियम और प्रक्रियाएं पढ़िए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धैर्य रखिए। मैं श्री जसवन्त सिंह जी के प्रस्ताव पर अब अपना विनिर्णय देने जा रहा हूं। उसके बाद, मैं श्री पप्पू यादव, जो भूख हड़ताल पर थे, को बोलने की अनुमति दूंगा। आज शून्य काल नहीं है, मैं उन्हें निवेदन करने की अनुमति दूंगा। मैं केरल से सम्बन्धित मामले पर भी बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने का अवसर देने का वायदा किया है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में ए॰बी॰वी॰पी॰ के कार्यकर्ता की दिन-दहाड़े हत्या से वहां उत्पन्न स्थिति का मामला उठाया जाना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में एक होस्टल में एक छात्र नेता की हत्या कर दी गई। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और आप मेरी बात से सहमत होंगे कि यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें सदन में उठाया जाए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने रेलगाड़ी में हुई डकैती के बारे में वक्तव्य देने पर भी अपनी सहमति व्यक्त की है। मैंने उनसे भी बात की थी। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सभा पटल पर पत्र रखे जा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी इसे सुन नहीं रहा है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कैमरे बंद हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रुडी कृपया बताइए क्या संसद में प्रति दिन, हर महीने और वर्ष भर एक ही मामले पर चर्चा होगी ? यह भारत की संसद है। यह सब क्या हो रहा ? हर बात की सीमा होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सरासर अनुशासनहीनता है। आपको शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या जो कुछ मैं कह रहा हूं वह आपको समझ आ रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसी तरह करते रहिए। मैं सभा स्थगित करने नहीं जा रहा हूं। मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूं। सब कैमरे बंद हैं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दूंगा। आप मंत्री महोदय से वक्तव्य लेने लायक ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दूंगा। आप इसके हकदार नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 12.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाए जाने के लिए नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचनाओं की स्वीकार्यता के बारे में

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने उत्तर प्रदेश में अन्य बातों के साथ-साथ बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के आधार पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाए जाने के नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में 26 फरवरी, 1997 को अपना विनिर्णय दिया था तथा नियम 193 के अधीन एक अल्पकालिक चर्चा स्वीकार की थी।

श्री जसवन्त सिंह ने 27 फरवरी, 1997 को उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री के आकलन से राज्यपाल की असहमति के आधार पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की एक अन्य सूचना दी। तदन्तर, 28 फरवरी, 1997 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री प्रमोद महाजन ने भी नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की इसी प्रकार की सूचनाएं दीं। श्री मुरली मनोहर जोशी ने भी 28 फरवरी, 1997 को उसी आधार पर नियम 184 के अधीन सूचना दी।

ये सूचनाएं उन अनुवर्ती घटनाचक्रों पर आधारित हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सार्वजनिक रूप से ऐसा कहते हुए बताया गया है कि उन्होंने प्रधान मंत्री से बातचीत कर ली है और वह उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति से बिल्कुल संतुष्ट हैं। ऐसा भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में नई दिल्ली के अखबारों में छपी खबरों पर आक्रोष और आश्चर्य व्यक्त किया है। 3 मार्च, 1997 को सभा में हुई चर्चा में भी इन घटनाचक्रों का उल्लेख किया गया था।

श्री जसवंत सिंह ने 3 मार्च, 1997 को तथा इससे पहले 28 फरवरी, 1997 को सभा में इस मुद्दे को उठाते हुए यह बात समझाने का प्रयत्न किया कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के आकलन के बारे में केन्द्रीय गृह मंत्री तथा राज्य के राज्यपाल के बीच असहमति एक गंभीर मामला है जिस पर नियम 184 के अधीन चर्चा करना आवश्यक है न कि नियम 193 के अधीन अल्पकालीन चर्चा जैसाकि 26 फरवरी, 1997 को मैंने व्यवस्था दी थी। अनेक अन्य सदस्यों ने भी इस मामले पर अपने विचार प्रकट किए।

जिन सदस्यों ने यह मांग की थी कि इस प्रस्ताव को नियम 184 के अधीन स्वीकार किया जाए, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्थिति वास्तव में ही बहुत चिन्ताजनक है क्योंकि राज्य का राज्यपाल, जिसे "राज्य तंत्र का अंग माना गया है", तथा "जिसका संघ सरकार को सूचित करने का कर्त्तव्य है" केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य का सार्वजनिक रूप से खंडन तथा प्रतिवाद कर रहा है। चर्चा के दौरान दिए गए तर्कों में इस बात पर भी बल दिया गया है कि राज्य का मुख्य सचिव, जो राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य में राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है, भी उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में नई दिल्ली के अखबारों में छपी खबरों पर क्षोभ तथा आश्चर्य प्रकट करने का रास्ता चुना है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्यपाल ने इस प्रकार कार्यवाही की है जिससे केन्द्रीय सरकार की कार्यपालक शक्तियों में अड़चन पैदा हुई है इसलिए राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करना औचित्यपूर्ण है।

जिन सदस्यों ने नियम 184 के अधीन सूचनाओं को स्वीकार करने का विरोध किया है, उन्होंने भी यह महसूस किया है कि मामला गंभीर है तथा सरकार को इस बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह उत्तर प्रदेश में उत्पन्न स्थिति से संतुष्ट है अथवा नहीं। तथापि, उन्होंने यह महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में एक अल्पकालीन चर्चा करने से ही प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा जिसे पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रीकान्त जेना ने 3 मार्च, 1997 को हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए यह टिप्पणी की :

"नजरिया अलग हो सकता है। यहां दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में मेरा एक अपना नजरिया हो सकता है। किन्तु राज्यपाल को उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में अपना दृष्टिकोण भारत सरकार को भेजने का अधिकार है।"

मुझे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से 5 मार्च, 1997 को एक फैक्स संदेश भी प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने इस प्रकार कहा है :

"उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में संसद में चर्चा हो रही है। इस बारे में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं माननीय गृह मंत्री का बहुत सम्मान करता हूं। वह एक विशिष्ट तथा सुविख्यात सांसद हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रैस द्वारा पूछे जाने पर मैंने उन्हें केवल मेरे पास जो आंकड़े तथा सूचना उपलब्ध थी वही बताई है। मैं आपको अलग से सभी तथ्य एक दस्तावेज में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह किसी भी प्रकार से माननीय गृह मंत्री की बातों का खंडन या उनकी आलोचना करना नहीं था। उनका किसी प्रकार से निरादर करने की मेरी कतई मंशा नहीं थी।

मैं पुनः यह दोहराना चाहता हूं कि संसद हमारे संविधान की संरक्षक है। मैं पूर्णरूप से संविधान तथा संसद द्वारा लिए गए निर्णयों को मानने के लिए वचनबद्ध हूं। इस सम्मानित संस्था के प्रति किसी भी प्रकार के निरादर या अनादर का प्रश्न ही नहीं उठता।"

मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाने के संबंध में विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नियम 184 के अधीन दी गई सूचनाओं पर विचार करने हेतु हुई चर्चा को शुरू से ही ध्यानपूर्वक सुना है। मैंने इस मुद्दे के पक्ष और प्रतिपक्ष में दिए गए सारे तर्कों पर भी पूरी तरह गौर किया है। मैंने विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्यों और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा की गई उस कथित टिप्पणी कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति से माननीय प्रधान मंत्री संतुष्ट हैं, जिसका उन्होंने अभी तक खंडन नहीं किया है, की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया है तथा अध्ययन किया है। सभी संबंधित पक्षों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सत्तापक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में मतैक्य नहीं है। इस बारे में सत्तापक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में मतैक्य न होना एक बहुत चिंता का विषय है जोकि संविधान के अनुच्छेद 75 (3) में उल्लिखित; "मंत्रि परिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी" के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। यह उत्तरदायित्व संयुक्त तथा अविभाजित है। इस बात पर विचार करते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इस राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरे देश के लिए उलझनें पैदा कर सकती है, यह मामला विशेषरूप से गंभीर है।

मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मुझे भेजे गए इस संदेश को भी नोट किया जिसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वह गृह मंत्री का बहुत सम्मान करते हैं तथा उन्होंने प्रैस को जो आंकड़े तथा सूचना दी थी उसमें उनकी मंशा गृह मंत्री के वक्तव्य का खंडन करने या उनकी आलोचना करने की नहीं थी।

निःसंदेह, राज्यपाल के द्वारा दिया गया आश्वासन स्वागत योग्य है किन्तु बात फिर भी यह रह जाती है कि उन्होंने विशेष रूप से तथा स्पष्ट शब्दों में उन बातों से इंकार नहीं किया है जो समाचार पत्रों में उनके द्वारा कही गई/बताई गई हैं तथा जिसका सभा में उल्लेख किया गया है। इसके विपरीत उन्होंने इस बात को पुनः दोहराया है कि उन्होंने केवल प्रैस को वे आंकड़े तथा सूचना दी है जो उनके पास उपलब्ध थी। कानून और व्यवस्था की स्थिति केवल आंकड़ों का खेल नहीं है कि कितनी जानें गई बल्कि एक-एक जान अमूल्य है। संपूर्ण स्थिति पर विचार करते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में सरकार की ओर से विचारों में समानता नहीं है तथा उन्होंने मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उनके विचारों में अस्पष्टता-सी है।

सरकार तथा इस सभा की हमारे देश के लोगों के प्रति और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति यह जिम्मेवारी है कि वह उत्तर प्रदेश में उत्पन्न स्थिति का आकलन वस्तुनिष्ठ चर्चा के माध्यम से करे। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के दौरान चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही राज्यपाल के आचरण पर चर्चा होगी और ऐसी चर्चा नियम 184 के अधीन स्थायी प्रस्ताव स्वीकार किए बिना नहीं की जा सकती।

इन परिस्थितियों में इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए मैं नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार करता हूं।

अपराह्न 12.16 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि।

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (i) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(iii) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1474/97]

(3) भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1475/97]

अपराह्न 12.16 1/2 बजे

[अनुवाद]

नियम समिति

दूसरा प्रतिवेदन

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : मैं लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 के उप-नियम (2) के अंतर्गत नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

[अनुवाद]

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

नियम 331 (1) का निलम्बन

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सदन को बस दो मिनट में ही यह बताने की अनुमति चाहती हूं कि मैंने यह प्रस्ताव क्यों रखा और मुझे आपका समर्थन क्यों चाहिए। परसों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन छुट्टी होने के कारण, इस सदन की बैठक नहीं होगी। यहां जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह एक ऐसी समिति का गठन करने के बारे में है जो केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और प्रतिष्ठा के लिए किए जाने वाले सभी उपायों पर विचार करेगी। अतः मैं चाहती हूं कि सभा नियम समिति की इस रिपोर्ट को आज ही स्वीकृत कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को उपहार के रूप में दें। इस प्रस्तावना के साथ, मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331(1) के उस भाग को जिसमें नियम समिति की सिफारिशों को सात दिन के लिए सभा पटल पर रखे जाने का उपबंध है ताकि सदस्य ऐसी सिफारिशों में संशोधन की सूचना दे सकें, तथा नियम 331(2) तथा (3) में इस परिणाम तक हुए पारिणामिक उपबंधों को जहां तक वे नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के बारे में लागू होते हैं, निलम्बित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331(1) के उस भाग को जिसमें नियम समिति की सिफारिशों को सात दिन के लिए सभा पटल पर रखे जाने का उपबंध है ताकि सदस्य ऐसी सिफारिशों में संशोधनों की सूचना दे सकें, तथा नियम 331 (2) तथा (3) में इस परिणाम तक हुए पारिणामिक उपबंधों को जहां तक वे नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के बारे में लागू होते हैं, निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 12.20 बजे

[अनुवाद]

नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :— "कि यह सभा 6 मार्च, 1997 को सभा पटल पर रखे गए नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 6 मार्च, 1997 को सभा पटल पर रखे गए नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं सभा का धन्यवाद करती हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाओं को इतना महत्त्वपूर्ण उपहार देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री ए॰ सी॰ जोस (इदुक्की) : महोदय, कृपया हमें एक अनुरोध

करने की अनुमति दीजिए। हमारे दो विधायकों को गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : निवेदन समाप्त होने के बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।

अपराह्न 12.21 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 10 मार्च, 1997 को आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा :—

1. आज की कार्यसूची से स्थगित किए हुए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार-विमर्श।

2. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण विधेयक, 1997 पर विचार तथा पारित करना।

3. वर्ष 1997-98 के सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

4. वर्ष 1997-98 की लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(क) वर्ष 1996-97 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(ख) वर्ष 1994-95 की अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

5. वर्ष 1997-98 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट पर सामान्य चर्चा।

6. (क) वर्ष 1997-98 के लिए लेखा अनुदानों की मांगों (उत्तर प्रदेश) पर चर्चा और मतदान।

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (उत्तर प्रदेश) पर चर्चा और मतदान।

7. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा तथा इन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयकों पर विचार और इन्हें पारित किया जाना।

(क) आयकर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1997 एवं आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1997

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1997

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आपने श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया है, किंतु आप तारीख की घोषणा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे अगले सप्ताह लिया जाएगा। आज इस सप्ताह का अंतिम दिन है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह अगले सप्ताह के कार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। महिला प्रतिनिधित्व विधेयक पर अगले सप्ताह चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे अगले सप्ताह चर्चा के लिए लिया जाएगा। इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति निर्णय लेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जैसा मैंने आपसे पहले कहा, यह अगले सप्ताह के कार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : यह सोमवार या मंगलवार को नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे सदस्य उसके बाद शिवरात्रि के बाद ही वापस आएंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या शिवरात्रि और तीन दिन बढ़ेगी ?

श्री संतोष मोहन देव : हो सकता है आपका भगवान पर विश्वास न हो। ...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप इसे तीन दिन मनाएंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सोमवार को नहीं लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : संसद का यह सत्र 21 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसमें महिला आरक्षण विधेयक के लिए कोई समय नहीं रखा गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर चर्चा हो रही है। इस बात का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महिला आरक्षण विधेयक के लिए कोई समय नहीं रखा गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने वादा किया है कि इस बात का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : कब आएगा वह विधेयक ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने वादा किया है कि यह कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि सरकार इससे सहमत होगी।

अब अगले सप्ताह के कार्य के संबंध में निवेदन।

श्री उधव बर्मन (बारपेटा) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

1. ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों में बाढ़ और भूमि कटाव को नियंत्रित करने तथा असम में जल संसाधनों को विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना।

2. बांग्लादेश के बीच से ब्रह्मपुत्र के साथ-साथ अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं में सुधार के उपाय।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए।

1. सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य पर पूरा-पूरा अधिकार।

2. देश के विभिन्न भागों में सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यालयों की छानबीन के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने से उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :—

1. भारत सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत एवं संसद में भी बार-बार घोषित एवं दुहराए गए निश्चित आश्वासन के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सामुदायिक सौहार्दता के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की हृदयस्थली अजमेर नगर के तारागढ़ नामक पहाड़ पर लाखों दर्शकों के लाभार्थ उच्चशक्ति सम्पन्न एच.पी.टी. टी.वी. प्रसारण केंद्र की अविलंब स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

2. राजस्थान में नवसृजित रेलवे जोन का मुख्यालय रेलवे नगरी के सामने से विख्यात तथा उपलब्ध समस्त संसाधनों के आधार पर अजमेर नगर में ही स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :—

1. हिमाचल प्रदेश में कितने छावणी बोर्ड हैं, उनमें महिलाओं को मनोनीत किया जाए, जब तक कानून में संशोधन नहीं होता तथा इसके लिए कानून बनाया जाए।

2. हिमाचल प्रदेश में जनजाति क्षेत्र गिरिपार, जिला सिरमौर और राडू और चौपाल को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि वहां के लोग भी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के जनजाति की तरह लाभान्वित हो सकें क्योंकि उनके रस्मो-रिवाज एक जैसे हैं।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए :—

1. डोडा जिला के आतंकवाद से पीड़ित बन्धुओं को तुरंत एक्सग्रेशिया ग्रांट की एक लाख की राशि तथा उनके परिवार के एक बन्धु को नौकरी तुरंत दी जाए।

2. वैष्णो देवी कठड़ा जहां 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष आ रहे हैं, पीने के पानी की कठिनाई को तुरंत दूर किया जाए।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं :

1. मध्य प्रदेश के बस्तर, बालाघाट तथा राजनांदगांव जिलों में बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में चर्चा।

2. देश विशेषकर मध्य प्रदेश में बढ़े हुए ऊर्जा संकट पर चर्चा।

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, निम्नलिखित मदें अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित की जाएं :

1. आई.आई.एस.सी.ओ. के बर्नपुर वर्क्स का आधुनिकीकरण और विस्तार की प्रक्रिया को और तेज़ करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा करना।

2. साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया एम.ए.एम.सी., भारत ऑप्थैमिक ग्लास लि. (बी. ओ. जी. एल.), जेशोफ, बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि.।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय मंत्री के वक्तव्य के बाद अगले सप्ताह की कार्यसूची में और जोड़ा जाए :

1. जयपुर शहर के आसपास की 350 खानों को बंद कर दिया गया है, उन्हें वापस चालू किया जाए, क्योंकि हजारों अनुसूचित जाति के व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं।

2. रिजर्व बैंक की धारा 45(एस) जो व्यापारियों के व्यापार में बाधक है, तुरन्त समाप्त की जाए।

[अनुवाद]

श्री महबूब जहेदी (कटवा) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात्, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक और सिद्ध पद्धति को भारतीय रेलवे में बढ़ावा देने की आवश्यकता और इन चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति और हर प्रकार के लाभ और सुविधाएं उपलब्ध करना।

2. महाकवि नजरुलइस्लाम की जन्म-शताब्दी मनाने की आवश्यकता पर चर्चा करना और कवितीर्थ चुरुलिया में नजरुल अकादमी को वित्तीय सहायता देना।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न मुद्दे को शामिल कर चर्चा करने की कृपा करें :

बिहार के विद्युत समस्या के निदान हेतु कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना नबीनगर को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की मांग पर विचार। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बिहार की ओर ध्यान देकर हमें बोलने का मौका दिया है। मैंने एक सप्ताह पहले जूट और गन्ने के दो सवालों पर इस सदन को कुछ जानकारी दी थी, जिसमें मैंने दो बातें काफी महत्वपूर्ण तरीके से रखी थीं।

जिस इलाके से मैं आता हूं, वह उत्तरी बिहार का नेपाल और बंगाल का बोर्डर एरिया जूट का सबसे बड़ा इलाका है। जो पश्चिमी चम्पारण और वितरवा से लेकर उत्तरी बिहार में नेपाल के साइड का एरिया है, वह गन्ने का सबसे बड़ा इलाका है। बिहार में गन्ने और जूट के सबसे बड़े दो सवाल हैं।

प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले किशनगंज गए थे, तब उन्होंने जूट के इश्यू पर नए पैकेज की घोषणा की थी और कहा था कि हम न्यूनतम कीमत के आधार पर जूट के सवाल को लेकर जाते ही, एक सप्ताह के अन्दर घोषणा करेंगे। जूट के सवाल पर प्रधान मंत्री जी बोलकर तो आए, प्रधान मंत्री जी को वहां यह भी कहा गया था, पूर्णिया के एयरपोर्ट पर हमने कहा था कि 600, 650 और 700 रुपए क्विंटल जूट की कीमत है और 650 भी व्यापारियों के बीच है, जबकि 700 रुपए सरकारी जूट की कीमत है, लेकिन जे॰सी॰आई॰ के द्वारा खरीदारी नहीं की जाती है। वह सीधे व्यापारी खरीदते हैं, क्योंकि जे॰सी॰आई॰ बन्द है। जे॰सी॰आई॰ यदि खुल जाता है तो सरकार का किसानों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। पिछले साल इसी जूट की कीमत बाजारों में 1700 रुपए क्विंटल थी और इस बार जूट की कीमत 700 रुपए क्विंटल है।

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं अभी समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि 1600 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की जाए, पहले जो 1700 रुपए थी। दूसरी बात गन्ने के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश में करीब 73 रुपए प्रति क्विंटल का भाव है। बिहार में इसको लेकर रीगा चीनी मिल में, सीतामढ़ी में एक चीनी मिल में, मधुबनी में और बेतिया में दो चीनी मिलों में आंदोलन चला था। वहां आज भी गन्ने का दाम 53 से 58 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं है। उसका भी पिछले चार साल से किसानों को भुगतान नहीं हो रहा। जो केजुअल मजदूर हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही। मैंने कई बार मांग की और कहा कि हरियाणा में 80 रुपए, महाराष्ट्र में 100 रुपए से ज्यादा का भाव है और हमारे बगल में ही करीब 73 रुपए का भाव है। बिहार के विकास के लिए, बिहार के किसानों के लिए सदन चिंतित रहता है, फिर कौन-सा कारण है कि बिहार के किसान और मजदूरों की चिंता मर ध्यान नहीं दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इन मामलों पर दिलाना चाहता हूं। ये सारे सवाल बिहार के हैं। इन पर गौर करने का काम किसी ने नहीं किया। मैं व्यक्तिगतरूप से आपसे विनती करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं बहुत हो गया, अब समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, कृपया उनकी शिकायत सुनिए। यादव जी, कृपया यह बात रेल मंत्री महोदय के नोटिस में लाइए।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं प्रधान मंत्री के साथ ही वहीं पर था।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मध्य बिहार का इलाका काफी बड़ा है। वहां हमीद नगर, पुनपुन, मरोहर सिंचाई योजना को नमनी सिंचाई परियोजना में शामिल किया जाए। इसके लिए मैंने प्रधान मंत्री जी को भी कहा है, इससे पहले भी पूर्व प्रधान मंत्रियों को कह चुका हूं। वहां पर 1 लाख 20 हजार एकड़ जमीन बिना सिंचाई के ठप पड़ी है। लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हिम्मत नगर-पुनपुन-मरोहर सिंचाई योजना के बारे में मैंने जनेश्वर मिश्र जी से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी हां करूंगा, कहकर कुछ नहीं किया। इनसे पहले जो मंत्री थे, उनसे भी इस बारे में बात की, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बिहार सरकार ने शिलान्यास किया। भारत सरकार का पैसा लगा है, योजना पूरी नहीं हुई। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर नियमन दें। मैं कल भूख हड़ताल पर था, आपके कहने से तोड़ी, अगर आप नहीं आते तो मैं नहीं तोड़ता। यदि आपने नियमन नहीं दिया तो मैं फिर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। कल ट्रेन डकैती पर काफी हल्ला हुआ था। यह कौन कराता है, मैंने दस नाम दिए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ कुरियन और श्री जॉस यह क्या हो रहा है ? अब मैंने आप से कहा है कि मैं आपको अपने प्रश्न उठाने का अवसर दूंगा, तो आप क्यों इस प्रकार खड़े हो रहे हैं ? आपको थोड़ी शांति होनी चाहिए। आप बड़े और अनुभवी लोग हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस बहुत हो गया। श्री यादव अब समाप्त कीजिए। बैठिए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उस पर भी बहस होनी चाहिए। कौन डकैती कराता है, कौन नहीं कराता, सारा पर्दाफाश हो जाएगा। मैं इन पर आपका नियमन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पासवान जी को कह दिया है, उन्होंने बताया कि मैं प्रधान मंत्री के पास था, लगता है आपने सुना नहीं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इसके अलावा मैं एक

बात एल०पी०टी० बाटलिंग प्लांट और टी०वी० टावर कस्बा पूर्णिया के बारे में भी कहूंगा कि इस पर भी ध्यान दिया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने का अवसर दिया। देश के कई भागों में नक्सलपंथियों की हिंसात्मक गतिविधियों में तेजी आई है। आंध्र प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भाग इन हिंसात्मक गतिविधियों से प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश में ये गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। इसका एक ताजा उदाहरण मिला है कि हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले एक छात्र नेता की हत्यारों ने दिन-दहाड़े घुसकर हत्या कर दी। उस समय वह छात्र छात्रावास में थे, उनका नाम श्री रेड्डी था। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से संबंधित थे। उस समय वह पत्रकार से बात कर रहे थे। उस पत्रकार को भी गोली लगी है, वह भी घायल हुआ है। श्री रेड्डी हिम्मत के साथ लड़े। लेकिन हत्यारों की संख्या ज्यादा थी और उन्होंने अचानक हमला किया था। श्री रेड्डी की मृत्यु हो गई। इससे सारे आंध्र प्रदेश में असंतोष की लहर दौड़ रही है। वहां नौजवान बहुत उत्तेजित हैं। मेरा निवेदन है कि जिन प्रदेशों में नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, केन्द्र सरकार उन प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ, वहां के शासन के साथ परामर्श करके कोई ऐसी नीति बनाए जिससे कि इन नक्सलवादी गतिविधियों पर रोक लग सके और निर्दोष, निरपराध छात्रों की हत्या रोकी जा सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप में से एक बोले। यदि आप तीनों एक साथ बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोल पाएंगे ?

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : मैं इस सभा का ध्यान केरल में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के तहत पुलिस के उपद्रवी व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूं। केरल में गत एक सप्ताह के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ गई है। पुलिस ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्त्ताओं और नेताओं द्वारा विधान सभा सदस्य श्री अर्मन चेन्दी जो धरना पर बैठे थे को गैरकानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध शान्तिपूर्वक मार्च करने वालों पर लाठी चार्ज किया। वह अब अस्पताल में भूख-हड़ताल पर हैं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.38 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। उन्हें उपाध्यक्ष द्वारा बोलने की अनुमति दी गई है। कृपया उन्हें रोकिए मत।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री कोडीकुनील सुरेश : पुलिस द्वारा शांतिपूर्वक विरोध करने वालों पर निर्दयता से लाठियां बरसाई गई जिसमें दो विधान सभा सदस्यों श्री तिरुवंचर राधाकृष्णन और श्री अडूर प्रकाश समेत तीस से अधिक संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के कार्यकर्त्ता और जिला युवा कांग्रेस प्रेज़िडेंट और स्थानीय नेता भी बुरी तरह घायल हो गए और गंभीर हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला, जो इस गरिमापूर्ण सदन के सदस्य हैं, भी पुलिस की नृशंसताओं के विरुद्ध कोट्टायम में धरना पर बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री कोडीकुनील सुरेश : अत: मैं गृह मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि एल०डी०एफ० सरकार के अंतर्गत गत एक सप्ताह में पुलिस के ऐसे नृशंस व्यवहार और केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में........

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे आसन ग्रहण करने से पूर्व वह बोल रहे थे।

श्री कोडीकुनील सुरेश : मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि केरल में एल०डी०एफ० सरकार को बरखास्त करें और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करें। स्थिति बहुत गम्भीर है और इसमें शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी पूरी बात कही। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय उन्हें पार्टी कार्यालय से पकड़ कर लाया गया है और जेल में बंद कर दिया गया।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और इसे यहां अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश : केरल में स्थिति बहुत गम्भीर है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.41 बजे

इस समय श्री कोडीकुनील सुरेश आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.41 1/4 बजे

इस समय श्री कोडीकुनील सुरेश अपने स्थान पर वापस चले गए। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल बीस मिनट बाकी हैं। इस समय को आप युटिलाइज करना चाहते हैं, तो कर लीजिए।

[अनुवाद]

इस बात का आपको निर्णय लेना है कि आप इसका उपयोग करेंगे या जो कुछ भी करना है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मेरा एक निवेदन है। क्या मैं माननीय मंत्री से निवेदन कर सकता हूं ? मुझे लगता है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सुनिए, जीरो-आवर में उठाए गए मुद्दों पर जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर जवाब दें।

[अनुवाद]

यह विकल्प उनका है, वह उत्तर दें या न दें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आदरपूर्वक यह निवेदन कर रहा था कि केरल से हमारे माननीय मित्र ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं ? मेरी बात सुनकर आप प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपकी सहायता कर रहा हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं आदरपूर्वक यह निवेदन कर रहा हूं कि यह केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में अब कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्य-गण मैं आप सभी से बैठने के लिए निवेदन करता हूं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बैठ जाइए। तत्पश्चात् मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। अब श्री हजारिका बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो॰ कुरियन, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, मेरा निवेदन है कि केरल में केवल कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है। वहां राजनीतिक दलों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना खतरे में पड़ गया है ...*(व्यवधान)* महोदय, मेरे बोलने के बाद यह माननीय सदस्य अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के॰ सुरेश, कृपया पत्र मत दिखाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। आप इन्हें शून्य काल के लिए उपयोग में लाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, रेल मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर चर्चा होने वाली है लेकिन रेल मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : छोटे मंत्री हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। रेलवे मिनिस्टर स्पीकर साहब की परमिशन लेकर किसी काम से गए हैं। वह जल्दी ही आ जाएंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : वह खाना खाने गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.09 बजे

रेल बजट-1997-98
लेखानुदानों की मांगें (रेल)—1997-98
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—1994-95
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)—1996-97

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा रेल बजट पर मद संख्या 5 से 8 तक एक साथ लेगी। इसके लिए 9 घंटे का समय आबंटित किया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए था के सम्बन्ध में, कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांगों की राशि
1	2	3 रु.
1.	रेलवे बोर्ड	6,00,76,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	28,23,30,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	201,62,50,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण	392,87,93,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	*222,81,85,000*
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	405,15,66,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	209,22,22,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	319,90,98,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	1324,39,10,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	744,69,11,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	147,21,59,000
12.	विधि संचालन व्यय	182,75,71,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	418,84,00,000
14.	निधियों में विनियोग	1177,66,67,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,28,11,000
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	7,50,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1608,67,21,000
	रेलवे निधियां	682,59,67,000
	जोड़	8084,46,37,000

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 11, 13 और 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
1.	**रेलवे बोर्ड**	1,16,30,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	3,45,39,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	22,61,44,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	56,35,56,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	60,16,39,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	27,95,89,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	79,68,35,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	8,66,97,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	135,54,68,000
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1,000
	रेलवे निधियां	304,73,32,000
	जोड़	700,34,30,000

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि कार्यसूची के स्तम्भ दो में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।

मांग संख्या-8, 14 और 16"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1994-95 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	1,57,81,798
14.	निधियों में विनियोग	366,39,46,659
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	23,53,27,736
	जोड़	391,50,56,193

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई—उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, आज रेल बजट पर चर्चा प्रारम्भ हो रही है। रेल मंत्री उपस्थित नहीं हैं। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इंजन ड्राइवर न हो, लेकिन अगर गार्ड हो, रेल राज्य मंत्री के रूप में चर्चा सलाह मशविरे से चल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सहायक ड्राइवर है।

श्री प्रमोद महाजन : वैसे इस रेल बजट पर चर्चा सोमवार को शुरू हो रही थी और लगभग 72 घंटे....

उपाध्यक्ष महोदय : गुजरे सोमवार से नहीं अगले सोमवार से।

श्री प्रमोद महाजन : मैं संसद के प्लेटफार्म पर खड़ा हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : जब गाड़ी लेट हो जाती है तो बजट भी लेट हो जाता है।

श्री प्रमोद महाजन : लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात इसलिए नहीं कि जब प्रिंटिंग की गाड़ी 48 घंटे लेट हो जाए तो चर्चा की गाड़ी 72 घंटे लेट होगी ही। उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी संसद में आना—जैसे किसी न्यायालय में पेशी पर जाने के समान लगता है कि आप सुबह दस बजे चले जाएं और शाम को 5 बजे बताया जाए कि पेशी कल की पड़ गई—यह भी ऐसा ही है। इसलिए सोमवार से धीरे-धीरे आज बजट पर चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है और भारतीय रेल मंत्री हिन्दुस्तान के सबसे बड़े रोज़गार का निर्माता है। रेल मंत्री ने अपने भाषण में कई बार रेल की कठिनाइयों और परेशानियों एवं संसाधनों की कमियों का उल्लेख किया है। उन्होंने अपना दोष वित्त मंत्रालय और योजना आयोग पर डालने का प्रयास किया

[श्री प्रमोद महाजन]

है लेकिन भारतीय रेल जिन चुनौतियों से गुजर रही है, दुर्भाग्य से रेल मंत्री के बजट भाषण में इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का कहीं कोई निश्चय दिखाई नहीं देता। आज भारतीय रेल के समक्ष सात प्रमुख चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती व्यावसायिक संगठन और लोक कल्याणकारी संस्था की है। इन दोनों में किस प्रकार का संतुलन रखें, यह रेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। रेल बजट पर हम चर्चा तो करते हैं लेकिन पूरे देश की जो यातायात की राष्ट्रीय नीति हो, उसमें रेल का क्या स्थान हो, क्या प्रभाव और सहयोग हो, यह दूसरी चुनौती है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी चुनौती रेल के सामने यह है कि राष्ट्रीय विकास में रेल का क्या दायित्व है, रेल की क्या भूमिका है ? चौथी चुनौती यह है कि वित्तीय और व्यवस्थापकीय अवस्था को कैसे कुशल करें। रेल के सामने पांचवीं चुनौती है ऊर्जा की। रेल मुख्य रूप से तीन ऊर्जाओं का उपयोग करती है—विद्युत, डीजल और कोयला। इनका परस्पर क्या स्थान हो और उसके कारण रेल को अपनी भूमिका निभाने में या अच्छा निर्वहन करने में मदद हो, इसका आपसी संबंध होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने प्रारम्भ में कहा है कि रेल मंत्री रोजगार के निर्माता हैं और जैसा उस दिन रेल मंत्री ने बड़े अभिमान के साथ यह कहा था और यह सच भी है कि हिन्दुस्तान में केन्द्रीय कर्मचारियों का 40 प्रतिशत हिस्सा रेल है।

रेल में 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। रेल में प्रतिदिन एक करोड़ दस लाख यात्री सफर करते हैं। थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो सात यात्रियों की सेवा एक कर्मचारी करता है। इस 110 लाख में लगभग 55 लाख यात्री मुंबई शहर के हैं और मुम्बई में कर्मचारियों की ठीक संख्या तो मुझे याद नहीं, ढाई-तीन लाख मैं अनुमान से बता रहा हूं। अगर उसको निकाल दें तो बचे हुए 55 लाख यात्रियों के लिए 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। यात्री और माल ढोना भी कर्मचारियों से संबंधित है। यदि यात्रियों को गिना जाए तो लगभग चार यात्रियों के पीछे एक कर्मचारी सेवा में लगा है। इन 16 लाख कर्मचारियों की जो क्षमता है, उस क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करना भी रेल के लिए छठी चुनौती है।

रेल मंत्री के भाषण में भी बहुत बार वक्तव्य आया और वह है रेल लाइनों का निर्माण। रेल लाइनों के निर्माण का आधार क्या है ? क्या रेल लाइनों का निर्माण राष्ट्रीय यातायात नीति के अंतर्गत हो ? क्या रेल लाइनों का निर्माण राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत हो ? क्या रेल लाइनों का निर्माण जन-सुविधा के आधार पर हो या रेल लाइनों का निर्माण राजनैतिक आधार पर हो या कहां कौन बैठता है इस आधार पर हो ? रेल लाइनों के निर्माण का, विस्तारीकरण का, दोहरीकरण का क्या आधार है, यह सातवीं प्रमुख चुनौती में रेल बजट के भाषण के पहले सोच रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान की रेल के सामने जो सात बड़ी चुनौतियां हैं, उनको स्वीकार करना तो छोड़ दीजिए, उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास तो छोड़ दीजिए, रेल बजट पूरा पढ़ने पर बार-बार पढ़ने पर इसका आभास भी रेल मंत्री को या वर्तमान रेल प्रशासन को या वर्तमान रेल मंत्री को है, इसका अंदाज इस बजट से तो नहीं लगता।

रेल मंत्री ने अपने भाषण को प्रारंभ करते हुए कहा, जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं—

"हम रेल को न सिर्फ व्यावसायिक संगठन के रूप में देखना चाहते हैं, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास की एक कारगर, कल्याणकारी संस्था के रूप में भी देखना चाहते हैं।"

मैं रेल मंत्री के इस वाक्य को रेल की जो पंचवर्षीय योजना है, उसके वाक्य के साथ जोड़ना चाहता हूं। रेलवे ने अपनी नवीं पंचवर्षीय योजना में कहा—

एक ओर जन उपयोगी सेवा और दूसरी ओर ठोस व्यापारिक सिद्धांतों पर चलने वाला वाणिज्य उद्यम के रूप में "रेलवे की दोहरी भूमिका के बीच संतुलन बिठाने की आवश्यकता से निवेश आयोजना की एक बड़ी चुनौती सामने आती है।"

रेल मंत्री के बजट के उद्धरण और नवीं पंचवर्षीय योजना में रेल की इस नीति को मैं अपने आप में परस्पर विरोधी नहीं मानता। रेल मंत्री ने भी जब कहा तो उन्होंने जिन दो बातों का चयन किया है, उसमें उन्होंने इस बात से इंकार नहीं किया कि रेल को एक व्यावसायिक संगठन जैसा काम भी करना चाहिए। अगर उनका वाक्य मैं फिर पढ़ूं तो उन्होंने कहा कि—"हम रेल को न सिर्फ व्यावसायिक संगठन...," केवल व्यावसायिक संगठन नहीं हो। लेकिन इसका अर्थ उन्होंने यह नहीं कहा कि यह व्यावसायिक संगठन है ही नहीं या जब लोक-कल्याणकारी संस्था के बारे में उन्होंने कहा तो शब्द का जो हिन्दी में प्रयोग है, उन्होंने कहा—"लोक-कल्याणकारी संस्था के रूप में भी...।" इससे तो मैं समझता हूं कि वह रेल को व्यावसायिक संगठन के रूप में भी और साथ-साथ लोक-कल्याणकारी संस्था के रूप में भी चलाना चाहते हैं। मैं इसे परस्पर विरोधी नहीं मानता, परस्पर पूरक मानता हूं और इस भूमिका से भी सहमत हूं कि रेल केवल व्यावसायिक संगठन के नाते चले यह आवश्यक नहीं है, वह लोक कल्याणकारी सेवा के रूप में ही रहे। लेकिन यह परस्पर विरोधी बात न होते हुए भी पहला वाक्य पढ़ने के बाद जो रेल बजट आता है उस पर मेरे मस्तिष्क में केवल एक प्रश्न आया कि रेल एक मुनाफाखोर व्यावसायिक संगठन न हो। लेकिन अगर रेल एक दीवालिया व्यावसायिक संगठन बन जाए तो क्या वह अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका का निर्वाह कर सकेगा। अगर उसको अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका का भी निर्वाह करना है तो उसके लिए हम उसे दीवालिया संगठन की ओर नहीं ले जा सकते और इसलिए जो 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहा है कि हमें इस प्रकार का संतुलन रखना चाहिए कि जिस संतुलन में रेल अपनी व्यावसायिक संगठन की भी भूमिका निभाए और इस प्रकार निभाए कि उससे अर्जित धन, उससे अर्जित कमाई का उपयोग हम पिछड़े क्षेत्रों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और जो रेल की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिए लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में करें। लेकिन बजट पढ़ने पर मुझे यह लगता है कि रेल की स्थिति एक सुदृढ़ व्यावसायिक संगठन की नहीं बची है। एकदम दीवालिया कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन लगभग उस दिशा में रेल अपनी गति से बढ़ रही है। मैं आपकी रेल

की आर्थिक स्थिति का आपके ही आंकड़ों से आकलन करता हूं तो ऐसा लगता है कि रेल की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। समय कम है और मेरे दल के लोग भी इस पर बोलने वाले हैं इसलिए मैं सारे उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन सारे/बजट से यह टपकता है कि रेल की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रहीं है। समयाभाव के कारण मैं केवल दो बिंदु ही बताऊंगा। किसी भी संगठन को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण संगठन का निकष होता है कि जो आप कमाते हैं और उस कमाने के लिए आप जो खर्चा करते हैं, इनका रिश्ता क्या है। कमाने और खर्चा करने में इनके रिश्ते में जितना अंतर बचेगा, जितना पैसा बचेगा, उतना ही आप विस्तार के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अब आप कमाने के लिए खर्चा ज्यादा करना शुरू कर दें तो उससे उस संगठन के आगे बढ़ने की स्थिति तो नहीं बनती है। अगर इसको रेल की भाषा में कहें तो बजट देय पूंजी और पूंजी निधि जो रेल निवेश में होती है इसका रिश्ता क्या है। साधारण हिंदी में इसको कहा जाएगा ऑपरेटिंग रेश्यो, यह मैं हिंदी का तर्जुमा कर रहा था। रेलवे का परिचालन अनुपात क्या है और उस पर प्रतिदिन क्या स्थिति हो रही है। मैं बहुत पुरानी बात पर नहीं जाता। लेकिन तीन वर्ष में रेलवे का ऑपरेटिंग रेश्यो जो घटना चाहिए था वह 86.3 से बढ़कर 91.4 हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि सौ रुपए कमाने के लिए आपको 91 रुपए 40 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब रेलवे के पास सौ रुपए के पीछे केवल 8 रुपए 60 पैसे विकास के लिए बचता है। अब इस गति से अगर हम देखें और जब हम गत 20 वर्षों में ऑपरेटिंग रेश्यो देखते हैं तो, परिचालन अनुपात 45 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया है।

अब यह आंकड़ों में तो नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर यह सौ के आगे चला जाए तो आपको रेल लाइन बिछाने की जगह उठाने का काम शुरू करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार की स्थिति जो बनी है उस स्थिति के प्रति गंभीरता रेल मंत्री के भाषण में मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ती।

उपाध्यक्ष महोदय : खाने में भी तो खर्चा होगा।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : क्या करना चाहिए यह भी तो सुझाव दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : इतनी शांति से बिना गुस्से के सब चल रहा था, आप किस बात पर क्रोधित हुए।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : नहीं वह क्रोधित नहीं हुए, उनकी सूरत ही वैसी है।

श्री प्रमोद महाजन : अगर आप किसी संगठन के चलने का मापदंड देखें, शुद्ध राजस्व का प्रतिशत—परसेंटेज ऑफ नैट रिवैन्यू टू द कैपिटल एट लार्ज—पर ध्यान दें, जो चीज रेलवे में धीरे-धीरे घटनी चाहिए, वह बढ़ रही है और जो बढ़ी चाहिए, वह 12.2 प्रतिशत से घटते-घटते 8.9 प्रतिशत पर आ गई है। इसका मतलब है कि 100 रुपए की पूंजी लगाने पर, अगर हम 9 रुपए कमाने की स्थिति में आ जाएं, इससे मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान की केन्द्र सरकार जब खुद 13.85 प्रतिशत ब्याज पर बाजार से कर्जा उठाती है, उसे 8.9 परसेंट ब्याज पर देना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी वह दिवालिएपन की स्थिति में पहुंच जाएगी। इसी गति से यदि हमारी रेलें चलती रहीं तो बहुत जल्दी वे भी दिवालिएपन की स्थिति में पहुंच जाएंगी, ऐसा दिखाई देता है।

रेलवे में आज जो कमियां दिखाई देती हैं, वह रेल मंत्री की चालाकियों के बाद हैं, उनकी चालाकी वित्त मंत्री से कम नहीं है। यदि वे चालाकी नहीं करते तो सम्भवत: आंकड़े ज्यादा भयावह होते।

अब आप देखिए कि मूल्य-ह्रास, आरक्षित निधि या विनियोग अथवा साधारण भाषा में डैप्रिसिएशन जिसे कहते हैं, उसमें कितना फंड रखा गया है। रेल जैसी इतनी बड़ी मशीनरी को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो डैप्रिसिएशन रखना पड़ेगा। इस बार आपने डैप्रीसिएशन फंड में पिछले साल के 2115 करोड़ रुपए की तुलना में 2000 करोड़ रुपए रखे हैं जबकि शास्त्र यह बताता है कि जब हमारी रेलें राजस्व में 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक बढ़ी हैं, तो उसी अनुपात में डैप्रिसिएशन राशि भी बढ़नी चाहिए क्योंकि कोई भी यंत्र अनन्त काल तक चलता नहीं रहेगा। उस दृष्टि से देखें तो डैप्रिसिएशन फंड में 4400 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की जरूरत थी, लेकिन आपने पिछले साल की तुलना में यह राशि 2115 करोड़ रुपए से घटाकर 2000 करोड़ रुपए पर कैद कर दी। इससे बजट के आंकड़े तो पूरे हो जाएंगे लेकिन जो चलती हुई मशीन है, उसमें डैप्रिसिएशन होना बजट के कोरे कागजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक दिन वह बंद हो जाएगी। उस समय आपको याद आएगा यदि पहले बजट में मैं प्रौपर पैसा रखता तो शायद नई मशीन खरीदने की नौबत न आती और मरम्मत से काम चल जाता।

एक दूसरी विसंगति भी देखिए। आप रेलवे के रिटायर्ड लोगों को पेंशन देते हैं। दुनियाभर में कहीं पेंशन की राशि कम नहीं की जाती, उसका कोई कारण भी प्रतीत नहीं होता। इस बार आपने पेंशन के लिए एप्रोप्रिएशन 2700 करोड़ रुपए से घटाकर 2200 करोड़ रुपए कर दिया—यानी 500 करोड़ रुपए की कमी—क्या आप पेंशन घटाने का इरादा रखते हैं...*(व्यवधान)* मैं इसमें राजनीति के आधार पर कुछ नहीं कह रहा हूं अन्यथा मैं कह सकता था कि आपका इरादा ऐसा दिखाई देता है परन्तु रेलवे से निरन्तर लोग रिटायर होते रहेंगे, उन्हें दी जाने वाली पेंशन की राशि हर साल बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर साल रिटायर होने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी, फिर हमारे देश में लोगों की औसत आयु भी बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप पहले की तुलना में ज्यादा अवधि तक आपको पेंशन देनी पड़ेगी। इन विसंगतियों को आप दूर करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति और गिरती जाएगी।

रेलवे की वार्षिक योजना में आपने बड़ी ताकत से कह दिया कि हमें 11,000 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि आपकी ताकत उतनी नहीं थी। योजना आयोग ने कहा कि इतना नहीं हो सकता, आप 8,300 करोड़ रुपए की निधि ले लीजिए। पिछले वर्ष रेलवे की वार्षिक योजना 8,130 करोड़ रुपए की थी, इस वर्ष आपको 8,300 करोड़ रुपए मिले हैं—यानी कुल बढ़ोत्तरी 170 करोड़ रुपए की हुई। इसे दूसरी तरह से देखिए—पिछले

[श्री प्रमोद महाजन]

वर्ष आपने 5 से 7 प्रतिशत मुद्रास्फीति मानी है, उस दृष्टि से देखने पर, इस साल आपके 170 करोड़ रुपए बढ़े नहीं हैं बल्कि 500 करोड़ रुपए घटे हैं। प्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो आंकड़ों में वृद्धि जरूर है जबकि वास्तविक में यह राशि घटी है—इतनी राशि में आप क्या नहाएंगे और क्या निचोड़ेंगे।

अब मैं मुख्य मुद्दों को आपके सामने एक-एक वाक्य में रख देता हूं कि आपकी स्थिति क्या बन गई है। जिसे चल स्टाक या रोलिंग स्टाक कहते हैं, उसमें आपने पिछले वर्ष के 2020 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 1208 करोड़ रुपए कर दिए, यानी 812 करोड़ रुपए की कमी कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जानता हूं कि भारतीय रेल वित्त निगम से 300 करोड़ रुपए लेकर मंत्री महोदय इस घाटे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रेल वित्त निगम पर मैं बाद में कहूंगा, लेकिन मुख्य रूप से मूल बजट में तो आपने 800 करोड़ रुपए कम किए हैं। दूसरी बात आपने यात्री सुविधाओं की कही है कि आप यात्री सुविधाएं बढ़ाएंगे। आपने भाषण में तो इस बारे में बहुत कहा है, लेकिन जब आपका भाषण देखा, तो पता चला कि पिछले साल इस मद में आपने 103 करोड़ रुपए रखे थे, इस वर्ष 80 करोड़ कर दिए। अब पैसा कम करके यात्री सुविधाएं आप कैसे बढ़ाते हैं, यह जादू चिदम्बरम जी और पासवान जी कर रहे हैं, यह देखना पड़ेगा कि आखिर यह क्या है। आपने घोषणा कर दी कि आमान परिवर्तन करेंगे। यानी ब्राडगेज करने के लिए आपने पिछले वर्ष 1021 करोड़ रुपए रखे थे और इस वर्ष आपने 996 करोड़ रुपए कर दिए। 25 करोड़ रुपए उसमें घटाए हैं, तो आमान परिवर्तन बढ़ेगा कहां से ?

उपाध्यक्ष महोदय, दोहरी लाइन के लिए पिछले साल 206 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस बार 178 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस प्रकार से 28 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के मुकाबले कम रखे गए हैं। दोहरी लाइन कैसे करेंगे ? सिगनलिंग के लिए आपने पिछले वर्ष के 252 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वर्ष 201 करोड़ रुपए रखे हैं। अब यह 252 और 201 करोड़ रुपए का खेल नहीं है। सिगनलिंग सुरक्षा की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको सिगनलिंग का खर्चा बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने उसको 50 करोड़ और घटा दिया है। पैसा घटाने से सिगनल सिस्टम कैसे मैनटेन होगा ? जब सिगनल सिस्टम मैनटेन नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि एक रेल दूसरी से टकराने की दुर्भाग्यपूर्ण संभावना बढ़ती है। हमने आपके भाषण में पढ़ा कि आप संगणनीकरण को बहुत महत्व दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक रेलवे स्टेशन दूसरे से संगणनीकरण के माध्यम यानी कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से जुड़े, लेकिन इस कार्य के लिए पिछले साल 62 करोड़ 58 लाख रुपए रखे गए थे, उनको इस वर्ष घटा कर 35 करोड़ कर दिया गया है। इस प्रकार से 27 करोड़ 56 लाख रुपया पिछले वर्ष के मुकाबले संगणनीकरण में कम कर दिया है। क्या बिल गेट्स हमें कोई यहां आकर पैसा तो नहीं दे जाएगा। आप कैसे कम्प्यूटरीकरण करेंगे ? हमें कोई मुफ्त में कम्प्यूटर देने वाला नहीं है। पिछले साल जो खर्चा हुआ, उससे आधा पैसा आपने इस बार रखा है, तो कैसे कम्प्यूटरीकरण होगा ?

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : कम्प्यूटर अब सस्ता हो गया है।

श्री प्रमोद महाजन : यह ठीक है। इसलिए आप बीच-बीच में हमें सपोर्ट करते रहिए।

रेल को आर्थिक दुर्स्थिति से बचाने का जो प्रश्न आपने किया है, वह बहुत ठीक है। मैं उससे इंकार नहीं कर सकता हूं। यह सिर्फ गलत जगह आया है। यह योग्य स्थान पर नहीं आया है। अब यह समय की मांग है और रेल को आर्थिक दुर्स्थिति से निकालने के लिए एक घिसा-पिटा रास्ता है। मैं पासवान जी को कोई दोष नहीं देता हूं। जितने रेल मंत्री आए, वे सभी इसी रास्ते पर चले हैं। अब नया रास्ता ढूंढना न रेल मंत्री के मस्तिष्क में आता है और न रेल मंत्रालय के मस्तिष्क में आता है। सब वर्षों से वही घिसा-पिटा रास्ता अपना कर माल भाड़ा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस वर्ष अभी आपने साढ़े 12 प्रतिशत मालभाड़ा बढ़ाया है। आजाद हिन्दुस्तान की पहली सरकारें 10-12 प्रतिशत मालभाड़ा बीच-बीच में बढ़ाती रही हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार की विशेषता यह है कि उसने साल में दो बार मालभाड़ा बढ़ाया है। सात महीने पहले आपने 10 प्रतिशत बढ़ा दिया था। लोग भले ही भूल गए होंगे, लेकिन अधिकारी नहीं भूले हैं। वे तो मानते हैं। मंत्री जी भी हो सकता है कि भूल गए होंगे। इस बार आपने साढ़े 12 प्रतिशत बढ़ाया और पहले आपने 10 प्रतिशत बढ़ाया। इस प्रकार से यदि हिसाब लगाएं तो 100 पर 10 और 110 पर साढ़े 12 प्रतिशत, इस प्रकार से कुल 23.2 प्रतिशत मालभाड़ा एक साल में संयुक्त मोर्चा सरकार ने बढ़ा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि हमने जीवन की आवश्यक चीजों पर मालभाड़ा नहीं बढ़ाया है। उन्हें छोड़ दिया है। हम इनके बहुत आभारी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन जीवन की आवश्यक वस्तुओं की सूची, संविधान की सूची की तरह से है। कहीं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कोई एक-दो चीजें सिर्फ आगे पीछे की गई हैं। रेल मंत्री जी बड़े धीमे से बोले कि मैं बड़े दुख के साथ मालभाड़े में साढ़े 12 प्रतिशत की वृद्धि कर रहा हूं और फिर बोले कि मैं इन चीजों को मालभाड़े की बढ़ोत्तरी से मुक्त रख रहा हूं। ये चीजें वहीं हैं जो पिछले साल थीं। मैं तो कल का रेल अध्यक्ष का भाषण पढ़ रहा था जो उन्होंने कल प्रैस कांफ्रेंस में दिया था। आपने जो चीजें छोड़ी हैं उनको आप उठाते नहीं हैं। पिछले साल आपने जितना खाद्यान्न उठाना था, नहीं उठाया। आपने इसको छोड़ दिया। अब इसमें खाद्यान्न वालों को तो कोई फायदा नहीं होता। यह ठीक है कि जीवन की आवश्यक वस्तुएं महत्वपूर्ण होती हैं। हमें निर्यातक मिले थे। उन्होंने हम से कहा कि हम तो जीवन की आवश्यक वस्तुएं नहीं बनाते हैं, लेकिन आपके भाड़े को बढ़ाने से हमारा माल 23 प्रतिशत महंगा हो गया। वह कहता है मैं निर्यात कर रहा हूं, विदेशी पूंजी कमा रहा हूं और आपने 23 प्रतिशत मालभाड़ा बढ़ा दिया। इससे मेरा माल विदेश में 25 प्रतिशत महंगा बिकेगा। अब उसके लिए तो कोई रास्ता बचा नहीं है। इसलिए हमेशा यह कहा जाता है आम आदमी जीवन की आवश्यक वस्तुओं

से संबंध रखता है। यह अर्ध सत्य है। यह पूर्ण सत्य नहीं है। जब आप मालभाड़े को बढ़ाते हैं, तो उससे महंगाई का एक चक्र जन्म लेता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जैसा कोयला है। कोयला कोई खाता नहीं है और यह जीवन के लिए आवश्यक भी नहीं है, लेकिन कोयले से चूल्हा जलने से लेकर पावर स्टेशन तक की चीजें चलती हैं।

जब माल भाड़ा कोयले पर बढ़ता जाएगा तो पावर पर भी दुगुना बढ़ता जाएगा। इस पर बहुत लोग सहमत न हों। मेरे सहयोगी भी सहमत न हों लेकिन मुझे लगता है कि माल भाड़ा न बढ़े लेकिन यात्रा भाड़ा बढ़े तो कम से कम उस पर असर होता है जो यात्रा करता है। माल भाड़ा बढ़ने से उस पर असर होता है जो यात्रा नहीं करता है। जो रेलवे स्टेशन पर जाता ही नहीं है, उस पर भी आपके माल भाड़े का असर होता है। जो बेचारा रेल में यात्रा करता है, वह तो दुगुनी मार खाता है। यात्रा भाड़े की मार के साथ-साथ वह माल भाड़े की मार भी खाता है। बार-बार लगता है कि यात्रियों को छोड़ दिया लेकिन माल बेचारा बोलता नहीं है। वह चिल्लाता नहीं है। वह वोट भी नहीं देता है। स्वाभाविक रूप से लगता है कि यह बचा लिया लेकिन इसका जो दुष्परिणाम होता है, उस की ओर आपने नहीं सोचा कि उससे महंगाई बढ़ेगी। सामान्यतः यह माना जाता है कि जब आप 10-12 प्रतिशत माल भाड़ा बढ़ाते हैं तो साधारण मुद्रास्फीति एक से सवा परसेंट बढ़ती है। इसका मतलब दोहरी मार साल में देकर आप लगभग सवा से दो ढ़ाई प्रतिशत मुद्रास्फीति ऊपर ला रहे हो। इस माल भाड़े का एक दूसरा पहलू आप जानने की कोशिश करें। क्षण मात्र के लिए, विवाद के लिए मैं मान भी लूं कि यह अपरिहार्य है। सबको भाड़ा न लगे तो भाड़ा कहीं से तो लाना पड़ेगा। लेकिन हम यह समझें कि निरन्तर माल भाड़ा बढ़ाने की भी एक सीमा होती है और उस सीमा के पश्चात् बढ़ा हुआ माल भाड़ा आपको लाभ नहीं घाटा देता है। आपने कभी यह देखा है कि पिछले 40 वर्षों में रेलवे की माल वहन की क्षमता कम हो रही है। हिन्दुस्तान में माल वहन करने में रेलवे की जो भूमिका थी, जो प्रतिशत था, वह घट रहा है। 1951 में 89 प्रतिशत माल रेल ले जाती थी और 80 प्रतिशत यात्री रेल ले जाती थी लेकिन 1997 में आप 46 प्रतिशत माल वहन करते हैं और 20 प्रतिशत यात्री ले जाते हैं। रास्तों ने, मोटरों ने, गाड़ी ने आपकी क्षमता को कम किया है। अब अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो माल भाड़े की वृद्धि की चरम सीमा होने के बाद भी इसका उपयोग नहीं होगा। इसलिए हम भी चाहेंगे कि रेल से माल ज्यादा जाए क्योंकि 80-82 प्रतिशत पेट्रोल ट्रक्स उठाते हैं जबकि रेल 9 परसेंट में चलती है। पॉलुशन भी कम होता है, दूरी तक जल्दी ले जा सकते हैं और जगह-जगह रुकना भी नहीं पड़ता है। फिर भी लोग ट्रक्स को उपयोग में ला रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि या तो आप बहुत महंगे हैं कि हम आपको ले नहीं सकते या आप अक्षम हैं। उस अक्षमता के कारण हमको लगता है कि अगर मुंबई से कलकत्ता हमें अपना माल भेजना है तो हमको ट्रक ज्यादा अच्छे लगेंगे। यदि आप रेल की भूमिका नहीं समझेंगे तो यह दिवालिया हो जाएगी।

मैं यह देख रहा हूं कि आपने बजट में कहीं भी स्पर्श नहीं किया। इसलिए जब माल भाड़ा बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। आप उसको क्षण मात्र में दूर करें लेकिन जब तक आप माल उठाने की क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तब तक बढ़ते भाड़े का आपको लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रति वर्ष दो करोड़ टन है। पिछले साल 39 लाख था। अब 41 लाख है। यह तो आदमी की जैसे आयु बढ़ती है वैसे है। इसको विकास नहीं कहते। जब व्यक्ति 17-18 साल का होता है तो उसकी मूछें आती हैं। यह विकास नहीं है। इस नेचुरल प्रोसेस में आबादी बढ़ी है तो रेल भी बढ़ी है। एक दो करोड़ माल भाड़ा हर साल ज्यादा लेना—क्या आपने कभी इतनी वृद्धि की बात सोची है। 10 परसेंट बढ़ाएंगे, 15 परसेंट बढ़ाएंगे। कुछ करके भाड़ा बढ़ाएं, वह ठीक है। माल ले जाओ तो माल ले जाने के लिए कोई योजना नहीं है। आपको किससे पैसा मिलेगा ? आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। क्या आपने आर्थिक आय बढ़ाने के लिए नए स्रोत भी सोचें हैं ? न सोचे हैं और न ढूंढे हैं। हर बार योजना आयोग या वित्त मंत्रालय कहां से पैसा लाएगा। वैसे भी 22 हजार की पूंजी आपके यहां तो लगी है। उस पर आप डिवीडैंड देते हो। पता नहीं डिवीडैंड नाम किसने दिया है। वह तो ब्याज है। कर्ज पर आप ब्याज दे रहे हो। वह डिवीडैंड कहां से हुआ। मैं मानता हूं कि केन्द्र सरकार और हम सबको एक बार यह विचार करना पड़ेगा कि रेल क्या है ?

आपका एप्रोच पेपर कहता है—

[अनुवाद]

राज्य रेलवे को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि वह जनोपयोगी सेवा का सामाजिक दायित्व निभा सके।

[हिन्दी]

रेल पर जो सोशल बर्डन है, उसे कुछ रेल उठाएगी और कुछ देश को उठाना पड़ेगा। यदि देश उसे नहीं उठाए तो रेल उसे अकेले उठाने में अक्षम होती जा रही है। अपनी अक्षमता के साथ केन्द्र की भी अक्षमता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम रेल को इनफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं। केन्द्र की एक इंडियन इनफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट है जिसमें रेल का नाम ही नहीं है। वे रेल को इनफ्रास्ट्रक्चर मानते ही नहीं हैं। यदि केन्द्र सरकार की इनफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट रेल को इनफ्रास्ट्रक्चर माने ही नहीं तो इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए केन्द्र पैसा नहीं देगा। यदि उसे इनफ्रास्ट्रक्चर और सोशल बर्डन मानें तो स्वाभाविक रूप से पैसा होगा। अब वह जब आएगा तब आएगा। वह जब देगा तब देगा। लेकिन अलग बजट की भी कोई प्रासंगिकता है। आखिर रेल के लिए अलग बजट क्यों ? यदि आप हर वित्त मंत्रालय की ओर देखना चाहते हैं तो आप इसे भी वित्त मंत्रालय को दे दीजिए। इसे भी वह पढ़ लेगा। दो-दो बार बजट, दो-दो बार बहस कोई जरूरी नहीं है। यदि आप अपने संसाधन नहीं जुटा सकते तो साल में एक बार भाषण करने के लिए रेल का बजट थोड़ी होगा। रेल का बजट करना है लेकिन यदि सब कुछ केन्द्रीय बजट से लाना है तो उसकी क्या आवश्यकता है।

आपने बोल्ट स्कीम शुरू की। आपने अपने भाषण में खुद कहा है कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, निराशाजनक है। मैं आपको दोष नहीं दूंगा। लेकिन यह निराशाजनक क्यों है ? यह बोल्ट क्यों नहीं चल

[श्री प्रमोद महाजन]

रहा है ? कुछ क्षेत्रों में चल रहा है लेकिन यहां क्यों नहीं चल रहा है। बोल्ट में आप क्या दे रहे हैं, मैं नहीं समझता। हो सकता है रेल का कोई अध्ययन हो या करते हों। यह निराशाजनक है, यह कहने के बाद कहीं यह दिखाई नहीं देता कि बोल्ट के बारे में ये क्या कर रहे हैं।

कोंकण रेलवे को पैसा मिला। क्यों मिला ? इसलिए मिला क्योंकि आपने कोंकण रेलवे को पैसा देते समय, जिनको इसकी उपयुक्तता थी, उनसे कहा कि पैसा दें। यदि आप केरल के लोगों को यह कहेंगे कि हम बिहार में एक पुलिया बना रहे हैं, उसके लिए बोल्ट में पैसा दे दो तो वे इनटरेस्टेड नहीं होंगे। आप बिहार के उन लोगों से पैसा मांगें जो उस रास्ते का, उस स्पैसीफिक प्रोजैक्ट का उपयोग करें तो उनकी रुचि होगी।

यह रेल से संबंधित नहीं है लेकिन मैं केवल एक उदाहरण बताता हूं। महाराष्ट्र सरकार कृष्णा पर बड़े डैम्स बनाने के लिए बाजार में गई। 700 करोड़ रुपया चाहिए था, तीन दिन के अंदर मिल गया। लोगों ने पैसा दिया। कृष्णा जहां से बहती है वहां लोगों को लगा कि हमें पानी मिलेगा, हम पैसा देते हैं। रेल में जो स्पैसीफिक प्रोजैक्ट है, उसके उपयोग के लिए कोई प्रोजैक्ट ढूंढने के लिए बोल्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है।

'ओन योर वैगन' को थोड़ी अच्छी सफलता मिली है। यदि इसे और बढ़ाएं तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिल सकती है। उसके कारण हमारे चल स्टॉक का पैसा कम हो सकता है और उस पैसे को कहीं और उपयोग में ला सकते हैं।

रेल के पास अतिरिक्त जमीन है जो रेल के उपयोग के लिए नहीं है। क्या आप उसका कोई व्यावसायिक उपयोग करने के बारे में सोचते हैं ? दुनियाभर में रेलवे स्टेशन इतनी आय देने वाले स्थान हैं। आप उसे बेचिए मत, अपने पास रखिए।...*(व्यवधान)* इसे कम से कम महानगरों से शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि मुम्बई में 30-40 स्टेशन हैं। यदि विज्ञापन की दृष्टि से भी इसका कोई मास्टर प्लान बनाएं, 1 करोड़ 10 लाख लोग रोज रेल की यात्रा करते हैं। इसका मतलब 1 करोड़ 10 लाख लोग टिकट लेते हैं। साल में 365 करोड़ टिकट बिकती हैं। टिकट के विज्ञापन के लिए आप व्यावसायिक संगठन के रूप में थोड़ा सोचें।

तो कल्याण करने के लिए पैसा आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से लगता है कि ऐसे प्रकल्प के लिए विशेष खर्चा या विज्ञापन के लिए कुछ खर्चा, रेल के पास जो एडीशनल सरप्लस लैंड है, उसका कोई व्यावसायिक उपयोग करने की कहीं से बाहर से पैसा लाने की इस प्रकार की कोई स्थिति यहां दिखाई नहीं देती। अब आपने सारा बोझा भारतीय रेल वित्त निगम पर डाला है और मुझे मेरे शब्द सुनाने की आवश्यकता नहीं है, जब आपने बजट पेश किया तो शाम को रेल बोर्ड के अध्यक्ष पत्रकारों से मिले हैं, उन्होंने कहा है, मैं उनका वाक्य उद्धृत कर रहा हूं :

[अनुवाद]

"हम काफी धनराशि जुटाने की स्थिति में हैं। लेकिन हमें ऋण चक्र में फंसने और दिवालिया की स्थिति के प्रति सजग रहना होगा।"

[हिन्दी]

उन्होंने खुद माना है। पैसा तो मिलेगा, जब सरकार पीछे खड़ी है तो पैसा तो कोई भी देगा, बाजार में पैसा तो मिलेगा। जब निजी उद्योग को पैसा मिलता है तो सरकार को भी पैसा मिलेगा, लेकिन रेल वित्त निगम में आप जितना पैसा डाल रहे हो, कभी आपने यह सोचा है कि रेल वित्त निगम को पैसा लौटाना भी है ? यह दानदायी खाता नहीं है, व्यावसायिक संगठन है। अगर ऐसा करना पड़ेगा तो रेल वित्त निगम में आपको लौटाने की पैसे की मात्रा कितनी बढ़ी है, पांच साल, दस साल पहले 1987 के आसपास रेल वित्त निगम को लौटाने की मात्रा 0.42 थी और आज यह बढ़कर 8.7 हुई है, जो भारतीय रेल वित्त निगम को पैसा लौटाने में रेल खर्च करती है, यह तीसरा सबसे बड़ा शीर्ष है। एक सबसे बड़ा कर्मचारी का वेतन है, दूसरे ईंधन का खर्चा आता है और तीसरा खर्चा वित्त निगम को देने का आता है। अगर रेल का घाटा है तो यह निगम का लाभ है। अब निगम के लाभ को हम बहुत बड़ा करके बता रहे हैं कि देखो भारतीय रेल वित्त निगम तो लाभ में चल रहा है। लाभ में क्यों नहीं चलेगा, जब रेल घाटे में चलेगी। आप यह बता रहे हैं कि कटोरी में बहुत आ गया, जब थाली में खाली हुआ तो कटोरी में ही आएगा ही, अब यह थाली कटोरी का आपस में जो एक दूसरे से रिश्ता है, यह ऐसा है कि बाप से बेटे ने कर्ज उठा लेना और बाप का कहना कि बेटा बड़ी कमाई कर रहा है, मुझे तो इसमें ज्यादा सेंस दिखाई नहीं देता, इसलिए बाजार में संस्था को पैसा देना है, इसका भी ध्यान रखिए।

अब खर्च कम कर दें, कुछ तो कटु काम करिए। आपके आने के पहले मैंने कहा कि चार यात्रियों की सेवा एक कर्मचारी करता है, बहुत अच्छी करता है, हम उससे बड़े संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। अब रेल का खर्चा कम करने का कोई रास्ता ढूंढो। आप रेल चलाइए, लेकिन आप सफाई भी करोगे, आप खान-पान भी करोगे और आप बाहर होटल भी चलाओगे। क्यों ? उन लोगों को करने दो, इससे रोजगार कम नहीं होता है। मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान में वह समय आ गया है, जब सब राजनेता यह जान लें कि इससे रोजगार कम नहीं होगा और इस प्रकार के गलत रोजगार के मोह में हम पूरे देश को एक दिन दिवालिया बना देंगे। इससे रोजगार कम नहीं होगा। आप रेल चलाइए, रेल बनाइए, सिगनल करिए, एक जगह से दूसरी जगह छोड़िए।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इसमें पासवान जी की क्या गलती है।

श्री प्रमोद महाजन : वे जब उत्तर देंगे, तब देंगे। मैं तो इंटरप्शन इन्वाइट नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : हमने लॉ एण्ड आर्डर स्टेट को दे दिया है तो क्या हो रहा है।

श्री नीतीश कुमार : आप बिहार में चले गए।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, बिहार की ही बात नहीं है, उसमें महाराष्ट्र भी है।

श्री प्रमोद महाजन : मैं समझा कि मैं किसी दूसरे विषय पर बोल रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने आपको नहीं कहा।

श्री प्रमोद महाजन : मैं दो बिहारियों के बीच में आ गया। एक ही हमारे लिए भारी है।

मैं यह कह रहा था कि आप रेल चलाइए, यह किसी और को दीजिए, इससे आपका बोझ कम होगा। आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये वाक्य कटु हैं, राजनीति के लिए अच्छे नहीं हैं। आपने छह नए जोन बना दिए, लोग खुश हुए और मेरे बाद जो लोग भाषण करेंगे, वे और जोन मांगेंगे, नए-नए जोन मांगेंगे। दो-दो हजार करोड़ रुपए उसका प्रावधान है, हम सूचना प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं। एक रेल भवन में बैठकर चला सकते हैं, कम्प्यूटराइजेशन यहां आ गया है कि इण्टरनेट पर लोग चला रहे हैं। मैं कोई विज्ञान पर भाषण नहीं कर रहा हूं। चिदम्बरम जी हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए उस दिन उन्होंने कहा, लेकिन 10 साल के बाद तो व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही नहीं पड़ेगा, वह अपने पर्सनल कम्प्यूटर से सब आदेश दे सकता है। अब ऐसी स्थिति में हम नए भवन, नए लोग, नए मैनेजर, नई व्यवस्था ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : एक मिनट के लिए आप यील्ड करेंगे ?

प्रमोद जी, मैं आपका एक मिनट लूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। हम आपसे कुछ सीखना ही चाहते हैं। पहले इस देश में कितने राज्य थे, आज कितने हो गए, उनकी केपिटल के लिए भवन बना कि नहीं। ऐसे ही पहले कितने जिले थे, आज कितने हो गए, उसके लिए भवन बने कि नहीं। ऐसे ही पहले कितने ब्लाक थे, आज कितने हो गए, कितने थाने थे, आज कितने हो गए। उनका क्या क्राइटेरिया था। जब यह क्राइटेरिया था तो रेलवे का भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है। जब इतना वर्क लोड होगा, 125 से ऊपर इंडैक्स बढ़ेगा तो एक नया जोन बनेगा, यह 1966 के बाद बनी समिति में तय हुआ था। 1955 में, 1956 में, 1958 में और 1966 में जोन बना। उसके बाद कमेटी बनी। उसने कहा कि 1966 तक चार जोन बनने चाहिए। फिर 1984 आया। उस इंडैक्स के मुताबिक जोन बनाया गया। यह सारे का सारा खर्चा महल के लिए नहीं है, सिर्फ रेलवे जोनल के लिए ही हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी खास मंत्रालय में सत्ता का केन्द्रीकरण होता है।

श्री प्रमोद महाजन : मुझ से सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं सीखना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : हम सीखा नहीं रहे, आप सीखा सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : आप सीखा सकते है। आपने प्रश्न उठाया, दो मुद्दे उसमें रखे हैं। रेलवे जोन का इंडैक्स कब बना था, यह जवाब देते हुए बताएं।

जब इंफार्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आएगा तो आपका जोन बनाने का इंडैक्स वही पुराना रहना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। उस जमाने में जब मैं मुम्बई से दिल्ली आता था और वापस जाना होता था तो यहां से एस॰टी॰डी॰ करके वहां कहता था कि मुझे रिटर्न टिकट भेज दो, यह मैं हवाई जहाज की बात कर रहा हूं। अब यहां से एक मिनट में कम्प्यूटर से सारा का सारा काम हो जाता है, आप एक मिनट में सौ जगह की टिकट ले सकते हैं। मैं केवल रेल के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। 2000 करोड़ रुपए का बोझ डालकर जोन बना रहे हैं, यह जनता पर ही पड़ना है, इससे आप सहमत हों या नहीं, यह अलग बात है।

हो सकता है मेरे बाद मेरे दल के लोग बोलें और वे और जोन की मांग करें। लेकिन मैं क्षेत्रीय और दलीय दृष्टि से इस पर भाषण नहीं कर रहा, मुझे जो रेल की स्थिति लगती है, इसका आकलन कर रहा हूं। आप मितव्ययिता का कुछ उदाहरण दें। मैं हर रोज अखबार में देखता हूं विज्ञापन आते हैं। कभी केरल के आते हैं कि उधर गाड़ी शुरू हो रही है, कभी इधर गाड़ी शुरू हो रही है, फोटो छपते हैं, एक-दो कॉमन हैं, कुछ नए होते हैं। आप कहेंगे कि एक-दो हजार करोड़ रुपए से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री मितव्ययिता का उदाहरण दें। यह नहीं कि यह तो आगे भी चलेगा, हमारे पूर्व मंत्री ने शुरू किया, अब चलता रहेगा। आप कहेंगे कि पहले फोटो नहीं छपते थे, अब भी छपते हैं तो क्या हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पूरे बजट में पैसा बचाने का कोई रास्ता नहीं है। कर्जा कम करने का है, उसके लिए बचत भी करनी है।

आपने दो अच्छे कदम उठाए हैं, सारा देश उसका स्वागत करेगा। यह ठीक है कि रेल मार्ग का भी विस्तार करना है। आपने एक पूर्वांचल के लिए और दूसरा जम्मू-कश्मीर में रेल विस्तार की बात कही है। व्यावसायिक रूप से भले ही ये दोनों लाभ वाले क्षेत्र न हों, लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता और सुरक्षा की दृष्टि यह आवश्यक है।

श्री नीतीश कुमार : अंडमान के लिए भी।

श्री प्रमोद महाजन : फ्लाइओवर कहोगे ! मुझे लगता है कि रेल मार्ग के विस्तार की कोई दूरगामी योजना आपके पास नहीं है। रेल मंत्री कौन है, प्रधान मंत्री कौन है, मांगता कौन है, झगड़ता कौन है, इस पर रेल का विस्तार होगा, यह अभी तक चल रहा है। हिंदुस्तान जैसे देश में रेलवे का कोई मास्टर प्लान नहीं कि आने वाले 15-20 सालों में हम रेल का इस प्रकार से विस्तार करना चाहते हैं, यह भले ही न हो, लेकिन एक बार बहस तो हो।

बहुत वर्षों पहले शरद जोशी जी ने पोस्ट ऑफिस पर कविता लिखी थी और उन्होंने कहा था कि अच्छा हो गया, अंग्रेज पोस्ट ऑफिस बनाकर चले गए। अगर वे नहीं बनाते तो हम पोस्ट ऑफिस बनाते और हमारे पोस्ट ऑफिस भारतीय पोस्ट ऑफिस होते और फिर उनका एक वाक्य, ममता जी, आप मुझे क्षमा करें :

> "कांग्रेस एक चुनाव तो इसी बात पर जीत जाती कि वे पोस्ट ऑफिस बनाने वाले हैं और फिर दूसरे पंचवर्षीय योजना में मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली में पोस्ट ऑफिस खुलते और फिर जैसे-जैसे मांग बढ़ती जाती, पोस्ट ऑफिस खुलते जाते।"

[श्री प्रमोद महाजन]

यह पोस्ट ऑफिस खोलने का कोई तरीका नहीं है। आपके सर्वेक्षण, नवीनीकरण, आमान-परिवर्तन, नई गाड़ी इन सबका कोई आधार बनाइए। यह दया पर नहीं, न्याय पर मिलना चाहिए। यह भीख मांगने पर नहीं मिलनी चाहिए बल्कि अधिकार पर मिलना चाहिए।

यह रेल मंत्री के पास जा रहे भिखारियों जैसा लग रहा था।

क्या रेलवे विस्तार का काम इस प्रकार से होता है ? आपने रेलवे विस्तार की कोई योजना नहीं बनाई और इसीलिए जब आप नहीं बनाते हैं तो आपके रेल का बजट असंतुलित है। मुझे किसी राज्य से गिला नहीं है। कहीं भी रेल बने, कर्नाटक में बने, हाजीपुर में रेल बने, ये सब मेरे देश के हिस्से हैं। मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : प्रमोद जी, आप याद रखिए कि लगातार तीन वर्षों से हम लोग संसद में जद्दोजहद करते रहे क्योंकि बिहार तथा उड़ीसा की जिस ढंग से उपेक्षा होती थी, प्रधान मंत्री के आसन से आश्वासन दिए जाते थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था और अगर इस बार थोड़ा-बहुत आ गया तो इतनी हार्ट बर्निंग क्यों हो रही है ?. ..*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : नीतीश जी, आखिर आप बिहार के ही हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान नहीं।

श्री राम विलास पासवान : आपके बिहार के सभी साथी क्यों नहीं बोलते ? उनको भी बोलना चाहिए कि बिहार को ज्यादा मिला या कम मिला। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी टर्न पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आपने ठीक कहा कि मास्टर प्लान बनना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : रेल के विस्तार के लिए मुझे मेरे प्रदेश से यदि रेल मंत्री की आवश्यकता होगी तो 25 रेल मंत्री बनाने पड़ेंगे और कभी-कभी रेल राज्य मंत्री होने पर भी कुछ नहीं मिलता है। यह अपने आपमें एक अलग बात है। ...*(व्यवधान)*

मुझे यह लगता है कि जैसे हमेशा लिखा जाता है और यह वास्तविकता है कि रेल राष्ट्रीय एकात्मकता की निशानी है। हमें तुच्छ राजनीति के लिए प्रांतों के झगड़ों में से निकलना चाहिए। इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि एक मास्टर प्लान बने जिस पर सदन में बहस हो, सभी माननीय सदस्य उसमें अपने विचार व्यक्त करें। हमें आगामी 10-20 वर्षों के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान अपनाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसको दीजिए, उसको दीजिए। आपने नया सर्वेक्षण कराया, आपने आधा सर्वेक्षण एक प्रांत से करवाया। आपकी मर्जी है, चाहे कहीं से करवाइए। मैं मंत्री जी से यह पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने कभी यह देखा कि पुराने सर्वेक्षणों का क्या हुआ ? क्या पुराने सर्वेक्षणों में से कोई भूल सुधारी गई है ? अगर आप अपने बजट में प्रावधान करें तो मेरा अंदाज यह है कि भूल सुधारने के लिए आपको 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करना पड़ेगा। सर्वेक्षण भी क्या होता है, एक सर्वेक्षण होगा कि लाइन बनेगी नहीं। फिर दूसरा सर्वेक्षण होगा कि एक लाइन बनेगी। फिर तीसरा सर्वेक्षण होगा कि डबल लाइन बनेगी। मैं जिस मास्टर प्लान की बात कर रहा हूं, उसमें आमान परिवर्तन से लेकर सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी। अब मैं कहूं कि मैं भी संसद सदस्य हूं, मेरे क्षेत्र में एक ट्रेन लाइन दीजिए। आप कह देंगे कि प्रमोद जी, एक लाख रुपया आपके यहां की रेल लाइन के लिए है और मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर कहूंगा कि मैंने राम विलास पासवान जी से बहुत झगड़ा किया और एक रेल लाइन देने के लिए वह तैयार हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि रेल तो अभी 25-30 साल वहां नहीं आएगी। इसलिए हमें इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। रेल बोर्ड को ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। मेरा यह मानना है कि दबाव में तो आप नया प्रोजेक्ट खुद लेकर मुझे दे सकते हैं लेकिन वह दबाव में होगा। एक संसद से या जन तंत्र से रेल मंत्री को या जो भी सरकार होती है, उसको जो शक्ति मिलती है, उसमें एक-दो लाइनें हो जाएंगी।

अपराह्न 3.00 बजे

आज जितनी रेल लाइनों की मांग है, उनको पूरा करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए चाहिए और अगले 25 सालों में 20 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। हम यहां नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी रेल लाइनों की मांग रहेगी। 25 सालों के बाद भी मामला आएगा और जवाब वही दिया जाएगा, अगर यही मास्टर प्लान है, तो फिर भगवान ही रेल को बढ़ाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रमोद जी, आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ बोल रहे हैं। मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा समय का भी ध्यान रखिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं पांच मिनट का समय और लूंगा। अब मैं केवल एक-एक मुद्दा पढ़कर सुनाऊंगा।

महोदय, रेल सेवा में तीन चीजों की आवश्यकता होती है—समय, सुरक्षा और सुविधा। समय, सुरक्षा और सुविधा—यह रेल का मुख्य काम है। आपने बजट में कह दिया कि रेल आजकल समय पर आ रही है।

श्री राम विलास पासवान : हमने नहीं कहा है कि समय पर आ रही है।

श्री प्रमोद महाजन : आपने कहा है कि सुधार है। मतलब यह कि सुधार है, लेकिन समय पर नहीं है। मेरा कहना यह है कि रेल समय पर आए और इसके अनगिनत कारण हो सकते हैं। हम तो किसी भी रेल मंत्री के प्रति हमदर्दी रखेंगे, क्योंकि 62 हजार किलोमीटर चलने वाली इतनी बड़ी रेल को कोई एक आदमी बैठ कर सारी समस्याओं को दूर नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि रेल समय पर आए और इसके लिए कोई विशेष प्रयास हों। इस प्रकार का आभास, एक-एक वाक्य में जो रेल समय पर न आए, उसका यात्रियों पर क्या असर होता है और गुड्स ट्रेन पर क्या होता है, होना चाहिए। समय पर यात्री ट्रेन आए, तो समझ में आता है, लेकिन गुड्स ट्रेन समय

पर आए, समझ में नहीं आता है। यात्रियों और गुड्स का अलग-अलग करके ठीक ढंग से मोनिटरिंग करने की आवश्यकता है।

मैं सुरक्षा के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं कि अच्छी सुरक्षा है। इसलिए नहीं बोलूंगा कि सुरक्षा के बारे में दो-तीन दिन से चर्चा चल रही है और मेरे बहुत से साथी इस पर उदाहरण देंगे। आपने भी कहा कि कानून व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन चलती रेलवे किस की है—रेल मंत्रालय की है या राज्यों की है—इस पर विचार होना चाहिए। आज सुबह ही किसी ने कहा है और मैं भी कहता हूं, अगर आपको ठीक लगता है, मुख्यमंत्रियों को बुलाकर सुरक्षा के बारे में डिवीजन होना चाहिए। उसका डिवीजन होना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है। प्लेटफार्म राज्य सरकार देखेंगी और चलती गाड़ी आप देखेंगे, लेकिन कुछ तो इसका हिसाब होना चाहिए। अन्यथा, एक दूसरे को गाली-गलोच करके, चर्चा करके सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए सुरक्षा के संबंध में जो आवश्यकता है, उस पर अगर मुख्यमंत्रियों की परिषद् बुलाकर उसमें कोई रास्ता निकले, तो ठीक रहेगा, क्योंकि रेल केन्द्र में है और वहां तो कोई है नहीं। रेल मंत्री एक ही है और बाकी तो दूसरे बहुत से मंत्री हैं, जैसे व्यापार मंत्री, गृह मंत्री आदि। रेल मंत्री अकेले हैं, क्योंकि यह केन्द्र का काम है, संविधान से केन्द्र का काम है, तो दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए केन्द्र को सुरक्षा के बारे में देखने की आवश्यकता है।

तीसरी आवश्यकता है—सुविधा। मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से सदस्य उस पर कहेंगे। आपने स्वयं इस पर असंतोष व्यक्त किया है इसलिए मुझे उस असंतोष को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस असंतोष का मुकाबला कैसे किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए मैंने उस समय कहा था कि कोई और तरीके से सफाई और खाने के संबंध में योजनाएं बन सकती हैं। सफाई तो सफाई कर्मचारी ही करेंगे या प्राइवेट सैक्टर के करेंगे, करेंगे तो भारतीय, जो विशेष सर्विस में आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसको करने की आवश्यकता है।

महोदय, अभी तक तो मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन भाषण समापन करने से पहले मैं चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अमरीका को इसके लिए बुलाया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : नीतीश जी, समय कम है, नहीं तो मैं इस बारे में कुछ कहता।

दुनिया भर में रेल से यात्रा कम हो रही है और होगी। कुछ दिनों के बाद जो गति दुनिया में आ रही है, उसमें कुछ देशों में रेल यात्रा करना लग्जरी है, एंटरटेनमेंट है। वहां लोग काम के लिए रेल से यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी लोग काम के लिए रेल में यात्रा करते हैं। कुछ जगह तो ऑर्नामेंटल एक्सप्रेस है, यानि सिर्फ देखने के लिए। सफर करने के लिए समय नहीं है।

अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं जिस शहर से आता हूं, उसके आधे यात्री उस शहर से आते हैं। आप जो एक करोड़ दस लाख कहते हैं उसमें से 55 लाख लोग रोज यात्रा करते हैं। ये अनिच्छा से यात्रा करते हैं। आप सोचिए ये लोग यात्रा करके देश को कमा कर देते हैं। इसका मतलब है ये दो काम करते हैं, इनको यात्रा करने की इच्छा नहीं है, अनिच्छा से रेल में बैठते है और रेल में बैठकर देश को कमा कर देते हैं। अब इनके प्रति अगर देखना है तो मैं केवल इतना कहूंगा, मैं आपकी मजबूरी जानता हूं लेकिन मेरा यह कहना है कि आप कुछ तो सुविधा दो और अगर सुविधा न भी दो तो अपने रेल के अध्यक्ष को यह कहो कि सुविधा नहीं देनी है लेकिन कम से कम उनको डांटो तो मत। जब अमेनिटीस पर पूछा तो रेलवे के अध्यक्ष ने कहा—

"मुझे आप असीमित धनराशि दीजिए मैं आपको असमिति जनसुविधाएं दूंगा।"

इसके लिए मेरे आदेश चाहिए, मैं भी दे दूं बच्चा भी दे देगा। अनलिमिटेड फंड्स देने के बाद अनलिमिटेड केपेसिटी देना, इसमें कौन सी ऐसी बात है। अब मुझे यह लगता है मुंबई के रेल यात्रियों को कष्ट यह है कि जब जानवर भी रेल से सफर करता है और उसका नियम है, अगर दस बैल ले जाने हैं तो एक वैगन में कितने बैठेंगे। अगर उससे ज्यादा बैल बिठाए गए तो कानून से रेल पर मुकदमा चल सकता है कि इन्होंने उस वैगन में ज्यादा बैल क्यों बिठाए। मुझे लगता है कि जो जानवरों के लिए कानून लागू है वह अगर मुंबई में मनुष्यों पर लागू करने का संसद तय करे कि वह मनुष्यों पर भी लागू होगा और उसी प्रकार उनकी व्यवस्था होगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए हम बार-बार आज कह रहे हैं कि इस पर अलग से सोचें। इस पर कोई ध्यान नहीं गया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां से चुन कर आता हूं, चुन कर आने की बात या ना आने की बात तो संयोग की बात है। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : जानवर को रेल पर बैठने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका रेल बजट कल्पना शून्य है। राष्ट्र नीति पर स्थान-स्थान पर राजनीति हावी है। राष्ट्रवाद के स्थान पर क्षेत्रवाद है। इसमें स्वस्थ लोकहित के स्थान पर सस्ता लोकरंजन है। मैंने आपका भाषण 1 घंटा 40 मिनट सुना, उसमें से दस मिनट केवल अर्थशास्त्र था। मुझे समझ में नहीं आता, पासवान जी, मैं आपको दोष नहीं देता। पहले के रेल मंत्री भी यही करते आए हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कोई रेल मंत्री हिन्दुस्तान की इतनी बड़ी संसद में भाषण करते समय यह क्यों कहता है कि मुंबई में चेन्नई को दो बार गाड़ी छूटेगी। सप्ताह में तीन बार की जगह चार बार छूटेगी। वह बीच में कहां रुकेगी। यह रेलवे का टाइम-टेबल है। मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर का भाषण सुना कि अभी हमने गर्मी के कारण बदल दिया है। मुझे लगता है कि ये छोटे-मोटे ब्यौरे हैं। जिन्हें अधिसूचना के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। आप इतने विज्ञापन देते हों उसमें एक विज्ञापन और दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[श्री प्रमोद महाजन]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हवाई जहाज से कितने प्रतिशत लोग यात्रा करते हैं और रेल से कितने प्रतिशत करते हैं। अभी आपने कहा कि लोकहित में यह काम किया जा रहा है। यह सब लोगों की मांग है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी टर्न आएगी तो उस समय बोल लीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : मैं इस लाल झंडी को देख कर अपना भाषण रोकते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि 1924 में एक्टवर्थ में पहली बार रेल बजट को जनरल बजट से अलग किया। उन्होंने रेल बजट को जनरल बजट से इसलिए अलग किया कि उस समय रेल का दायित्व हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा था। अब हम उसके बाद लगभग 60-65 वर्ष आगे आए हैं। रेल का दायित्व वह नहीं बचा है जो पहले था। अब ऑयल है, टेली कम्प्यूनिकेशन है, एयर लाइन है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो रेल से पूंजी में भी आगे बढ़े हैं, उनकी आवश्यकता में भी आगे बढ़े हैं। अब अर्थकारण बदला है। रामविलास जी, आप भी बदले हैं। अगर आप अर्थकारण के साथ बदलोगे, नया सपना, नई दृष्टि लेकर रेल मंत्रालय अपना बजट नहीं बनाएगा तो रेल बजट अलग होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह प्रासंगिक भी नहीं रहेगा और गंभीर भी नहीं रहेगा। इस रेल बजट को बंद करने की परम्परा में आप योगदान मत करिए, इतनी ही मेरी प्रार्थना है। इसके साथ ही साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इस सभा में 26 फरवरी, 1997 को पेश किया गया रेल बजट है। दो दिन पश्चात् फरवरी के अन्तिम दिन हमेशा की तरह सामान्य बजट पेश किया गया। जैसा कि श्री प्रमोद महाजन बता रहे थे— रेल संबंधी बजट पेश करने के बारे में 73 वर्ष पहले 1924 में सोचा गया। एक्टवर्थ समिति की सिफारिश पर यह निर्णय किया गया कि रेल संबंधी लेखाओं को सामान्य लेखाओं से अलग रखा जाए। तद्नुसार एक पृथक रेल बजट का प्रावधान किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी रेलवे न केवल परिवहन क्षेत्र में बल्कि देश के समूचे आर्थिक परिदृश्य में एक अहम भूमिका निभाता रहा है 1950-51 में कुल माल ढुलाई का 91 प्रतिशत रेलवे द्वारा किया जाता था। हमारी योजना अवधि की शुरुआत की स्थिति इस प्रकार थी। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है ? आज रेलवे द्वारा केवल 40 प्रतिशत माल की ढुलाई होती है और शेष 60 प्रतिशत माल ढुलाई सड़क परिवहन द्वारा की जा रही है।

जहां तक यात्री यातायात का सम्बन्ध है। 1950-51 के दौरान 80 प्रतिशत यात्री रेल परिवहन से आते जाते थे और शेष 20 प्रतिशत यात्री सड़क परिवहन का प्रयोग करते थे। लेकिन आज की स्थिति एकदम विपरीत है। आज 80 प्रतिशत यात्री सड़क से यात्रा करते हैं और 20 प्रतिशत यात्री रेल से यात्रा करते हैं। 11 मिलियन यात्रियों की संख्या, जिसका रेल मंत्री महोदय ने उल्लेख किया था, 20 प्रतिशत बैठती है। यह स्थिति है। और महोदय 2000 ईश्वी तक क्या होगा। ...*(व्यवधान)* 2000 ईश्वी तक अर्थात् शताब्दी के अन्त तक एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जिसे हाल ही में कुछ दिन पहले परिचालित किया था। सड़क द्वारा माल की ढुलाई जो इस समय 60 प्रतिशत है, 65 प्रतिशत हो जाएगी और रेल द्वारा 35 प्रतिशत माल की ढुलाई ही हो पाएगी।

जहां तक यात्री यातायात का सवाल है, 87 प्रतिशत यात्री सड़क परिवहन अपनाएंगे और 13 प्रतिशत रेल परिवहन से आवागमन करेंगे। रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे परिवहन क्षेत्र में किस तरह की महत्ता का दावा करता है ?

मैं रेलवे के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। रेलवे के संचालन में कतिपय स्वागत योग्य बातें हैं। हमारा रेल विभाग एकमात्र सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्यम है और देश में सबसे बड़ा नियोजक है। यह समूचे विश्व में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र है। केवल हमारा रेलवे नेटवर्क ही है जो लाभ पर चल रहा है। यही एक रेलवे है जो सामान्य राजकोष को लाभांश की अदायगी भी करता है। हमारे रेल नेटवर्क से जुड़े हुए सकारात्मक पहलू हैं।

रेल बजट में कतिपय अन्य बातें भी हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं और उनके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। निःसंदेह हम जानते हैं कि रेलवे में कुछ ऐसे नियोजनाकार, अर्थशास्त्री और अफसर लोग हैं जो हमेशा इस बात को उजागर करने का, अथवा इस बात पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं कि रेलवे दिन-प्रतिदिन अपना वाणिज्यिक स्वरूप खोता जा रहा है, इसे पूर्णतया वाणिज्यिक होना चाहिए। कम से कम भारत में रेलवे को इस दृष्टिकोण से नहीं ले सकते। भारत बहुभाषायी देश है। यह एक विशाल देश है; यह कई भाषाओं, कई जातियों, पर्वतीय क्षेत्रों वाला और कई अन्य भिन्नताओं वाला एक बड़ा देश है। इसलिए राष्ट्रीय अखण्डता को बनाए रखना हम सबके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है। इस अखण्डता को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे की जम्मू से कन्याकुमारी और उत्तर-पूर्व से कच्छ तक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

इस वर्ष के बजट भाषण में मंत्री महोदय ने इस बार भी दृढ़तापूर्वक कहा था कि रेलवे मात्र एक वाणिज्यिक उपक्रम नहीं बन सकता। उसे कतिपय सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। हम इस बात का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी योजना का लक्ष्य सामाजिक न्याय के साथ विकास हासिल करना है। हमें क्षेत्रीयवाद से लड़ना है। जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में पहले कोई रेलवे-नेटवर्क नहीं था। वास्तव में दो साल पहले जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान कश्मीर को रेल से जोड़ने से कार्यक्रम बनाया था। यह एक अच्छी बात है।

जहां तक बजटीय सहायता का सम्बन्ध है, अब तक यह बहुत कम थी। मैं समझता हूं एक बार, पांचवीं योजनावधि के दौरान यह 75 प्रतिशत तक थी। पिछले वर्ष यह 75 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत रह गई। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि रेलवे आधारभूत ढांचे की श्रेणी में आता है। रेलवे हमारे देश में सर्वोत्तम आधारभूत ढांचा है और हमारे देश के विकास के लिए यह एक उत्प्रेरक है। इसलिए

इस बजटीय सहायता को पर्याप्त बनाना होगा। बजटीय सहायता के माध्यम से रेलवे के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें कटौती नहीं की जानी चाहिए। इस वर्ष इसे 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया गया है। यह अच्छी बात है। जहां तक उत्तर-पूर्व और जम्मू और कश्मीर के लिए किए गए प्रावधान का संबंध है यह भी एक स्वागतपूर्ण कदम है।

इस वर्ष के बजट में 37 सर्वेक्षण शामिल किए गए हैं। लगभग 11 नई रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। कुछ विस्तार किया जा रहा है और कुछ रेलगाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाई जा रही है। ऐसा कुछ लगता है कि विभिन्न पार्टियों के सदस्यों द्वारा की गई मांगों को संकलित किया जा रहा है। कुछ मांगें मान ली गई हैं। कुछ अस्वीकार कर दी गई और कुछ आंशिक रूप से स्वीकार की गई। समग्र रूप से देखा जाए तो यह उन मांगों का संकलन लगता है।

आज के मूल्य-सूचकांक पर आधारित एक अनुमान के अनुसार निर्माणाधीन लाइनों को पूरा करने के लिए हमें 20,000 करोड़ रुपए की विशाल राशि की आवश्यकता है। समय के साथ-साथ इसमें लागत वृद्धि भी होगी और परिणामस्वरूप इस राशि में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार समय बीतने के साथ-साथ यह राशि 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए और तदुपरान्त 40,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह एक समस्या है। रेलवे के अन्य क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए हमें अलग से 20,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता होगी। यदि आज यह स्थिति है तो 21वीं सदी में क्या होगा जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। श्री राम विलास पासवान द्वारा प्रस्तुत यह इस सरकार का दूसरा बजट है। हम 21वीं सदी की दहलीज़ पर हैं, इस तरीके यह बजट एकदम तदर्थ बजट सा लगता है। सदर्शी योजना भावी योजना, और राष्ट्रीय योजना की धारणा इस बजट में प्रतिबिम्बित नहीं होती यह अच्छी बात नहीं है।

मैंने कहा कि लम्बी दूरी की स्लीपर कोच में 5 प्रतिशत और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी (ए सी फर्स्ट क्लास) के किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ए सी फर्स्ट क्लास के किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। माल भाड़े 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष के बजट के ये विशेषांश हैं।

जहां तक स्लीपर क्लास के किराए में 5 प्रतिशत वृद्धि का सवाल है, तो मेरा कहना है कि जनसाधारण को लम्बी दूरी की और पूरी-पूरी रात यात्रा करनी होती है, और इस प्रकार मंत्री महोदय की यह बात सही नहीं है कि "मैं आम आदमी पर कर का बोझ नहीं डाल रहा हूं।" आम आदमी भी रेलगाड़ी से पूरी-पूरी रात यात्रा करते हैं। इस प्रकार इस वृद्धि से आम आदमी भी प्रभावित हुआ है।

माल भाड़े में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रतिवाद के किसी भय के बिना मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय रेल का माल भाड़ा विश्व में सबसे अधिक है। सात माह की अवधि में 23 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इस प्रकार यह वर्ष बहुत अधिक मुद्रा स्फीतिक स्वरूप का वर्ष रहा है। हरेक जानता है आने वाले समय में कभी भी पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ-साथ सामान्य बजट में माल ढुलाई के लिए सड़क परिवहन क्षेत्र पर 5 प्रतिशत सेवा प्रभार लगाया गया है।

श्री राम विलास पासवान : किराया वही है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : माल भाड़े की दरों से अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। मैं समझता हूं पहले भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस प्रकार इसमें 3.2 प्रतिशत और वृद्धि हो जाएगी। जब आपने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला उस समय मुद्रास्फीति की दर चार प्रतिशत थी। अब जब आप बजट पेश कर रहे हैं यह दर दोगुनी हो गई है जोकि आगे बढ़ती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यदि यह दर दोहरी अंक वाली संख्या तक नहीं पहुंचती है तो आपको इस बात से प्रसन्नता होगी। लेकिन हमें इस बात की पूरी आशंका है कि यह दर 10 प्रतिशत से आगे बढ़ जाएगी। यह 11 प्रतिशत या 12 प्रतिशत तक चली जाएगी। आज इस बात की आशंका है। इसके बावजूद रेलवे बोर्ड हास्यास्पद दावा कर रहा है—पिछली बार जुलाई में भी और पुनः इस बार बजट प्रस्तुत करने के बाद भी यही बात दोहराई है—कि इससे मूल्यों पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि रेलवे बोर्ड इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच रहा है। उन्हें ऐसी हास्यास्पद बात नहीं कहनी चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए कि यह उनकी दुविधापूर्ण स्थिति है कि उन्हें माल भाड़ा दर, किराया आदि बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वे जनता के सामने ऐसा हास्यास्पद वक्तव्य क्यों दे रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर हमारे मूल्यों पर नगण्य, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इसके बजाय, इसका अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा। भाड़ा दर एक बार में 12 प्रतिशत की वृद्धि केवल 7-8 माह पहले की गई 10 प्रतिशत की वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में निकट भविष्य में होने वाली मूल्य वृद्धि और सड़क परिवहन से माल की ढुलाई पर 5 प्रतिशत सेवा प्रभार—कुल मिलाकर इन सबका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम चाहते हैं कि जवाब में भी कुछ सुधार करें अगर गलत हो। आपने कहा कि सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम भी पिछली बार 20 प्रतिशत बढ़ हैं। अभी आप कह रहे हैं कि भविष्य में भी बढ़ने की संभावना है। आप जानते हैं कि रेलवे में 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं और उसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों की खपत भी ज्यादा से ज्यादा रेलवे को ही भुगतनी पड़ती है। 3500 करोड़ रुपए हमने पांचवे वेतन आयोग के लिए रख दिया। उस परिस्थिति में भी आपने यह कहा कि मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट ने कह दिया कि रेलवे को बजटरी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उस परिस्थिति में यदि रेलवे डेवलपमेंट का काम करे और अपने पैरों पर खड़ी भी रहे तो अगर हम 5 प्रतिशत स्लीपर का किराया बढ़ाते हैं तो उसका भी विरोध होता है। बजट में आप 2000 करोड़ रुपया या 5000 करोड़ रुपया दे दें तो वह नई लाइनों पर खर्च होगा, गेज कनवर्शन पर नहीं होगा। उसको हम नई रेलवे लाइनों पर नॉर्थ ईस्ट में खर्च करेंगे। हम माननीय सदस्यों से जानना चाहेंगे कि रेलवे डेवलपमेंट का काम करे

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

और सुदूर गांवों तक रेलवे को भी ले जाए और अपने रिसोर्सेज़ भी जनरेट करे, उसके लिए आपके सुझाव क्या हैं ?

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभारी हूं। काश ! उनमें थोड़ा धीरज होता। मैं केवल आलोचना करने के लिए ही बजट की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : यह कहते हुए कि "मैं दूसरे सदस्यों की तरह नहीं हूं" आप अन्य सदस्यों की आलोचना कर रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं दूसरे सदस्यों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करके बोलिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैंने कहा यह किस प्रकार है। मैं वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहा हूं तथा मैं कहना चाहता हूं कि क्या किया जाना चाहिए। आज आरंभ में ही मैंने कहा कि बजट में कुछ अच्छी बातें हैं। शुरू में ही मैंने कहा कि रेलवे हमारा मुख्य आधारभूत ढांचा है, यह देश के विकास के लिए उत्प्रेरक है तथा इसके लिए और अधिक तथ्य पर्याप्त बजटीय सहायता दी जानी चाहिए। मैंने यह कहा है। मेरी सभी बातें कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की जा रही हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बजट में वृद्धि करने में अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं इस बारे में कहने का प्रयास कर रहा था।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की स्थिति जानता हूं। जहां तक देश का संबंध है, रेल मंत्री के समक्ष चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं। हमें विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ और अधिक विचार-विमर्श करना चाहिए। विभिन्न वर्गों के बीच आपस में अच्छी समझ होनी चाहिए। हमें कामगारों को भी शामिल करना होगा। हमें प्रबंधकवर्ग में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। मंत्री महोदय जिसका सामना कर रहे हैं वह किसी अकेले का काम नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में अर्थात् 21वीं शताब्दी में ये समस्याएं सामने आने वाली हैं। हम इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं ? मेरे कुछ अपने सुझाव हैं तथा अभी उनके बारे में बताऊंगा।

पिछले छ:-सात महीनों से रेलवे की स्थिति, रेलवे की अर्थव्यवस्था सुधरने की अपेक्षा बिगड़ी है। इसका पता संचालन लागत अनुपात से चलता है। जैसाकि आप जानते हैं कि संचालन लागत अनुपात रेलवे की कुल आय के संबंध में रेलवे के कार्यकारी खर्चों की तरह है। आज यह 91 प्रतिशत बनता है। सात माह-पूर्व जब श्री राम विलास पासवान मंत्री बने तो यह 86 प्रतिशत था। अत: पिछले 7 महीनों में 5 प्रतिशत बढ़ा है। मैं कहता हूं कि यह तदर्थ दृष्टिकोण है। मैं उनकी मजबूरी को समझता हूं। वे मजबूर हैं। लेकिन यहां इसका विश्लेषण किया जाना है।

पुन: मैं मूल्यवृद्धि की प्रतिशतता पर आ रहा हूं। रेलवे बजट के कारण कोयले के मूल्यों में 45 रु० प्रति टन वृद्धि हुई है। हमें पेट्रोलियम उत्पादों की प्रस्तावित मूल्य वृद्धि से पहले हमें एक लीटर एच एस डीजल के लिए आठ पैसे तथा एक लीटर पैट्रोल के लिए नौ पैसे अधिक देने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं।

पाणिग्रही जी, प्राइवेट मैम्बर्स बिल का टाइम हो गया है, आप बाद में अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, सवेरे जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है उस पर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में राजधानी एक्सप्रेस में डकैती के संबंध में समाचार प्रकाशित हुआ है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि वह बेसलैस है, वह समाचार सही नहीं है।

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर) : परंतु यह दूरदर्शन पर आया है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : दूरदर्शन में जो आया है वह गलत आया है ...*(व्यवधान)* अब कोकराझार में 33 लोग मरे और दूरदर्शन पर तीन सौ लोगों के मरने की खबर आई ...*(व्यवधान)* मतलब यह है कि यह कैसे आ गया। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : आप बेसलैस बात पर क्यों चिल्लाते हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में मर्यादा बनाए रखिए।

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति छठा प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों को लिया जाएगा।

प्रो॰ प्रेमसिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा 4 मार्च, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा 4 मार्च, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

[हिन्दी]

(एक) महिला तथा लड़की सम्पत्ति अधिकार संरक्षण विधेयक*

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं और लड़कियों के सम्पत्ति संबंधी अधिकारों का संरक्षण करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि महिलाओं और लड़कियों के सम्पत्ति संबंधी अधिकारों का संरक्षण करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं सम्पूर्ण सदन से यह निवेदन करती हूं कि इस बिल को बिना बहस के पास कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब पास होने की बात आएगी, तब आएगी।

कुमारी उमा भारती : रिजर्वेशन देने से ज्यादा महिलाओं को प्रोपर्टी राइट दिया जाना जरूरी है। मैं आपसे इसके लिए माफी मांगती हूं कि यह मैंने बीच में ही बोल दिया।

अपराह्न 3.32 बजे

(दो) महर्षि बाल्मीकि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक*

[हिन्दी]

श्री मंगत राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 6.3.1997 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(तीन) राष्ट्रीय सफाई आयोग (संशोधन) विधेयक*

(धारा 1 में संशोधन आदि)

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(चार) सफाई कर्मचारी लघु उद्योग विकास निगम विधेयक*

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सफाई कर्मचारियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा उसे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए सफाई कर्मचारी लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना और निगमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सफाई कर्मचारियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा उसे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए सफाई कर्मचारी लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना और निगमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 6.3.1997 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.35 बजे

(पांच) सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक*

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उससे संबंधित मामलों हेतु एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उससे संबंधित मामलों हेतु एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(छ:) आरक्षण (सेवाएं और उच्च शिक्षा) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पून्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन पदों और सेवाओं में तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त आरक्षण करने और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन पदों और सेवाओं में तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त आरक्षण करने और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 दिनांक 6.3.1997 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.37 बजे

(सात) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)*

[हिन्दी]

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यपाल जैन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 220 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 6.3.1997 में प्रकाशित।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यपाल जैन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(दस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

(धारा 101 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यपाल जैन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(ग्यारह) सिविल कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग-दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि सिविल कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक जांच का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल कर्मचारियों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक जांच का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मीरा कुमार : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(बारह) बालक श्रम (उत्पादन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालक श्रम का उत्पादन करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 6.3.1997 में प्रकाशित।

"कि बालक श्रम का उत्पादन करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 73 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

(चौदह) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 3 क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 1867 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 1867 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तावित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र सरकार विधेयक पर आगे और चर्चा आरंभ की जाए, मैं बताना चाहूंगा कि इस विधेयक

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 6.3.1997 में प्रकाशित।

की चर्चा पर 3 घंटे और 28 मिनट का समय पहले ही लिया जा चुका है, अतः इसकी चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है।

क्या सभा इस विधेयक की चर्चा के लिए आधे घंटे का समय और बढ़ाना चाहेगी ?

कई माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है। श्री संतोष मोहन देव अब अपना भाषण आरंभ करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार भी बोल रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अब वे बोलने के लिए ज्यादा आतुर हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने सदन के समक्ष यह बात रखी थी कि वर्तमान सरकार सहित पिछली सभी सरकारें केन्द्र से राज्यों, संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए शक्ति का और अधिक विकेन्द्रीकरण किए जाने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। श्री राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान नगर पालिका विधेयक तथा ग्राम पंचायत विधेयक पेश किए गए थे। पंचायत और नगर पालिकाओं को और अधिक शक्तियां दी गई हैं। वर्तमान सरकार ने न केवल अधिकार दिया है अपितु पर्याप्त निधियां भी दी हैं। हमने इस बजट में भी देखा है कि विकास हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को दी गई धन की मात्रा काफी अधिक है ताकि लोग स्वयं धन का निवेश कर सकें। भारत सरकार ने धन दिया है तथा यह धन सीधे पंचायतों व नगर-पालिकाओं को मिलेगा। हाल ही में मुख्य मंत्रियों ने कुछ अन्य प्रकार से सुझाव दिए हैं। मैं नहीं जानता कि यह सरकार इसे स्वीकार करेगी अथवा नहीं। लेकिन मेरे विचार से शायद सभी सुझावों को मानने की बजाय कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया जाएगा।

अंडमान और निकोबार द्वीपों का अलग मामला है। इसको झारखंड, उत्तराखंड, दार्जिलिंग अथवा अन्य किसी मामले के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह अलग द्वीप हैं। किंतु उनकी सोच मुख्य-धारा के लोगों की जैसी ही है। उनका व्यवहार संकुचित नहीं है।

वहां हर प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वे बंगाली हैं या केरल के, महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से, वहां हर प्रकार के लोग रहते हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में, मुझे वहां जाने का अवसर मिला था। और पर्यटन मंत्री के रूप में और रक्षा मंत्री के रूप में मैंने इंदिरा प्वाइंट समेत वहां के सभी द्वीपों का दौरा किया है।

यदि राजीव गांधी जीवित होते तो अब तक अण्डमान को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा मिल गया होता। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि पांडिचेरी जैसी विधान सभा सहित उसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। मंत्री के रूप में हम वहां द्वीप विकास बोर्ड की बैठकों में भाग लेते थे। हम देखते थे कि वे कितने सहानुभूतिपूर्ण होते थे।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि उत्तराखंड को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा किन्तु समस्या यह है कि विधान सभा को इसका अनुमोदन करना होगा। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है। यही एक रूकावट है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है।

इन सभी बातों को देखते हुए अंडमान की राजस्व आय नागालैंड और मिज़ोरम से अधिक होगी। आज का दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। माननीय पर्यटन मंत्री ने भी इस सदन को यह आवश्वासन दिया है कि जो स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है उनका विकास किया जाएगा यदि बजट में पर्याप्त धन होगा। पर्यटन ही एक ऐसा साधन है जिसमें पूंजी लगाए बिना ही विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। उन्होंने यह बात ठीक ही कही है। दोष तो सरकार की नीति में है। जब पर्यटक हवाई अड्डे पर आते हैं, तो वह देखते हैं कि अप्रवास विभाग उन्हें कुछ इस प्रकार देखते हैं जैसे कि कोई अपराधी आ गए हों। जब मैं पर्यटन मंत्री था तो कुछ पर्यटकों ने मुझे बताया कि हार्दिक स्वागत की बात तो दूर रही अधिकारी उनको देखकर मुस्कुराए तक नहीं।

जब एच० के० एल० भगत पर्यटन मंत्री थे मैं उनका उपमंत्री था। एक बैठक में उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों के लिए भारत एक सुरक्षित गंतव्य स्थान है। उसी समय उनके साथ पीछे चार ब्लैक कैट कमाण्डो थे। पर्यटकों ने पूछा—"यदि भारत एक सुरक्षित स्थान है तो आप के साथ ब्लैक कैट कमाण्डो क्यों हैं ?" अतः यह विवादास्पद बातें हैं।

किन्तु मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए अण्डमान घूमने जाने के लिए सुरक्षित स्थल है। थोड़ी-लागत पर वह वहां जा सकते हैं और बहुत आनंद ले सकते हैं। उन्होंने वहां बहुत सारी व्यवस्था कराई है और होटलों को भी और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि वहां कोई जन-प्रतिनिधि है तो वहां और अधिक आकर्षण होगा। इस समय तो वहां का प्रशासन कुछ नौकरशाहों के सहयोग से उपराज्यपाल द्वारा चलाया जा रहा है। वहां पर पूंजी निवेश के आंकडे क्या हैं ? मैं तो नहीं जानता; परन्तु मेरे मित्र, जो उस क्षेत्र की देखरेख कर रहे हैं उन्हें ही मालूम होगा।

आप वहां किसी स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ही अध्यापक की नियुक्ति करेगा। पद को भरने के लिए गृह मंत्रालय भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, उन्हें भी यह अधिकार नहीं है। सारा काम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही किया जाएगा। श्री भक्त को एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए पूरे भारत का चक्कर लगाना पड़ा। गृह मंत्रालय ने भी उनकी सहायता की।

यह एक ऐसा द्वीप है जो उन सभी क्षेत्रों से अलग है जो संघ राज्य क्षेत्र या पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। वहां के लोग शान्तिप्रिय हैं। वहां विभिन्न समुदायों में कोई आपसी झगड़ा नहीं है। मैंने देखा है कि चुनाव लड़ने वाले सभी दल आपस में मित्रतापूर्ण रहते हैं। हर समय वह श्री मनोरंजन भक्त का ही चुनाव करते हैं। वह ही

विजयी हैं और वहां कोई झगड़ा नहीं होता है क्योंकि वहां की जनता इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि सीमा पर स्थित छोटे द्वीप में कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए।

जब श्री वाजपेयी विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि जब मैंने उस द्वीप का दौरा किया तो मैंने अपने आपको दोषी महसूस किया कि हमारे यहां इतना अच्छा स्थल मौजूद है किन्तु हम स्विट्ज़रलैंड तथा अन्य स्थानों को जाते हैं। इस स्थान की उपेक्षा क्यों की जा रही है? किंतु उत्तरवर्ती सरकारें पर्यावरणीय कारणों से ऐसा करने में असफल रही हैं। श्री राजीव गांधी होवरक्राफ्ट सुविधाओं के साथ द्वीप का विकास करना चाहते थे। श्री शेषन, जो उस समय सचिव पर्यावरण थे, ने स्वीकृति नहीं दी। उस समय मैं पर्यटन मंत्री था। अब लोग नेपाल जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें भारत में उपलब्ध सुविधाओं से कहीं अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अतः मैं सरकार से और सदन से निवेदन करता हूं कि सरकार को इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रन नहीं बनाना चाहिए।

इस सभा को इस विधेयक पर वाद-विवाद के पश्चात् अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अलग विधान-मंडल की सिफारिश करनी चाहिए। आप कहते हैं कि आप मंत्रिमंडल में जाएंगे इस पर चर्चा करेंगे और सभी राजनीतिक दलों से राय लेंगे। यदि सभी राजनैतिक दल इस पर एकमत हों तो आप ऐसा कीजिए। हम आप भी कठिनाइयों से परिचित हैं। आप केवल इतना नहीं कह सकते हैं कि आप इस संबंध में विधेयक पारित करेंगे। श्री मनोरंजन भक्त एक अच्छे व्यक्ति हैं। हमें सरकार को एक अवसर देना चाहिए। यदि प्रधान मंत्री इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। पांडिचेरी का उदाहरण तो सामने ही है। आप इस सत्र के पश्चात् पांडिचेरी की पद्धति पर ही एक विधेयक ला सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री मक़बूल डार और श्री श्रीकांत जेना से निवेदन करता हूं कि इस पर विचार करें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ऑनरेबिल मैम्बर्स, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें काफी लोगों ने दिलचस्पी ली है। अभी 18-20 मिनट टाइम बाकी है। हाउस डिसाइड कर चुका है कि किसी बिल पर चार घण्टे से ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसी में यह समाप्त हो जाए। हालांकि मेरे पास कई ऑनरेबिल मैम्बर्स के नाम बोलने के लिए हैं, लेकिन मैं ऑनरेबिल मिनिस्टर को बुला रहा हूं कि वे इंटरवीर करें।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : हम चार-चार मिनट बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर टाइम चार घण्टे से ज्यादा बढ़ जाएगा, अभी मिनिसटर को जवाब देना है। जिसने बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसको भी जवाब देना है। I am sorry, पहले लोग बोल चुके हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार : हमारी पार्टी के एक ही सदस्य बोले हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब चर्चा का जवाब दें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : हमारे सतपाल जी जैन बोले हैं और कोई नहीं बोला। दूसरी पार्टियों के दो-दो, तीन-तीन लोग बोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बुलवाएंगे तो फिर सब को बुलवाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल होगी।

[अनुवाद]

***श्री के. परसुरामन (चिंगलपट्टु)** : उपाध्यक्ष महोदय, द्र. मु. क. की ओर से, मैं अण्डमान और निकोबार द्वीप के लिए अलग विधान सभा बनाने हेतु मेरे विद्वान साथी, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा लाए गए गैर सरकारी विधेयक के समर्थन में बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं। यह खेद की बात है कि हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी हमने अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए उनकी शिकायत के संबंध में कभी विचार नहीं किया है।

स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी अंडमान और निकोबार की जनता को स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिला है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वहां उनकी चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार नहीं है जो उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त कर सके। हम लोगों ने जो इस सदन में बैठे हैं, अंडमान और निकोबार द्वीपों की जनता के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगा दिया है। विद्युत, सड़कें, परिवहन, डाक-तार, अस्पताल आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। केवल एक चुनी हुई सरकार ही उचित ढंग से यह काम कर सकती है। अन्यथा होता क्या है कि, मुख्य भूभाग (मेनलैंड) से जिन लोगों का तबादला वहां होता है वह इसे एक प्रकार की सजा मानते हैं। वहां के स्थानीय लोगों की स्थिति सुधारने के लिए काम करने के बदले यह सरकारी कर्मचारी अपनी कार्याविधि को सजा की अवधि मानते हैं। इसलिए स्थानीय लोग धीमी गति से चल रही विकास गतिविधियों के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

हम भू-क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हैं और हम इन्हें क, ख और ग मानते हैं। दुर्भाग्यवश अण्डमान और निकोबार की जनता का भी इसी प्रकार वर्गीकरण किया गया है। वह पृथक महसूस करते हैं। वे यह भी महसूस करते हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें भी इस देश के शासन में भाग लेने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें भी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकें। इससे सहभागिता की भावना सुनिश्चित होगी और यह तभी संभव है जब हम अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए विधान सभा का गठन करें। उन्हें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के अधिकार दिए जाने चाहिए जो अपने लिए कानून बनाएंगे और स्थानीय नियमों तथा परम्पराओं के अनुरूप नियमों और विनियमन तैयार करेंगे।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के॰ परसुरामन]

अपराह्न 3.55 बजे

(श्री चित्त बसु *पीठासीन हुए)*

भारत सरकार को वहां के लोगों की विधान सभा के रूप में अपनी एक प्रतिनिधि बाडी रखने की आंकाक्षा को पूरा करना चाहिए। श्री बसुदेव आचार्य ने, जिन्होंनें इस विधेयक को पुर:स्थापित किया, यह बताया कि उन द्वीपों में हिन्दी भाषी लोगों की बहुलता है। लेकिन तथ्य इसके विपरीत है। वहां बहुभाषी लोग हैं। हमें वहां केरल के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के और भारत के अन्य भागों के लोग मिलते हैं। हम देखते हैं कि वहां कई भाषाओं के लोग साथ-साथ रहते हैं। द्वीपसमूहों के आन्तरिक भागों में हमें कई आदिवासी जातियों और आदिवासी लोग मिलते हैं। वहां 'आन्गिस' नाम की एक आदिवासी जाति है जिसे वहां काफी पहले से बसा हुआ माना जाता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां गठित की जने वाली विधान सभा में सभी भाषायी ग्रुपों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। हमें इस धारणा से गुमराह नहीं होना चाहिए कि केवल हिन्दी भाषी लोग ही वहां हैं। सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उनके सभी प्रतिनिधियों को समान अवसर मिलने चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों का गठन किया गया। लोकतांत्रिक सरकार आने के बाद भी हमने कई राज्यों का गठन किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यों के आधार पर हमें अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह के रूप में एक पृथक राज्य का गठन करना चाहिए। वहां रहने वाले लोगों के पास अपने सामाजिक जीवन का निर्वाह करने के वे पर्याप्त अवसर हैं जो उनके रीत-रिवाजों और परम्पराओं के अनुरूप हैं। उदाहरण के लिए तमिल मूल के लोग वहां अपना पोंगल उत्सव मनाते हैं। इसलिए वहां रहने वाले लोगों को मधुर सहअस्तित्व पूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलना चाहिए जिसमें उन्हें अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं का निर्वहन करने का भी पर्याप्त अवसर मिले। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के लोगों को अपनी-अपनी भाषाओं में अपने कार्यक्रम/समारोह आदि करने के अवसर मिलने चाहिए।

जब हम विधान सभा स्थापित करने के बारे में सोचते हैं तो हमें उस क्षेत्र की सुरक्षा के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। सैकड़ों द्वीप और छोटे-छोटे टापू हैं जिनमें विभिन्न किस्म के लोग रहते हैं। हमें उन्हें पूरी सुरक्षा देकर उनका संरक्षण करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक छोटे से द्वीप कत्चातिवू का क्या हुआ ? जब हमने छोटे-छोटे टापुओं को पड़ोसी देश के हाथों में सौंपा तो उस समय सुरक्षा पहलुओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। भारत की सरकार ने इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया और सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं की तथा उक्त द्वीप के सामारिक महत्व की उपेक्षा की गई। इसलिए हमें अंडमान एवं निकोबार में सभी द्वीपों और टापुओं को अक्षुण्ण रखने पर समुचित ध्यान देना चाहिए। महोदय, कलकत्ता और पोर्ट ब्लेअर के बीच की दूरी चेन्नई पोर्ट और पोर्ट ब्लेअर के बीच की दूरी के बराबर ही है। इसलिए चेन्नई से और अधिक परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए जिससे आवागमन अधिक सरल और सुगम हो जाएगा।

इस प्रकार हमें एक ऐसी विधान सभा का गठन करना चाहिए जो अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की जनता को बेहतर जीवन-यापन सुविधाएं मुहैया होना सुनिश्चित करे। यह प्रतिनिधि सभा उन्हें सहभागिता का बोध कराएगी जिससे वे भारत के राष्ट्रपति को चुनने हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग ले सकेंगे। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के लिए मतदान करने और उससे चुनने का अवसर मिलेगा। वे सब भारतीय हैं और उन्हें यह अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पेश किए विधेयक का स्वागत करता हूं और इस सभा से अपील करता हूं कि इस विधेयक को बिना किसी अवरोध के पारित कर दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का सृजन करने हेतु अपने मित्र श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पुर:स्थापित किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह बड़ा रमणीक स्थान है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं यह कहूं कि यह वास्तव में धरती पर स्वर्ग है। यद्यपि अंडमान एवं निकोबार हमारे देश का हिस्सा है लेकिन यह कुछ दूरी पर अलग स्थित है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र का सार यह है कि लोगों को अपनी सच्ची इच्छा को अभिव्यक्त करने का अवसर मिले। यही कारण है कि यहां समय-समय पर चुनाव होते हैं और देश के नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में लगभग दो लाख लोग रहते हैं। जैसा कि श्री सन्तोष मोहन देव ने बताया कि यदि प्रत्येक बात के लिए जैसे जन सुविधाएं उपलबध कराने, स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति करने या अस्पताल में एक नर्स की नियुक्ति करने सबंधी सभी निर्णय यदि दिल्ली से लिए जाएं संघ लोक सेवा आयोग में बैठे लोगों द्वारा लिए जाएं तो अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा।

महोदय, किसी को आश्चर्य होगा कि मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में कैसे खड़ा हुआ लेकिन परिवर्तन के लिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, इसका कारण यह है कि जहां तक इस पहलू का संबंध है मेरी सोच श्री बसुदेव आचार्य के विचारों से मेल खाती है। हमारी पार्टी भाजपा सत्ता के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करती है, हम अधिकार जनता के हाथों में देना चाहते हैं और हम शासन तंत्र को जनसाधारण की दहलीज पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को एक विधानमंडल उपलब्ध करवाया जाए। इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा पहले से ही दिया गया है। लेकिन प्रशासनिक तंत्र के पास अपेक्षित शक्तियां नहीं हैं। पूरा नियंत्रण दिल्ली से है। इसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं माना जा सकता। इस कारण से यह और भी अनिवार्य हो गया है कि अण्डमान एवं निकोबार में एक विधान मंडल का गठन किया जाए। अब जहां तक इस क्षेत्र की स्थिति का संबंध है, मैं नहीं जानता कि किसी ने इस पर गौर किया है या नहीं। इसे निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह उस जगह

पर अवस्थित है जहां हम अधिकाधिक व्यापार व कारोबार आकर्षित कर सकते हैं। पर्यटन के अलावा पर्यटक आकर्षण वहां पहले से ही विद्यमान है यद्यपि वहां संबंधित आधारभूत सुविधाओं का अभाव है—वहां मत्स्यन की भी गुंजाइश है। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र श्री मनोरंजन भक्त आज भी इस बात का उल्लेख कर रहे थे और मेरा विश्वास है कि ऐसा नियम है कि पर्यावरण संरक्षणं के नाम पर अंडमान एवं निकोबार से बालू और पत्थर हटाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। अंडमान एवं निकोबार में स्कूल अथवा किसी अस्पताल के लिए एक छोटा-सा भवन बनाने के लिए भी रेत और पत्थर जैसी भवन-निर्माण सामग्री मुख्य भूमि (मैन लैन्ड) से ही ले जानी होगी। ऐसी स्थिति में आप इन द्वीपों के विकास की कैसे उम्मीद कर सकते हैं ? जबकि कोई आदमी दिल्ली में बैठा होगा, तो मैं नहीं जानता कि किस उत्साह और गति से वह अंडमान एवं निकोबार के लिए इस तरह के प्रावधान बनाएगा। इसी कारण से यह अत्यावश्यक है कि सत्ता उन लोगों के हाथों में दी जानी चाहिए जिनका चुनाव अंडमान एवं निकोबार की जनता द्वारा किया जाए जिससे वे अपनी शासन संबंधी नीति का निर्धारण स्वयं कर सकेंगे तथा अपना विकास कर सकेंगे। निश्चित रूप से वे अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं।

किसी ने आशंका जाहिर की कि अब धनराशि दिल्ली से मंजूर की जा रही है। चूंकि यह संघ राज्य क्षेत्र है, इसलिए भारत सरकार इसके लिए अधिकाधिक धनराशि आवंटित कर रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार यदि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लोगों को विधायी शक्तियां दे दी जाएं तो वे स्वयं अपना सुधार कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। वहां अधिकाधिक व्यापार एवं व्यवसाय आ सकता है। मत्स्यन का भी विकास किया जा सकता है। वे और अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। ताकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की समूची अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। इसी कारण मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज वे यहां पर निश्चित घोषणा करें कि इस संबंध में एक विधेयक संसद के इस सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा। श्री बसुदेव आचार्य जी हम आज ही आपके विधेयक के लिए मतदान करने हेतु दृढ़संकल्प हैं और यह विधेयक पारित होगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, आपने आज्ञा प्रदान की, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदय, मुझे अंडमान-निकोबार जाने का दो-तीन बार सुअवसर प्राप्त हुआ है। अंडमान-निकोबार लघु भारत है। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के निवासी वहां जाकर बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं और वह वातावरण सारे देश के लिए अनुकरणीय है। अंडमान-निकोबार हिन्द महासागर के मध्य में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी उसका अपना महत्व है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और शक्तियों का हस्तांतरण नीचे के स्तर पर जा रहा है। पहले ग्राम पंचायत, खंड स्तर पंचायत और जिला स्तर पंचायत, इस प्रकार की पंचायतें बनी हुई थीं। 1981 के बाद उनके पास तनिक मात्र भी शक्ति नहीं थी और बार-बार केन्द्र की ओर देखना पड़ता था। हमारे देश की मुख्य सीमाओं से जो सैकड़ों मील दूर स्थित है, वहां पर हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत अंडमान-निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 1996 का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। हमारी इच्छा है कि वहां विधान सभा का गठन किया जाए और इसका आश्वासन सरकार द्वारा दिया जाए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : ऑनरेबिल चेयरमैन साहब, मैं आनरेबिल मैम्बर बसुदेव आचार्य जी का बहुत मशकूर हूं कि वे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 1996 एवान में लाए।

इसके साथ-साथ मैं उन तमाम मेम्बरान का भी बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने विस्तार के साथ इस पर मुसलसल और मुदललतोड़ बातें की, बहस की। मैं खास तौर से अपने साथी मनोरंजन भक्त जी का भी शुक्रगुजार हूं जो अंडमान-निकोबार से आए हैं। मैं सौभाग्य से इस एरिया में गया, अपने सीनियर साथी कि हिदायत के मुताबिक गया। यहां जो कुछ हमारे साथियों ने बोला मैंने वहां अमलन देखा। मैं जहां से बिलोंग करता हूं वैसा ही मैंने वहां अपनापन सा पाया। वही वातावरण है, वही हवा और वही गुरबत-व-इखलाक तथा बैकवर्डनेस पाई। इसके साथ-साथ मैंने यहां जो माननीय सदस्य आठवीं बार भी यहां वाहदहुलशरीक बन कर आए हैं उनका कोई शरीक नहीं है। उनकी इतनी पापुलेरिटी है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उनका लोगों के साथ जो रिश्ता-नाता है, मेल-मिलाप है, इस महान सभा में मैं उनकी उक्त भूमिका की प्रशंसा करता हूं जो मैंने वहां स्वयं देखा। उनके दिल में जो लोगों का दर्द है और उन भावनाओं को उन्होंने यहां बहुत अच्छी तरह पेश किया, यह उनका फर्ज बनता है। मैं इसकी सराहना करता हूं। वहां मैंने पाया जिसको हम मिनी इंडिया कहते हैं, सारे हिन्दुस्तान का एक मिसाली एरिया है और किसी जगह मैंने ऐसा नहीं पाया जहां मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स, जो एक-दूसरे के ममेरे-फुफेरे हैं और चचेरे भी हैं। मैं यहां सच्चा और व्यावहारिक धर्मनिरपेक्षवाद देखता हूं। हमारे देश और मुल्क में जो मुखतलिफ भाषाएं बोली जाती हैं उनका भी मैंने वहां मुज़ाहिरा पाया। वहां आग ने पोर्ट ब्लेयर को डिवास्टेट किया था। सभी दुकानें और मकान मिट्टी में मिल गए। मैं भी इतना मुतासिर हुआ। मेरा भी वहां लोगों के साथ इंट्रोडक्शन हुआ। वे लोग कितने अच्छे हैं इसका मैं इज़हार नहीं कर सकता हूं लेकिन यहां कुछ बातें हुई, जिसमें मैं कुछ गलतफहमी जानकारी न होने की वजह से पाता हूं। इसलिए हुकूमत की तरफ से एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मुझे वहां जो गलतफहमी यहां डिसकशन करने के बाद लगी उसको अपने जवाब में दूर करने की कोशिश करूंगा। हमारे एक साथी अभी बात करके आए हैं। इस बारे में गवर्नमेंट का जो भी व्यू प्वाइंट होगा वह यहां पर कहूंगा। गलतफहमी के बारे में जो मैं कहना चाहता हूं, यहां सालों-साल से अंडमान-निकोबार की हुकूमत को डेमोक्रेटाइस करने के लिए मरहलावार करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। सबसे पहले यहां प्रदेश काउंसिल क्रियेट की

[श्री मोहम्मद मकबूल डार]

गई। चाहे वह फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो। वह प्रदेश कमेटी वहां क्या करती थी, वह एडमिनिस्ट्रेशन को सुझाव दिया करती थी और उस पर वाकई वह मेंडेटरी नहीं था।

[अनुवाद]

वह निश्चय ही अनुशंसात्मक था।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : अंडमान भारत का एक भाग है। आपको यह याद रखना चाहिए।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : जी हां, और मैं भारत के केवल उसी भाग की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं अंडमान-निकोबार की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि वहां क्या प्रयास हुआ है, कैसे वहां जम्हूरियत को अमल में लाया गया है।

[अनुवाद]

मैं विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की बात कर रहा हूं। जो कि हमारे देश का सबसे सुंदर भाग है।

[हिन्दी]

फिर उसके साथ थ्री-टायर पंचायत का सिस्टम बनाया गया।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : लेकिन उसको कोई पॉवर नहीं है।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : कुछ गलत-फहमियां हैं जिनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। इस तीन स्तरीय प्रणाली को हम पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा ग्राम पंचायत कहते हैं।

[हिन्दी]

इनकी क्या फंडिग है, क्या सही और क्या गलत डिस्कस हुआ है, मैं वह बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

वास्तविकता यह है, कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पंचायत विनियमन, 1994 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है ताकि वह सफाई तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के संबंध में स्वायत्त सरकार के संस्थान के रूप में कार्य कर सके। वह घरेलू उपयोग तथा पशुओं के लिए पानी की सप्लाई का प्रबंध करने; सार्वजनिक सड़कों, नालियों, तालाबों तथा कुंओं के निर्माण तथा सफाई, सार्वजनिक अस्पतालों और डिस्पेंसरियों, सार्वजनिक शौचालयों, प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्रों को स्थापित करने तथा उनका रख-रखाव करने आम उपयोग के लिए तथा विकास क्रियाकलापों के लिए आवश्यक थोक की दुकानों के लिए भवनों की सफाई, निर्माण और रख-रखाव के लिए जिम्मेवार है।

[हिन्दी]

या तो पूरा सुनिए और फिर बताइए।

[अनुवाद]

गांवों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने तथा सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता देने, पंचायतों में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा प्रबंधन के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है।

सामान्यतः अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के राज्यपाल ने यह स्पष्ट करते हुए आवश्यक अधिसूचना जारी की है कि पंचायत समिति के पास सफाई, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण, लघु उद्योग, महिला तथा बाल कल्याण संबंधी मामलों के संबंध में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने के अधिकार होंगे।

नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका के सदस्य सीधे ही निर्वाचित किए जाते हैं। नगरपालिका को यह शक्ति और अधिकार प्राप्त है ताकि वह एक स्वायत्त सरकार के संस्थान के रूप में कार्य कर सके।

[हिन्दी]

इसीलिए जुबानी नहीं कहता हूं, जो कुछ इंडीकेशन है।

[अनुवाद]

अधिसूचना, आदेश, नियमों तथा विनियमों में शब्दशः इसी तरह है'

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : आप एक्सटैम्पोर अच्छा बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : क्या मैं स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

मैं इस बात से सहमत हूं कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। पूरे विनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी कार्य प्रशासक द्वारा दिए गए निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। डेढ़ वर्ष से अधिक समय हो गया है। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। एक बार आप अधिसूचना जारी कर दें तो आप उसे तब तक कार्यान्वित नहीं कर सकते जब तक कि इसे पूरा नहीं कर लिया जाता।

दूसरी बात यह है कि पंचायत सचिव के पद से लेकर चपरासी अथवा श्रमिक के पद की भर्ती का अधिकार प्रशासन को है और उनका वहां स्थानांतरण कर दिया जाता है। किसी स्थानीय निकाय को कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। यदि आप कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वह गलत है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद मकबूल डार : नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा। आप एक माननीय सदस्य हैं। आपकी आवाज अंडमान और निकोबार के लोगों की आवाज है। मैं यह कभी नहीं कह सकता कि आप इस तरह हैं।

[हिन्दी]

लेकिन मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ कहना था, कहा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह भी ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, कृपया सदस्यों से बात नहीं करिए। आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद मकबूल डार : जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि उनके पास पावर्स नहीं है, यह लैफ्टिनेंट गवर्नर का नोटिफिकेशन है।

[अनुवाद]

कृपया आप मुझे इसे पढ़ने देंगे ?

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : इसकी कोई जरूरत नहीं है।

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : वहां जनता द्वारा चुने हुए लोगों की विधान सभा होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री महोदय का तात्कालिक भाषण अच्छा था। उन्होंने कागज-पत्रों में से देखकर क्यों पढ़ना शुरू किया है ? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

मैं इसका रिप्लाई शायरी में देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप उन्हें अपने भाषण में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें उनका वक्तव्य समाप्त करने दीजिए। जिसके बाद आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : हम लोग क्यों चाहते हैं, यह मैं शायरी में समझाना चाहती हूं।

रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी,

गमन न कर गरज बादल घनेरा, किस के रोके रुका है सवेरा।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है, मैं उसे पढ़ना चाहता था लेकिन आपने एलाऊ नहीं किया। इसका मतलब आपकी बात भी सही है और मेरी बात भी सही है।

दूसरे सवाल का जहां तक ताल्लुक है कि वहां लोगों को मुलाजिम बनाने की गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

यहां रिकार्ड किया गया वक्तव्य है।

इसमें ग्रुप 'सी' और 'डी' में वहां के लोगों को रिक्रूट किया है। बाकी ग्रुप 'ए' और 'बी' के लिए सारे मुल्क की तरह यू॰ पी॰ एस॰ सी॰ के जरिए भर्ती की जाती है। यह भी देश का एक भाग है। मेरे ख्याल में यहां भी रूल्स ओर रैगुलेशन वही है। बहरहाल जो कुछ आपने कहा, वह कंसिडर किया जाएगा। आप भी गवर्नमेंट की तरफ से इसे कंसिडर कीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मेरी तरफ देखकर अपना भाषण दें।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : मैं आपकी ओर मुखातिब होता हूं। जनाब मोहतरम, इसके अलावा हमने होम मिनिस्ट्री में एक कमेटी भी क्रिएट की है जो अंडमान और निकोबार के प्रतिनिधि हैं, वे और जिला परिषद् से पांच मैम्बर उसमें हैं। ऑनरेबल मैम्बर उस एडवाइजरी कमेटी के मैम्बर हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : उसकी पांच साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : म्यूनिसिपल कौंसिल के जो चेयरमैन हैं, वह बराबर उसके मैम्बर हैं। उनकी पावर्स बराबर ऐसी है जिससे कि उनकी कोई तौहीन न हो जाए। जितनी पार्लियामेंट के मैम्बर्स और असेम्बली के मैम्बर्स की पावर होती हैं, उतनी उनकी हैं।

[अनुवाद]

जहां तक कि राज्य सम्बन्धी विधान का संबंध है और समवर्ती विधान का संबंध है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मीटिंग ही नहीं होगी तो क्या होगा ? पांच साल से उसकी एक मीटिंग नहीं हुई।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : उसकी पांच साल से मीटिंग नहीं हुई लेकिन मुझे यहां आए पांच महीने ही हुए हैं। मैं तुरंत आपके साथ मशविरा करके उनकी जरूर मीटिंग बुलाऊंगा ...*(व्यवधान)* मैंने यह फैक्चुअल पोजिशन बताई है।

मैं नहीं कहता कि यह गलत है। उनका भी सही होगा, मेरा भी सही है।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती का वर्ष है। वहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था और वहां के सैलूलर जेल में कई वर्षों तक पड़े रहे और कई तो उनमें से शहीद भी हो गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद मकबूल डार : कृपया मुझे अपना वक्तव्य समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब, आप हाउस को अड्रेस कीजिए।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : इसके अलावा इस लम्हे गवर्नमेंट का व्यू पाइंट यही है। इसकी खास वजह है कि मैं 35 साल तक अपोजीशन में रहा, पीटा गया लेकिन आपकी हिदायत के बावजूद उनकी

[श्री मोहम्मद मकबूल डार]

तरफ देख रहा हूं। अब थोड़ा-थोड़ा आदत हो जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूं।

जनाब, इस आइलैंड का स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। यह म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के नज़दीक और बार्डर पर है। इस गवर्नमेंट का व्यू पाइंट यह है कि मेन लैंड से...

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आप क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद मकबूल डार : मेरा कहना यह है कि राजधानी से काफी दूर है जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का यही व्यू पाइंट है। 1995-96 में इस स्टेट की आमदनी 66.82 करोड़ रुपए है और,

[अनुवाद]

आय का वास्तविक स्रोत 398.23 करोड़ रु॰ है जो कि व्यय का 17 प्रतिशत है। शेष 83 प्रतिशत यहां से सहायता अनुदान के रूप में जाता है।

[हिन्दी]

मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि स्टेट ओवर बरडन्ड है। वहां के एक्सपैंडिचर्स के लिए मेरी यह फाईनल राय नहीं है। मेरी ऑनरेबल मैम्बर्स के साथ पूरी हमदर्दी है और साथ ही दूसरे साहब के साथ थी, जो बोले हैं। उनके साथ इसलिए हमदर्दी है क्योंकि उनके दिल की गहराई से यह बात आई है और उन्होंने यहां डिबेट में हिस्सा लिया है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जो फैक्चुअल पोजीशन है, वह मुझे कह लेने दो। यू॰ टी॰ के लिए कॉमन फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है :

[अनुवाद]

यह प्रस्ताव रखा गया है कि वित्तीय तथा वैधानिक शक्तियां अधिक से अधिक सरकार के स्तर पर विकेन्द्रित की जानी चाहिए। इसलिए ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि इस समय, यह घोषणा करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया विधेयक के बारे में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद मकबूल डार : मेरी जाती राय है कि इसका एक खास प्रोसीजर होता है। स्टेटहुड एकदम देना कोई छोटी बात नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा।

मैं उन्हें कहूंगा कि कैबिनेट का भी इसमें डिसीजन होता है, पार्टीज का भी डिसकशन होता है। वह सब कुछ हो जाएगा। मैं आप लोगों के जजबात की कद्र करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने जो बातें कहीं हैं, वह सारा व्यू-पॉइंट में गवर्नमेंट के सामने रखूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं गृह राज्य मंत्री द्वारा किए गए हस्तक्षेप को सुनकर निराश हूं। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और हृदय से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को राज्य का दर्जा देने तथा विधान प्रदान करने संबंधी विधेयक को समर्थन दिया।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इस विधेयक पर साढ़े चार घंटे से अधिक समय तक चर्चा हो चुकी है। इसलिए हमें इस चर्चा को समाप्त करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप इस चर्चा का समय पंद्रह मिनट या आधे घंटे के लिए और बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया इस बात का ध्यान रहे कि इस विधेयक पर चर्चा पंद्रह अथवा बीस मिनट में समाप्त हो जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक को समर्थन दिया। यह इस सभा की, जिसमें भा॰ ज॰ पा॰ के तथा अन्य दलों के माननीय सदस्य शामिल हैं, की एकमत आवाज़ है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लोगों की यह भावना है कि उन्हें मुख्य भूमि से अलग-थलग रखा गया है। इसलिए मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया और मांग की कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी विधान सभा मिलनी चाहिए।

माननीय राज्य मंत्री ने उन सभी मुद्दों का जवाब नहीं दिया है जो चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद मकबूल डार : एक खास बात मैं कहना चाहता हूं जो मैं भूल गया था। माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर में कहा था कि वहां जो आग लगी उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपकी सरकार की वहां डिमांड थी, आठ करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयरमार्क किया है और वहां के विकटिम्स के लिए सैंक्शन किया गया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह गैर विवादात्मक विधेयक है। जब इस सभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में विधेयक पास किया गया था तो उस समय भी हमने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विधान सभा बनाने के मुद्दे को उठाया था।

हमें केन्द्र सरकार द्वारा आश्वासन दिलाया गया था कि अडमान और निकोबार द्वीपसमूह को भविष्य में राज्य का दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। लेकिन सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया। अतः यह विधेयक लाने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि गृह राज्य मंत्री अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को आज ही राज्य का दर्जा प्रदान करने की घोषणा करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों द्वारा राज्य की मांग सही है। वहां राज्य विधान मंडल की आवश्यकता क्या है ? ऐसा इसलिए कि तीन स्तरीय पंचायत चुनाव के पश्चात वहां अब कोई प्रांतीय परिषद् नहीं है। लेकिन महोदय इसमें यह अंतर है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की पंचायतों के पास

कोई शक्ति नहीं है।

उन्होंने अधिसूचना में कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमह की पंचायतों को शक्तियों का विकेन्द्रीकरण नहीं किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह के लोगों को कब तक दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहेगा ?

अब हम अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ ही हम नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्म शताब्दी भी मना रहे हैं। नेताजी ने 1943 में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रांतीय सरकार की घोषणा की थी। अत: हमारे देश की स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में सरकार से हम यह उम्मीद करते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों की वास्तविक मांगों को देखते हुए उनके लिए आज ही राज्य की घोषणा करें।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों से भेदभाव बरता गया है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति का चयन या उनके निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रतिनिधि सरकार नहीं है। पंचायत राज राज्य सरकार का स्थान नहीं ले सकता। अत: उनकी मांग वास्तविक है। द्वीपसमूह में जो कुछ हो रहा है हमने उसका वर्णन किया है।

माननीय मंत्री ने समिति का उल्लेख किया है। उस समिति का गठन पांच वर्ष पूर्व हुआ था और इन पांच सालों में इसकी एक भी बैठक नहीं हुई। अत: ऐसी समिति की क्या आवश्यकता है जिसकी पांच वर्षों में एक भी बैठक न हुई हो।

जब तक हमें इस बात से आश्वस्त नहीं किया. जाता कि सरकार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक इसी सत्र में लाएगी मैं इस विधेयक को वापस लेने में असमर्थ हूं। यह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों की मांग है। हमें अन्य राज्यों की भांति वहां भी एक राज्य विधान मंडल हो, संबंधी उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपने का सम्मान करना चाहिए। उनके साथ भेदभाव क्यों बरता जा रहा है ? यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में वह स्थिति स्पष्ट करें।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मेरे सहयोगी श्री डार साहब ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैंने प्रधान मंत्री जी से बातचीत की है। सरकार की ओर से मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक वापस ले लें और इसके साथ ही मैं सभा का विश्वास दिलाता हूं कि इस संबंध में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में यदि सर्व सम्मति होती है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इस संबंध में सर्वसम्मति है।

श्री श्रीकान्त जेना : सभी दलों के नेताओं की एक बैठक इसी सत्र में बुलाई जाएगी और उसी बैठक में हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। यदि नेताओं की उस बैठक में सर्वसम्मति होती है तो सरकार निस्सदेह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन सभा में इस बारे में सहमति है ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : मैं सहमत हूं लेकिन एकमात्र मुद्दा...*(व्यवधान)* सरकार रास्ते में नहीं आएगी और उस पर विचार करेगी। सरकार की ओर से यह पक्का आश्वासन है। सभी दलों के नेताओं की बैठक आगामी सप्ताह में ही बुलाई जाएगी। ...*(व्यवधान)* मैं सभा का पूरा सम्मान कर रहा हूं और सरकार समूची सभा की भावनाओं से अवगत है। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : यह एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है और सदस्य को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी आश्वासन संभव नहीं है। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि यदि नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति होती है तो सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : क्या सभी सदस्य भिखारी हैं ? नहीं वे भिखारी नहीं है। वे सर्वोच्च व्यक्ति हैं। हम भिखारी नहीं हैं। ..*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : मैं उस बैठक में सभा की भावनाओं को भी व्यक्त करूंगा। निस्सदेह सरकार आपकी मांगों को देखते हुए अगले सप्ताह एक सर्वदलीय बैठक बुला रही है और उसमें एक सकारात्मक निर्णय भी लेगी ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभी राजनीतिक दल इससे सहमत हैं केवल नौकरशाह इसका विरोध कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : केवल नौकरशाहों के कारण यह मांग स्वीकार नहीं की गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप यह क्यों नहीं कहते कि सर्वदलीय नेताओं की बैठक के पश्चात् आप एक विधेयक लाएंगे ? ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकांत जेना : मैं यही कहने जा रहा था। ...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : साफ-साफ कहें कि आप यह विधेयक कब लाएंगे ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : मैने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और यदि इसमें सर्वसम्मति होती है तो इसी सत्र में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, श्री बसुदेव आचार्य जी बहुत पुराने सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी उनके ऊपर इस प्रकार से कहकर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री कैटेगौरिकली इस सदन में एश्योरेंस दें, क्योंकि माननीय बसुदेव आचार्य जी को आशंका है कि इसमें नौकरशाही आड़े आ जाएगी। इसलिए आप स्पष्टरूप से सदन को आश्वासन दें कि इसमें नौकरशाही आड़े नहीं आएगी।

[श्री श्रीकान्त जेना]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आचार्य बोल रहे थे।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : मैं माननीय सदस्य श्री आचार्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना विधेयक वापस ले लें क्योंकि सरकार उनके विधेयक पर हुई चर्चा के उत्तर में अगले सप्ताह नेताओं की एक बैठक बुला रही है। ...*(व्यवधान)* इस सत्र में हम 9 मई तक ...*(व्यवधान)* मैं श्री आचार्य से अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक वापस ले लें ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम विधेयक पर मतदान चाहते हैं। हम मत विभाजन चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह विधेयक स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ? यह विवाद रहित है ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम मत विभाजन चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। कांग्रेस के मुख्य सचेतक श्री संतोष देव ने भी सुझाव दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। मैं उसी के बारे में बता रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं अपने दल का उप सचेतक हूं ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : श्री संतोष मोहन देव ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है ...*(व्यवधान)* मैं उसी के बारे में बता रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी० एम० सईद : भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। संसदीय कार्य मंत्री सभा की अवमानना न करें। पूरी सभा सर्वमत से इस विधेयक का समर्थन करती है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इस विधेयक को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकार की स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। श्री आचार्य चूंकि आप विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर चुका हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य क्या आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया है ?

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां, महोदय ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य क्या आपने विधेयक वापस ले लिया ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : चूंकि इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है इसलिए मैं इस बारे में सरकार से ठोस उत्तर चाहता हूं इससे अधिक उन्हें क्या सहमति चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : इस विधेयक पर सर्वसम्मति है और सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया है ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम भिखारी नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सभी दलों ने तहे दिल से विधेयक का समर्थन किया है ...*(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : सभापति महोदय, वह श्री बसुदेव आचार्य पर दबाव डाल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। सरकार कदम उठा रही है ...*(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार : यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। *(व्यवधान)* सभा की पुरजोर राय है कि इस विधेयक को गृहित किया जाए और पारित किया जाए। कृपया आप उन पर जोर न डालें। कृपया इस विधेयक को पारित करने हेतु उनका पूरा समर्थन कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि आप यह आश्वासन देते हैं कि आप इसी सत्र में विधेयक पेश करेंगे तो हम उनसे विधेयक वापस लेने को कह सकते हैं। अन्यथा, हम उन्हें विधेयक वापस नहीं लेने देंगे।

श्री श्रीकान्त जेना: मैंने माननीय सदस्यों को पहले ही आश्वस्त कर दिया है और जैसा कि मैं आज देख रहा हूं कि सभा में इस पर सर्वसम्मति है अत: सरकार उसमें रोड़ा नहीं अटकाएगी। लेकिन इसके लिए कतिपय औपचारिकताएं हैं और मुझे विश्वास है सदस्य इसमें सहयोग करेंगे। उनके हित में ही मैं उनसे अनुरोध करता हूं वह कृपया विधेयक वापस ले लें और अगले सप्ताह में ही सरकार इस बारे में एक बैठक बुलाएगी।

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे पूरा करने दें। मैंने यह कहा था कि विभिन्न राजनैतिक दलों की बैठक में जो भी निर्णय हो सरकार इसी सत्र में एक विधेयक लाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : बैठक की शर्त क्यों रखी जा रही है ? यह इसलिए कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया एक-एक करके बोलिए। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप ठोस वायदा करें कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को राज्य का दर्जा देने वाला विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने कहा है कि विधेयक पेश करने और अन्य औपचारिकताएं पूरा करने के लिए हमें सर्वदलीय बैठक बुलानी होगी।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह आपके और किसी सदस्य के बीच का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री आचार्य और श्री जेना, कृपया इस मुद्दे को आप अपने और किसी व्यक्तिगत सदस्य के बीच का मुद्दा न बनाएं। यह माननीय मंत्री और एक माननीय सदस्य के बीच का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार की ओर से उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और आपको इसका उत्तर देना है जिससे कि सभा को शांति और उचित रूप से चलाया जा सके। श्री सईद, कृपया अपने विचार व्यक्त करें।

श्री पी॰ एम॰ सईद : श्री जेना ने स्पष्ट रूप से यह वायदा किया है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को राज्य का दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा। क्या यही वक्तव्य उन्होंने दिया है ? मैं यह जानना चाहता हूं। इसमें कोई सशर्त आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह इस कारण भी नहीं हो सकता क्योंकि विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है। इस पर चर्चा की जा चुकी है और यदि श्री बसुदेव आचार्य इसे वापस भी लेना चाहें तो भी वह सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते हैं। ऐसा न तो वह कर सकते हैं और न ही आप। अतः, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री।

(व्यवधान)·

सभापति महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें। क्या इस संबंध में सरकार की स्थिति आप स्पष्ट करेंगे ?

श्री श्रीकान्त जेना : नेताओं की बैठक बुलाने के पीछे दो कारण हैं। एक तो राज्य की मांग है और दूसरी मांग जो संघ राज्य क्षेत्र में है वह वहां विधान मंडल बनाने के बारे में है। अतः ये दो चीज—या तो हम इसे राज्य का दर्जा दें अथवा विधान मंडल बनाएं—का निर्णय करना है। अतः, एक बैठक बुलाया जाना आवश्यक है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को कृपया वापस ले लें।

श्री मनोरंजन भक्त : हम इससे सहमत हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : अतः हम उस बैठक में निर्णय लेंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, आपसे मेरा अनुरोध है कि जब वह अपनी बात कह रहे हैं तो कृपया आप शांति बनाए रखें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें।

श्री श्रीकान्त जेना : अतः नेताओं की बैठक में इस बात का निर्णय करना है कि हम राज्य का दर्जा चाहते हैं या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन एक विधानमंडल चाहते हैं। अतः मैंने कहा था कि सरकार इस माननीय सभा की भावना का आदर करती है और सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। इस संबंध में एक औपचारिकता बस यही है कि अगले सप्ताह एक बैठक बुलानी है और बैठक के निर्णयानुसार इसी सत्र में हम एक विधेयक लाएंगे।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आपका यह भी कमिटमेंट है कि यूनियन टैरीटरी बनेगी या स्टेटहुड होगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आचार्य यह कोई तरीका नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया आप यह कहें कि आप विधेयक वापस लेने के इच्छुक हैं। *(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री वी॰ धंनजय कुमार : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैंने आपसे पूछा है।

श्री बसुदेव आचार्य : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए कि सभी राजनीतिक दलों से चर्चा के उपरांत वह इसी सत्र में एक विधेयक लाएंगे, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए विधान सभा का सृजन करने वाले विधेयक तथा तत्संबंधी मामलों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए एक विधान सभा का सृजन करने वाले विधेयक तथा तत्संबंधी मामलों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[श्री बसुदेव आचार्य]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 4.52 बजे

[अनुवाद]

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)

सभापति महोदय : श्री भगवान शंकर रावत प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं, उसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

"राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

[हिन्दी]

लेकिन आजादी के पचास साल के बाद भी हमारी सरकार अभी तक यूनीफार्म सिविल कोड नहीं दे पाई। डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है लेकिन सरकार ने डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स की अवहेलना की है। ...*(व्यवधान)* भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने एक निर्देश दिया लेकिन उससे भी भारत सरकार मुकर गई। उनकी भावनाओं का अनुपालन करने से इंकार किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में कॉमन सिविल कोड या यूनीफार्म सिविल कोड लागू किया जाए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बड़ी भूल की थी। 1955 में वे हिन्दू कोड बिल लेकर आए थे जो हिन्दू कानून बने और कह दिया कि 80 प्रतिशत लोगों के लिए कॉमन कानून बन गया। काश उस समय 80 फीसदी नहीं 100 फीसदी लोगों के लिए कॉमन सिविल कोड बना होता तो देश में साम्प्रदायिकता की दीवारें न खिंची होतीं। हमने वोट बैंक के आधार पर अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा इसलिए हम यूनीफार्म सिविल कोर्ड नहीं ला पाए। इतनी ही नहीं, जब किसी भी हिन्दू, मुसलमान, ईसाई के पर्सनल लॉ में परिवर्तन करने की बात सोची गई तो हिंदुओं के कानून में परिवर्तन करके अलग से एक कम्युनल फ्रैंज़ी पैदा करने की कोशिश की गई और मुसलमानों व ईसाइयों से कहा गया चाहे जो हो, इसलिए हम तुम्हारे कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

और जो चाहो सो करो। इतना ही नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में अगर मानवीयता के आधार पर एक फैसला दिया तो उस फैसले को भी भारत की इस संसद ने, इसके हाथ से किए हुए उस अमानवीय कृत्य द्वारा कानून बनाकर पलट दिया था। आज भी हजारों-लाखों शाहबानो इस बात के लिए कराह रही हैं कि उनके साथ इस देश की सर्वोच्च संस्था न्याय करे, वे न्याय की गुहार कर रही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हजारों जलकर मर रही हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पुरुष प्रधान सोसायटी के अंदर हमारी बहनें भी इस बात के लिए तो लड़ती हैं कि उन्हें नौकरियों में हिस्सेदारी मिल जाए और उन्हें विधान मंडलों में, लोक सभा में हिस्सेदारी मिल जाए, लेकिन मूलभूत समस्याओं की ओर महिला संगठनों का भी ध्यान नहीं है। अभी महिलाओं को हम लोगों ने केवल आमोद-प्रमोद का साधन और सेवा करने वाली सहधर्मिणी बना लिया, लेकिन हम उनका शोषण कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है जहां धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून बना हो ? मैंने पाकिस्तान का कानून देखा है, मैंने ट्यूनीशिया का कानून देखा है, सीरिया का देखा है, इंग्लैंड का देखा है, अमेरिका का देखा है, रूस का देखा है, लेकिन भारत का छोड़कर मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी भी देश में कोई कानून भिन्न-भिन्न नहीं है। केवल भारत के अंदर पूजा पद्धति के आधार पर कानून लागू किए जाते हैं और जब लोग उसके खिलाफ आवाज उठाए कि पूजा पद्धति का और सामाजिक न्याय का, सामाजिक व्यवस्थाओं का, सामाजिक कानूनों का कोई संबंध नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है तो लोग कहते हैं कि यह साम्प्रदायिक है। इसलिए यह कहकर उसको खत्म किया जाता है और अल्पसंख्यकों को यह भूत दिखाया जाता है कि हम तुम्हारे हितैषी हैं और अगर कानून सबके लिए एक सा बन गया तो इससे आपके लिए खराबी आ जाएगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को कहां से कहां ले जाकर पटक दिया है।

1947 में इस देश का बंटवारा हुआ था और उससे पहले शहीद भगत सिंह फांसी का फंदा चूम गए थे, अन्य शहीदों ने बलिदान किए थे, इस भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए, इस देश की सांस्कृतिक रक्षा के लिए। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का बंटवारा हमें मंजूर हो जाएगा, लेकिन हम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता चलेगी। इस देश के अंदर पंथनिरपेक्ष चलेगा, हम थियोक्रेटिक स्टेट, धर्मराज्य स्वीकार नहीं करेंगे। देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया। लाखों लोगों ने

अपराह्न 4.59 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

कुर्बानियां की, दंगे भी हुए, सम्पत्ति का नुकसान भी हुआ, मान-सम्मान का भी नुकसान हुआ, लेकिन महान आदर्श के लिए कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की जा सके, इस देश का एक इतिहास चला आ रहा है, जहां धार्मिक सहिष्णुता रही है। यहां जातीय या धार्मिक आधार पर शासन नहीं चलता, उस परम्परा के निर्वहन हेतु देश ने कुर्बानी की थी और उसके बाद भी उस समय यह समझ लिया गया था, अब इस देश के अंदर मजहब के आधार पर, पूजा-पद्धति के आधार पर भिन्न-भिन्न कानून नहीं चलेंगे, जिन्हें कानून अलग चाहिए, वे अलग देश ले जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे नीति-नियन्ताओं ने उस कानून को फिर से बदल दिया। 1955 में जो हिन्दू रीति-रिवाजों को बदलकर कानून बना दिया गया, वह सबसे बड़ी गलती थी। डा॰ भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अंदर जब 44वां आर्टीकल लिखा जा रहा था, उसपर बहस चल रही थी, जो उन्होंने कहा था कि हम धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर, पंथ की स्वतंत्रता के अंदर, पूजा-पद्धति के अंदर, उपासना पद्धति के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन उसके बाद भी शासन इस बात का अधिकार रखेगा कि लोगों के सामाजिक नियमन को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। आज भीमराव अम्बेडकर की आत्मा भी स्वर्ग में कराह रही है। इसलिए कराह रही है कि जिन सपनों को संजोकर आर्टिकल 44 भारत के संविधान में रखा गया, विश्वास था कि आने वाले शासक उन नीति निर्धारक सिद्धांतों का एक समृद्ध भारतीय गणराज्य बनाने के लिए कड़ाई से, ईमानदारी से और श्रद्धा से पालन करेंगे। लेकिन भारतीय गणराज्य के वर्तमान नीति नियंताओं को आदर्श गणराज्य बनाने के स्थान पर जहां सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको शांति मिले, जहां वैमनस्य न हो, प्यार हो, उसको समाप्त करके वैमनस्य का शासन खड़ा कर दिया। इसलिए नीति निर्धारक तत्वों की अवेलना की गई। जब एक बार हिंदू कोड बिल बन गया, उसके बाद आंखें बंद कर ली गईं कि हमने 80 फीसदी का इंतजाम कर दिया, बाकी 20 फीसदी का नहीं करना चाहते। क्योंकि ऐसा करने से हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को सच्चाई बतानी चाहिए थी, वह कटू सच्चाई नहीं बताई गई। वहां पर महिलाओं का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, उसको दूर नहीं किया गया। मेरे मित्र यह सोचते होंगे।

जस्टिस मैथ्यु सुप्रीम कोर्ट के एक सम्मानित जज रहे हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में केशवानंद भारती केस में उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। यह केस सबसे पुराना और लीडिंग केस समझा जाता है। जिसने भारतीय जीवन को नई दिशा दी थी। उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स को केशवानंद भारती केस में ऑब्जर्व किया है और कहा है :

[अनुवाद]

"संविधान के भाग-चार में सन्निविष्ट नैतिक अधिकार वैसे ही आवश्यक अंग है जैसा कि संविधान के भाग-तीन में उल्लिखित मौलिक अधिकार हैं। इनमें मात्र यही एक अंतर है कि नैतिक अधिकारों के विरुद्ध कोई नागरिक राज्य द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहने के परिणामस्वरूप, उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं हो सकता। लेकिन, तथापि देश में शासन की दृष्टि से वे मौलिक अधिकार ही हैं और न्यायपालिका सहित राज्य के सभी अंग उस निर्देश को लागू करने के लिए बाध्य हैं।"

[हिन्दी]

उनको यह विश्वास था कि आने वाली सन्तति इन सब बातों का ध्यान रखकर एक सुखद और आदर्श भारत का निर्माण करेगी, जहां सबको न्याय मिले, बराबरी का दर्जा मिले, सबको सम्मान मिले। लेकिन मैथ्यु की जजमेंट की भी अवहेलना की जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। उसके बाद जस्टिस कुलदीप सिंह की बैंच ने फैसला दिया। उसको कह दिया गया कि यह आबिटर डिक्टर रिमार्क है और भारत सरकार उसका पालन करने को तैयार नहीं है। उसके बाद इस कड़ी में अभी अंतिम फैसला आया।

[अनुवाद]

सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम स्वीय विधि को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

[हिन्दी]

यह कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसीपल है, इसलिए हम नहीं कर सकते, यह लेजिस्लेचर का काम उन्होंने होल्ड किया। मैं कोट कर रहा हूं :—

[अनुवाद]

"स्वीय विधि पर संविधान के भाग-III की प्रासंगिकता पर चर्चा के संबंध में विचार करने का कोई अवसर था या नहीं यह कहना काफी है कि हम इससे संतुष्ट हैं। निर्णय में कहा गया कि हमारे समक्ष दिए गए तर्क में हमारी राय में विधानमंडल से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।"

[हिन्दी]

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर मेरे मित्र यह सोचते हैं कि हम अदालत की अवमानना कर लें, तो ज्यूडिशियल एक्टीविजम की बात करके घर नहीं बैठ सकते। ज्यूडिशरी का कहा और मेरा कहा नहीं मानते हो तो मत मानो। मेरी सलाह मानने को हिंदुस्तान की संसद तैयार नहीं होती तो न हो। हिंदुस्तान की कार्यपालिका, हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री हमारे द्वारा दी हुई समाज के हित में कोई सलाह पर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो न करें।

वह कहते हैं कि ऑरबिटर-डिक्टा रिमार्क है, हमने मान लिया।

हम कहते हैं कि यह डायरेक्टिव प्रिन्सीपल्स को लागू करने की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर की है और यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर को दे दी है कि वह इसे स्वीकार करे और उसे स्वीकार करना होगा।

[श्री भगवान शंकर रावत]

धारा 44 के पीछे भी सिद्धांत यह है कि पंथनिरपेक्षता के कानूनों का एक सभ्य समाज के अंदर कोई संबंध नहीं है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। जबकि धारा 44 सामाजिक और व्यक्तिगत कानूनों से पंथ को पृथक करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कुछ मित्र शायद इसका मिसइंटरपिटे न करें, यह ज्यूडिशियल प्रोनाउंसमेंट का पार्ट है। इसलिए अंतिम फैसले से पहले न्यायमूर्ति श्री जसवंत सिंह और न्यायमूर्ति आदम शाह की खंडपूर्ति ने सरकार से अपेक्षा की थी कि इस मामले को विधि आयोग को सौंप दें तथा विधि आयोग अल्पसंख्यक आयोग से परामर्श करके महिलाओं के मानव अधिकारों के आधुनिक दर्शन के अनुरूप विधेयक बना दें।

दूसरा सुझाव था कि धर्म परिवर्तन करके धर्म के दुरुपयोग को रोका जाए। जस्टिस कुलदीप सिंह जी का फैसला इसी आधार पर था। एक हिन्दू अपने विवाहित होने के बावजूद भी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला से शादी करना चाहता था और उसे मालूम था कि वह हिन्दू कानून के अंतर्गत शादी नहीं कर सकता। इसलिए उन दोनों ने धर्म परिवर्तन किया तथा दोनों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद शादी की। लेकिन कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो अदालत ने फैसला दिया कि धर्म परिवर्तन करके भी इस तरह की शादी वैध नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए किया गया ताकि धर्म परिवर्तन करके जो लोग इस्लाम के प्रावधानों का दुरुपयोग करना चाहते थे, ऐसे लोगों पर रोक लग सके। लेकिन आज भी हजारों केस हो रहे हैं जहां धर्म परिवर्तन करके लोग दूसरे धर्मों के प्रावधानों को लाभ उठाकर शादियां कर रहे हैं। इसलिए इस पर रोक लगानी होगी। यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो माइनॉरिटी वोट बैंक का कार्ड तो चल सकता है लेकिन समाज को सहृदयता तथा सामाजिक न्याय के साथ नहीं चलाया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार ने इस सुझाव को भी नहीं माना। मेरे मित्र श्री हन्नान मोल्लाह तथा श्री बसुदेव आचार्द जी यहां बैठे हैं। सी॰ पी॰ आई॰ एम॰ ने इस निर्णय का स्वागत किया था। जिस समय जस्टिस कुलदीप सिंह जी की खंडपीठ का फैसला आया था, उस समय यह कहा गया था कि यह क्रांतिकारी परिवर्तन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मजहब के आधार पर हर जाति को देखकर सिविल कोड न बनाया जाए और जैसा मैंने कहा कि जब सिविल कोड की बात आती है तो मेरे कुछ फंडामेनटेलिस्ट मित्र इस बात की दुहाई देने लगते हैं कि मुसलमानों का कानून शरीयत से चलेगा, ईसाइयों का कानून ईसाई धर्म के हिसाब से चलेगा। हिन्दुओं का कानून हिन्दू धर्म के हिसाब से चलेगा। लेकिन जब फौजदारी के अपराधों की बात आती है तो वे कहने से घबराने लगते हैं कि दंड देने के मामले में भी इस्लाम कानून को माना जाए, इसलिए कि इस्लाम के अंदर अपराधियों को बड़ा भारी दंड दिया जाता है, बड़ा भारी कष्ट दिया जाता है।

चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह सऊदी अरब हो, जो थियोरैटिक स्टेट में इस्लामिक कानून चलाता है, अगर सरकार से इसकी मांग करनी है, तो मजहब के आधार पर सिविल और क्रिमनल कानून सब बनाएं, नहीं तो इस देश के अंदर एक प्रकार के कानून चलेंगे। पुर्तगाल के अन्दर भी जब गोवा का शासन था, तो एक प्रकार के कानून चलते थे। कॉमन सिविल कोड कानून आज भी वहां चल रहा है और कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इससे देश के बाकी हिस्सों में डर लगता है। इसलिए बजाए इसके कि मैं यह कहूं कि फौजदारी के अपराधी मुसलमान को, क्रिमिनल अपराधी को भी इस्लाम के नियमों के हिसाब से दंडित किया जाए, हिन्दू कानून से हिन्दुओं को दंडित किया जाए, क्रिश्चियन्स को क्रिश्चियेनिटी कानून से दंडित किया जाए, तो मैं उनके प्रत्युत्तर में ऐसी बात कहने वाला नहीं हूं। इसलिए वे जो आर्ग्युमेंट्स देते हैं, तर्क देते हैं कि पूजापद्धति के आधार पर कानून बनाना चाहिए, सिविल लॉज बनाने चाहिए, तो उनको अपने तर्क का थोथापन इस बात से समझ लेना चाहिए कि कड़वा-कड़वा थू और मीठा-मीठा गप—यह नहीं चलेगा। इसलिए समाज के अन्दर एक सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है कि यूनिफार्म सिविल कोड हो। हां, मेरे मित्रों को कष्ट होता है और उसको लगता है कि भगवान शंकर रावत कहीं इस बात को तो नहीं कह रहा है कि हिन्दू लॉज इन सब पर लागू कर दिया जाए, लेकिन मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं। जो लोग इस आशंका से ग्रसित होते हैं, वे स्वप्न की दुनिया में रहते हैं और उनको अपनी परछाई भी भूत लगती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून सबके लिए एक से बनें। सारे कानूनों की मीमांसा की जाए, सारे अधिनियमों की मीमांसा करने के बाद, कस्टमरी कानूनों की मीमांसा करने के बाद आदर्श कानून बनाए जाने चाहिए।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 1976 में एक भूल उस समय हुई, जब इंडियन सक्सैशन एक्ट में संशोधन करके हिन्दुओं को उनके मूल आधार से पृथक कर दिया गया। उस समय वह एक गलती थी। मुझे इस बात को भी कहने में संकोच नहीं है कि हिन्दुओं के लिए अलग से कानून क्यों बनाया गया। जब इंडियन सक्सैशन एक्ट बना था, उस समय उसको उसके परव्यू में, परिधि में, लिया जाना चाहिए था। जहां तक न्याय की बात है, मैंने कुरान-शरीफ को अध्ययन किया है और उसमें दिया है कि अगर एक पति दो बीवियां रखता है और दूसरी पत्नी के साथ सदव्यवहार और समव्यवहार नहीं करता है, तो उसे दो बीवियां रखने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ बीवी को अधिकार है कि वह उसको तलाक दे दे और उसके साथ रहने से इंकार कर दे। लेकिन क्या आप यह अपेक्षा कर सकते हैं, जहां महिलाओं को इस सामाजिक व्यवस्था में, परिवेश में सूर्य की रोशनी भी देखने के लिए तरसना पड़ता है, वहां क्या महिलाएं साहस कर सकती हैं ? मेरे विचार से कभी नहीं कर सकती हैं। यह उसी का परिणाम है कि नहीं कर पाती हैं। कानून जितने भी हैं, पुरुष प्रधान हैं। इसलिए चाहे कोई भी मजहब हो, उनमें महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है।

मैं क्रिमिनल-लॉज के बारे में भी कहता हूं। एडल्टरी एक अपराध माना गया है। मैं फौजदारी का वकील रह चुका हूं। मैं इस बात को जानता हूं, जब एडल्टरी केस को सिद्ध करने की बात आती है, तो कानून कहता है, जो पीड़िता है, विवाहिता है, जो पीड़ित हो रहा है, वह उस आरोप का आरोपण करे। न केवल आरोपण करे, बल्कि पूरे

साक्ष्य के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, बड़े प्रकट तौर पर, अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करे और यह सिद्ध करे कि पति ने दूसरी शादी कर रखी है। वह अबला दर-दर की ठोकरें खाती हैं और उसका पति तथा जो नई सौत पैदा होती है, वह सौत और सौत के हिमायती, उस सारे एविडेंस को खत्म कर देते हैं। यह इसलिए कि वह अबला होती है और उसके पास हिमायती नहीं होते हैं। लेकिन जिसको जेल जाना होता है, वह सारे कानूनों को अपने हाथ में ले लेता है। वह इस बात को नहीं जानती थी कि न्याय के गलियारे कितने कड़े हैं, कितनी रपटीली राहें हैं, कौन से गलियारे कितने शंकरे हैं, कौन से गलियारों में पैर रपट सकता है और कौन से गलियारों में न्याय मिल सकता है, यह भी वह नहीं जानती है।

यह वे नहीं जानती हैं। इसलिए अधिकांश केस ऐसे हैं जो फेल होते हैं जिनमें महिलाएं हार जाती हैं, पर्याप्त साक्ष्य कानूनी मानदंडों के हिसाब से प्रस्तुत नहीं कर पाती इसलिए वे केस फेल हो जाते हैं और महिलाएं दर-दर की ठोकरें खाती हैं। मैं मुस्लिम लॉ की बात भी कहूंगा जो एक कानून शाहबानो के केस के बाद बनाया गया। ...*(व्यवधान)*

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : पाकिस्तान में क्या है ?

श्री भगवान शंकर रावत : पाकिस्तान में कानून है और वहां कह दिया है कि एक आदमी एक महिला से शादी कर सकेगा, दूसरी बीबी से शादी नहीं कर सकता। यह पाकिस्तान में कानून बना कर तय कर दिया गया है। न केवल पाकिस्तान में किया गया है, मेरे मित्र पूछना चाहते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान, ट्यूनिशिया, मोरक्को, सिरिया, ईरान और रूस के जो मुस्लिम गणराज्य हैं उन सब में यह कानून है कि एक से ज्यादा शादी नहीं की जा सकती है।

श्री कल्पनाथ राय : वहां सिविल कोड है।

श्री भगवान शंकर रावत : हां। वहां सिविल कोड है लेकिन एक ही सिविल कोड है और वह यूनिफार्म सिविल कोड है। फिर चाहे वहां हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या किसी और मजहब का हो। उन सब को एक ही कानून का पालन करना पड़ेगा। उसमें अलग-अलग कानून नहीं है और पाकिस्तान जो भारत से ही निकला हुआ एक अंग है। मैं मुस्लिम वूमैन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डायवर्स एक्ट 1996 की बात कर रहा हूं। इसी संसद में कानून बनाया गया कि अगर पति पत्नी को छोड़ देता है, शाहबानो को अदालत ने गुजारा-भत्ता दे दिया तो यह कानून बदल दिया गया और कानून बदल कर कानून की भावना की हत्या कर दी गई, मानवता और इंसानियत की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र के इस दरबार में केवल इंसानियत की ठीक वही स्थिति होती रही है। जैसे द्रोपदी की चीरहरण दुर्योधन की सभा में हुआ।

महोदय, इस संसद के अंदर भी अबलाओं की लाज लूटने की स्थाई रूप से व्यवस्था कर दी गई और कोई भी विधि विशेषज्ञ, जो सत्ता पक्ष में थे वो बोल नहीं सके थे। उनकी जुबान नहीं खुली थी। जब मेरी यहां एक-दो सांसदों से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम भी पाप का अन्न खाते हैं, सरकारी पार्टी में हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। दल-बदल कानून में हमारी नौकरी निकाल दी जाएगी। इसलिए हम व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकते। अपने नेता को नाराज नहीं कर सकते। आज भी लाखों महिलाओं के केस ऐसे पड़े हैं। कानून बनाया गया कि जो महिलाओं का हिस्सा होगा वह उस व्यक्ति को दिया जाएगा, जो उसका पालन-पोषण करेगा। लेकिन आज तक किसी महिला को मिला नहीं है। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जहां उसके पति के परिवारजनों ने जिनको उस महिला का हक देने की बात कही है उसके आधार पर उनकी परिवरिश की हो। इतना ही नहीं, इसके बाद वक्फ की बात कही गई कि जो वक्फ उसका पालन करेगा, लेकिन मैं यहां जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि महिलाएं वक्फ बोर्ड के चक्कर काटती हैं और दर-दर की ठोकरें खाती हैं, वे अनेक लोगों को ले जाती हैं लेकिन पैरवी के अभाव में उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। उनकी पैरवी ठीक नहीं होती और वे भूखी मर रही हैं। इसलिए जो योजना इस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी और यह कहा गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डायवोर्स एक्ट में मुस्लिम वूमैन की सुरक्षा हो जाएगी, मगर नहीं हो रही है। शाहबानो के केस के बाद जिस भावना के आधार पर यह एक्ट बनाया गया, जो इसका प्रियेम्बल है, जो इसके ऐम्स और ऑबजेक्ट्स हैं वे फेल हो गए हैं और महिलाएं परेशान हो रही हैं। मैं कहना चाहूंगा डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मेरेजिस एक्ट 1939 में एक पैराग्राफ है। सैक्शन 2, क्लाज़ 8, सब-क्लाज (एफ) में दिया है—

[अनुवाद]

"इस तथ्य मात्र की घोषणा करना कि मुस्लिम पति एक से अधिक पत्नी रख सकता है, धारा 11, खंड 8, उपखंड (च) के अध्यधीन क्रूरता का कार्य है।"

[हिन्दी]

सैक्शन 2, क्लाज़ 8, सब-क्लाज़ (एफ) के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी है लेकिन हिन्दुस्तान के अंदर वे लड़ाई हार गए। जिन देशों का मैंने नाम लिया उनमें कानून बना हुआ है।

शिया और सुन्नी कानूनों के अंतर्गत भी शेयर के मामले में महिलाओं को वंचित किया जाता है। पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम शेयर मिलता है। लिंग के आधार पर इस तरह का भेदभाव हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 14-15 को या तो आप रिपील करा दीजिए या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो पॉलीगेमी एलॉउ करता है उसको समाप्त कराइए। मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म के अंदर अनाचार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुस्लिम देशों में कानून बनाकर पॉलीगेमी पर पाबंदी लगा दी गई है तो यह यहां क्यों नहीं हो सकता है। महिलाएं पुरुषों की हवस का शिकार कब तक बनी रहेंगी, उनकी सनक का शिकार कब तक रहेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि—

[अनुवाद]

"मुस्लिम स्वीय विधि जो एक मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नी को उसकी सहमति के बिना और बिना न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग

[श्री भगवान शंकर रावत]

किए एकपक्षीय तलाक देने की समर्थता प्रदान करता है, को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 14 और 15 के उपबन्धों के विरुद्ध है।"

[हिन्दी]

आज अगर पुरुष को सनक आ गई और उसने कह दिया तलाक, तलाक, तलाक तो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया और सारे दाम्पत्य जीवन के बंधन समाप्त हो गए। मैं मुस्लिम कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू कानून की बात भी कर रहा हूं। कितनी ही मेरी बहनें दहेज की बली पर चढ़ा दी जाती हैं। इसलिए उस कानून में भी बदलाव की आवश्यकता है। मेरे मित्रों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हाथ में यह नहीं होता है कि वह किस परिवार में पैदा हो रहा है, किस कोख में पैदा हो रहा है। कोई भी पैदा होने वाला बच्चा यह नहीं जानता कि वह मुस्लिम घर में, हिंदू घर में, पारसी घर में, ईसाई घर में या यहूदी घर में पैदा हो रहा है। इसलिए एक ऐसा दोष और अपराध जो सामाजिक व्यवस्था ने बनाया हुआ है आखिर कब तक रहेगा और उसको दंडित करता रहेगा। कुरान-शरीफ में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि आप पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते रहिए, उसके साथ भेद-भाव बरतते रहिए और उसके बाद भी वह आपकी दासी बनी रहे, आपके मनोरंजन का साधन बनी रहे—यह कहीं नहीं लिखा है।

इसी प्रकार से भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 10 में दिया गया है कि पति कब तलाक की अर्जी दे सकेगा। अगर पति ने यह कह दिया कि पत्नी विवाह के बाद एडल्टरी में रही है तो उसका भविष्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन अगर पत्नी संबंध विच्छेद इस आधार पर चाहे कि उसका पति शादी के बाद एडल्टरी में रह रहा है तो उसके लिए इतना पर्याप्त नहीं है। मैं किसी भी धर्म की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन सामाजिक व्यवस्था के अंदर पंथ के आधार पर जो विकृत्तियां आ गई हैं मैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं। विवाह-विच्छेद की उस धारा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह तो बाइबिल का पार्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। उनके यहां भी बाइबिल में न्याय की बात कही गई है। लेकिन यहां कानून यह बना लिया गया है कि विवाह के बाद महिला तभी तलाक ले सकेगी जब यह सिद्ध कर देगी कि उसने ईसाई धर्म के बदले दूसरा धर्म मान लिया है।

या किसी स्त्री के साथ किसी प्रकार विवाह कर लिया है। जिस एडल्टरी की बात मैं कह रहा हूं, वहां अगर महिला एडल्टरी में है तो उसको तलाक मिल जाएगा लेकिन पुरुष के लिए प्रिवलेज है। इनसैनस्यूस एडल्टरी अगर है, अगम्य गमनात्मक जारक्रम कंटिन्यूस चल रहा है तो तलाक होगा लेकिन अगर केवल एडल्टरी है तो नहीं होगा। यदि वह जार क्रम सहित दुविवाह का दोषी रहा हो उसको तलाक हो सकता है, बलातकारी हो, सोडोमी कर रहा हो, बैस्टिलिटी का दोषी हो तो उसको तलाक दिया जा सकता है। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि आखिर कोई धर्म यह नहीं कहता कि तराजू के पलड़ों में पासंग डाल दो लेकिन इन कानूनों में पासंग पड़ा हुआ है। आखिर महिला और पुरुषों को समानता देने का अधिकार संविधान में दिया गया है। समूचे विश्व में समानता और मानवीयता की बात कही जाती है लेकिन महिलाओं को कौन न्याय देगा। मैं इस देश की सर्वोच्च संस्था के बीच में यह कहना चाहता हूं कि उन्हें न्याय दीजिए और इनके साथ न्याय करिए। मैं महिला आर्गेनाइजेशन्स से भी कहता हूं कि आप राजनीति में हिस्सेदारी मांगती हैं, वह बहुत थोड़ी महिलाएं ले पाएंगी लेकिन पहले महिलाओं को इन्साफ दिलाइए, उन्हें न्याय दीजिए, उन्हें उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति दिलाइए।

मैं संयुक्त हिन्दू परिवार की बात भी कहना चाहता हूं। संयुक्त हिन्दू परिवार में पत्नी और बेटी का हिस्सा नहीं होता। आखिर क्यों ? जहां की बेटी है, वहां हिस्सा देकर घर-घर में फूट डाल दी गई। भाई-बहन का एक पवित्र रिश्ता होता था। बहन-भाई के लिए यह मान्यता है कि हर यमदुतिया के दिन बहन कहती है कि मैं मृत्यु का आलिंगन कर लूंगी लेकिन मेरा भाई खुशहाल रहे। बहन अपनी जान देने के लिए तैयार थी, आज वही बहन होलिका बन कर प्रहलाद की हत्या करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे उसका हिस्सा चाहिए। आखिर यह समाज में कब तक चलेगा ? क्यों नहीं समाज को ठीक दिशा दी जाती ? इन सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाइए और महिलाओं को उनका हक दीजिए और उसके साथ उनको सामाजिक न्याय दीजिए, तर्कसंगतता दीजिए, रैशनैल्टी दीजिए। इसलिए मैंने तीनों मजहबों की बात कही। मेरा आशय यूनिफार्म सिविल कोड के माध्यम से धर्म राज स्थापित करने का नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक आदर्श आचार संहिता बनाई जाए, एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाए और जैसा कि जस्टिस कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने भी इसकी सिफारिश की थी। इन सारे पक्षों को देख कर कॉमन सिविल कोड बनाया जाए। यह संकल्प लिया जाए कि हम इस देश के निवासियों के लिए कॉमन सिविल कोड बनाएंगे। कॉमन सिविल कोड के प्रावधान क्या-क्या हों, सभी मजहबों, पंथों की जो विवाह की पद्धतियां हैं, उत्तराधिकार की पद्धतियां हैं, गोद लेने की पद्धतियां हैं, उसको उसमें बताया जाए। मुस्लिम और ईसाई कानून में कोई व्यक्ति गोद नहीं ले सकता। अगर बदकिस्मती से उसके परिवार में बच्चा पैदा न हो तो वह पत्नी को तलाक तो दे सकता है लेकिन किसी को गोद लेकर बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता। एक यूनिफार्म सिविल कोड बना कर सभी धर्मों की अच्छी मत मतांतर की बातें समाज में चल रही हैं, आप उनका संकलन करिए और एक आदर्श आचार संहिता बनाएं। उसमें सभी लोग उसके अधिकार क्षेत्र में आएं, सभी को लाभ मिले जिससे समाज ठीक प्रकार से चल सके। फिर हम विश्व को बता सकें,

यह देश कबीलों का देश नहीं है। ऐसा नहीं कि मज़हब के आधार पर या पूजा-पद्धति के आधार पर लड़ते-झगड़ते रहते हैं। जैसे विश्व के देशों में कायदे कानून बने हुए हैं, वैसे ही हमारे देश में कायदे कानून चलते हैं। अब हमने क्रिमिनल लॉ को भी धर्म के आधार पर आंशिक रूप से परिवर्तित कर दिया है, यह तकलीफ की बात है। आज क्रिमिनल कानून में धर्म के आधार पर दंड देने का प्रावधान करने की बात हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार सी०आर०पी०सी०,

आई०पी०सी० में संशोधन लाकर अन्य कानूनों की तरह होने लगा है। और फिर उसके परिवर्तन के लिए कोई अंत नहीं होगा और अंतहीन बात हो जाएगी और देश में एक मजाक बनकर रह जाएगा।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं या जहां तक मेरी बात पहुंच सकती है, उन सब से कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को धार्मिक सम्प्रदाय के आधार पर नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने के आधार पर पास किया जाए। जैसा मैंने कहा कि संविधान की सूची 51 बी और 51 सी में रखकर इसको किया जाए :

[अनुवाद]

"राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

[हिन्दी]

इसको एक संवैधानिक प्रावधान बनाया जाए जिससे कि बाद में महिलाओं को अग्नि की बलिवेदी पर न चढ़ना पड़े। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि लड़की को देखते ही भ्रूण की हत्या कर देते हैं। यह महिलाओं के साथ घोर अत्याचार का व्यवहार हो रहा है। ऐसा करने से यह समाप्त हो सकेगा और एक समृद्ध भारत और एक समृद्ध समाज की स्थापना हो सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से इस सदन में आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार करें और इस समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएं।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, मैं कॉमन सिविल कोड बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारा भारत देश अनेक मज़हबों का देश है। यहां पर हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और सिक्ख रहते हैं और इन सब ने मिलकर हिन्दुस्तान को बनाया है। जैसे एक गुलदस्ता होता है और उसकी खूबसूरती इसी में है कि उसमें रंग-बिरंगे और खुशबूदार फूल हों, मैं समझता हूं यह हमारा देश भी उसी तरह से है। जिस समय देश का संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माता डा० अंबेडकर ने इस ओर इशारा किया था कि देश के अंदर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। परन्तु जो हालात बनते गए और जो लोग सत्ता के अंदर आए, उन्होंने इस देश के अंदर वोटों की राजनीति चलाई। इस देश की परम्पराओं की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना नहीं दे पाए।

आज बाहर के देशों में जाने के बाद एक आदमी अनुभव करता है कि वहां की महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं दिखाई देता जिसमें महिलाएं पुरुषों से आगे नहीं बढ़ रही हों। फिर क्या कारण है कि अपने देश में जहां 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, परंतु उनमें से अधिकांश गृहिणियां हैं ? वह सारे देश की बेहतरी के लिए अपने सद्गुणों का उपयोग करने में असमर्थ हो रही हैं। मुस्लिम समाज में विशेषकर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इस तरह का कोई अवसर ही नहीं मिल पा रहा है कि वह इस देश की बेहतरी में अपना योगदान दे सकें।

सभापति जी, हकीकत यह है कि कभी-कभी तो इस बात को इस तरह से बताया जाता है कि जब कोई कॉमन सिविल कोड की बात करता है तो उसका इस तरह से इंटरप्रेटेशन किया जाता है कि हिन्दू लॉ सारे देश में लादना चाहते हैं। मेरे भाई ने स्पष्ट किया है कि हिन्दुओं में भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें आज दोष हैं, जिनको हमें बदलना चाहिए और इसी तरह से जो बात कही जाती है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वही सारी चीजों को चलाएगा। तो मेरा निवेदन है कि जब सैक्यूलरिज़्म की बात हमने कही है तो सही मायनों में जो सैक्यूलरिज़्म है, उसको अपनाना पड़ेगा जिससे देश मिलकर चल सके और पूरा देश प्रगति कर सके। आज आप टर्की, अल्जीरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया की ओर देखें तो इन सबने पौलीगैमी पर एक तरह से बंधन लगा दिया है। पाकिस्तान में भी बड़ा क्लियर मैण्डेट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरी शादी करनी है तो जब तक उसकी पहली वाइफ उसको परमीशन नहीं देगी, तब तक वह दूसरी शादी नहीं कर सकती है। जब मुस्लिम देशों में इतनी प्रगति हो रही है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर अपने देश भारत के अंदर हम क्यों रूढ़िवादी बातों के साथ चिपके हुए हैं। बहुत से मसलों पर हमें यह बात सुनने को मिलती है कि अदालत का फैसला मानना चाहिए। इसलिए आज के माहौल को देखते हुए मेरा निवेदन है कि जो फैसला श्री कुलदीप सिंह और उसके साथी आर० एम० सहाय जी ने दिया था कि सारे देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, ऐसा किया जाए। हम उम्मीद करते थे कि अदालत के फैसले के बाद यह हो जाएगा, लेकिन अजीब बात हो गई कि शाह बानो के केस में अदालत ने फैसला दिया तो हमने उसको अमेण्ड करने की कोशिश की। जब कुलदीप सिंह ने यह फैसला दिया तो हमने उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो बड़े-बड़े जज हैं, उनकी यह राय है और सारे देश में यह माहौल है और देश का वातावरण ऐसा है कि जिसमें महिलाओं को समान अवसर देने चाहिए ताकि वह भी इस देश में कामयाब हो सकें और हमारा साथ दे सकें और भारत देश को हम जिस तरह का बनाना चाहते हैं उस तरह का बना सकें।

कुछ दिनों के बाद ही हम आज़ादी के 50 साल मनाएंगे और 50 सालों के बाद हम भारत की वह तस्वीर अपने सामने लाना चाहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो, कोई अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर न जले और किसी को यह परेशानी न हो कि मेरा गुज़ारा कैसे चलेगा। कोई भी आदमी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगर किसी दूसरी महिला के साथ शादी कर लेता है और पहली महिला की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है तो ऐसे माहौल के अंदर इस देश की प्रगति होना संभव नहीं है। लिहाजा मैं बिल के समर्थन में खड़ा हूं और इसकी पुरजोर ताईद करता हूं कि इस देश के अंदर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से तथा इस सदन के द्वारा चाहूंगा कि यह सदन पहली फुरसत में जैसा यह बिल हमारे सामने आया है, इस बिल को यूनानीमसली पास करे, इतना ही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पून्नानी) : सभापति महादय, यह

[श्री जी॰ एम॰ बनातवाला]

दुर्भाग्य की बात है कि यह संविधान संशोधन सभा के समक्ष पेश किया गया है। समान सिविल संहिता के विषय पर मैं इस सभा में अनेक बार बोल चुका हूं और उसमें मैंने सभी पहलुओं पर उन सभी बातों का विस्तार से जिक्र किया था जिसे इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता इसमें लाना चाहते हैं। यदि मेरे पुराने निवेदनों पर विचार किया जाता तो मेरे विचार से माननीय श्री भगवान शंकर रावत द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का स्पष्टीकरण मिल जाता। मैं चाहता था कि उन्हें विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व उसे पढ़ना चाहिए था।

विधेयक के खंड 2 में उपबंध है कि संविधान के अनुच्छेद 44 का लोप किया जाएगा। अच्छा होता कि विधेयक उसी बात पर समाप्त हो जाता। ऐसी स्थिति में मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता। निश्चय ही, संविधान के अनुच्छेद 44, जिसमें समान सिविल संहिता का उल्लेख है, का पूर्णतया लोप किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, विधेयक के खंड 3 में यह उपबंध है कि राज्य संविधान के अन्य उपबंधों के द्वारा अपने नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान सिविल संहिता बनाना चाहता है।

महोदय, सबसे पहले तो मैं कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट करना चाहता हूं। समान सिविल संहिता का प्रश्न स्वीय विधि की त्रुटियों तथा कुछ समुदायों के स्वीय विधि में पाए गए अन्याय प्रश्न से भिन्न है। जहां तक मुस्लिम स्वीय विधि और शरियत का संबंध है तो ये महिलाओं के प्रति किसी त्रुटियों या अन्याय से मुक्त है जिसके बारे में मैं *इंशा अल्लाह* बाद में जिक्र करूंगा। लेकिन मैं दो संकल्पनाएं भिन्न-भिन्न हैं। एक समान सिविल संहिता की विचारधारा और स्वीय विधि में त्रुटियां दो भिन्न चीज हैं। क्योंकि आप एक समान सिविल संहिता बना सकते हैं फिर भी इसमें ढेर सारी त्रुटियां और अन्याय हो सकते हैं।

विधेयक में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि सबसे पहले हमें तर्क संगत तरीके से, वस्तुपरक तरीके से यह समझना चाहिए कि एक समान सिविल संहिता की आवश्यकता क्या है, इससे क्या हासिल होगा तथा एक समान सिविल संहिता के लिए हम जिद्द पर क्यों अड़े हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक समान सिविल संहिता की संकल्पना धार्मिक स्वतंत्रता और हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति के विरुद्ध है। इसकी प्रकृति भी विघटनकारी है और हमारे देश की एकता और अखंडता पर बुरा प्रभाव डालने वाली है।

हमारे देश में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं और इन सभी समुदायों के विभिन्न धर्म और स्वीय विधियां हैं। यह मात्र मुसलमानों का प्रश्न नहीं है। यहां अनेक धार्मिक समुदाय हैं। भारत में बहुत अधिक संख्या में आदिवासी भी हैं। यहां तक स्वीय विधि का संबंध है तो हिन्दुओं में भी विभिन्न प्रणाली हैं जिन्हें हिन्दू संहिता के अंतर्गत स्वीकार किया जाता और आवश्यक मान्यता दी जाती है। इन सभी धार्मिक समुदायों की विधि के साथ छोड़छाड़ करना, उन पर अनावश्यक रूप से एक समान संहिता लादने का आशय देश को अस्थिर करने का प्रयास है। यह राष्ट्र को बांटने का प्रयास है। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि यह विचार ...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अनुच्छेद 44 में स्पष्ट तौर पर एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। ...*(व्यवधान)*

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वे मेरी बात सुनें। मैंने उनकी बात शांति से सुनी है। अब, वे क्यों अड़े हैं और मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं हैं ?

श्री चमन लाल गुप्त : मैं मात्र यही जानना चाहता था कि नीति निदेशक तत्वों पर आपकी क्या राय है।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : मैंने अभी शुरू ही किया है। मैंने अभी-अभी बोलना प्रारम्भ किया है और उन्हें यहां बैठने में तकलीफ हो रही है क्योंकि सच कड़वा होता है। वे सच सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्हें पता है कि इसमें उनके हिन्दू भाई भी समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वे अपने हिन्दू कानूनों को बनाए रखना चाहते हैं।

उदाहरणार्थ विशेष विवाह अधिनियम, जो एक समान सिविल संहिता की निशानी समझी जाती है सभी समान रूप से लागू होता है। इस विशेष विवाह अधिनियम का किसी धर्म से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आप कितनी शादियां-हिन्दुओं में भी— विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत हो रही है ?

श्री भगवान शंकर रावत : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं विशेष विवाह अधिनियम का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सदस्य बहुत बड़े वकील हैं और इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं, वे स्पष्ट कर दें कि भारत सरकार ने अमेंडमेंट तो कर दी लेकिन इंडियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर कोई हिन्दू शादी कर लेगा तो उस पर हिन्दू कानून लागू होगा...*(व्यवधान)*

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : मैं उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आंकड़ों के मुताबिक विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत 2% से ज्यादा शादियां नहीं होती हैं। अन्यथा, भारत के 98% लोग अपनी स्वीय विधि चाहते हैं, चाहे वह मुस्लिम स्वीय विधि हो या क्रिश्चिन स्वीय विधि हो या हिन्दू विधि हो। वे अपनी शादी का व्यक्तिगत मामले में अपनी विधि अपनाना चाहते हैं।

देश के मात्र दो प्रतिशत लोग ही जिसे केन्द्रीय विधि विशेष विवाह अधिनियम के नाम से जाना जाता है और जो सभी पर लागू होते हैं, के अंतर्गत विवाह करते हैं। यही स्थिति है। लेकिन यहां एक ऐसा विधेयक पेश किया गया है जिसमें व्यवहार से विपरीत एक समान सिविल संहिता की मांग की गई है जो 98% लोगों की इच्छा के विरुद्ध है और जो अपने स्वीय विधि के अनुरूप, न कि विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत, विवाह करते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं सुसंगत तरीके से यह कहने की कोशिश कर

रहा था कि एक समान सिविल संहिता की यह संकल्पना विघटनकारी है और यदि इसे देश के विभिन्न समुदायों, आदिवासियों पर जबरदस्ती थोपा गया तो इससे जबरदस्त असंतोष की भावना बढ़ेगी जिससे राष्ट्र की एकता पर प्रभाव पड़ेगा।

यह सोचना पूर्णतया गलत है कि एक समान सिविल संहिता से देश की एकता सुदृढ़ होगी। यह एक गलत सोच है। हमारी एक संघीय संरचना है। विभिन्न विधान मंडलों द्वारा विभिन्न कानून बनाए जाते हैं फिर राष्ट्र की एकता बनी रहती है।

विधेयक प्रस्तुतकर्त्ता अमरीका का उल्लेख कर रहे थे। अमरीका के विधि का ही अध्ययन करें तो पाएंगे कि विधि में अंतर है। विवाह और विवाह-विच्छेद के नियम को ही लें। यह अमरीका के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होने के बावजूद भी अमरीका की एकता को कोई खतरा नहीं है। यह सर्व-विदित है कि विवाह-विच्छेद के मामले में अमरीका के कुछ राज्यों में नियम काफी लचीला है जबकि कुछ राज्यों में यह कठिन है। अतः, आवास के मामले में बहुधा हेर-फेर किया जाता है जिससे कि जो दम्पति तलाक लेना चाहते हैं वे उस राज्य में तलाक संबंधी याचिका देते हैं जिसमें तलाक मिलना आसान होता है न कि अमरीका के उन राज्यों में जहां इसमें दिक्कतें होती हैं।

हमारी एकता इतनी कमजोर नहीं है। क्या हमारे राष्ट्र की एकता इतनी कमजोर है कि उसे विवाह पद्धति या तलाक से खतरा हो ? उनका ऐसा सोचना है। लेकिन ये सभी गलत धारणाएं हैं। यह सोचना बिलकुल गलत है कि एक समान सिविल संहिता से ही देश की एकता मजबूत होगी। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध को लीजिए। ये युद्ध उन्हीं राष्ट्रों के बीच लड़े गए जिनकी सिविल संहिता समान थी या जिनके धार्मिक कानून समान थे। फिर भी उन्हें विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ ? उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता के पश्चात् अपने देश में हुई घटनाओं को ही लें। इन बातों का उल्लेख करते हुए मुझे दुःख हो रहा है। लेकिन इसे स्पष्ट करने के लिए मेरा कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में यह उल्लेख है कि 'हिन्दू' में सिक्ख, जैन और बौद्ध शामिल हैं।

दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता की प्राप्ति से ही यहां सभी के लिए एक समान सिविल संहिता रही है लेकिन हम जानते हैं कि संबंध कैसे खराब हुए। मैं अपने सिख और हिन्दू भाईयों के दर्दनाक इतिहास का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर अनुच्छेद 25 और इसकी व्याख्या की प्रतियां जलाई थीं। हमें ऐसी दर्दनाक घटना को भुला देना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे विकास में ऐसी असामान्य घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन मैं यह कह रहा था कि यह सोचना गलत है कि एक समान कानून से ही राष्ट्र में एकरूपता आएगी।

हमारे अनेक कानून समान हैं। साक्ष्य अधिनियम तथा दंड कानून सभी समान हैं। लेकिन फिर भी हम समानता की बात सोच रहे हैं और कर रहे हैं। अतः हमें इस विचार को इस कारण त्याग देना चाहिए कि समान नागरिक संहिता राष्ट्र में समानता लाने के लिए आवश्यक है। शान्ति के समय अथवा युद्ध के समय किसी भी समुदाय के किसी भी धार्मिक कानून तथा किसी भी व्यक्तिक कानून से राष्ट्र की एकता में रुकावट नहीं आती। भारत युद्ध के समय से गुज़रा है। हम राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक व्यक्ति की तरह खड़े रहे हैं। मैं कहूंगा कि कुछ गलत धारणाएं हैं जिसके अंतर्गत कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगते हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : मेरे पास चर्चा के लिए अभी काफी मुद्दे हैं इसलिए आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए। मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता द्वारा दिए गए अवसर का स्वागत करूंगा क्योंकि इससे गलत धारणाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए अन्य मुस्लिम देशों में विद्यमान कानूनों के बारे में गलत धारणाएं हैं। मैं मुस्लिम देशों के उन कानूनों पर एक-एक करके चर्चा करूंगा और इस सभा में स्थिति की व्याख्या करूंगा। आइए बातचीत करें। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं मुझे यह कहना चाहिए कि हम मुसलमानों पर कभी-कभी यह आरोप लगाया जाता है कि हम अपने मार्गदर्शन के लिए पाकिस्तान तथा अन्य मुस्लिम देशों की ओर देखते हैं। आज मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ था जब हमसे विपक्ष द्वारा यह कहा जा रहा था कि हम मार्गदर्शन के लिए पाकिस्तान तथा अन्य मुस्लिम देशों की ओर देखें। उन्हें एक ही मानक अपनाना चाहिए। इससे उस ओर के सुविधाजनक तर्क का पता चलता है।

जहां तक कि अन्य देशों के संबंध है, उदाहरण के लिए सऊदी अरब को लीजिए, दो या तीन देशों को छोड़कर अन्य सभी देशों पर विचार करिए और आप देखेंगे कि वहां कानून हमारे धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। मज़ाक बनाते हुए यह तर्क दिया गया कि हम **'तलाक', 'तलाक', 'तलाक'** कहते हैं और विवाह-विच्छेद हो जाता है। लेकिन कानून ऐसा नहीं है। यह इतना आसान नहीं है और हमारे भाई लोग भी यह जानते हैं। क्या यह इस तरह से इतना आसान हो सकता था और क्या वास्तव में कानून ऐसे होते तो विशेषकर मुस्लिम समाज में "तलाकों" की भरमार हो जाती।

अपराह्न 6.00 बजे

लेकिन ऐसा नहीं है। आंकड़े देखिए। मुस्लिम समुदाय में तलाक में बहुत कम मामले दिखाई देंगे। महिला आयोग की रिपोर्टों में भी आंकड़े उपलब्ध हैं। तलाक की प्रतिशतता इतनी कम है कि वास्तव में यदि हम कहें तो यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। यह चर्चा का मुद्दा नहीं बनता विशेषरूप से तब जबकि आप विभिन्न कानूनों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं जोकि कुरान, हदीस और फिकाह के अंतर्गत दिए गए हैं।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, आप अपना वक्तव्य अगली बार जारी रख सकते हैं। अब सभा सोमवार, 10 मार्च, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 मार्च, 1997/19 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।